"विद्यालयीय अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता का समाजशास्त्रीय अध्ययन"

समाजशास्त्र विषय में
पी-एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2004

निर्देशक
डॉ० जे०पी० नाग
रीडर एवं अध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग
पं०जे०एन०पी०जी० कालेज, बाँदा

गवेषिका
प्रतिभा दुबे

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

डा० जे०पी० नाग
विभागध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
पं०जे०एन० कालेज, बांदा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 'प्रतिभा दुबे' ने प्रस्तुत शोध प्रबन्ध ''विद्यालयीय अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (बाँदा नगर के विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं के सन्दर्भ में) मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पत्रांक-बु०ख०वि०/शोध/2001/1065-17 दिनाकं 20.10.2000 के द्वारा समाजशास्त्र विषय में शोध कार्य के लिए पंजीकृत हुयी थी। इन्होंने मेरे निर्देशन में आर्डिनेन्स द्वारा वांछित अवधि तक कार्य किया तथा वांछित अवधि तक शोध केन्द्र में उपस्थित रहीं। इन्होंने इस शोध के सभी चरणों को अत्यन्त संतोषजनक रूप में परिश्रम पूर्वक सम्पन्न किया। मैं इस शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करने की संस्तुति करता हूँ।

दिनांक- 15 अप्रैल 2005

(डॉ० जे०पी० नाग)

घोषणा-पत्र

मैं यह घोषणा करती हूं कि, प्रस्तुत शोध प्रबन्ध ''विद्यालयीय अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' जिसे मैं पी-एच०डी० की उपाधि हेतु प्रस्तुत कर रही हूं। प्राप्त निर्देशन एवं सुझावों के अतिरिक्त मेरी मौलिक कृति है। यह शोध प्रबन्ध मेरे अथवा अन्य किसी के द्वारा इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रस्तुत शोध प्रबंध का अंश नहीं है।

दिनांक- 23.06.2004

प्रतिभा दुबे
एम०ए० समाजशास्त्र
प्रतिभा दुबे

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को पूर्ण कराने में जिन व्यक्तियों का समय-असमय प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जिस किसी भी रुप में सहयोग रहा है मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना अपना नैतिक कर्तव्य समझती हूं।

इस कड़ी मे मैं सर्वप्रथम शोध प्रणेता एवं शोध निर्देशक डॉ० जे०पी०नाग विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, पं०जे०एन०कालेज बांदा की अत्यंत आभारी हूं जिन्होने मुझे मार्गदर्शन ही नहीं दिया अपितु समय-समय पर मेरा मनोबल भी बढ़ाया। शोध कार्य में मुझे आपका अमूल्य स्नेह प्राप्त हुआ जिसके कारण ही यह शोध कार्य संपन्न हो सका।

अपने पति श्री अखिलेश त्रिपाठी की मैं दिल से आभारी हूं जिन्होने मेरा हर क्षण उत्साहवर्धन एवं सहयोग किया।

मैं अपने पिता श्री सत्यनारायण दुबे एवं माता श्रीमती केसर दुबे की हृदय से आभारी हूं। जिनके वात्सल्य से यह महती कार्य संपन्न हो सका।

मेरी बड़ी बहन डॉ० सरिता दुबे जिन्होने ही मुझे इस शोधकार्य के लिए प्रेरित किया, का आभार व्यक्त करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। साथ ही छोटे भाई श्री हरिनारायण दुबे की भी आभारी हूं, जिसने सूचना संकलन से मेरा सहयोग किया।

मैं श्री वीरेन्द्र सिंह की भी आभारी हूं जिन्होने शोध प्रबन्ध में मेरा सहयोग किया।

बांदा जनपद की उन समस्त जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट स्तर की अध्यापिकाओं के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं जिन्होने अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं सहयोगपूर्ण माहौल में प्रदान की साथ ही मेरा निरन्तर उत्साहवर्धन भी किया।

मैं अपनी प्यारी ननद कु० खुशबू त्रिपाठी के प्यार को नहीं भूल सकती जिसने मुझे लिखित कार्य पूरा करने के लिए अपना अधिक समय देकर सहयोग किया। मैं अपनी नवजात प्यारे पुत्र वासु को नहीं भूल सकती जिसके अबोध मुस्काल एवं प्यार से मैं निरन्तर स्फूर्ति एवं गतिशील रहते यह शोध प्रबन्ध पूर्ण कर सकती हूँ।

अन्त में मैं श्रीकान्त शुक्ल, प्रोपाइटर श्री प्रिन्टर्स, पद्माकर चौराहा, बांदा का आभार व्यक्त करना चाहूगी जिन्होनें समय पर एवं त्रुटिहीन टाइपिंग कर शोध प्रबन्ध को अंतिम रुप दिया।

दिनांक- 23.06.2004

प्रतिभा दुबे

गवेषिका

प्रतिभा दुबे

एम०ए० समाजशास्त्र

विषय सूची

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	**प्रस्तावना**	1-50
	आधुनिकीकरण	10
	भारत में महिलाओं की स्थिति	12
	विश्व में महिलाओं की स्थिति	18
	विकास के क्षेत्र मे महिलाओं की भूमिका	22
	आर्थिक निर्भरता से ही निखरेगी नारी की छवि	24
	स्त्रियों के अधिकारों की उपेक्षा या अनदेखी क्यों	29
	महिला सशक्तीकरण	37
2	**पद्धतिशास्त्र**	51-95
	खण्ड-एक	
	अध्ययन की आवश्यकता	53
	सामाजिक शोध अध्ययनों का पुनरावलोकन	58
	सामाजिक अन्याय एवं सामाजिक समस्याओं में महिलाओं सम्बन्धी अध्ययन	58
	महिलाओं की बदलती हुई प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन	59
	महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित अन्य अध्ययन	59
	भारत में महिला आन्दोलनों से सम्बन्धित अध्ययन	60
	अध्ययन का उद्देश्य	62
	समस्या कथन	65
	उपकल्पना	67
	अध्ययन पद्धति	68
	खण्ड-दो	
	उत्तरदाताओ की सामान्य जानकारियों	71
3.	**अध्याय तृतीय**	**96-134**
	राजनीतिक - चेतना	96
	वर्ग की अवधारणा	96
	वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष	98
	महिला अध्यापिकाओं में स्वचेतना स्वरूप	100
	महिला में राजनीतिक चेतना	102
	महिला आरक्षण	116

4.	**अध्याय-चतुर्थ**	**135-173**
	राजनीतिक विरसन	135
	पराएपन या अलगाव की संकल्पना	135
	आदर्श शून्यता की स्थिति में अलगाव	137
	राजनीतिक विरसन	141
	अध्यापिकाओं मे उदासीनता	143
	उदासीनता या असन्तुलन के कुछ लक्षण	144
5.	**अध्याय-पंचम**	**174-214**
	राजनीतिक प्रभावकारिता	174
	राजनीतिक प्रभाविता भावना	176
	अध्यापिकाओं में संचार एवं प्रम्प्रेषण का प्रभाव	179
	संचार साधनों का प्रभाव	182
6.	**अध्याय षष्ठम्**	**215-250**
	राजनीतिक सहभागिता	215
	राजनीतिक सहभागिता की प्रमुख क्रियाये	218
	राजनीतिक सहभागिता का वर्गीकरण	220
	राजनीतिक सहभागी	222
7.	**अध्याय सप्तम**	**251-268**
	निष्कर्ष	
	परिशिष्ट	
	साक्षात्कार अनुसूची	270-284
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	285-293
	विद्यालयों की सूची	294-295
	विद्यालयों एवं महिला अध्यापिकाओं की सूची	296-301

सारिणी सूची

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं आयुगत विवरण	71
2.2	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं जातिगत विवरण	73
2.3	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं शिक्षागत विवरण	76
2.4	महिला एवं अध्यापिकाए एवं परिवार की सदस्य संख्या का विवरण	79
2.5	महिला अध्यापिकाए एवं पारिवारिक आय का विवरण	81
2.6	विद्यालयीय अध्यापिकाओं की आयु एवं समाचार पत्र सम्बन्धी जानकारी	84
2.7	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं वैवाहिक स्थिति	87
2.8	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं परिवार का स्वरूप सम्बन्धी विवरण	89
2.9	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं मासिक आय सम्बन्धी विचार	91
2.10	महिला अध्यापिकाए एवं टी0वी0 सम्बन्धी जानकारी	94
3.3	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं राजनीति में सक्रिय होकर चुनाव लड़ने सम्बन्धी विचार	111
3.4	अध्यापिकाओं की जाति एवं मताधिकार प्रयोग से स्त्रियों मे जागरूकता सम्बन्धी विचार	114
3.5	अध्यापिकाओं की आयु एवं राजनीति में प्रथक से आरक्षण सम्बन्धी विचार	123
3.6	अध्यापिकाओं की जाति एवं महिलाओं के सहयोग से सरकार के गठन सम्बन्धी विचार	126
3.7	अध्यापिकाओं की जाति एवं उनके राजनीति में प्रवेश सम्बन्धी परिवारिक पसंद का विचार	129
3.8	अध्यापिकाओं एवं राजनैतिक पार्टी व सदस्य सम्बन्धी जानकारी	132
4.1	शिक्षा एवं विद्यालयीय अध्यापिकाओं में उदासीनता की स्थिति सम्बन्धी जानकारी	146
4.2	विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं राजनीतिक अध्यापिकाओं से बच्चों की शिक्षा पर कुप्रभाव सम्बन्धी विचार	152
4.3	विद्यालयीय अध्यापिकाओं की जाति एवं राजनैतिक दल किसी को वाछित लाभ दिला सकते है सम्बन्धी विचार	156
4.4	जाति एवं विद्यालयीय अध्यापिकाओं को राजनीतिक-गतिविधियां प्रभावित करने सम्बन्धी जानकारी	159
4.5	अध्यापिकाओं की आयु एवं नेताओं की कथन करनी में अन्तर सम्बन्धी विचार	162

4.6	विद्यालयीय-अध्यापिकाओं की शिक्षा एवं महिलाओं में स्त्री हिंसा में विक्षोभ या अलगाव सम्बन्धी विचार	164
4.7	विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं राजनैतिक नेता द्वारा अध्यापक का पद दिलाने सम्बन्धी जानकारी	168
4.8	राजनैतिक दल सम्बद्ध अध्यापिकाओं से प्रबन्धतन्त्र एवं प्रधानाचार्य प्रभावित होने सम्बन्धी जानकारी	170
5.1	विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं राजनीति के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी जानकारी	184
5.2	विद्यालयीय अध्यापिकाओं का बांदा नगर पालिका की अध्यक्ष महिला चुने जाने से मिली प्रेरणा सम्बन्धी जानकारी	187
5.3	सेवारत अध्यापिकाओं एवं राजनैदिक दल से सम्पर्क बढ़ाने सम्बन्धी विचार	191
5.4	विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाये जाने सम्बन्धी विचार	195
5.5	विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों व संस्थाओं में महिलाओ की बढ़ रही संख्या सम्बन्धी विचार	199
5.6	विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं राजनीति में सक्रिय होना चाहिए सम्बन्धी विचार	203
5.7	राजनैतिक दल एवं समस्याओं का समाधान	208
5.8	महिला अध्यापिका की दृष्टि में पुरुषों की तुलना मे महिलाओं की राजनीतिक ताकत सम्बन्धी जानकारी	210
5.9	विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं महिलाए राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा सकती है सम्बन्धी जानकारी	213
6.1	विद्यालयीय अध्यापिकाओं की जाति एवं राजनीतिक सभा में सम्मिलित होने सम्बन्धी विचार	226
6.2	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं किसी सभी में सम्मिलित होने उद्देश्य सम्बन्धी विचार	230
6.3	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं राजनीतिक दलों को निम्न मामलों में सहयोग करने सम्बन्धी विचार	234
6.4	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध सम्बन्धी विचार	237
6.5	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं राजनीतिक गतिविधियों मे भाग लेने सम्बन्धी विचार	241
6.6	विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं आन्दोलन या हड़ताल मे भाग लेने सम्बन्धी विचार	244
6.7	विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं महिलाओं के मताधिकार प्रयोग से सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार सम्बन्धी विचार	247

प्रथम-अध्याय

प्रस्तावना

अध्याय-प्रथम

प्रस्तावना

भारत जैसे वैविध्य पूर्ण और प्राचीन परन्तु आधुनिकता से प्रभावित, समाज में आज राजनीतिकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। आधुनिकीकरण के एक उपांग के रुप में राजनीतिकरण एक सार्वभौमिक प्रघटना बन चुकी है। जैसाकि कैटलिन ने कहा कि राजनीति संगठित-समाज का अध्ययन है। अतः वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आंकलन सामाजिक संन्दर्श में ही किये जाने के प्रयास होते रहे है। स्वतन्त्रता के बाद जनतांत्रिक मूल्यो के विकास के कारण हमारे देश में राजनीतिक का महत्व निरन्तर बढ़ता ही गया जिसके परिणामस्वरुप देश में राजनीतिकरण की प्रक्रिया भी उसी अनुपात में बढ़ी है। राजनीतिकरण की इस प्रक्रिया में अब पुरुष ही नहीं महिलायें भी अधिक संख्या में जुड़ती जा रही है। यह सामाजिक परिवर्तनो की लहरो में आधुनिकीकरण रूपी लहर का परिणाम है। जिसने आज स्त्री संम्बन्धी सोच में परिवर्तन ला दिया।

स्वतन्त्रयोन्तर भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की व्यापक प्रक्रिया के अन्तर्गत राजनीतिक परिवर्तन की विशेष भूमिका रही है। इस विशाल देश में जनतंत्र की स्थापना के बाद से राजनीति का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरुप देश में राजनीतिकरण की प्रक्रिया बढ़ी है। आज हमारे समाज का एक के बाद एक समूह राजनीति ।। जुडता जा रहा है। राजनीतिक दलो का निरन्तर उदय तथा विलय, आन्दोलन एवं राजनीतिक सक्रियता की बाढ़ राजनीतिक हिंसा की बढ़ती लहर विभिन्न समूहों और वर्गो की राजनीतिक बेचैनी, दलों एवं नेतृत्व की तीव्र प्रतिस्पर्घा बढ़ती शिक्षा के साथ, बढ़ती, राजनीतिक जागरुकता आदि राजनीति के ऐसे अनेक पहलू है जो भारत मे बढते राजनीतिकरण के अभिन्न अंग है। राजनीतिकरण का सामान्य अभिप्राय एक समूह या व्यक्ति का राजनीतिक

व्यवस्था के साथ वैचारिक तथा व्यावहारिक रूप से जुड़ना है। इसके द्वारा एक व्यक्ति का राजनीतिक से सम्बन्धित अभिवृत्तियों, दृष्टिकोणों, विचारों एवं व्यवहारों तथा क्रियाकलापों में विकास, वृद्धि एवं परिमार्जन होता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यक्ति या समूह केवल राजनीति में शिक्षित एवं प्रशिक्षित ही नहीं होता वरन् वह राजनीति को भली भांति जानता है तथा अपने राजनीतिक सोच के मुतबिक अथवा हितो की पूर्ति के लिये प्रयत्नशील होता है।

राजनीतिकरण की प्रवृत्ति जनतांत्रिक मूल व्यवस्था के विकसित होने पर बढ़ती जाती है यही कारण है कि भारत जैसे देश मे राजनीतिक जागरुकता का प्रसार एवं राजनीतिक सहभागिता मे वृद्धि होती जा रही है। यह राजनीतिकरण की प्रवृत्ति का ही द्योतक है। इस देश में यह राजनीतिकरण की प्रक्रिया अब महानगरों तक ही सीमित नहीं है वरन् नगर कस्बों तक पहुचं चुकी है। राजनीतिक चेतना एवं सहभागिता का परिणाम भी स्पष्ट रुप से परिलक्षित होने लगा है एवं इससे सामान्य जन प्रभावित होता जा रहा है। राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी महिलाओं को उत्साहित कर रही है कि वह राजनीति से जुड़े। प्रत्यक्ष रुप से राजनीति से जुड़ना सबके लिए सम्भव नहीं है। फिर भी विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों से अधिकाधिक लोग जुडने लगे है, परिणामतः राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती जा रही है। इस सहभागिता के मूल में है महिलाओं का विकास, अपने को उन्नति के शिखर पर पहुचने के अनेक साधनों में आज व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता को वरीयता देने लगा है क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्राप्त करने में राजनीतिक सहभागिता अधिक उपयुक्त लगने लगी है। इसका एक सबल कारण है राजनीतिक प्रभावकारिता। आज का आम नागरिक यह अनुभव करने लगा है कि वह सरकार को अपने हितों के लिये सहमत होने के लिये बाध्य कर सकता है और यह राजनीतिक दलों एवं उनके सहयोग से ही लिया

जा सकता है। प्रायः यह भी देखा जा रहा है, कि विभिन्न वर्ग, समूह या राजनीतिक दल सामूहिक रूप से समस्या के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने मे आन्दोलन, हडताल, धरना, घेराव आदि के द्वारा अपने हितों की पूर्ति करा लेने में सक्षम हो रहे है। सामान्य जन इसे देखकर प्रभावित हो रहा है और इसके महत्व को समझने लगा है। वर्गो एवं विभिन्न राजनीतिक दलो की इन क्रियाकलापो से प्राप्त होने वाले लाभ-सामान्य जन पहचानने लगा है। यह उपलब्धि राजनीतिक प्रभावकारिता का परिणाम है। इस प्रकार यह राजनीतिक प्रभावकारिता सामान्य लोगों मे राजनीतिक चेतना बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

भारतीय समाज में सामाजिक एवं आर्थिक विषमता अन्य समाजो की तुलना में कुछ अधिक है। ऐसे विषमता पूर्ण समाज में राजनीतिक प्रभावकारिता का अनुभव एक प्रकार से नहीं किया जा सकता बल्कि यह हमारे उदासीनता का कहीं राजनीतिक प्रभावकारिता अधिक है तो वहाँ राजनीतिक चेतना भी अधिक दिखालई पड़ती है। इसके विपरीत जहाँ पर विकास की किरणे पूर्णतया नहीं पहुची है वहाँ राजनीतिक प्रभावकारिता एवं चेतना अपेक्षाकृत कम, उदासीनता अधिक दिखालयी पड़ती है। पुरुष की सहभागिता स्त्री होती है उसके सतत सम्पर्क में रहने के कारण उस पर ही इन प्रक्रियाओं का कमोवेश प्रभाव पड़ता है। पुरुष प्रधान समाज की विश्व व्यवस्था के कारण स्त्रियों की सोच इतनी तीव्र नहीं हुई है फिर भी आज आधुनिकीकरण सतत चलने वाली प्रक्रिया के कारण उनमे भी परिवर्तन आया है।

परन्तु सामाजिक परिवर्तनों की लहरों मे आधुनिकीकरण रूपी लहर ने आज स्त्री सम्बन्धी सोच में परिवर्तन ला दिया है। समतावादी, तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि होने के कारण आज वंचित, उपेक्षित महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर आया है। यह दृष्टिकोण आधुनिकता की देन है। आज पुरुष ही नहीं वरन् स्त्री भी अपने वर्तमान के प्रति चिन्तित है। शिक्षा के व्यापक प्रचार एवं प्रसार के कारण वे अपने अतीत को भलीभाँति समझते हुए

वर्तमान में अपने प्रस्थिति को ऊँचा करने के लिए सन्नद्ध है। खड़कसिंह रावत (10 मार्च 2000) ने कहा है कि भारत में महिलाओं का एक ऐसा वर्ग भी है जो राजनीति में वढ़-चढ़ कर भाग लेता है। इनमें से मात्र चालीस पचास लोकसभा की सदस्या भी है परन्तु दुख की बात है कि पुरुष प्रधान देश होने के कारण आज हर क्षेत्र में पुरुष महिलाओं की प्रगति के आडे आते है। उन्हे पता नहीं कि जव तक महिलाओं की प्रगति नहीं होगी, स्वयं उनकी सन्तानों की प्रगति नहीं होगी। राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव (27 अगस्त 1999) ने लिखा है कि यह निश्चित है कि जब तक महिलाओं को पंचायतो, विधान सभाओं, और संसद मे अधिकाधिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब तक उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए न तो समुचित कानून बन पायेगे और न ही उनके लिए बने कानूनो का सही ढंग से कार्यान्वियन हो पायेगा। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओ मे राजनीतिक जागरुकता बढ़ी है तथा बहुत अधिक संख्या मे महिलाएं राजनीति में सक्रिय भूमिका अपना रही है। सर्वेक्षण के अनुसार सक्रिय भूमिका अदा करने वालो मे एक तिहाई महिलाएं है। 1991 की तुलना मे 1996 में चुनाव सभाओ और राजनीतिक दल के सदस्य बनने वाली महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गयी है। फिर भी पुरुषो से यह बहुत कम है।

प्रत्येक भारतीय महिला को वैधानिक रुप से समानता का अधिकार प्रदान कराना। व्यक्तियों के लिए पंचायत, विकास खण्ड, जिला और प्रान्तीय स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रथक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों की स्थापना करना और प्रत्येक महिला को शिक्षा प्रदान कराना। रोजगार न चाहने वाली महिलाओ के लिये प्रथक रुप से जीवन परक वैदिक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम विद्यालय, महाविद्यालयों और विश्व विद्यालय के स्तर पर उपलब्ध कराना। रोजगार की इच्छुक ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रथक रोजगार प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना और उन्हे अपने स्वयं के छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए सुलभ

नियमों पर ऋण उपलब्ध कराना। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष शिक्षा उपलब्ध कराना जिससे वे पूरे परिवार को सदैव ही पूर्ण स्वस्थ रख सके। कार्यरत महिलाओ के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार महिला अवासों का निमार्ण कर उन्हे उचित दरो पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना सामाजिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमो के लिए महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण और अधिकार प्रदान करना। बहरहाल, यह बात तो निश्चित है कि जब तक इस देश की करोड़ो महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकार के लिए स्वयं संघर्ष नहीं करेगी, तब तक वे न तो वह स्वयं आत्मनिर्भर हो सकेगी और न ही देश आगे बढ़ सकेगा। अपने राजनीतिक अधिकार को पाने के लिए महिलाओ को पुरुषो की दया पर निर्भर होने की बजाय अपनी शक्ति पर निर्भर होगा होगा।

आज विकसित समाज मे महिलाए अपने प्रस्थिति उत्थान मे लगी हुई दिखाई पड़ रही है जबकि विकासशील देशों में अब भी उनके अस्तित्व का संकट बना हुआ है। ऐसे दो ध्रुवों के मध्य आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओ के लिए किये गये उत्थान कार्यक्रमों का विश्लेषण हो उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों का निरीक्षण हो। महिलाओं के उत्थान के लिए महिला दशक मे संयुक्त राज्य संघ ने तीन मूक्ष्य उद्देश्य रखते थे। प्रथम समानता, द्वितीय विकास एवं तृतीय शान्ति। वास्तव में महिलाओ को समान स्तर पर लाने के लिए आवश्यक है कि उनका शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो और यह तभी सम्भव है, जब वह शान्ति का अनुभव करे। महिलाओं के सम्मानित होने से ही समाज सम्मानित होता है उसकी समृद्धि बढ़ती है। मनु ने ठीक ही कहा था कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वही देवता वास करते है। अर्थात सुख और समृद्धि दिखालाई पड़ती है।

आज प्रजातांत्रिक देशों में महिलाओ की राजनीतिक चेतना बढती जा रही है। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर 1975 से 1985 तक महिला उत्थान दशक मे चेतना वृद्धि एवं उनकी

स्वतन्त्रता वृद्धि के लिए अनेक प्रयास किये गये। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा मे अनेक प्रयास हुए जिसके परिणाम स्वरुप देश एवं विदेश मे स्त्रियो की स्थिति एवं सोच मे बदलाव आया, दक्षिण एशिया की महिलाए विश्व के किसी अन्य भाग की महिलाओं की तुलना में राजनीतिक दृष्टि से अधिक जागरुक है। दक्षेस देशों के लिए मानव विकास रिपोर्ट 1997 मे इस तथ्य को प्रमुखता के साथ उजागर किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत, पकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में कई बार सत्ता के शीर्ष पर महिलाएं बैठी है। विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रुप में स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी, इस्लामी देश की पहली प्रधानमंत्री बेनजीर भुटटो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया तथा श्रीमती शेख हसीना बाजेद, विश्व की पहली प्रधान मंत्री के रुप में श्रीलंका की श्रीमती भंडारनायके तथा वर्तमान राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमार तुंगा आदि महान विभूतिया दी है। इसके वावजूद मन्त्रिमंडल स्तर पर दक्षेस मे महिलाओं का 6.8 प्रतिशत तथा सरकार के वरिष्ठ पदो पर महिलाओ की भागीदारी मात्र 4.7 प्रतिशत है। जबकि अन्य विकसित एवं विकासशील देशों में महिला सांसदो की स्थिति 1 जनवरी 1997 की स्थिति के अनुसार क्रमशः स्वीडेन 40.4%,नार्वे में 39.4%, जर्मनी में 26.2%, स्पेन 24.6%, चीन 21%, स्विटजरलैण्ड 21%, रुस 19.20%, अमेरिका 11.7%, ब्रिटेन 9.5%, फ्रांस 6.4%, जापान 4.6%, भारत में 7.2%, बांग्लादेश 9.1%, मिश्र 2%, मोरक्को मे सबसे कम 0.6% है। यदि हम वरिष्ठ पदो एवं सत्ता के शीर्ष पर बैठी राजनीतिक महिलाओं पर दृष्टिपात करे तो आज भी महिलाएं हाशिये पर ही है।

स्वतन्त्र भारत नारी जागरण का युग बन गया है और स्त्री शिक्षा के परिणाम स्वरुप सभी क्षेत्रों मे विलक्षण क्रान्ति परिलक्षित हो रही है। भारत सरकार ने सन् 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता मे राष्ट्रीय महिला

शिक्षा समिति की नियुक्ति की बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कोई समाज कितना विकसित है इसका पता वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखकर लगा सकते है। उस नजरिये से हमारा देश बहुत पिछड़ा है, यद्यपि सरकार ने महिलाओं में राजनीतिक जागरुकता लाने और स्थिति सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम विकसित किये गये, जिसमें 'महिला विकास कार्यक्रम' (1982-83), महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993, महिला समाख्या योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) 2 अक्टूबर (1980), में महिलाओं का 40 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। इसके बाद भी महिलाओ की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है। इसका कारण यह है कि महिलाओं मे राजनीतिक चेतना का अभाव है, जो किसी व्यक्ति के शारीकि एवं मानसिक विकास तथा सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझी जाती है।

प्रायः जहां कही भी ओर जब कभी भी नारी पुरुष वर्ग की चुनौती देकर उसके अधिकार क्षेत्र मे प्रवेश करने लगती है तब पुरुष वर्ग उसे थोथी मान्यताए गढ़कर धार्मिक राजनीतिक नियम कानून बनाकर नारी को पर्दे मे बन्द कर उसकी जिन्दगी को घर की चार दीवारी तक सीमित रखकर अपने समकक्ष आने में अनेक रुकावटे पैदा करते है। जन्म से लेकर वैवाहिक बंधन से बँधने ओर अन्ततः चिता पर जलकर इहलीला समाप्त कर देने तक ही सीमित रखना चाहते है। महिला आरक्षण विद्येयक संविधान मे 31 वां संशोधन करके महिलाओ को लोकसभा और राज्य सभा मे 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बात करता है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में नेता राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओ को एक तिहाई आरक्षण देने के पक्ष मे मन नहीं बना पा रहे है। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक सभी स्तरों पर उपेक्षित महिलाओं में विरसन की स्थिति उत्पन्न होती है (जिसे

विकर्षण, विच्छिनता, परकीकरण विरसता, उदासीनता, विरसन अथवा अलगाव (Alienation) भी कहते है।

कार्लमार्क्स- (1973) ने विरसन या अलगाव को व्यक्ति की वह दशा माना है जिसमे उसका अपना कार्य परदेशी शक्ति बन जाता है, जो उसके द्वारा शासित न रहकर उससे हार जाता है तथा उसके ही विरुद्ध हो जाता है।

एरिकफ्राम- (1973) ने और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि विरसन अनुभव का वह रुप है जिसमे व्यक्ति अपने आपको परदेशी समझने लगता है। इससे वह अपने से विकर्षित हो जाता है। वह अपने अपको संसार का केन्द्र व अपने कार्यो का सृजन करता अनुभव नहीं करता, अपितु उसके कार्य तथा इसके परिणाम उसके स्वामी बन जाते है।

राजनीतिक प्रभाविता भावना से अभिप्राय व्यक्ति की अनुभूति है, जिसके द्वारा वह विश्वास करता है कि वह स्वयं जाकर अन्य लोगो कि सहायता से राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है, तथा राजनीतिक नेताओं के व्यवाहार को इष्ट दिशा मे प्रेरित कर सकता है। इसका प्रयोग राजनीतिक घटनाओं एवं मामलों के सन्दर्भ मे नागरिक के कार्यो को परिणाम के प्रति उसकी अनुभूति के लिए भी किया जाता है।

प्रिविट- के अनुसार "यह अहम शक्ति, व्यक्तिगत सक्षमता, आत्मविश्वास तथा व्यक्तिगत प्रभावोंत्पादकता जैसी धारणाओं से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। वास्तव मे यह व्यक्तिगत प्रभाविता के सप्रत्यय का ही राजनीतिक जीवन में विस्तार हैं।"

इसी प्रकार से राजनीतिक सहभागिता के प्रत्यय को निम्न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता हैं। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य संघटक हैं पश्चमी देशों परम्परागत राजनीतिक सहभागिता के सम्प्रत्यय को सीमित अर्थो में प्रयुक्त किया जाता रहा हैं। तथा इसके चुनाव के समय प्रचार अभियान एवं इससे सम्बन्धित क्रियायें यथा राजनीतिक

वाद विवाद, अन्य मतदाताओं को किसी विशेष प्रत्याशी को मत देने के लिये प्रेरित करना, अभियानों में धन देना तथा राजनीतिक दलो की सदस्यता गृहण करना आदि को सम्मिलित किया जाता रहा हैं। परन्तु आज इस सम्प्रत्यय का प्रयोग व्यापक अर्थो मे किया जाने लगा। मैथ्यूज तथा प्रोर्थो (1966) ने राजनीतिक सहभागिता को ''जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारो को व्यक्त करने से सम्बन्धित सभी प्रकार का व्यवहार बताया हैं।''

आधुनिक औद्योगिक समाजों मे विरसन की प्रवृति बढ़ जाने के कारण समाज वैज्ञानिक निरन्तर इस संम्प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ विद्वान (यथा वेरलसन, स्टेनट, मर्टन आदि) इसका प्रयोग करना उचित ही नहीं समझते। जबकि हीगलं, कार्लमार्क्स, जे० एस० मिल, मैक्सवेबर, जार्ज सिमैल, डेविड रीजमैन, एरिकफ्राम तथा अनेक अन्य विद्वान के नाम इस संप्रत्यय से जुडे हुए हैं। विश्व की कुल जनसंख्या मे महिलाओं की 22 प्रतिशत राजनीति मे भागीदारी यह सिद्ध करती हैं कि व्यवहारिक धरातल पर वे आज भी पुरुषों की तुलना मे वहुत पीछे हैं लेकिन जव कभी भी और जहां कही भी उन्हे अवसर मिलता है। वे सिद्ध कर देती हैं कि वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रशासक, अधिक कुशल राजनीतिज्ञ एवं दृढता के साथ निर्णय लेने वाली हैं।

औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा का बढता हुआ प्रभाव, आधुनिकीकरण एवं उसके आयाम पुरुष के समान स्त्रियों को भी उतना ही प्रभावित कियें हुए हैं। अतः आज की महिलायें पहले की अपेक्षा अधिक सचेत हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों मे सक्रिय सहयोग प्रदान कर रही हैं। भारतीय महिलाओं मे यह सक्रियता उनके सतत चैतन्य होने का ही परिणाम हैं। भारत के भौगोलिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सौन्दर्यात्मक संस्कृति ने सदियो से विदेशियों को प्रभावित एवं आकर्षित किया हैं जिसके परिणाम स्वरूप वे बार-बार यहाँ आने और बसने के लिए बाध्य हुए हैं। जिसके परिणाम

स्वरूप यहाँ एक मिश्रित संस्कृति का उदय हुआ उसका एक प्रभाव महिलाओं की चेतना पर परिलक्षित हुआ हैं। विभिन्न संस्कृतियों मे समाज की स्थिति एवं उनमे महिलाओं की प्रस्थिति का प्रभाव भी यहाँ की महिलाओं पर पडा हैं और इससे यहां की महिलायें दुनियां की अन्य महिलाओं की तुलना में कुछ अद्वितीय ही रही है वरन कुछ क्षेत्रों मे तो वे उनसे कुछ अधिक ही सचेत रही हैं।

आधुनिकीकरण

सामाजिक विज्ञानो मे आधुनिकीकरण के अध्ययन में रुचि कोई नवीन बात नहीं है तथा ऐसे अध्ययनों की शुरुआत उन्नीसवी शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के देशों में तीव्र आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरुप होने वाले परिवर्तनों के कारण हुई। ब्लैक (1966) के अनुसार 'व्यक्ति के ज्ञान एवं पर्यावरण पर उसके बढ़ते हुए नियंत्रण के कारण समाज के सभी संस्थागत क्षेत्रों मे होने वाले परिवर्तनो से है। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को पहले 'सामाजिक परिवर्तन' अथवा विकास शब्द द्वारा ही व्यक्त किया जाता रहा है।'' कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के संप्रत्यय का प्रयोग तीन सन्दर्भो- ऐतिहासिक, प्राख्यिक तथा उद्विकासी मे किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसे सोलहवी व सत्रहवीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के देशो की राजनीतिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तनों के रुप में अनियमित व अपूर्ण रुप से संसार के अन्य देशो में फैल गये, देखा गया है'' आइसेन्सटेड (1973) ने आधुनिकीकरण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण को सत्रहवीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं से, जो उन्नीसवीं शताब्दी में अन्य यूरोपीय देशों एवं अमरीका में तथा वींसवी शताब्दी में एशिया व अफ्रीका के देशों में फैल गयी समीकृत किया जा सकता है।''

यूरोप तथा संसार के अन्य देशो में रुन्पान्तरण की इस प्रक्रिया को समता, राजनीतिक व्यवास्था में नीतियों के निर्माण करने एवं कार्यान्वित करने की क्षमता तथा राष्ट्रीय एकीकरण बनाये रखने की क्षमता, राजनीतिक भूमिकाओं में विभेदीकरण व विशेषीकरण तथा राजनीतिक प्रक्रिया के लौकिकीकरण जैसे परस्पर सम्बन्धित लक्षणों द्वारा वर्णित किया जा सकता है। प्रारुपिक या चरित्र चित्रात्मक दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण को परम्परागत अथवा पूर्व आधुनिक राज्य व्यवस्था को आधुनिक राज्य व्यवास्था मे रुपान्तरण की प्रक्रिया के रुप में परिभाषित किया जा सकता है। आइसेन्सटेड (1973) के शब्दो में प्रारुपिक रुप में राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक व्यवस्था के भीतर कुछ लक्षणों की श्रृंखला के रुप में चरित्र निर्माण किया जा सकता है। इनमे से कुछ लक्षण यद्यपि सभी नहीं पूर्व आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं में भी आधुनिकीकरण के पूर्वगामी एवं महत्वपूर्ण दशाओं के रुप में विद्यमान रहे है। अतः ऐतिहासिक तथा प्रारुपिक दृष्टि कोणों में राजनीतिक आधुनिकीकरण राज्य व्यवस्था के किसी प्रकार की ओर रुपान्तरण की एक प्रक्रिया है।

फोलमैन, के शब्दों में, उद्विकासवादी दृष्टिकोण राजनीतिक, आधुनिकीकरण का संप्रत्यीकरण राजनीतिक व्यक्ति की समस्याओं के समाधान या उनका सामना करने के लिए संरचनाओ के मुक्त विकास करने, निरन्तर परिवर्तन से अनुकूलन करने या परिवर्तन को आत्मसात करने तथा नवीन सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उदेश्यपूर्ण व रचनात्मक रुप से प्रयास करने की क्षमताओं में वृद्धि के रुप में करता है। इस दृष्टिकोण में राजनीतिक आधुनिकीकरण उन्नति की अन्तृहीन प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य अनिर्धारित है। योगेन्द्र सिंह (1978) ने लिखा है ''राजनीतिक आधुनिकीकरण से अभिप्राय राजनीतिक व्यक्तिवाद अथवा नागरिक भूमिका पर आधारित राजनीतिक मतैक्य है। अतः एक आधुनिक राजनीतिक

सरंचना संगठित न होकर विभेदीकृत न होकर व्यक्तिवादी संस्तरणात्मक न होकर समष्टिवादी समझी जाती है।

इस प्रकार से आजकल विश्व जनसंख्या वृद्धि एवं तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसके प्रभाव स्वरुप आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण नगरीकरण व लौकिकीकरण में वृद्धि हो रही है। लोगो में समयाभाव व व्यस्तता स्पष्ट दिखाई देती है। देशों के शासनतन्त्रों में जनतांत्रिकरण सर्वाधिक लोकप्रिय है। जिसका महत्व उसमें जन सहभागिता के कारण है। जन सहभागिता संचार साधनों में वृद्धि तथा राजनीतिक दलो की क्रिया कलापों के कारण अधिक सक्रियता के साथ सामने आ रहा है। लोगों मे स्वयं के लिए शासकीय लाभ एवं पदीय प्रभुत्व राजनैतिक चेतना का संचार करते है, विपरीत स्थिति में उनमें तटस्थता या विरसन भाव पर लक्षित होता है। सामान्य स्थिति मे मतदान व्यवहार लोगो में राजनीतिक सक्रियता को बढ़ावा देते है। आधुनिकीकरण से पारिवारिक विखराव एकाकीपन के साथ-साथ नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों में गिरावट भी हो रही है। यह परिवर्तन सोचनीय है।

भारत में महिलाओं की स्थिति

भारत मे महिला को प्राचीनकाल से कमजोर, अवला, असहायहीन, और दीन माना जाता रहा है, जबकि यथार्थ यह नहीं है, बल्कि सामाजिक मान्यताओं, रुढियो, पुरुष का निजी स्वार्थ नारी को कमजोर बनाता है। प्राचीन काल के समाज की संरचना के बारे में अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियो को समाज मे गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था नारी को मातृस्वरुपा माना जाता था। उसे वेद अध्ययन का अधिकार था इतना ही नहीं विदुषी नारियों ने वैदिक ऋचाओं की रचना भी की थी। उसे शक्ति स्वरुपा के रुप मे हमारे आदि ग्रन्थों में वार्णित किया गया है। उसके रौद्र स्वरुप की झलक भी वही हमे मिलती है। सरस्वती के रुप में हम नारी को विद्या, बुद्धि की दायिनी मानते है, लक्ष्मी के रुप मे सम्पन्नता की बरदायनी

मानते है, सीता सावित्री के रुप में पतिव्रता आदर्श महिला के रुप में उसे पूजते है। पार्वती के रुप में पुरुष की शक्ति स्वरुपा अर्द्धांगिनी माना जाता है। दुर्गा एवं काली के रुप में दानवों के विनाश की शक्ति माना जाता है। प्राचीन वैदिक काल में धोपा, गार्गी मैंत्रेयी, आत्रेयी, शकुन्तला आदि अनेक विदुषी महिलाए थी।

मध्यकाल (मुस्लिम काल) में भी शाही घरानो की अनेक विदुषी महिलाए थी जिन्होने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतिहास साक्षी है कि रजिया सुल्तान, चांद सुल्तान, गुलबदन बेगम, जेबुन्निसा बेगम आदि हिन्दु बिदुषियो में रानी रुपमती, रानी दुर्गावती इन्दौर की शासिफा अहिल्याबाई और शिवाजी की माता जीजाबाई के नाम आज भी स्मरणीय है।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का प्रारंभ 1857 से माना जाय तो इस प्रथम संग्राम का नेतृत्व करने वाली महिला थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। किन्तु प्रारम्भ के 30-40 वर्षो तक स्त्रियो का योगदान नगण्य था। उस समय स्त्रिया घर की चार दीवारी में कैद थी। न वे घर से बाहर जाती थी और न वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इन्ही वर्षो में 1875 के वाद महर्षि दयानन्द ने स्त्री शिक्षा प्रसार, पर्दाप्रथा समाप्ति तथा बाल विवाहों के विरुद्ध आर्य समाज के माध्यम से एक आन्दोलन चलाया था। न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे ने भी महिलाओं की स्थिति सुधारने पर विचार करने के लिए 1887 मे एक राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन बुलाया था। श्री देवधर की सर्वेन्टस आफ इंडिया सोसायटी ने स्त्रियों को व्यवसायिक शिक्षण देने के प्रयास किये। महर्षि कर्वे ने 1893 में महाराष्ट्र मे विधवा पुर्नविवाह को प्रोत्साहन देने हेतु एक विधवा आश्रम खोला जो आगे चलकर महिला विश्वविद्यालय बन गया। यह आज एस०एन०डी०टी० विमेन युनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के प्रयास चल रहे थे। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व

बीसवी सदी के तीसरे दशक में गांधी जी ने संभाला। स्त्रियों को राजनीति में लाने का श्रेय गांधी जी को ही है। उन्होने स्त्रियों मे राजनीतिक चेतना जाग्रत की। घर से बाहर निकलकर पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाली सर्वप्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। जो कवित्रियी होने के साथ-स्वतंत्रता आन्दोलन में भी सक्रिय रही। अन्य महिलाओं मे बंगाल की सरला देवी, चौधरानी, सरला राय, लेडी अबाला बोस, गुजरात की विद्या गौरी नीलकंठ, शारदाबेन मेहता, बेगम हमीदअली आदि। राजनिति मे सक्रिय भाग लेने वाली अन्य महिलाए श्रीमती एनीबेसेट, कमलादेवी चट्टो पाध्याय, लक्ष्मी बाई रानाडे, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी आदि थी। कस्तूरबा गांधी कमला नेहरु, अरुणा आसफ अली,, और ललिता शास्त्री आदि महिलाओ ने त्याग और कष्ट सहन करने की महिलाओं की शक्ति को अपने उदाहरणों द्वारा प्रत्यक्ष कर स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बीसवीं शताब्दी में जितने जितने अविष्कार हुये है किसी अन्य शताब्दी में नहीं। परिवर्तन के इस दौर में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में बदलाव आ गया है। सदियों से दलित शोषित नारी ने अपनी अस्मिता को पहचाना, मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ क्या है इसे जाना। इससे पहले तक नारी के जीवन की धुरी चूल्हा-चौका तथा बच्चो को जन्म देकर लालन-पालन करना ही था। आधुनिक महिलाओं ने धीरे-धीरे शिक्षा हासिल करके समाज में अपनी पहचान बनायी समाज के सामने उसने कठिन परिश्रम और लगन से अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके यह सवित कर दिया कि स्त्री का दायरा मात्र घर गृहस्थी तक ही नहीं है, वल्कि बहुत आगे तक है। धीरे-धीरे अन्य महिलाओ ने भी इस बात को महसूस किया और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिये शिक्षा हासिल कर अपनी स्थिति को सुधारने का संकल्प

लिया। आज परिणाम हमारे सामाने है। गांव हो या शहर सभी स्थानों पर लड़कियाँ पढ़ने लगी हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। आज विज्ञान, कला, साहित्य, तकनीकी, अभिनय, नृत्य, संगीत प्रशासनिक सेवा सेना जैसे जोखिम भरे कार्यो में स्त्री ने अपनी पहचान बना ली है। डा0 राजकुमारी (7 अप्रैल 2000) ने लिखा है कि बीसवी सदी के अन्तिम दो दशको ने नारी की झोली में आत्म विश्वास, आगे बढ़ने की प्रेरणा, जीवन मे कुछ कर दिखाने की तमन्ना तथा पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकार चलने का हौसला डाल दिया है, जिसके सहारे युवतियां आज कुछ कर गुजरने के लिए कमर कस चुकी है। महानगरों की बात जाने भी दे, क्योंकि दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, जैसे शहरो की युवतियां छोटे शहरो की नवयौवनाओं से बहुत आगे है। उन्हे समाज द्वारा सुविधाएं, प्रेरणा, और आत्मविश्वास, बहुत पहले से मिल रहा है, जबकि छोटे शहरो में डेढ़ दशक पूर्व तक स्त्री को चौखट के अन्दर रखने का रिवाज रहा। पिछले एक दशक से स्थिति में परिवर्तन होने लगा और छोटे शहरों की युवतियों ने भी जीवन में कुछ करने का संकल्प लिया। अपने लक्ष्य को वे धीरे-धीरे प्राप्त भी कर रही है।

गौरतलब तथ्य यह है कि यदि नारी में धैर्य, प्रेरणा,लगन, हिम्मत, कर्मठता तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा खतरा झेलने की ताकत हो तो वह कुछ भी कर सकती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। दुनिया की कोई भी शक्ति उसके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पायेगी। नारी कमजोर नहीं है बल्कि समाज परिवार, रिश्तेदार, रीतिरिवाज, संस्कृति, धर्म आदि हमें कमजोर बनाते है। कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस पुरुष को नारी नौ माह तक गर्भ में लेकर अपने खून से उसे सीचती है, आठो पहर शिशु के रुप में (विकासशील शिशु) स्त्री की कोख मे सिकुड़ा और सिमटा रहता है, वही पुरुष जन्म लेकर जब जवान होता है तो नारी से श्रेष्ठ हो जाता है तथा नौ माह तक शिशु का बोझ-चौबीसों

घन्टे तक ढोने वाली स्त्री कमजोर हो जाती है। पुनः हथियार का प्रशिक्षण लेने के लिए सीमापार जाने की आतुरता दिखायी देने लगी है। भारत की युवतियों को अपने कर्म के द्वारा आगे बढ़कर, उँचाइयो को छूकर उनके विचार को गलत सवित करना है। दीन-दीन अगला हम नही है पुरखों की सोच है, पंगु उसकी मानसिकता है स्त्री कहीं से भी कमजोर नही है विशेष रुप से इक्कीशवीं शताब्दी नारी बहुत आगे निकल चुकी है पुरुषो का एकाधिकार उसके ऊपरसे समाप्त होने लगा है। समाज में उसने अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की है।

एक समय था जब हाईस्कूल और कालेज में प्रवेश करने वाली लड़कियां सोचती थी कि हम सरोजनी नायडू अरुणा आसिफ अली, कामता देवी चटटोपाध्याय, महादेवी वर्मा बनेंगी। आज उनके पास सिर्फ फिल्म स्टार टी0वी0 स्टार उद्योगपति बनने का सपना है। ललित गर्ग 27 अगस्त 1999 ने लिखा है कि दिल्ली के कुछ अभिजात स्कूलों में कराये गये सर्वेक्षण में किशोर किशोरियों से पूछा गया कि वे बड़े होकर क्या बात बनना चाहते है ज्यादातर ने बिल गेट्स और सचिन तेन्दुकर को इज्जत बख्शी कुछ ने बास्केट बाल के सितारे माइल जार्डन और काररेस के बादशाह माइकल शूमाखर को तो कुछ ने सलमान खान और ऐश्वर्या राय को अपना हीरो बताया। पोखरन परिक्षणों से अभिभूत एक दो छात्र छात्राओं ने अटल बिहारी बाजपेयी का भी नाम लिया किन्तु गांधी या नेहरु को किसी ने अपना आदर्श नही बताया कुल मिलाकर सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह है कि नयी पीढ़ी उन हस्तियो को अपना हीरो मानती है जिन्होने लीक से हटकर चलते हुए बहुत जल्दी, बहुत शोहरत और बहुत दौलत कमाकर दिखाई और जो स्वयं अपनी मेहनत से आगे बढ़े है। खाली दौलतया खाली शोहरत नयी पीढ़ी को पसंद नही है।

पाश्चात्य सभ्यता पुरुष एवं नारी में बराबरी का दौड़ करवा रही है ऐसी दौड़ में

महिला पुरूष से आगे अपना घोड़ा निकाल ले जाना चाहती है। भले ही उसके या उसके घोड़े के हाथ पैर ही क्यो न टूट जाय। प्रतिस्पर्धा प्रगति के लिए अच्छी है, बशर्ते यह उसी क्षेत्र में हो जिस क्षेत्र के लिये विद्याता ने उसे रचा हो। पाश्चात्य् जगत का प्रभाव भारतीय नारी पर बहुत पड़ रहा है। रहन-सहन, पहनावा एवं बनाव श्रंगार के क्षेत्र में आज की प्रगतिशील भारतीय नारी पाश्चात्य महिला की नकल कर रही है। शारीरिक नग्नता बढ़ती जा रही है जिससे उसकी शीलता, सौहार्द्रता, शर्मीलापन जो महिला के प्राकृतिक गुण होते है, मिटते जा रहे है। पर्दा आज के खुले समाज में वांछनीय नहीं है, इसका यह भी तो अर्थ नही कि शारीरिक नग्नता बढ़ती जाय। दूरदर्शन में ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते है जिसे सारा कुटुम्ब एक साथ-बैठकर देखने में संकुचित होता है। फिल्मो में काम करती महिलाओं को निर्देशक जैसे कपड़े चाहे पहना लेता है। नहाने के तलाबो में नही के बराबर कपड़े पहनाकर हीरो हीरोइन को नहाने के लिये कहा जाता हैं। सरकार को इस प्रकार के दृश्यों पर रोक लगानी चाहिए। महिला संगठनों को भी इनका विरोध करना चाहिए। आज की भारतीय नारी का एक छोटा सा वर्ग परिचय की देखा देखी कर बहुत से क्षेत्रों में आगे निकल आया है। पायलट वह बन गयी है। वह सेना, नौ सेना एवं वायुसेना में अधिकारियों का पद प्राप्त कर चुकी है। इंजीनियरिग के क्षेत्र में भी काफी आगे निकल चुकी है प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े-बड़े पदो की शोभा बढ़ा चुकी है गर्वनर एवं उच्च्य न्यायालयो के न्यायधीशों के उत्तरदायित्व भी संभाल रही है। इस सबका अर्थ यह नही है कि भारत की नारी प्रगति कर रही हैं। जब देश में केवल मात्र 35 प्रतिशम महिलाए शिक्षित है तो प्रगति का स्वप्न भारत में महिला के लिए कोसो दूर है। शिक्षित नारियों में भी पन्द्रह प्रतिशत ऐसी महिलाओं का है जो आज भी मात्र लिखना पढ़ना जानती हैं। भारत में उन्नति के नाम पर महिलाए प्रर्दशनी में रखने मात्र को है महिला समाज जहाँ का तहाँ है।

विश्व में महिलाओं की स्थिति

अत्यन्त प्राचीन काल विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संरचना को पुरुष ही नियंत्रित करते रहे है। देश और समाज के प्रत्येक कार्य के निर्धारण में पुरुष वर्ग का ही उत्तर दायित्व रहा है। महिलाएं अब तक दूसरे दर्जे के नागरिक के रुप में अपनी भूमिका का निर्वहन करती आ रही है. यद्यपि विश्व में महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या की आधी है लेकिन जब भी मानवाधिकार का प्रश्न उठता है तो उसका सीधा सम्बन्ध पुरुष समुदाय से ही सम्बद्ध माना जाता है। ग्राम सभाओ तथा संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व नही के बराबर है। कानून बनाते समय इनसे कोई भी राय नहीं ली जाती और न विचार विमर्श ही किया जाता है। पुरुष वर्ग स्वेच्छा से अपना निर्णय इस वर्ग के लोगों पर लागू कर देता है।

विश्व स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी को उल्लेखनीय नहीं माना जा सकता संसार भर में महिलाएं लगभग 50 प्रतिशत है, लेकिन सरकार के उच्च्य स्तर के पदों में इनकी भागीदारी 8 प्रतिशत भी नहीं है। विश्व स्तरीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय देशो में उच्च्य पदों पर मात्र 5 प्रतिशत महिलाए कार्यरत है। दुनिया में केवल सात देशों में ही शीर्ष पदों पर महिलाओं का बोलवाला रहा है। लगभग 100 देश ऐसे है जहां के मन्त्रिमंडल मे कोई महिला मंत्री नहीं है, जबकि 50 देशों में शीर्ष पदो पर कोई स्त्री नियुक्त नहीं है।

उर्मिला श्रीवास्तव (1999) पूरी दुनिया में संसदीय मानक तैयार करने वाली संस्था अन्तर संसदीय संघ के अनुसार सन् 1975 तथा 1990 के बीच लगभग 55 देशों ने अपने यहां संसद मे महिलाओं की संख्या बढ़ाई, 15 देशों ने महिलाओं की भागीदारी घटाई जबकि शेष देशा में संख्या वही रही। पूरे विश्व की सरकारों की निर्देशिका यही बताती है कि सरकारों

में महिलाओं की बढ़ती संख्या के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि नीति निर्धारक के पद पर बहुत ही कम महिलाओं को पहुचने का अवसर मिलता है। सन् 1990 मे केवल तीन राष्ट्र ऐसे थे जहां मंत्री पद पर 20 प्रतिशत से अधिक महिलाए नियुक्त थी। साधारणतः यह भी देखा जाता है कि स्त्रियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, सूचना एवं संचार जैसे विभागो का दायित्व ही सौपा जाता है। वित्त, गृह, विदेश व रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए उन्हे अयोग्य ही समझा जाता है। सन् 1991 में केवल पांच देशों में वित्त मंत्री महिलाए थी, जबकि एक दो देशों में गृह व उद्योग विभागों का दयित्व ही इन्हे सौपा गया था। केबिनेट स्तर के शीर्ष पदों पर भी महिलाओं की नियुक्तियां बहुत कम होती है। ब्रिट्रेन, जैसे विकसित देश में भी वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के मंत्रिमंडल में 1987 के बाद कोई महिला मंत्री नहीं बनी। वहां के दोनो सदनों मे महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी कम है।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 16 में वयस्क पुरुष और महिला को जाति राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमाओ के बगैर विवाह और परिवार करने का अधिकार प्रदान किया गया है लेकिन जहां तक महिला वर्ग का सवाल है उसे इन अधिकारो से वंचित रखा जाता है। स्थिति इतनी दयनीय और चिन्ताजनक है कि समान परिस्थिति में समान कार्य करने के बावजूद अमेरिका, ब्रिट्रेन जैसे उन्नत देशो में भी पुरुषों के समान महिलाओ को वेतन नहीं प्राप्त होता है और उच्च पद का अधिकारी भी नहीं बनाया जाता जबकि योग्यता और क्षमता मे महिलाएं पुरुषो की अपेक्षा किसी भी मामले में कम नहीं है।

उदय नारायण सिंह (3 मार्च 1999) विश्व के अनेक देशों में महिलाओं को पुरुषो की तुलना मे कम वेतन और निम्न पदों पर काम करके ही सन्तोष करना पड़ता है और उन्हे वृद्धावस्था मे न तो पेंशन और न ही अन्य प्रकार की सुविधाएं ही प्राप्त होती है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिट्रेन आदि पश्चिमी देशो में प्रतिष्ठानों के व्यवस्था विभाग, औषध शिक्षा आदि

मे कार्यरत महिलाओ की उपेक्षा की जाती है और उन्हे कम वेतन भी प्राप्त होता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र को प्राप्त आकड़ों के अनुसार अमेरिका में 20 से 50 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती है और लगभग बीस लाख महिलाएं जनन सम्बन्धी विकृति से प्रतिवर्ष पीड़ित रहा करती हैं इसका तात्पर्य यह है कि प्रति नौ सेकेन्ड मे एक महिला को उसका पति शारीरिक रुप से पीड़ित करता है। लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी, जहां महिलाएं अपने अधिकारों को प्रति अधिक सतर्क रहा करती है, एक सौ महिलाओं में से केवल एक ही अपने उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाती है और अदालत में मामला दर्ज करवाती है। अमेरिकी महिलाओं का यौन शोषण भी किया जाता है।

यह पूर्व सेवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशो में भी कायम है, यद्यपि वहां के कानून में इस प्रकार के भेदभाव की व्यवस्था नहीं। अनेक पश्चिमी देशों में सम्पत्ति तथा वित्तीय मामले मुख्यतः पुरुष वर्ग के अधिकार में ही रखे गये है, जिन पर महिलाओं का हक कानून सम्मत होते हुए भी व्यवहार में नहीं माना जाता। तंजानिया में वहां की महिलाएं आज भी उत्तराधिकार के रुप में भूमि प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। पूर्व यूगोस्लाविया में बताया जाता है। कि 40 हजार मुस्लिम औरतों को प्रति सर्व कट्टर पंथी इसाइयो और क्रोएट कैथेलिकों ने दुर्व्यवहार किया था।

पकिस्तान में उसके निर्माण से लेकर आज तक महिलाओं को उत्पीड़ित और प्रताडित किया जा रहा है यद्यपि 'कुरान' में पुरुष और महिलाओं को समानाधिकार प्रदान किया गया है लेकिन व्यवहार मे इसमे सर्वथा विपरीत कार्य किया जा रहा है देश की स्वधीनता के बाद विगत पांच दशकों से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और वे अशिक्षा, अभाव और सामाजिक उपेक्षा की शिकार है। पकिस्तान के निर्माता कायदे आजमजिन्ना से लेकर

आज तक पकिस्तान में जितने भी शासक हुए उन्होने महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किये। यही करण है कि पकिस्तान के महिला समाज में पारिवारिक विवाद, दहेजप्रथा, उत्पीड़न जैसे कुप्रवृत्तियाँ व्याप्त है पकिस्तान के पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित होते रहते है कि पकिस्तान में महिलाओं की खरीद ओर विक्री अवैध रुप से की जाती है इस्लामाबाद के दैनिक पत्र 'मुस्लिम' के अनुसार हर महीने बंग्लादेश से महिलाओ को काम का आश्वासन देकर पाकिस्तान लाया जाता है और दूसरो के हाथ बेच दिया जाता है ये महिलाएं 300 से लेकर दो हजार डालर मे बेची जाती है।

अफगानिस्तान में जब से तालिबां विद्रोहियों का देश के अधिक भागो पर कब्जा हुआ हैं तब से महिलाओ को तरह तरह से उत्पीडनों का सामना करना पड़ा रहा है। उन्हे घर से बाहर निकलने, स्कूलो मे पढ़ने-पढ़ाने कामकाज पर जाने और सार्वजनिक स्थलों पर घूमने की मनाही कर दी गई है। वे बगैर बुरका धारण किये घर से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा न करने पर तालिबां उन्हे कठोर सजा दे रहे है। यदि परिवार मे महिला पर ही एक मात्र भरण-पोषण का दायित्व है तो भी उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं। इसी प्रकार ईरान में खुमैनी के शासन के समय से वहां की महिलाओ को कठिन परीक्षओं से गुजरने के लिए वाध्य कर दिया गया और वे भी सार्वजनिक स्थलो पर वगैर बुरका धारण किये नहीं जा सकती। ईराक, कुवैत, सउदीअरब, आदि पश्चिम एशिया के देशो में भी महिलाओ की कमोवेश यही स्थिति है और उन्हे अनेक बाधाओं के बीच अपना जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। जार्डन में हत्याओ के जितने भी मामले होते है उनमे एक तिहाई महिलाओं की हत्याएं रहती है। जिनके प्रमुख कारण पारिवारिक विवाद रहा करते है। बाग्लादेश में स्थिति इतनी खराव है कि पुरुष उन युवतियों के चेहरों पर तेजाब फेंककर विकृत कर देते है जो उनका कहना नहीं मानती।

महिलाओ ने आज तक जो कुछ पाया है वह अपने बूते पर पाया है चाहे वह कला हो, साहित्य हो या फिर राजनीति का क्षेत्र हो। स्त्रियो की सामाजिक गतिविधियों में भी भागीदारी व्यक्तिगत प्रतिभा व योग्यता के बल पर रही है यादि निष्कर्ष रुप में देखा जाय तो पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियो का दर्जा आज भी उपेक्षित व कम महत्वपूर्ण बना हुआ है। विश्व व समाज के बदलते हुए परिवेश्य मे इस दिशा मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने व समझने की आवश्यकता है। केवल सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि स्त्रियों को उनके अधिकारो व कर्तव्यों के प्रति जागरुक बनाने की भी आज बहुत जरुरत है महिलाओ को पुरुष का प्रतिद्वंदी नहीं अपितु सहभागी समझा जाना चाहिए।

विकास के क्षेत्र में महिलाओ की भूमिका

वर्षो से समाज में महिलाओं को समुचित दर्जा नहीं मिल पाने के कारण जहां महिलाए सतत् प्रयासरत है वही विभिन्न सामाजिक व स्वयं सेवी संस्थाएं इनके विकास के लिए प्रयत्नशील है। बीते वर्षो में जहां इन्हे आशातीत सफलता मिली है वही घोर अपमान का सामना भी करना पड़ा है 12 वीं लोकसभा के चुनाव में सबसे कम उम्र (21 वर्ष) की रीना चौधरी जीतकर संसद मे पहुची।

स्वतन्त्र भारत नारी जागरण का युग बन गया है और स्त्री शिक्षा के परिणाम स्वरुप सभी क्षेत्रों में विलक्षण कान्ति परिलक्षित हो रही है भारत सरकार ने सन् 1958 मे स्त्रीशिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की। बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कोई समाज कितना विकसित है इसका पता वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखकर लगा सकते है। उस नजरिये से हमारा देश बहुत पिछडा है। यद्यपि सरकार ने महिलाओं में राजनीतिक जागरुकता लाने और स्थिति सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम विकसित किये गये जिनमें 'महिला विकास

कार्यक्रम' (1982-83), 'महिला समृद्धि योजना' (2 अक्टूबर 1993), महिला समाख्या योजना 'राष्ट्रीय महिलाओं कोष, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत महिलाओ को 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) 2 अक्टूबर 1980 मे महिलाओं को 40 प्रतिशत स्थान अरक्षित है। इसके बाद भी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है लेकिन आजकल के बदलते हुए समाज को समझकर वह अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना शुरु कर ही नहीं चुकी है बल्कि पुलिस प्रशासन, सहित्य, कला, समाजसेवा केन्द्र एवं राज्यों के कामकाज में वह अपना योगदान दे रही है। हमारे सामने किरण बेदी, श्रीमती देयोल कवलजीत, मदरटेरेसा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सुषमा स्वराज, सुश्री मायावती, जया और ममता का उदाहरण स्पष्ट है ही। विजयाराजे सिंधिया (1998) को देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरुस्कार से सम्मानित किया गया।

राज्य सभा की उपसभापति नजमा हेपतुल्ला को मास्को में हाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन (आई०पी०यू०) के सम्मेलन मे आई०पी०यू० का उपाध्यक्ष चुना गया जबकि महिलाओं एवं बच्चो की भलाई हेतु अविनाश लिगंम इस्टीट्यूट फार होम साइस कोयम्बटूर (तमिलनाडु) की वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। आदिवासी महिलाओ मे शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ एवं मैगसेसे पुरुस्कार विजेता महाश्वेता देवी को इस वर्ष के टैगोर साक्षरता पुरुस्कार के लिए चुना गया। साहित्य के माध्यम से उर्दू भाषा के प्रचार करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दो वर्ष पूर्व (दोहा) कतर की संस्था द्वारा स्थापित उर्दू जगत का सर्वोच्च मजलिस ए-फरोग-ए उर्दू पुरुस्कार 1998 भारत की उर्दू लेखिका जिलानी बानो को दिया गया।

भारतीय मूल की अमेरीकी नागरिक पायलट चन्दा बुधमती ने अमेरिका राष्ट्रीय विज्ञान संघटन से मान्यता प्राप्त मार्ग पर उपलब्धि हासिल की है, अमेरिका में व्यावसायिक

पायलट लाइसेन्स प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला चन्दा बुघमती ने इस रिकार्ड को फ्रांस की फेडरेशन एयरोनाटिक इंटरनेशनल में विश्व रिकार्ड के रुप में दर्ज किया है। जिंद जिले की सुमित्रा देवी ने महिलाओं मे गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र मे सराहनीय कार्यकर सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का राष्ट्रीय पुरुस्कार हासिल किया। सम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए सुभद्रा जोशी को कबीर पुरुस्कार से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक उपलब्ध्यिों के लिए सुप्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डाक्टर पुष्पा एम० भार्गव को फ्रांस के प्रतिष्ठित रोवालिए द लीजियो दानियर पुरुस्कार से सम्मानित किया गया। सुरो की मलिका कर्नाटक संगीत की एम०एस० सुब्बूलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के म्यूजिलक एप्रिशियेन्स क्लब की ओर से भारत की मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल को उनकी भक्ति-संगीत में विशेष योगदान के लिए सांस्कृतिक राजदूत सम्भान से नवाजा गया। सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण की पत्नी दीपा नारायण को गायकी में महिला शिरोमणि का पुरुस्कार प्रदान किया गया। असाधारण कार्य सम्पन्न करने के लिए साक्षरता अपरिहार्य नहीं है। इसे सिद्ध किया है आन्ध प्रदेश की अनपढ़ महिला फातिमा बी ने। उनका कार्यक्रम 'जनता की पहल पर गरीबी उन्मूलन की सफलता पर उन्हें न्यूयार्क 'रेस अगेन्स्ट पावर्टी पुरुस्कार से सम्मनित किया गया।'

आर्थिक निर्भरता से ही निरवरेगी नारी का छवि

देश आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना चुका। जगह-जगह रंगीन कार्यक्रम आयोजित हुए। देशभर मे खुशियाँ मनायी गयी। अब इक्कीसवीं सदी का सुप्रभात आ रहा है, हमारा देश बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ अगली सदी में प्रवेश करना चाहता है लेकिन आम भारतीय महिला को न तो यह पता है कि स्वर्ण जयंती क्या है। और न ही यह पता है कि इक्कीसवीं सदी कब आयेगी उसका जीवन तो चूल्हे चौके से लेकर खेत खलिहानों तक ही

सीमित है। न तो उसकी अस्मिता सुरक्षित है और न ही उसका जीवन ही। कही बलात्कार तो कहीं हत्याओं या आत्म हत्याओं की घटनाएं हर रोज सुनाई पड़ती है।

कहा जाता है कि आज की नारी स्वतन्त्र हो गयी है। बीसवीं शताब्दी ने जहाँ नारी को स्वतन्त्रता का दरवाजा दिखलाया है, इक्कीसवीं शताब्दी में वह खुले आम विचरने लगेगी। मगर वास्तविकता यह नहीं है, मात्र 15-20 प्रतिशत युवतियों के आजाद हो जाने से 85 प्रतिशत महिलाओं की तकदीर नही बदल सकती है। आज भी कुछ प्रतिशत महिलाएं ही आर्थिक रुप से मजबूत हो पायी है वस्तुस्थिति यह है कि जब तक नारी आर्थिक रुप से मजबूत नहीं होगी उसे स्वतन्त्रता मिलने वाली नही है। धन उपार्जन करके ही वह अपने स्तर को उठाने में सफल हो सकती है। पति, पुत्र, ससुर के आगे हाथ फैलाकर वह कभी भी समाज मे अपनी पहचान नहीं बना पायेगी इसको अनेक उदाहरण उच्च्व पदो पर आसीन महानगरों की आर्थिक रुप से सफल महिलाओ ने प्रस्तुत किया है।

नारी को मुकम्मल पहचान बनानी है तो शादी के लिए शिक्षा जरुरी है इस परिभाषा को बदलकर आर्थिक रुप से सम्पन्न होने के लिए शिक्षित होना जरुरी है, करना होगा। कोशिश यही होना चाहिए कि विवाह के पूर्व ही शिक्षा समाप्त कर वे पैरो पर खड़ी हो जाए। विवाह के बाद न तो सही तरीके से शिक्षा सम्पन्न हो पाती है न ही आर्थिक रुप से वे मजबूत हो पायेगी घर परिवार में उलझकर सारा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। स्त्री की हीन दीन दशा का प्रमुख कारण आर्थिक पिछड़ापन ही है। भारतीय समाज में आज भी मात्र 15 प्रतिशत महिलाएं ही आर्थिक सम्पन्नता के घेरे में आती है। आगामी सदी मे हर लड़की, युवती को प्रयत्न करना होगा कि वे आर्थिक रुप से मजूबत हो जिस दिन अधिक से अधिक महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जायेगीं, समाज का माडल बदल जायेगा। स्त्री की दुर्दशा समाप्त हो जायेगी। उसकी निखरी हुई छवि विश्व पटल पर जगमगायेगी। इसके लिए नारी के पुरुष

से सहायता के लिए हाथ फैलाने की जरुरत नहीं है, बल्कि कठिन परिश्रम, लगन, दृढ इच्छाशक्ति का सहारा लेना होगा।

भारत में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं ने पुरुषों और महिलाओ के लिए अलग-अलग कार्य-क्षेत्र निर्धारित कर रखा है। महिलाओं के लिए घर गृहस्थी के काम और पुरुषों के लिए घर के बाहर के कार्य निर्धारित है। अब कार्य की यह विभाजन रेखा टूट रही है। अब शहरी महिलाए चहार दीवारी से बाहर निकल कर कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर भागीदारी निभा रही है। रोजगार के क्षेत्र मे महिलाएं पुरुषों की तुलना में हमेशा पीछे रही है। 1971 में महिलाओ की कार्यसहभागिता दर लगभग 14 प्रतिशत थी, वहीं पुरुषों की लगभग 53 प्रतिशत थी। 1991 मे महिलाओं की कार्य सहभागिता दर बढ़कर 22 प्रतिशत हो गयी, जबकि पुरुषों की घटकर 51 प्रतिशत हो गयी।

पचासवें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (1993-94) के मुताबिक देश की प्रमुख सेवाओं में संलग्न श्रम-शक्ति के 38.50 करोड होने का अनुमान है जिसमे 32.55 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं मे 33 प्रतिशत एवं पुरुषों में 56 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं मे 16 प्रतिशत एवं पुरुषों मे 54 प्रतिशत विभिन्न अर्थिक क्रियाओं मे संलग्न है।

रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, नयी दिल्ली के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वे प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्र के वे कृष्णेतर प्रतिष्ठान जिनमें 10 या अधिक कामगर संलग्न हो, संघटित क्षेत्र की श्रेणी मे आते है। निदेशालय के अनुसार देश की कुल अनुमानित श्रम शक्ति का 7.26 प्रतिशत भाग संघटित क्षेत्र में रोजगार पाये हुए है। महिला श्रम शक्ति का 3.3 प्रतिशत भाग संघटित क्षेत्र मे लगा हुआ है जबकि पुरुषों के लिए यह प्रतिशत 8.9 है। विगत दो दशकों मे संघटित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि अवश्य

हुई है। 1975 में सार्वजनिक संघटित क्षेत्र की कुल श्रम शक्ति में महिला कामगारों का प्रतिशत 8.77 था जो 1985 में बढ़कर 10.79 में 13.19 हो गया। इसी प्रकार में निजी संघटित क्षेत्र की कुल श्रम शक्ति मे महिला लाभगारों का प्रतिशत 1975 में 16.19 था जो 1985 में बढ़कर 17.77 तथा 1994 में 20.03 हो गया है। उन्नीस वर्षो में यह वृद्धि उल्लेखनीय नहीं कही जा सकती। यह स्थिति तब है जब सरकार सबको रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा मे सत्त प्रयास है तथा रोजगार के नये-नये क्षेत्र खोलने के प्रयास किये जा रहे है। प्रतिशत में मामूली वृद्धि इस बात का संकेत है कि महिलाओं को संघटित क्षेत्र में रोजगार पाने के योग्य बनाने के प्रयास नही किये गये। महिलाओं के लिए उस प्रकार के शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी जो उन्हे संघटित क्षेत्र में रोजगार पाने के योग्य बना सके।

संघटित क्षेत्र में संलग्न कुल महिला श्रम शक्ति की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक है। 1975 में संघटित क्षेत्र में लगी हुई कुल महिलाओं में 50.58 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में थीं, 1985 में यह प्रतिशत बढ़कर 58.95 तथा 1994 को 61.65 हो गया है। वास्तव में महिलाएं स्थायी रोजगार पाने, शोषण से बचने एवं अन्य सुविधाओं के कारण सार्वजानिक क्षेत्र की ओर अधिक अग्रसर हो रही है।

इस समय-समाज और जिन्दगी के मायने ही बदलते जा रहे है। आज स्त्रियां हर तरह के क्षेत्र मे वे स्वयं की भागीदारी चाहती हैं पर विडम्बना है कि अपने कैरियर के प्रत्येक चरण में उन्हे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कैरियर के प्रथम चरण में महिलाओं को पहली कठिनाई विवाह के समय होती है और वह भी तब जबकि पति किसी दूसरे शहर में कार्य करता हो, ऐसे मामलो में प्रायः महिलाओं को ही अपने कार्य स्थल को बदलना पड़ता है। दूसरी कठिनाई महिलाओं को नौकरी में बाहर जाने की होती है। वैसे तो समय के बदलाव

के साथ-साथ महिलाएं यात्रा की चुनौती को भी स्वीकार करने लगी है लेकिन फिर भी देखने में आया है कि बड़े अधिकारी सारी स्थितियों को समझने के बावजूद किसी महिला कर्मी का स्थानान्तरण करने से नही चकूते। सबसे खेद जनक पहूल तो यह है कि प्रायः महिला अधिकारियों को नयी-नयी जगहों पर जानबूझकर भी भेजा जाता है। कामकाजी महिलाओं के लिए कठिनाई का दूसरा चरण 30 की उम्र के आस पास आता, जव वे कैरियर के मध्य में होती है और बच्चो को सम्भालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। ऐसे में पुरुष साथी की भी अपने काम के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होती है और वह भी अपेक्षित समय नहीं दे पाता। इस कारण महिलाओं के लिए यह बड़ा ही निर्णायक होता है। महिला कैरियर के विकास का तीसरा चरण है ऊँचे पदो के लिए कठिन प्रतियोगिता ओर जिम्मेदारियों का निर्वाह। महिला के कैरियर का यह चौथा चरण सबसे सुखद होता है और जिसको यह यश एवं प्रतिष्ठा मिलती है वही जानती है कि इसका असली सुख क्या है ? महिलाओं ने पुरुषों से अधिक योग्यता दिखाकर अपने आपको समाज का अभिन्न अंग मनवाने की पूरी कोशिश की है। राजनीतिक, सामाजिक, और व्यवसायिक जीवन में भी महिलाओं ने अपना महत्व बढ़ाया है। फैशन, माडल, फिल्म, और दूरदर्शन एवं धारावाहिकों की दुनिया में महिलाओं की बढ़ती महत्ता को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। कैरियर के हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का लौहा मनवाना ही इस बात की पृष्टि करता है कि वह भी जीवन की गाड़ी को खीचने में कंधा मिलाकर जुट सकती है उन्हे किसी से कम नहीं समझना चाहिए और हिम्मत करके हर ऊँचें स्थान को पाना ही उनका लक्ष्य होना चाहिए ताकि पुरुष समाज में नारी को महत्वूर्ण स्थान मिल सके।

स्त्रियों के अधिकारों की उपेक्षा या (अनदेखी क्यों)

नारी शक्ति स्वरुपो है, ममता व धैर्य का समन्दर उसमें समाया है। किन्तु आधुनिक पोशाक पहनने वाले पुरुषों का हृदय अभी भी पुरातन परम्पराओं, अंधविश्वासों व दकियानूसी रीति रिवाजों से भरा हुआ है। वे अपने आगे किसी भी नारी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। नारी के नेतृत्व में काम करने में शर्मिन्दगी महसूस करते है अपने ही रचयिता को हीनता की भावना का कराते रहते है जबकि कहाँ गया है-

'नारी निन्दा मतकर, नारी नर की खान, नारी से ही उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान, कहने को तो सभी भाषण देते हैं कि आज हर क्षेत्र मे नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। किन्तु इसका प्रतिशत नगण्य ही है, क्योंकि आज भी जिस सफलता की मंजिल पर अधिकांश महिलाओं को विराजमान होना चाहिए उस स्थान को वे अपलक सूने नेत्रों से सिर्फ निहार रही है।

संविधान निर्माण से सम्बद्ध काल मे महिलाओ के विषय में शायद अधिक चिन्ता प्रकट नहीं की गयी। जिन सूचनाओं पर संविधान निर्मात्री समिति ने संविधान निर्माण की अवधि में चर्चा की, उन 7635 सूचनाओं में मात्र 13 सूचनाएं महिलाओं से सम्बद्ध रही और प्रत्यक्ष रुप से संविधान सभा में चर्चा के दौरान प्रस्तुत की गयी 2473 सूचनाओं में इन 13 में से 9 पर विचार किया गया था, अर्थात् संविधान निर्माण काल में प्रारुप निर्धारण प्रक्रिया में मात्र 4 सूचनाएं प्रत्यक्ष रुप से महिलाओं से सम्बद्ध रही है और यह स्वयं अपने आप में महिलाओं की उपेक्षा को प्रदर्शित करता है।

स्वतन्त्रता के पूर्व महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। सन् 1926 से पहले स्त्रियां किसी भी सभा की सदस्या नहीं हो सकती थी 1926 में केवल सरकार द्वारा मनोनीत की गई स्त्रियां ही विधान सभा की सदस्या हो सकती थी इन्हें मताधिकार भी

प्राप्त नहीं था। सन् 1935 में जब नया संविधान बना तो नारियों ने भी पुरुष के समान मत देने के अधिकार की मांग की। 1931 के चुनाव में स्त्रियों ने सुरक्षित सीटो से चुनाव लड़ा। 1938 में श्रीमती आर0बी0 सुब्बारामन राज्य परिषद की तथा श्रीमती रेणुका राय सन् 1953 में केन्द्रीय व्यवस्थापिका की सर्वप्रथम सदस्या बनी। सन् 1937 के अधिनियम के अनुसार विधवाओं तथा लडकियों को उनके जीवन पर्यन्त सम्पत्ति मे उपभोग के लिए हिस्सा मिलने लगा। सन् 1956 में उत्तराधिकार के नियम के अनुसार हिन्दु स्त्री को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त हो गया। 1950 को भारतीय संविधान के अनुसार स्त्रियों को भी नौकरी के लिए आवेदन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समता का अधिकार बताते हैं उसमें भी नारियों को पूर्ण समता का अधिकार प्राप्त हैं।

संविधान लागू होने के पश्चात् देश में 1954, 1955, 1956 और 1961 में कानून बनाये गये जिनके द्वारा विवाह, विशेष विवाह, उत्तराधिकार, समानता और अनैतिक व्यापार सहित दहेज को शामिल किया गया तथा आज जो स्थिति है वह चिन्ताजनक है भारतीय संविधान लिंग, जाति, जन्मस्थान, पंथ, मजहब के आधार पर देश के नागरिकों में विभेद की अनुमति नहीं देता है तथापि संविधान के अन्य उपलब्धों का सहारा लेकर दवे कुचले वर्गो के उत्थान के नाम पर देश मे आरक्षण व्यवस्था है।

भारत के संविधान मे महिलाओं को समानता मात्र ही प्रदान नहीं की गयी है अपितु नीति निर्देशक सिद्धान्तों में राज्य को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह महिलाओं के पक्ष में ठोस और सकारात्मक कदम भी उठाये और उनके द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक लिहाज से जिस असमानता को झेलना पड़ता है, उसका निवारण हो सके। भारत में सभी नहीं तो ऐसे अनेक कानून अदृश्य है जो महिलाओं को अनेक तरह से काफी प्रभावित करते हैं। इनमें 1954 का विशेष विवाह अधिनियम 1954 का परिवार

न्यायालय अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 जो 1984 और 1986 में संशोधित भी हुआ, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1971 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, गर्भपात से सम्बन्धित अधिनियम 1971 आदि। मगर इनमें से ज्यादातर कानून क्रियान्वयन के लिहाज से पूर्ण रुप से प्रभावी नहीं हो सके। ऐसा होने के कारणों मे से एक है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी।

एलिजाबेथ स्लोस (7मई 1999) ने लिखा है कि जब भी हम मानवाधिकारों की बात करते है तब हमारे सामने भय, आतंक और क्रूरता के जो दृश्य उभरते है, उनमें युद्ध, अपराध, अल्पसंख्यकों या जातीय समुदायों के सफाये, कारागार मे बंद विचाराधीन कैदियों जैसे सार्वजनिक मसलों को ही हम शरीक मानते है जबकि उनमें कही भी नारी के उन अधिकारों के हनन की बात नहीं होती जिनका उनकी निजी गरिमा और शोषण से सीधा सम्बन्ध है। इस मानव अधिकार हनन का सीधा सम्बन्ध उनके प्रजनन से सम्बन्धित उसे नैसर्गिक कर्म से है जो उन्हे उनके शोषण के प्रति भेद्य बनाता है। स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा के कारण भी 15 से 44 वर्ष आयु समूह की लाखों स्त्रियां या तो अपाहिज हो जाती है या उनकी मौत तक हो जाती है।

विश्व भर मे रुढियों तथा अधंविश्वासो के कारण प्रतिवर्ष 1.3 करोड स्त्रियों के बाहरी जननागो को क्षति पहुचायी जाती है अफसोस की बात यह है कि चूकि ये सभी बाते बन्द दरवाजों के पीछे, चहार दीवारी के भीतर होती है अतः उन्हें अब तक सरकारो तथा गैर सरकारी संघटनो द्वारा अन्य मानव अधिकार उल्लंघनों से अलग मान गम्भीरता से नहीं लिया गया, जबकि ध्यान रहे सारे मानव अधिकार कानूनी अधिकार होते हैं। क्योंकि वे ऐसे बुनियादी अधिकार है जो मानवीय जीवन की अन्र्तानिहित गरिमा के सिद्धान्त पर आधारित है। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए विगत पचास वर्षो मे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय करार और

संधिया हुई और उनके प्रावधान उन पर हस्ताक्षर करने वाले देशो के लिए कानूनी तौर पर बंधनकारी होते हैं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका पालन करवाने के लिए विभिन्न एजेसियां भी कार्यरत है। प्रमुख मानव अधिकार सन्धियां है, वर्णभेद उन्मूलन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार का भेदभाव उन्मूलन, यातना, अमानवीय दण्ड तथा गरिमाहीन वर्ताव तथा बच्चों के अधिकारो से सम्बन्धित सन्धि आदि। उक्त अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों मे से स्त्रियों के विरुद्ध भेदभाव खत्म करने वाली सन्धि को उसे प्राप्त व्यापक मान्यता के कारण तो काफी सफल माना जा सकता है क्योंकि उसकी पृष्टि 1998 तक कोई 162 देश कर चुके हैं, लेकिन बंग्लादेश तथा भारत जैसे देशो ने उनके प्रावधानों को कतिपय शर्तो के साथ लागू किया है। जैसे बंगलादेश ने शरियत कानूनों के विपरीत जाने वाले प्रावधान से परहेज रखा वहीं भारत ने नारी के विरुद्ध समस्त भेदभावों को खत्म करने को सिद्धान्त मानते हुए विवाह तथा पारिवारिक रिश्तो के मामले मे समुदायों, सम्प्रदायों के व्यक्तिगत कानूनों को तरजीह देते हुए उनमें कोई भी सुध ार/संशोधन उस समुदाय विशेष की पहल या आग्रह पर ही करने की बात की है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस सन्धि में भी नारी प्रजनन-सम्बन्धित अधिकारों पर कोई खास गौर नहीं किया गया है।

इतना ही नहीं इन सभी मुद्दो पर 1992 से 1996 के बीच छः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मे भी विचार विमर्श किया गया और यह निष्कर्ष निकला, कि स्त्रियो को अधिकार सम्पन्न बनाना ही उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जरुरी है और इसकी बुनियादी शर्त यह है कि स्त्रियों की कानूनी, आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक हैसियत को बेहतर बनाया जाय ताकि वे सोच समझकर निर्णय, खास तौर से यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी मामलों मे ले सकें। अन्तर्राष्ट्रीय नियोजित मातृत्व, पितृत्व संघ के घोषणा पत्र में

यौन तथा प्रजनन अधिकारों में निम्नलिखित अधिकारों का समावेश है जीवन का अधिकार, व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतन्त्रता का अधिकार, समानता का और भेदभाव रहितता, प्रायवेसी, विचार स्वातन्त्रय, शादी करने या न करने तथा परिवार स्थापित एवं नियोजित करने, सन्तान पैदा करने, न करने या कब करने के निर्णय का अधिकार, स्वास्थ्य सुरक्षा परिचर्या प्राप्त करने का अधिकार, विज्ञान के लाभ प्राप्त करने, एकत्र होने तथा राजनीतिक प्रतिभागिता तथा यातना और दुर्व्यवहार से मुक्त रखे जाने का अधिकार। बांग्लादेश की मानव अधिकार अधिवक्ता सारा हुसैन को शिकायत है कि समस्त विश्व में ही विधान निर्मात्री संस्थाओं में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नगण्य या असन्तुलित अनुपात में है।

यानी निर्णय लेने वाले तथा कानून बनाने वालों, दानों में स्त्रियों का उचित प्रतिनिधित्व न होने से उनके वाजिव अधिकारों का संरक्षण मुश्किल हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी प्रजनन-आत्म निर्णय की सुरक्षा हेतु कोई कानून बनाने की बात होती है तो कुछ देश इन कोशिश को अपने निजी मामलो में हस्तक्षेप करार देते है और उन्हें अछूत देश मान लिया जाय, इसलिए उन्हे सतह पर तो स्वीकार कर लेते है लेकिन अपने यहां कार्यान्वित करने से कतराते है।

श्रीमती शारदा मिश्रा (27 मार्च 1998) ने कहा है कि संविधान के अन्तर्गत वर्जित अधिकारों से सुसज्जित होकर भी प्रत्यक्ष रुप से भारतीय नारी अपने अधिकारों को सही परिपेक्ष्य में नहीं पहचान सकी है। शिक्षा के अन्तर्गत विज्ञान या तकनीकी क्षेत्रो में यद्यपि उनका अधिकार शनैःशनैः विकसित हो रहा है। किन्तु फिर भी समाज में आज भी नारी को दो नबर का नागरिक समझे जाने की हठधर्मी बहुत अंशों तक परिलक्षित है। इसके कई कारण है। आदिकाल से शासन की बागडोर अपने अधिकार क्षेत्र मे संजाये रखने के बाद सहज ही किसी के हाथों सौप देने की ईमानदारी या उदारता अभी भी उस वर्ग मे पनप नहीं

पाई है जो सामान्तवादी विचारधारा एवं मनोवृत्ति के पोषक है। इतिहास इस बात के लिए साक्षी है कि महिलाओं की प्रगति मे अकूंश लगाने वालों ने क्या कुछ नहीं किया। कथनी और करनी के अकुंश के कारण हमारा उठा हुआ मनोबल अक्सर गिर जाता है और तभी दकियानूसी स्वार्थी समाज की दृष्टि से हमारी स्थिति कमजोर पड़ जाती है। अपनी शांति प्रकृति की चिर संचित स्वभाव के अनुरुप मौन असंतोष व्यक्त करते ही हम अपने विद्रोह की इतिश्री कर लेते है। समाज की यह प्रवृत्ति 1-2 या 10-20 महिलाए नहीं बदल सकती। इसमें लिए तो पूरे समूह का आगे आना पडेगा। कितनी विडम्बना है, कि पुरुषों के कंधा से कन्धा मिलाकर जूझने वाली महिलाए घर और परिवार में सर्वाधिक जूझती है अत्यवस्थित या असंतुलित जीवन के साथ शायद ही कोई प्राणी चैन से जीवित रहने का एहसास पा सकता है। किन्तु महिला के रुप में समाज में एक ऐसा प्राणी है जिसे बढ़ती हुई मंहगाई, भ्रष्टाचार, शोषण, मुनाफाखोरी तथा मिलावट से शुरु होकर बीमारी तथा दहेज जैसी कुरीतियों से सीधे जूझना पड़ता है। दहेज संबंधी घटनाएं तो नित्य की समस्या है, कानून बहुत सख्त है किन्तु कितने को कानून अपनी गिरफ्त में बाध सका है आज तक।

सारिका (1999) आज कही न कही यह शोर अवश्य है कि नारी अधिकार के ऊपर अधिपव्य की ओर बढ़ रही है लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखे तो आधिपत्य तो दूर, नारी को समाज में आत्मनिर्णय जैसा मौलिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है। उसे इतनी भी आजादी हमारा समाज नहीं दे पाया है कि वह अपनी मर्जी के वस्त्र पहने। कहने को हम 21 वीं सदी मे जा रहे है पर उसे कुछ करने की अनुमति तो दूर, कुछ सोचने पर भी मर्यादा की बेडियाँ डाल दी जाती है। सच कहा जाय तो उच्च शिक्षा प्राप्त मर्यादाओं में बँधी महिलाओं की दश उस परकटे पंक्षी के समान है जिसे पहले उड़ना सिखाया जाता है और जब वह उन्मुक्त गगन की ऊँचाइयो को चूमने का प्रयास करता है तो उसके पंक्ष कुतर कर पिजड़े मे कैद कर दिया

जाता है तब पंक्षियो की भांति नारी की आंखो मे यही सवाल रहता है कि क्या हमे जीवन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए ? हम भले ही आज इन सवालो से जान बचा लें परन्तु कभी न कभी यह जवाब तो देना ही होगा कि क्या केवल मर्यादा की बंदिशे और सामाजिक दायित्व ही नारी जाति की जिम्मेदारी है।

रंजना भारद्वाज (2001) उच्चतम न्यायालय ने महिलाओ के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय महिला सहायता समिति का गठन करने के निर्देश प्रत्येक राज्य सरकार को दिये है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित इस समिति में जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक कलेक्टर जिला जन सम्पर्क अधिकारी आदि अधिकारी पदेन सदस्य होते है। इसके साथ ही दो कानूनी सलाहकार एवं दो गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों के सदस्य भी समिति मे लेने की व्यवस्था की गई है। इस समिति द्वारा महिलाओं को परिवारिक व सामाजिक हिंसाओ से राहत दिलाने, कामकाजी महिलाओं की उत्पीड़न से रक्षा, गरीब महिलाओं, को आर्थिक सम्बल प्रदान करने, महिलाओं को कानूनी जानकारी व विधिक सहायता प्रदान करने, पति पत्नी मतभेद, दहेज सम्पत्ति विवाद, ससुराल पक्ष द्वारा प्रताडना, बालविवाह, भ्रूण, हत्या, यौन उत्पीड़न, भरण पोषण आदि समस्याओं से छुटकारा दिलाने की व्यवस्था की गई है। जिला स्तरीय महिला सहायता समिति में समस्या का समाधान सुनने के लिए सप्ताह में कुछ दिन निश्चित किये जाते है। विधिक सहायता और कानूनी सलाह के लिए माह में एक बार परिवार परामर्श बैठक का आयोजन, वकील कानूनी सलाहकार एवं स्वयं सेवी संस्था द्वारा करने की व्यवस्था होती है।

अदालत की अपव्ययी और लम्बी प्रक्रिया से बचने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है। प्रकरण सुलझाने के पश्चात् भी समिति द्वारा लम्बे समय तक उन पर नजर रखी जाती

है। ताकि फिर से विवाद न उत्पन्न होने पाए। समिति की पंजिका में दोनो पक्षों की सहमति, असहमति तथा पावन्दी के साथ सुझावों को मानने पर हस्ताक्षर होते है। कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए समिति में विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन हो यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त विभगाध्यक्षों को इसकी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है। समिति की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया गया है। जिसका सम्पूर्ण लेखा जिला कलेक्टर की देखरेख में रखा जाता है। इस समिति के प्रत्येक जिले में गठित होने से महिलाओं में आत्मविश्वास व सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है और उन्होने अपने खिलाफ होने वाले अन्याय, अत्याचार व उत्पीड़न के विरुद्ध प्रकरण भी दायर किये है।

यह भारतीय महिलाओं की जागृति एवं सक्रियता का ही परिणाम रहा है कि स्वतन्त्रता के बाद से विधान सभाओं एवं अन्य स्थानो पर महिलाओं को महत्त्व दिया जाने लगा। उनके उत्थान एवं कल्याण के अनेक कार्यक्रम राजनीतिक स्तर पर चलाये जाने लगे। परिणामतः स्त्री सम्बन्धी सोच मे काफी अन्तर आया है।

संक्षेप में हम कह सकते है कि पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता एवं उससे उत्पन्न आधुनिकता ने वर्तमान भारत को राजनीतिक रुप से चेतन्य बनाया है। परन्तु चेतना की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान नहीं रही है। इसी प्रकार प्रत्येक आयु एवं लिंग के अनुसार भी चेतना की मात्रा में विविधता दिखालाई पड़ता है। अब तक के अनेक अध्ययनों से यह तो स्पष्ट ही हुआ है कि पुरुषों में राजनीतिक चेतना की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है स्त्रियों में उनकी तुलना में कम रही है। स्वतन्त्रोतर भारत में नवीन राजनीतिक प्रणाली एवं संस्कृति के कारण चेतना में वृद्धि होती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है और उनमें चेतना की मात्रा में कितनी

वृद्धि हुई है ? महिलायें जो सर्वथा उपेक्षित रही है, उनकी क्या स्थिति है ? उनमें राजनीतिक चेतना की कितनी मात्रा है ? आज जिज्ञासा की विषय वस्तु बनी हुई है।

महिला सशक्तिकरण

'महिला सशक्तिकरण' शब्द का प्रयोग सरकारी तंत्र में हाल में ही शुरु हुआ है। यदि हम पीछे मुड़कर देखे तो पाते है। कि सरकारी योजनाओं की सोच प्रथमतः 'महिला विकास' फिर 'महिला सहभाग' से गुजरते हुए अब 'महिला सशक्तिकरण' तक आ पहुची है। यह हमारी मानसिकता के परिपक्व होने का उदाहरण माना जा सकता है। उपेन्द्र वाजपेयी (25 मार्च 2002) ने लिखा है कि जून 1992 में एक 'स्वस्थ संसार' वनाने के लिए 'पृथ्वी शिखर सम्मेलन' हुआ था, जिसका निचोड यह निकला कि महिलाओं के सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है। 'सशक्तिकरण' की परिभाषा की गई, 'किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता'। यह भी बहुत जोर देकर कहा गया कि 'असली लोकतंत्र' हो ही नहीं सकता जब तक शासन और विकास कार्यक्रम, दोनो में महिलाओं की 'वास्तविक भागीदारी' न हो। सशक्तिकरण की व्याख्या की गई समाज की वर्तमान व्यवस्था और उसके तौर तरीको को चुनौती देना जिन्होने महिलाओं और अन्य वंचित वर्गो को समाज के हाशिये पर छोड़ रखा है। यह भी कहा गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण का एक अर्थ यह निकाला जा रहा है, कि पुरुषों की ताकत घट जायेगी। जब महिलाएं सत्ता की दौड में आगे आयेगी तो सार्वजनिक क्षेत्र में वे मर्दो की सत्ता ओर उनके विशेषाधिकारो को आज की तरह स्वीकार नहीं करेगी।

प्रश्न उठता है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है ? सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आन्तरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है। इसमें निर्भयता, जिसके लिए समाज मे कानून और सुरक्षा का होना आवश्यक है रोजाना के नीरस उबाऊ और कमरतोड कामो से मुक्ति, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं उत्पादन

क्षमता, देशाटन की सुविधा, निर्णय का अधिकार, सत्ता एवं सम्पत्ति मे पुरुषों के साथ बराबरी का हक और साथ ही ऐसी शिक्षा जो औरत को उपरोक्त बातो के लिए तैयार करे, प्रमुख है।

महिला सशक्तिकरण पर विचार करते समय हमारा ध्यान स्वाभाविक रुप से महिला की सामाजिक स्थिति की ओर जाता है। यह सर्वमान्य एवं सर्वानुभूत तथ्य है कि महिला सदियों से भेदभाव और शोषण सहते-सहते निःशक्त हो गई है।

उसकी योग्यता को दबाकर उसे चूल्हे चौके मे धकेलने वाले पुरुष प्रधान समाज ने प्रत्येक क्षेत्र में उसका एक साधन (वस्तु) के रुप में उपभोग किया है। पुरुष प्रधान सरकारो ने भी महिला विकास का झुनझुना ही बजाया है ना कि ईमानदारी से उस पर क्रियान्वयन किया। नियाज अंसारी (2002) ने कहा कि उल्लेखनीय है कि जनवरी 2002 को गणतंत्र दिवस में प्रदान किये जाने वाले राष्ट्रीय सम्मानों को इंदिरा गोस्वामी और सितारा देवी ने लेने से इंकार कर दिया था। उनका कहना था, कि सरकारो ने हमेशा महिलाओं की घोर अपेक्षा की है। उनसे कम योग्य लोगो को 'पद्मश्री' आदि सम्मान बहुत पहले प्रदान किये जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 1954 से अब तक प्रदत्त 41 भारत रत्नों में से मात्र 5 ही महिलाओं को दिये गये। 1971 में इन्दिरा गांधी को पहला भारत रत्न मिला था।

महिलाओं की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति केवल भारत में ही नहीं विश्वभर में व्याप्त है। विश्व की आंख भी 1975 में खुली और उसने आंखे मिचमिचाते हुए 8 मार्च को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' की औपचारिक रस्म अदायगी शुरु कर दी। 20 वीं सदी के ढाई दशक में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया। 11 दशक पूर्व ही स्वामी विवेकानंद ने विश्व मंच पर कहा था, ''औरतो की स्थिति में सुधार लाये बिना कल्याण असंभव है, जैसे कि एक पंख से उड़ान भरना''

नारी सदियों से अथक परिश्रम क बावजूद अपमान और अत्याचार सहने के लिए विवश है पिछले 50 वर्षो मे उभरी समस्याओ में नारी जन्म लेने के अधिकार का हनन एक प्रमुख समस्या है। पहले नवजात स्त्री-शिशु को मारने की कुप्रथा से चलकर अब यह गर्भ लिंग परीक्षा और स्त्री-भ्रूण गर्भपात से भी आगे बढ़कर सन्तानोत्पत्ति के लिए 'पुरुष-लिंग' के चुनाव और निर्धारण तक पहुंच गई है। इस परिस्थिति का और क्रूर स्वरुप हुआ लड़की के पैदा होने के बाद उसे समाप्त कर देना या उसे पैदा ही न होने देना। यह केवल गरीब घरो की बात नहीं है। उपेन्द्र बाजपेयी (2002) ने अपने लेख में लिखा है कि एक मामला इन दिनों उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, जिसके अनुसार स्त्री जब भी गर्भवती होगी, वह लड़का ही पैदा करेगी लड़की नहीं। इस डाक्टरी प्रक्रिया (एरिक्सन टेकनीक) पर कई लाख रुपये खर्च होते है। जाहिर है, कि यह काम पैसे वाले ही कर सकते है। सामान्य आमदनी वाले के बस की बात नहीं है। गरीब आदमी लडकी की जिम्मेदारी से बचने के लिए उसे जान से नहीं मार पाता तो इधर उधर डाल आता है या अनाथालय में लडकियों की संख्या बढ़ा देते है। इस झंझट से बचने के लिए यदि नई विधि के जरिये लड़की पेट में आएगी ही नहीं तो न उसके पैदा होने का सवाल और फिर न उसे मारने, फेकने या कोई अन्य अपराध करने का सवाल। कहते हैं कि यह एरिक्सन टेकनीक हिन्दुस्तान के अनेक शहरों में घडल्ले से अपनाई जा रही है उच्चतम न्यायालय के सामने प्रश्न है कि जब लड़की को पेट के अन्दर या बाहर मारा नहीं गया फिर भी क्या यह 'जुर्म' की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है, जो अभी तक भारतीय दण्ड विधान में नहीं है।

लड़का-लड़की के भेदभाव का एक दुखद और खतरनाक परिणाम यह हुआ कि लडकियों की संख्या कम होने लगी उपेन्द्र वाजपेयी (2002) ने लिखा कि 1981 की जनगणना मे पाया गया कि भारत की कुल आबादी में 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां सिर्फ 934 थी

1991 में स्त्रियों की संख्या और घटकर 927 रह गई। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या अब 933 है प्रति हजार मर्द पीछे 67 महिलाएं कम है। फिर भी दो प्रदेश ऐसे है जहां मर्दो की संख्या औरतों से कम है। केरल में एक हजार मर्दो के मुकाबले 1058 और पंडिचेरी में 1001 स्त्रियां है। जहां महिलाये 900 से भी कम है, वे हैं उत्तर प्रदेश (898), सिक्किम (875), पंजाब (874), हरियाणा (861), अण्डमान और निकोबार (846), दिल्ली (821), दादरा नगर हवेली (811), चंडीगढ (773), और दमनदिअ (709)।

'पृथ्वी शिखर सम्मेलन' के बाद सभी देशों में महिलाओं को उचित स्थान देने के आन्दोलन ने जोर पकड़ा। इसका एक उपाय भारत में यह निकला कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए क्योंकि अपने आप-उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। जब वे फैसला करने के मंचो पर पहुचेगी तो वर्तमान असन्तुलन दूर होने लगेगा। भारतीय संसद ने 1993 में संविधान के 73 वें संशोधन के अन्तर्गत पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। पचांयतो के कामकाज का विश्लेषण करने पर यह अधिकार पूर्वक कहा जा सकता है कि राजस्थान, मध्यप्रदेश गुजरात अन्य प्रदेशो की महिला सरपंचों ने अपनी कर्मठता और हिम्मत दोनों का अनुकरणीय उदाहरण पेश किए है। 1991 में 2001 तक दस वर्षो में सबसे अधिक साक्षरता वृद्धि राजस्थान में हुई है। 1991 के आकड़ों के अनुसार राजस्थान में स्त्री-पुरुष मिलाकर 38.55 प्रतिशत साक्षर थे जो 2001 में बढ़कर 61.3 प्रतिशत हो गए अर्थात 23 प्रतिशत अधिक व्यक्ति साक्षर हुए। इसका बहुत कुछ श्रेय पंचायतो में नई जाग्रति को दिया जाता है। गांव के अनेक काम जो वर्षो से मर्द सरपंच नही कर पाये थें, उन्हे महिलाओं ने कर दिखाया है। यदि कहीं पंचायतो को पर्याप्त अर्थिक साधन सुलभ हो जांए और निर्वाचित पंचो, सरपंचो, को आवश्यक अधिकार दे दिये जाए तो पंचायते और भी बहुत कुछ कर सकती है और राज्य शासन का बोझ हल्का कर कर सकती है।

जब तक इस सामाजिक शैक्षिक राजनीतिक और अर्थिक भेदभाव को खत्म नहीं किया जाता तब तक महिला को मात्र राजनीतिक समानता देने से सशक्त नहीं बनाया जा सकता। यों महिलाओं को वर्ष 2001 में सशक्त करने हेतु निम्नलिखित सरकारी कदम उठाये गये। 2001 में प्रारम्भ की गई महिला नीति, योजनाए, प्रस्तावित एवं पास कराये गए विधेयक आदि इस प्रकार है :-

1. महिला सशक्तिकरण वर्ष में केन्द्र सरकार मे देश में पहली बार एक राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई ताकि महिलाओं के उत्थान और समुचित विकासार्थ, महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विकास में समान भागीदारी के अवसर प्रदान किये जा सकेगे।

नीति के प्रमुख बिन्दु निम्नांकित है:

1. देश में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ और सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता निश्चित करना।
2. महिलाओं हेतु ऐसा वातावरण निर्मित करना कि वे अनुभव करे कि वे स्वयं सामाजिक तथा अर्थिक नीतियां बना सकती है।
3. इन्हें मानवाधिकारों के उपयोग में सक्षम बनाना।
4. सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन हेतु महिलाओ-पुरुषो को समाज में समान भागीदारी निभाने हेतु प्रोत्साहित करना।
5. बालिकाओ एवं महिलाओं के प्रति विविध अपराधों के रुप व्याप्त असमानताओं को खत्म करना।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त बिन्दुओ से संबंधित आवश्यक कानूनों के निर्माण हेतु वर्ष 2003 तक की समय सीमा रखी गई है। इस नीति को देशभर में पूरी तरह लागू करने हेतु 10 साल की समय सीमा रखी गई।

1. केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2001 को 2 योजनाओं की घोषणा की गई 1. 'महिला स्वयंसिद्ध योजना' के पहले से चल रही 'इन्दिरा महिला योजना' एवं 'महिला समृद्धि योजना' की जगह संचालित करने का फैसला किया गया, इसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रुप से सशक्त करना है। 2. 'स्वाधार योजना' के अन्तर्गत परिव्यक्ता विधवा, निराश्रित एवं प्रवासी महिलाओं को वरीयता दी जायेगी। इसे त्रिस्तरीय पंचायतो के जरिये केन्द्र राज्य सरकारों के सम्मिलित संसाधानों से संचालित किया जायेगा।

2. 'स्वशक्ति योजना' को विश्व बैक की मदद से 7 राज्यों के 35 जिलों में शुरु किया गया है। स्वयं सहायता समूह गठित करके इसका संचालन हो रहा है। अभी तक 91 स्वयं सेवी संगठनो द्वारा 9000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है।

3. महिला उद्यमियों हेतु एक ऋण योजना 15 अगस्त, 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा घेाषित की गई इस योजना द्वारा महिलाओं का सार्वजनिक बैकों की मार्फत अधिक मात्रा में बैंक ऋण आसान शर्तो पर मिलेंगे।

4. 'बालिका समृद्धि योजना' में संशोधन करते हुए 'प्रसवेापरांत अनुदान' के रुप में मिलने वाले 500 रुपये अब बालिका के नाम से ब्याज मुक्त एकाउन्ट में डाले जायेगे। इसके अतिरिक्त यह बालिका स्कूली पढ़ाई हेतु प्रत्येक सफल वर्ष के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति भी ले सकेगी।

5. 'किशोरी शक्ति योजना' प्रथम चरण में भारत के 507 विकास खंडो में लागू की गई है। इसके अन्तर्गत 6400 रु0 तक वार्षिक आय वाले परिवार की बालिकाओं का उचित पालन-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जायेगा। यह 'गर्ल टू गर्ल एप्रोच' योजना दो भागो 11-15 तथा 15-18 वर्षीय किशोरियों हेतु बनाई गई है। इस मंडल योजना में किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

6. ऐसी ही व्यवस्था 'महिला आरक्षण विधेयक' के माध्यम से संसद व राज्य विधान मंडलो में प्रस्तावित है। बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है।

1. संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (1) के तहत लोकसभा में महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित करना।

2. अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानो मे से यथासंभव एक तिहाई स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित होगे।

3. अनुच्छेद 332 क (1) के तहत सभी राज्य विधान सभाओं में भी महिलाओ हेतु स्थान आरक्षित किये जा सकेगे।

भारत सरकार ने वर्ष 2001 में महिलाओ का सशक्त बनाने हेतु भारतीय तलाक (संशोधन) एक्ट 2001 को पारित तथा निम्नलिखित अधिनियम विधेयको को प्रस्तावित किया

1. महिलाओं पर घरेलू हिंसा (निरोधक) अधिनियम, 2001
2. बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक, 2001
3. परित्यक्ताओं हेतु गुजारा भत्ता (संशोधन) अधिनियम बिल, 2001

पूर्व उल्लिखित समस्त सरकारी कदमो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक वर्ष की अल्पावधि में प्रयास भरपूर किय गए। न्यायपालिका ने भी इस ओर विशेष सक्रियता दिखाई। यदि ये प्रयास जारी रहे तो कार्यान्वयन वर्ष में सफलता की तरफ बढ़ेगा। महिलाओं

को सशक्त बनाने हेतु सिर्फ वर्ष 2001 में ही सकारात्मक प्रयास किये गये। आजादी के बाद से निम्नलिखित व्यवस्थाएं भी स्थापित की गई, हालांकि इन पर शासकों-प्रशासको और कर्मचारियों ने ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं किया।

1. वेश्यावृत्ति निवारण एक्ट (अधिनियम) 1956 व 1986 में संशोधित।
2. दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 व 1986 में संशोधित।
3. प्रसूति लाभ एक्ट, 1961
4. समान पारिश्रमिक एक्ट, 1976
5. अश्लील चित्रण निवारण एक्ट, 1986 आदि।

डा० रजनी गोपालन (2001) ने अपने लेख में सरकार द्वारा दी गई 'नेशनल चार्टर फार बुमैन' (2001) में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न बातों का सामने रखा है।

1. आर्थिक तथा सामाजिक सकारात्मक नीतियों के कारण महिलाओं को सम्पूर्ण शक्ति की जानकारी के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना।
2. महिलाओं को आदर्श तथा यथार्थ, समस्त मानवीय और मूल अधिकारों को पुरुषों के समझ प्रयोग करने का सम अवसर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उपलब्ध कराना।
3. राष्ट्रीय जीवन के समस्त पहलुओं के संबंध में निर्णय लेने का तथा समस्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार।
4. महिलाओं को स्वास्थ्य रक्षा, स्तरीय शिक्षा, व्यावसायिक निर्देशन, समान वेतन, व्यावसयिक क्षेत्र मे सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक पदो पर कार्य का अवसर उपलब्ध कराना।

5. महिलाओं के हित के विरुद्ध के समस्त बातों को दूर करने के लिए कानूनी व्यवस्था को दृढ़ करना।

6. सामाजिक मान्यताओं तथा परम्पराओं में परिवर्तन लाने का प्रयास, इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनो की प्रतिभागिता की व्यवस्था।

7. विकास कार्यो में लिंग संवंधी धारणा को स्पष्ट करना।

8. महिला तथा बलिकाओ के सम्बन्ध में हो रहे सब प्रकार के शोषणो का समाप्त करना।

9. महिला समितियों के सहयोग से तथा नागरिक समाज के सहयोग से कार्य करना।

उपर्युक्त राजकीय प्रयासो से स्पष्ट होता कि है महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार निरन्तर ठोस उठा रही है तथा कानूनी संरक्षण भी प्रदान कर रही है। राज्य के रचनात्मक कार्यो तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद महिलाओं की वास्तविक स्थिति में अतिअल्प अन्तर ही क्यों आया है ? प्रश्न के जवाब के लिए समाज के रुख का विश्लेषण जरुरी हो जाता है।

समाज का दायित्व-

भारतीय समाज अनेक के विद्रूपों में महिला की सामाजिक और आर्थिक मर्यादा भी एक है। महिला देवियों की पूजा, अर्चना मनोयोग से करने वाला समाज अपने घर की महिलाओं को लताड़ता है, अवहेलना करता है, आर्थिक वोझ मानता है। पुरुष ही नहीं स्वयं महिला भी महिला के विकास के मार्ग में अटकलें लगाती है डॉ0 रजनी गोपालन 2001 ने लिखा है कि सरकारी दस्तावेजों को क्रियान्वित करने में समाज का सहयोग अनिवार्य है। परिवार की चार दीवारी के अन्दर बेटी बहुओ को मर्यादा पूर्ण स्थान परिवार के सदस्य ही बना सकते है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजना, आर्थिक स्वावलम्बन के लिए सक्षम

बनाना, व्यवसाय की शिक्षा देना, सुपोषण की व्यवस्था करना, बालिका तथा बालक के साथ समान व्यवहार करना, बालिकाओ को विशेष सुरक्षा प्रदान करना आदि परिवार का दायित्व है। धार्मिक रीतिरिवाज, रुढ़ियो आदि के बंधन में महिला को कैद कर उसे पंगु वनाना निन्दनीय है। पुरुषीय तानाशाही को कम करके घर निर्णयो में महिलाओं की साझेदारी होना। नारी का शोषण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र-परिवार संपत्ति, वर का चयन, शासकीय सेवा, खेल, शिक्षा, विज्ञापन, फिल्म आदि मे असंख्य कानून होने के बावजूद जारी शोषण को रोकना, अशिक्षा के चक्रब्यूह से महिलाओं को बाहर निकालना अभी भी 51.16 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हो पायी है। शासकीय निष्क्रियता और प्रचार प्रसार मे घोर उपेक्षा- सर्वविदित है कि स्वतंत्रता आन्दोलनों में भाग लेने वाली लाखो महिलाओं मे अंगुली पर गिनने योग्य महिलाओं लक्ष्मीबाई, अरुणा आसफ अली, मैडम काम्या, सरोजनीनायडू, इंन्दिरागाँधी, कस्तूरबा गांधी आदि का नाम ही आम जनता जानती है। शायद ही सत्यवती, लाडोरानी, दुर्गाबाई, मालिनी जमुना देवी, मदान देवी जैसी महत्वपूर्ण हजारो महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम एवं उनके कार्य 2 प्रतिशत महिलाए ही जानती हों। समाज की मान्यताएँ तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन आना महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य शर्त है।

हम कब कहेगे कि महिला सफल हो गई ?

इस प्रश्न की परख इस बात से की जानी चाहिए कि नारी भयमुक्त होकर, सम्मान खोए बगैर, जिस लक्ष्य को पाना चाहती है, उसका प्रयास कर सकती है और अपने गंतव्य तक पहुँच सकती है। उसे सचांर का हक हो सुरक्षा मिले आर्थिक निर्भरता समाप्त करने का पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सकती है उसे संचार का हक हो सुरक्षा मिले आर्थिक निर्भरता समाप्त करने का पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, उसकी इच्छा अनिच्छा एवं सुझावों की परिवार समाज व देश स्तर पर कदर हो, उसे अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर मिले, धन

सम्पत्ति में हक मिले, प्रतिदिन के एक रस उबाऊ और कमर तोड़ कामों से राहत मिले, देश की प्रगति तथा देश का गौरव बढ़ाने में सहयोग का पूरा अवसर प्राप्त हो। सारांश यह है कि समाज स्त्री रुपी का यदि एक पहिया पुरूष है तो दूसरा नारी। अतः नारी का भी पुरुषो के समान सवल और सुयोग्य होना आवश्यक है यही सबलता और सुयोग्यता महिला सशक्तिकरण की असली पहचान है।

1. व्यावहारिक सुझाव :- पुरुष प्रधान समाज व सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी कि वे विशेषाधिकारी नही है। महिला वर्ग को भी अपनी दुर्दशा सुधारने हेतु पुरुष वर्ग का मार्ग दर्शन, स्वैछिक सहयोग आदि स्वीकार करना चाहिए। इन पुरुषों को विश्वसनीयता की कसौरी पर पहले ही परख लेना चाहिए, क्योकि सभी स्वयं सेवी महिला-पुरुष स्वार्थी, शोषक एवं चरित्रहीन नही होते। इन रचनात्मक प्रयासो को धर्म, धन, लिंग व रंगरुप के झूठे एवं दिखावटी सुंदर पत्थरों से बचना होगा।

2. निरक्षरता- अशिक्षा को भेदने के लक्ष्य को परिवार, पड़ोस, सरकार एवं समाज के प्रत्येक स्तर पर गंभीरता से लिया जाना चाहिए मीडिया को इस तथ्य को प्रचारित प्रसारित करने में खास भूमिका निभानी होगी।

3. सर्वोच्च न्यायालय की न्यायधीश तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्या सृजाता मनोहर के सुझाव को भी इस दिशा में दृष्टिगत रखा जाना चाहिए- 'समानता पूर्ण माहौल तैयार करने में महिला नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।'' हरजीत अहलूवालिया (वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार) का यह कथन भी उल्लेखनीय है- ''शिक्षा और आजादी मानवीय मानसिकता को पूरी तरह बदल सकते है, जैसाकि सफलता की छुटपुट घटनाओं से स्पष्ट है।

4. उल्लेखनीय है कि महिला सशक्तिकरण वर्ष बीतते ही और क्रियान्वयन के पहले महीने में ही पुरुष वर्चस्व वाले राजनीतिक दलों ने अपना असली रंग दिखाना शुरु कर दिया है नामांकन भरने के अन्तिम दिन तक उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव मे 403 सीटों में से भाजपा ने 31, कांग्रेस ने 30, सपा ने 24 और बसपा ने 16 महिलाओ को ही खड़ा किया है, जबकि ये पार्टिया महिला सशक्तिकरण वर्ष में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण और टिकट देने की पुरजोर दिखावा करती रही है। अतः महिला नेताओं को इस तथ्य और सुजाता जी के व्यावहारिक सुझाव को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियों को संचालित करना होगा।

5. महिला वर्ग को भी मिलती जा रही स्वतंत्रता, सुविधा व भागीदारी को सार्थक सिद्ध करने हेतु सदा सकारात्मक तथा सक्रिय कदम उठाते हुए पाश्चात्य अश्लीलता (उत्तेजक रहन-सहन) का अंधानुकरण बंद करना होगा, क्योंकि छेड़छाड अपहरण बालात्कार जैसे असामाजिक कृत्यों के बढ़ने में यह भी एक कारण बना हुआ है। अतः पश्चिमी सभ्यता और बॉलीवुड के कृत्रिम खुलेपन को अंधानुकरण से बचते हुए 'आ बैल मुझे मार की कहावत को चरितार्थ नहीं किया जाए।

6. डॉ० अम्बेडकर के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता को वर्तमान परिवेश मे उचित रुप से समझाते हुए व्यवहार मे लागू किये जाने की जरुरत है। वे कहते थे कि भारतीय श्रम से नहीं घबराती, किन्तु आसुओं की चिन्ता अवश्य करती है। अतः इनकी चिताओं, रोजी-रोटी, शिक्षा, असमान व्यवहार को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिए। महिलाओं और पुरुषो की समानता पर आधारित समाज का उनका सपना अभी साकार नहीं किया जा सका। उनका यह सुझाव अत्यन्त कारगार सिद्ध होगा, ''जब तक हमारी महिलायें आन्दोलन में भरपूर हिस्सा नहीं लेती, तब तक पीड़ित, शोषित व अभावग्रस्त लोगो को मानवधिकार प्राप्त नहीं होगे''।

7. इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्वप्रथम महिलाओं को एकजुट होना होगा अर्थात हर मां जो अब तक पुत्रो को पुत्रियों की अपेक्षा अधिक महत्व देती आई है उन्हें अपना नजरिया बदलना होगा। और पुत्र-पुत्रियों के मध्य भेदभाव का परित्याग कर जन्म काल से ही समान शिक्षा देनी होगी। समान शिक्षा का अर्थ बालिकाओ के शिक्षा स्तर में वृद्धि करना नहीं है बल्कि बालको को भी घरेलू कामों की समान रुप से शिक्षा दी जाए ताकि वे भी आगे चलकर नारियों पर आश्रित न रहे और कलह को बढ़ावा न दे साथ ही महिलाओं में स्वाभिमान जगाना होगा तकि वे अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अधिकारों को भी समझे और उन्हें पाने के लिये सजग रहे।

कल्पना कुमारी (2001) ने कहा कि अगर महिलाए कृत संकल्प हो तो लक्ष्य दूर नहीं। ऐसी बात भी नहीं कि महिलाओ से आज कोई भी क्षेत्र अछूत है। चाहे वह शासन का क्षेत्र हो या सेवा का, नारियों ने हर जगह अपनी पहचान बनाई है। ज्ञातव्य है कि हमारी पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भी एक नारी ही थी। अमेरिका के 'प्रेसीडशियल रैंक अवार्ड' से सम्मनित ऊषा वाराणासी भी (भारतीय मूल की) एक महिला ही है। जिस किरण बेदी ने पुलिस सेवा में अपनी पहचान बनाई है वह भी एक नारी ही है। इसके अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में भी युगो से भारतीय नारी अपनी पहचान बनाती आई है, महादेवी वर्मा, सरोजनी प्रतीम आदि अनेक नाम महिला सहित्यकारों की चर्चा चलते ही जुबान पर आती है। हाल के पंचायत चुनावों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं की बढ़ती संख्या ने महिलाओ के नेतृत्च क्षमता को उजगार किया है। राजस्थान में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित ग्राम समाजों में महिलाओं ने अपने वार्डो के विकास की पैरवी खुद की। कहने बढ़ाने के लिए हमारी सरकार को भी व्यवहरिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना होगा और अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रशासन के उपर से स्तर से निचले स्तर

तक कडी दण्ड व्यवस्था करनी पड़ेगी। नारियों को उचित अधिकार मिले ताकि वे अपने पति,पिता या पुत्र का अत्याचार सम्पत्ति के कारण सहने को बाहय न हो। उनकी शिक्षा पर और भी अधिक बल दिया जाए। साथ ही समाज को भी यह समझना होगा कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ समाज सशक्तिकरण है।

अतः समाज अपने नियमों का निर्माण एवं पालन नारियों, के उत्थान को ध्यान में रखकर ही करे, किन्तु इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, नारियों में शिक्षा के प्रति जागृति उनका स्वाभिमान उनकी एकता और दृढ़निश्चयता स्त्रियां जो अब तक पुरुषों को अपना वर्चस्व मानती आई है। उन्हें अपना नजरिया बदलना होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ अपने अधिकारों की पहचान ही आवश्यक नहीं है बल्कि उन्हे पुरुषो के समान मानसिक एवं शारीरिक रुप से मजबूत होना होगा। उन्हें पुरुषों के समान ही शिक्षित एवं नीति निर्माण तथा निर्णय लेने की दिशा में अग्रसर होना होगा। आज महिला सशक्तिकरण विकास की दौर से गुजर रहा है, अतः महिलाओ को आरक्षण की आवश्यकता है, परन्तु सही अर्थ में 'महिला सशक्तिकरण' तब होगा जब महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। वर्ष 2001 को हमारी सरकार द्वारा 'महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित करना इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है। इससे किसी चमत्कार की आशा तो नहीं की जानी चहिए, लेकिन यह महिलाओं की एकाजुट करने तथा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक उचित प्रयास आवश्यक है।

द्वितीय-अध्याय

पद्धतिशास्त्र

अध्याय-द्वितीय

पद्वतिशास्त्र

(खण्ड-एक)

अनुसंधान प्रक्रिया का किसी शोध में विशेष महत्व होता है किसी अनुसंधान का महत्व इस बात मे निहित होता है कि वह बौद्विक एवं व्यावहारिक द्रष्टि से जिज्ञासा शान्त करने में सहायक हो सके। अनुसंधान एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है, जिसका आधार वैज्ञानिक पद्वति होता है, क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान की आत्मा होती है। वैज्ञानिक पद्वति में क्रमबद्धता को ही वरीयता दी जाती है। श्रीमती पी०वी०यंग ने वैज्ञानिक पद्वति के चार प्रमुख चरण बताये है। प्रथम समस्या से सम्बन्धित उपकल्पना का निर्माण, द्वितीय उपकल्पना परीक्षण के लिये तथ्यों का अवलोकन, परीक्षण एवं लेखन, तृतीय तथ्यों का वर्गीकरण एवं चतुर्थ वर्गीकरणों के विश्लेषण से नियमों का सामान्यीकरण करना।

इस प्रकार अनुसंधान एक सुनियोजित प्रक्रिया है जो प्रायः पद्वतिशास्त्र के रुप में जाना जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे विज्ञान के साथ ही विकसित माना है। जबकि कुछ विद्वान इसे स्वयं विज्ञान मानते है। उनका तर्क है कि पद्वतिशास्त्र अविभाज्य होता है। इसका खण्ड खण्ड में विभाजन सम्भव नहीं इसलिए यह स्वतः एक सम्पूर्ण विज्ञान है। यह कारणता में विश्वास करता है। किसी घटना के घटित होने में निसन्देह किसी कारण का होना निश्चित होता है, इन्हीं कार्यकारणों के विश्लेषण में पद्वतिशास्त्र रुचि लेता है। हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (1977) में कहा कि अनुसंधान चाहे जिस कोटि के हो उसके निम्नलिखित सोपान होते ही है :-

(1) समस्या का चुनाव

(2) अनुसंधान विषय से सम्बन्धित वैज्ञानिक साहित्य का सर्वेक्षण

(3) अवधारणाओं का स्पष्टीकरण

(4) प्राकल्पना का निर्माण

(5) आकड़ों का संकलन

(6) आकड़ों का उपयोगीकरण

(7) आकड़ों का निर्वचन

(8) सामन्यीकरण

यह सभी प्रक्रियायें समग्र रुप से पद्वतिशास्त्र के ही अंग है। इस प्रकार किसी शोध को सही परिपेक्ष्य में जाचने एवं परीक्षण के लिये हमें पद्वतिशास्त्र का प्रयोग करना ही पड़ता है।

किसी शोध के लिए समस्या का चयन प्रारम्भिक चरण है। समस्याओं मे से समस्या का चयन स्वयं एक समस्या होती है। इस सम्बन्ध में डा० श्याम धर सिंह (1986) ने कहा समस्याओं का चयन समस्या समाधान का आरम्भिक विन्दु स्पष्ट रुप से एक विशेष समस्या के चयन का समाधान बनता है। इस दृष्टि से समस्या का चयन ही शोध प्रारुप का निर्धारण करता है। शोध प्रारुप के विषय में आर०एल० एकाफ का कथन है कि उद्देश्य की प्राप्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोध कार्य की जो रुपरेखा बना ली जाती है, उसे शोध प्रारुप कहते है। इसे स्पष्ट करते हुये हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (1977) ने कहा कि अनुसंधान प्रारुप से प्रास्तवित अनुसंधान से सम्बन्धित उद्देश्य, अवधारणायें, आकडा-संकलन विधि, आकड़ो के व्यवस्था की विधि, साधनों का विवरण और समय का बटवारा दिया हुआ होता है। इसी को अनुसंधान प्रारुप या अनुसंधान का प्रयोजित प्रारुप कहते है।

सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में समस्या का चयन एक कठिन कार्य है। समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को हम शोध के लिये नहीं चुन सकते। घटना अध्ययन हेतु तब चुनी जाती है जबकि उसका कोई बौद्धिक अथवा व्यवहारिक उपयोग हो। घटना या समस्या के चयन में विशेष ध्यान देने योग्य बातों में यह भी है कि वह किस प्रकार समाजशास्त्रीय परिदृश्य को प्रभावित करता है वह समारण किस प्रकार समाज शास्त्रीय सिद्धान्त से जुड़ा है? क्या वह सम्पूर्ण व्याप्त सिद्धान्त (ग्रैण्ड रेन्ज थियरी) के किसी उपांग

को प्रामाणित करने में सहायक है, अथवा मध्य सीमा सिद्धान्त की श्रंखला में वृद्धि कर रहा है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में समस्या का चयन होना चाहिए। इस दृष्टि से प्रस्तुत समस्या विद्यालयीय अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन प्रभाव कारिता एवं सहभागिता का अध्ययन बांदा नगर के विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं के सन्दर्भ में, जहां एक ओर शहरी समाजशास्त्रीय परिद्वश्य को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी, वही समाज शास्त्र की नयी विद्या राजनीतिक समाजशास्त्र में हो रहे सक्रियता (सहभागिता) प्रभावित सम्बन्धी अध्ययनों के सामाजिक महत्व को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होगी।

अध्ययन की आवश्यकता-

आज हम जहां देखे वही नारी चेतना, नारी कल्याण व नारी उत्थान की बात चल रही है। और इसमें लिये कई कानून भी उपलब्ध है। संस्थाओं द्वारा इस दिशा में प्रयास भी चल रहे है पर परिणाम अगर हम देखे तो निम्न स्तर का ही निकलेगा। जहां नारी इस समाज की आधी दुनिया है साथ में सदियों से प्रताड़ित व दयनीय सामाजिक व मानसिक स्थिति की शिकर है उन्हे आरक्षण प्रदान कर देने से कुछ नहीं होने वाला महिला आरक्षण जैसी बैसाखी का सहारा देने की जगह उन्हे मानसिक स्तर पर इस योग्य बनाना आवश्यक है कि वह अपनी इच्छानुसार अपनी मंजिल तलाश कर सके चाहे वो राजनीतिक शक्ति हो, सरकारी नौकरी या व्यवसाय या फिर खुशहाल ग्रहस्थी। ।वनीत सिंह (1999) नारी को महिला आरक्षण प्रदान कर उसके प्रति बेचारगी प्रकट करने की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी कि उनके व्यवहारिक एवं आन्तरिक स्थिति को सुधार कर उनमें जागरुकता लाने की है। उन्हे उनके अस्तित्व को पहचानने से है। वे स्वयं भी अपनी अस्मिता को पहचानकर अपनी सामाजिक बुराइयो से मुक्त हो सकेगी, अपना उत्तरोन्तर मानसिक विकास कर सकेगी अबला से सबला हो सकेगी और अपने पग मानवता एवं कल्याण के साथ-साथ राज्य की ओर उन्मुख कर सकेगी।

एस०आर० प्रसाद (22 जुलाई 1999) ने कहा है कि शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा प्रणाली और आज की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम चलाने की जरुरत है। शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिये अनेक कदम उठाने होगे। इसके लिए अध्यापिकाओं में चेतना जागृत करने की आवश्यकता है, जिसके अभाव में उठाये गये कदमों की सफलता संदिग्ध है। नयी (इक्सीसवीं) शताब्दी की अज्ञात चुनौतियों का सामना करने की तैयारी के लिये शिक्षा को नया स्वरुप और नया अर्थ देने की जबर्दस्त आवश्यकता है। हम ऐसा तभी कर सकते है जब सीखने के घिसे पिटे तरीको को छोडकर बलिकाओं एवं महिलाओं में रचनात्मक चिन्तन तथा समस्या समाधान की मौलिक प्रतिभा के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाय। प्रो० आशा पाण्डेय (28 अप्रैल 2000) ने कहा है कि जीवन मूल्यों से जुडी शिक्षा का अभाव होने के कारण छात्राओं का अपनी संस्कृति एवं मूल्यों से जुड़ाव समाप्त होता जा रहा है। इसके दूरगामी परिणाम की आशंका है शिक्षा की विसंगतियो को सन्दर्भ में लगातार विचार विमर्श होना चाहिए तथा उसकी विसंगतियो को पहचनाकर उन्हे दूर किया जाना चाहिये यह कार्य छात्राओं के सम्बन्ध में एक अच्छी अध्यापिका ही कर सकती है।

बांदा जनपद मे उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालयों मे से अधिंकाश विद्यालयों में आज भी एक भी महिला शिक्षिका लिपिक कर्मचारी नहीं है। जो बलिका विद्यालय है। वहा भी पुरुष वर्ग का वर्चस्व बना हुआ है तमाम बालका विद्यालयों में महिलाओं की संख्या बढ़ नहीं पा रही है जिससे गर्वमेन्ट के अन्तर्गत आने वाले उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालयों में तो महिला आध्यापिकाओं की खासी कमी है। गवेषिका ने सर्वेक्षण के दौरान पाया कि कन्यापूर्व माध्यमिक विद्यालय में बलखण्डी नाका (छत्रसाल) में मात्र 3 अध्यापिकाएं है। तरण जैन धर्मशाला में मात्र 4 आध्यापिकाएं, उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय कटरा में, 6 जूनियर हाईस्कूल कन्या विद्यालय अलीगंज 6, जू०हा० स्कूल क्रमोन्तर खुटला में 5 अध्यापिकाएं है। जबकि नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की संख्या पर्याप्त है।

परन्तु अधिंकाश विद्यालयों में महिलाओं के साथ-साथ पुरुष अध्यापक भी कार्यरत है गैर सरकारी स्कूलों में गवेषिका ने सर्वेक्षण के दौरान पाया है कि एक भी स्कूल ऐसा नहीं है। जहां पूर्णतः महिला अध्यापिकाएं हो।

डा0 कृष्णा निगम (20 अगस्त 1999) ने जैसा कि स्पष्ट करते हुए कहा है कि जहां देश को समाजिक सुधार आन्दोलन की आवश्यकता है वही नारी जाति के समग्र उत्थान के लिये राजनीतिक स्वतन्त्रता, संरक्षण और सुनिश्चित अवसरो की आवश्यकता है स्पष्ट है कि यह अवसर पुरुष प्रधान समाज में जहा नारी उत्पीड़न और शोषण की अनवरत शिकार है ऐसे में महिलाओं एवं अध्यापिकाओं के विचारो को जानना आवश्यक ही नहीं जरुरी भी हो जाता है क्योंकि यह आने वाली बालिकाओं के भविष्य का कर्णधार है।

आज जब आधुनिकीकरण विश्व व्यापी घटना बन चुकी है ऐसी स्थिति में आधुनिकता की लहर का प्रभाव केवल महानगरों तक सीमित नहीं बल्कि नगरो, कस्बो, में भी राजनीति के प्रति महिलाओ में बढ़ती चेतना, सहभागिता और प्रभावकारिता इसके प्रभाव को सिद्ध करती है, कि उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायवती (2 जून 1995) ने अपने शासन काल मे स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलओं को आनुपतिक प्रतिनिधित्व दी है जिसमें परिणाम स्वरुप महिलाओं में राजनीति के प्रति चेतना बढी जिसके परिणाम स्वरुप सहभागिता मे वृद्धि हुई है। इस नियम का एक सुखद परिणाम बांदा नगर पालिका को भी प्राप्त हुआ यहां के नगर पालिका के अध्यक्ष पद को महिलाओं के लिये आरक्षित कर दिया गया और यहां के सुधा चौहान (अध्यक्ष 1995) और विभिन्न वार्डो मे अनेक महिला नगर पालिका में सभासद निर्चाचित हुई है। इसका प्रभाव वर्तमान मे अन्य महिलाओं पर भी दिखाई पड़ा रहा है। यह राजनीतिक प्रभावकारिता ही है कि बांदा के निम्न, मध्य एवं उच्च्य वर्ग की महिलाओं में राजनीतिक चेतना बढ़ती जा रही है। और वे दिन प्रतिदिन के राजनीतिक गतिविधियों में क्रमशः सक्रिय हो रही है।

यह न केवल बांदा की घटना है वरन ऐसे प्रभाव प्रदेश के अन्य स्थानो पर भी देखे जा सकते है। तात्पर्य यह है कि विगत कुछ वर्षो में महिलाओ में राजनीतिक चेतना, प्रभावकारिता एवं सक्रियता की मात्रा में वृद्धि हुई है किन्तु इस प्रकार की चेतना प्रभावकारिता, सहभागिता एवं सक्रियता में सभी स्थानो में एकरुपता नहीं दिखाई पड़ती यदि हम बांदा को ही ले तो बांदा के पडोसी जनपद शाहू जी महाराज नगर के अदिवासी कोल महिलाओं में (सुधा नाग 1989) राजनीतिक प्रभावकारिता एवं सक्रियता जितनी अधिक दिखलाई पड़ती है उतनी बांदा की महिलाओं में नहीं दिखाई पड़ती है। एक बात और विचारणीय है कि शाहू जी महाराज नगर की ये आदिवासी महिलाये दलित शोषित एवं निम्न वर्ग की होने के वावजूद इनमें अधिक सक्रियता दिखाई पड़ी। जवकि बांदा नगर की निम्न मध्यम एवं उच्च वर्गीय महिलाओं में ऐसी सक्रियता नहीं दिखाई पड़ती है। इससे यह प्रतीत होता है कि सभी स्थानो एवं वर्गो पर एक समान चेतना, प्रभावकारिता एवं सहभागिता नहीं दिखाई पड़ती है। आज आवश्यकता है कि उन सामाजिक कारको का पता लगाया जाय तो महिलाओं में राजनीतिक चेतना प्रभावकारिता एवं सहभागिता में वृद्धि करते है, अथवा इससे उदासीन रहते है।

वैसे राजनीतिक चेतना एवं सहभागिता संवधी अनेक अध्ययन हो चुके है किन्तु वर्तमान परिवेश में महिलाओ को जो राजनीतिक सुविधायें प्राप्त हुई है। उसके परिणाम स्वरुप उनमें जो सक्रियता आयी है उसका पर्याप्त अध्ययन अभी नहीं हुआ है। इस दृष्टि से महिलाओं में चेतना प्रभावकारिता एवं सक्रियता का अध्ययन आवश्यक है। राजनीतिक चेतना एवं सहभागिता के विषय में विदेशों के अतिरिक्त भारत में भी अनेक अध्ययन हुए। जिनमे से प्रमुख है। हरेन्द्र मोहन मिश्र (1983), रामवली सिंह (1983), जसवन्त नाग (1989) सुधा नाग (1989) आदि के अध्ययन ग्रामीण अंचलो से हुए। जबकि राजनीतिक सहभागिता पर जो अध्ययन हुए उनमे मैक्गलेक्सी, मिलब्राथ लेस्टर (1965), एम लाल गोयल (1974), कमलेश एंव धर्मवीर (1993) आदि के अध्ययन महत्त्वपूर्ण है।

राजनीतिक व्यवहार विशेष रुप से निर्वाचकीय प्रक्रिया एवं मतदान आचरण अनेक चरो द्वारा प्रभावित होता है। इन पूर्ववन्त चरको में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता प्रमुख है। वास्तव में जितने अध्ययन मतदान व्यवहार, निर्वाचकीय व्यवहार एवं जनमत पर किये गये है, शायद उतना अधिक ध्यान राजनीतिक प्रक्रिया के अन्य पहुलओं राजनीतिक विरसन एवं प्रभावकारिता पर नहीं हुये इसलिए राजनीतिक सक्रियता एवं सहभागिता एवं सहभागिता के परिणाम स्वरुप महिलाओ में जो उदासीनता बढ़ा रही है। उसका अध्ययन करना भी आवश्यक हो जाता है। अभी तक राजनीतिक विरसन के सम्बन्ध में जो अध्ययन प्रकाश में आये उनमें एरिकफ्राम (1973), मार बिन०बी० स्काट (1970), कैनीस्टोन कैनथ (1960), मूरे०बी लेबाइन (1960), एमसीमन (1961) आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण है।

एक ओर जहां राजनीतिक विरसन का अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत होता है वही राजनीतिक सक्रियता एवं सहभागिता के परिणाम स्वरुप महिलाओं में बढ़ती प्रभावकारिता का अध्ययन करना भी आवश्यक हो जाता है। भारत में जिन समाज वैज्ञानिको ने राजनीतिक प्रभावित पर राजनीतिक व्यवहार के चर के रुप में अपने अध्ययन प्रस्तुत किये उनमें योगेश अटल (1969), एस०पी० वर्मा (1973), एम०लाल गोयल (1972), बी०सी० मुथैया डी०एल० सेठ (1978), एस०के० गुप्ता (1975), धर्मवीर (1989), कमलेश महाजन (1980) आदि के अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

उपर्युक्त विद्वानों द्वारा जहां राजनीतिकरण के विभिन्न आयमों राजनीतिक विरसन प्रभावकारिता एवं सहभागिता का अलग अलग संप्रत्यय के रुप अध्ययन किया गया वहीं इन तीनों संप्रत्यय का सम्मलित अध्ययन विशेषकर महिलाओ के सन्दर्भ में अभी पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ। इसलिए इस पर प्रकाश डालने की अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है।

सम्बन्धित शोध अध्ययनों का पुनरावलोकन

प्रायः महिलाओं के सन्दर्भ में जो अध्ययन प्रकाश मे आये है उन्हे यादि हम विस्तार से देखे तो उन्हे कई भागो मे विभक्त कर सकते है और इस अध्ययन को भी अनेक श्रेणियों में विभक्त कर उनका मूल्यांकन कर सकते है यथा-

1. सामाजिक अन्याय एवं सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में महिलाओं सम्बन्धी अध्ययन-

जैसे- पर्दा, अशिक्षा, बहु पत्नी विवाह, बालविवाह, विधवा विवाह, प्रतिन्ध, देवदासी प्रथा दहेज हत्या, बलात्कार शरीरिक क्षति, महिलाओ के कुपोषण, सतीप्रथा, वेश्यावृत्ति आदि। इस प्रकार के अध्ययनों का क्रम राजाराम मोहन राय द्वारा रचित लेखो के बाद अद्यतन होता आ रहा है। इन्ही सब अध्ययनो के परिणाम स्वरुप भारत में अनेक महिला संगठनो का अम्मुदय हुआ तथा वे गतिशील हुई। जिसके परिणाम स्वरुप महिलाओं में स्व चेतना विकसित हुई और अपने अधिकारों के लिये आन्दोलन आदि हुये। इस प्रकार के कृत्यो का अध्ययन एम0ई0 कजिन (1923), (1941), एस0के0 नेहरु (1934), के0डी0 चटटोपाध्याय (1939), एन0ए0 देसाई (1957), ए0एस0 माथुर एवं बी0एल0 गुप्ता (1965), की वेश्यावृत्ति सम्बन्धी अध्ययन पी0 मेहता (1975) का चुनाव प्रचार एवं सामूहिक प्रभाव में महिलाओं की स्थिति अध्ययन एच0आर0 त्रिवेदी (1976), द्वारा अनुसूचित जाति के शोषण सम्बन्धित अध्ययन प्रमिला कपूर (1978), द्वारा कालगर्ल के जीवन शैली एवं व्यवसायिक व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन जे0सी0 दास एवं एम0के0 राहा द्वारा आदिवासी भोटिया महिलाओं के आर्थिक रुपान्तरण का अध्ययन एम0ए0 खान एवं नूर आयशा (1982) द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन तथा एन0ए0 देसाई एवं एम कृष्ण राज (1987) द्वारा भारतीय समाज में स्त्रियो की स्थिति सम्बन्धी इसी श्रेणी के अन्तर्गत रखे जा सकते है।

2. महिलाओं की बदलती हुई प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन-

प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन अनेक विद्वानों द्वारा किये गये है जिनमें से डी०एन० मित्तल (1913) द्वारा हिन्दु कानून में स्त्रियो की स्थिति, सीबादर (1925) ने अर्वाचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन किया। ए०एस० अल्टेकर (1938) ने हिन्दु सभ्यता में स्त्रियो की स्थिति का अध्ययन, एम०ए० इन्द्र (1940) ने सामान्य रुप से भारतीय समाज में स्त्रियो की स्थिति का अवलोकन किया है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने महिलाओं की, परिवर्तित होती हुई स्थतिका अध्ययन किया है जिसमें से नि० अप्या दुराई (1954) दक्षिण एशिया में महिलाओं की प्रस्थति का एस०श्री०देवी (1965) ने भारतीय महिलाओं के एक शतक में मदिरापान का अध्ययन किया है जबकि सी०ए० हाटे (1969) ने स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद महिलाओं में परिवर्तित प्रस्थिति का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त डी०जैन (1975), डिसूजा (1975), बेग (1976), खन्ना एवं वर्गिस (1976) ने इसी सन्दर्भ में अध्ययन किये है। एक विस्तृत रिपोर्ट महिलाओं के सम्बन्ध मे यूनेस्को ने (1985-86) के मध्य भारतीय महिलाओं के सम्मृख उत्पन्न होने वाली चुनौतियों एवं उनमें होने वाले परिवर्तनो का सफल अध्ययन एन०ए० देसाई एवं विभूति पटेल ने (1987) में प्रस्तुत किया है।

महिलाओ के जीवन से सम्बन्धित अन्य अध्ययन-

इस श्रेणी मे के०एम० कापड़िया (1958) द्वारा किया गया भारत में विवाह एवं परिवार, ए०डी० रोज (1961) द्वारा शहरी क्षेत्र में हिन्दु परिवारों का अध्ययन एम०एस० गौर (1986) द्वारा नगरीकरण एवं पारिवारिक परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन इस बात के साक्षी है कि परिवार विवाह जैसी संस्थाओ में स्त्रियों की क्या स्थिति रही है इसी प्रकार कार्यरत महिलाओ एवं उनके समायोजन से सम्बन्धित अध्ययन प्रमिला कपूर (1974) ने किया जिसमे महिलाओ की बदलती हुई प्रस्थिति की चर्चा की इसे आधार लेकर अन्य विद्वानो ने महिलाओ के आर्थिक प्रस्थिति को लेकर अध्ययन करवाए। पी०सेन गुप्ता (1960) ने भारत में कार्यरत

समस्त महिलाओं का सर्वेक्षण किया। इसके पूर्व पी0एम0 धारपूरे (1959) ने पूना में घरेलू सेवको के जीवन और श्रम से सम्बन्धित अपना अध्ययन अपने शोध प्रबन्ध मे प्रस्तुत किया है जबकि देविका जैन (1980) ने यह ··ाने का प्रयास कि भोजन कपड़ा और मकान के लिए अन्यात्र क्षेत्रों में संगठित होकर कार्यरत हुई। शिक्षा के प्रभाव तथा स्त्रियो की स्थिति पर तो शिक्षा सम्बन्धी अनेक कमीशनों ने अपनी आख्या प्रस्तुत की है। उनकी शिक्षा सम्वन्धी समस्याओ पर एम0बी0 बुच ने अध्ययन प्रस्तुत किया। विभिन्न कमीशन के सुझावो को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के शिक्षा में काफी सुधार किया गया। जिसकी चर्चा एन0बी0 सेन (1969) ने की है। महिलाओं के स्वास्थ्य विषयक समस्याओं का सफल अध्ययन पदमा प्रकाश (1986) ने किया है जहां तक महिलाओं की राजनीतिक प्रस्थिति एवं उनकी सहभागिता का प्रश्न है इस विषय पर एम0कौर (1968), के0 सिन्हा (1974), तथा बी0 मजूमदार (1979) ने अपने बौद्धिक कार्य प्रकाशित किये। इस तरह से महिलाओ के विकास के विभिन्न आयामों पर वैज्ञानिक दृष्टि ो अध्ययन प्रकाश में आ चुके है।

भारत में महिला आन्दोलनो से सम्बन्धित अध्ययन-

सरस्वती हैदर (1997) के अद्य प्रकाशित एक लेख से तो यह स्पष्ट होता है कि भारत में महिला आन्दोलनो को खोज जाय तो उसकी बहुत ही धुधली छाया नजर आयेगी। उनके दृष्टि में इस छाया को आन्दोलन नहीं कहा जा सकता फिर भी इस सम्बन्ध में जो कुछ समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अध्ययन हुए है उनकी संक्षिप्त चर्चा यहां आवश्यक है जैसे पी0 अस्थाना एवरेट (1979) ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में स्त्रियो की भूमिका, के0डी0 चटोपाध्याय (1983) का स्वतन्त्रता के लिये भारतीय महिलाओ का संघर्ष तथा कुमुद शर्मा (1984), नन्दिता गांधी (1986), विभूति पटेल (1986) का महिलाओं के संगठन एवं उनके आन्दोलनो से सम्बन्धित अध्ययन प्रकाशित हो चुके है। इन अध्ययनों को भी प्रायः दो भागो में बांटा जा सकता है। स्वतन्त्रता पूर्व की महिला आन्दोलन सम्वन्धी तथा स्वतन्त्रता के बाद के महिला आन्दोलन संबंधी अध्ययन कुछ महिलाओं के द्वारा किये गये

अध्ययन में महिलाओं के शोषण एवं उन पर होने वाले अन्याय के फलस्वरुप आन्दोलनरत होती हुई महिला संगठन की भूमिका का विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। सुधा नाग (1989) के अध्ययनो से अन्याय एवं शोषण के खिलाफ संगठित होती हुई महिलाओं के अध्ययन को चित्रित किया गया है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि सामान्य तौर पर महिलाओं से सम्बन्धित अनेक अध्ययन प्रकशित हो चुके है। लेकिन महिला अध्ययन से सम्बन्धित अध्ययन का एक पक्ष अभी भी प्रकाश में नहीं आ सका है। वह है शिक्षित अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन प्रभावकारिता एवं सहभागिता संबंधी अध्ययन प्रायः ये शिक्षिकाएं भी भावी राष्ट निर्माण का कर्णधार मानी जाती है। इसलिए इन शिक्षिकाओं में ही अगर राजनीतिक चेतना का अभाव सम्भव होगा। इस दृष्टि से इस क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

अध्ययन का महत्व-

अनुसंधानिक अध्ययन विषय वस्तु की बहुकोणीय एवं गहन अभिव्यक्ति है। इससे जहां स्वयं को सही नतीजे मिलते है वही आगामी सकारात्मक कदम उठाने में मार्गदर्शन होता है। महिलाओं पर राजनीतिक प्रभाव एव अलगाव के वर्तमान अध्ययन हेतु बांदा जैसे छोटे से नगर के बुद्धिजीवियो विशेषकर अध्यापिकाओं के साक्षाप्कार ने उनकी वास्तविक सोच का संज्ञान कराया है। जो इस दिशा में हमे आगे बढ़ने के लिये बहुत सहायक होगी। राजनीतिक चेतना की अभिवृद्धि तथा इससे मिलने वाले लाभ उनके सामाजिक स्तर को और अधिक सम्मानजनक बनाता है। ऐसे अध्ययन से लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में महिलाओं के प्रदत्त अधिकार उपभोग मे वृद्धि होती है। और विभिन्न समस्याओं का स्वतः निदान हो जाता है। फलस्वरुप खोजपरक अध्ययन की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक है। इससे महिलाओं सम्बन्धी प्रचालित कानूनों की उपयोगिता तथा उनमें परिवर्तन की दिशा पर प्रकाश पड़ सकता है। उनके पिछड़ेपन को दूर करने और उन्हें उत्पीड़न व शोषण से मुक्ति दिलाने की दिशा मे अग्रसर होने के अवसर प्राप्त होगे।

निःसंदेह यह अध्ययन महिलाओं में राजनैतिक गतिशीलता को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

जनतन्त्रात्मक राजनीतिक संस्कृति अपनाने वाले देशों में राजनीतिक चेतना का विशेष महत्व है। वर्तमान आधुनिक औद्योगिक समाज में जहां बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के कारण समाज जटिल होता जा रहा है। वही राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस आधुनिक औद्योगिक नगरो की अपेक्षा बांदा जैसे एक छोटे नगर क्षेत्र में अध्यापिकाओं पर अध्ययन के महत्व का आकलन करना आसान हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में जहां बांदा नगर क्षेत्र की अध्यापिकाओं के प्रमुख पक्षों पर रोशनी पड़ती है वहीं उनकी बढ़ती हुयी राजनीतिक चेतना एवं राजनीतिक व्यवहार के स्वरुप पर भी प्रकाश पड़ता है। वर्तमान अध्ययन बांदा नगर क्षेत्र में अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता के स्वरुप को सामाजिक संरचना के सन्दर्भ में विश्लेषित करना है। वैसे तो राजनीतिक व्यवहार के चर के रुप में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर जो अध्ययन हुए, अपेक्षाकृत कम है, लेकिन महिलाओं पर इस प्रकार के अध्ययन पर्याप्त नहीं हुए है। इस श्रृंखला में अध्यापिकाओं में बढ़ता राजनीतिक विरसन, राजनीतिक प्रभावकारिता एवं सहभागिता की प्रवृत्ति को जानना प्रस्तुत अध्ययन के महत्व को बढ़ाता है।

अध्ययन का उद्देश्य-

आधुनिकीकरण का सहउत्पाद औपचारिक एवं तटस्थ स्थापन का प्रभाव केवल आधुनिक एवं सम्पन्न देशों पर ही नही पड़ा है, वरन इससे पिछड़े एवं अल्प विकसित देश भी प्रभावित हुए है।

तीसरी दुनिया के देश भी इस रोग से मुक्त नहीं हुए है। अनौपचारिक सम्बन्धों की आत्मीयता, अपनापन धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। व्यक्ति उपभोक्ता बनकर रह गया है। उपभोगवादी प्रकृति जहां लालसा में वृद्धि करते है, वही उपलब्धियो का अभाव उसे तटस्थ

एवं उदासीन बनाता है आज कमोवेश भारत के सामान्य जन की स्थिति भी इसी प्रकार की दिखाई पड़ रही है। मर्टन के समयोजन की अवधारणा को दृष्टि में रखते हुए ध्यान दे तो स्पष्ट होता है कि संस्कृति द्वारा परिभाषित लक्ष्यों का सीमित होना साथ ही संस्थागत साधन का अनुपलब्ध होना आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जिसके परिणाम स्वरुप अलगाव एवं उदासीनता में वृद्धि हो रही है।

ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश में जहां एक ओर लक्ष्य और साधन प्राप्त करने की होड मची हुई है, वही दूसरी ओर न प्राप्त होने की स्थिति में अलगाव एवं विरसन भी उत्पन्न हो रहा है। आज की प्रकृति यह है कि हम सभी उपलब्धियां प्रायः राजनीतिक सम्बन्ध के आधार पर प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे है, चाहे वे लक्ष्य हो या साधन। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर राजनीतिक चेतना एव सहभागिता में वृद्धि हो रही है, जहां राजनीतिक प्रभावकारिता का महत्व बढ़ता जा रहा है, वही दूसरी ओर उपलब्धि के आभाव में व्यक्ति राजनीतिक विरसन का शिकार भी हो रहा है। यह स्थिति वर्तमान भारत में सभी वर्गो की है। इससे अध्यापक एवं अध्यापिका भी अछूते नहीं है। अतः आज राजनीतिक चेतना, सहभागिता, प्रभावकारिता एवं विरसन जैसे तथ्य अध्ययन के प्रमुख आधार बनते जा रहे है। इन तथ्यो का अनुभावित विश्लेषण करने की दृष्टि से यहा बांदा नगर की अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता का अध्ययन किया जा रहा है।

यह आवश्यक रुप से प्रतीत होता है कि सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आज आवश्यक हो गयी है। वरन विश्व के जनतांत्रिक मूल्यों की मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति सजग रहे। हम इसमे एक उदेश्य की पूर्ति के लिये किसी विषय पर सार्थक प्रयास कर रहे है। इस दृष्टि से प्रस्तावित अध्ययन सामाजिक तथ्य है, जिसमे शोध का अनुगमन किया है। भारत जैसे जनतांत्रिक देश में जहां संवैधानिक रुप से महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्रदत्त है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान विषय के अन्तर्गत यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि शिक्षित महिलाए विशेषकर जो इण्टर

कालेज और उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे अध्यापन का कार्य कर रही है। वे कितनी राजनैतिक दृष्टि से सजग या विरक्त है। और ऐसी स्थिति में उन पर क्या प्रभाव परिलक्षित है। इसी उद्देश्य से नगर के सभी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं से एक सामान्य प्रश्नावली द्वारा जानकारी एकत्रित की गयी। प्राप्त उत्तरो से विभिन्न जाति, आयु शिक्षा, आय, परिवार का स्वरुप, धर्म के सम्बन्ध में अध्यापिकओं से उनके भिन्न-भिन्न विचार मालुम हुये। जिनकी निरपेक्ष विवेचना इस शोध ग्रन्थ में व्यक्त की गयी है।

इण्टर कालेज स्तर एवं जू०हा० स्कूल स्तर की अध्यापिकाओं का पारिवारिक सामाजिक जीवन कैसा है वे अपने शैक्षिक दायित्वो का कहां तक निर्वाह कर रही है। उनके विचार में महिलाओं की वर्तमान स्थिति तथा पिछड़े होने के कारण तथा सुधार के क्या उपाय है, भी प्रकाश में लाने हेतु समग्र अध्ययन किया गया है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न, शोषण, समान नागरिक आरक्षण एवं कानून व दहेज निरोधक कानून, मताधिकार, महिला प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उनकी क्या सोच है, की जानकारी देना भी 'शोध ग्रन्थ' का प्रयास है। अध्यापिकाओं की समास्यओं तथा उनके निदान में राजनीतिक दल कहां तक सहायक है और अध्यापकीय क्रिया-कलापो मे किसी प्रकार और क्यो सहभागी होने की भूमिका निभाती है। इस चेतना को उजागर करने का भी यह एक लधु प्रयास है। उदेदश्य को स्पष्ट करने के पश्चात यहां यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम अनुसंधान के विषय में विस्तार से जान लें।

राजनीतिक उपलब्धियों से प्रभावित ये अध्यापिकाएं किसी प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों के प्रति सचेत होते हुए सक्रिय हो रही है। इसे जानना अध्ययन का उद्देश्य है। नियुक्ति पदोन्नति, स्थान्तरण जैसी प्रक्रियाओ में राजनीति का बढ़ता प्रभाव उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर जिन अध्यापिकाओं के सम्पर्क एवं प्रभाव राजनीतिक दलो से नहीं है, वहा वे उससे उदासीन दिखाई पड़ती है। किन्तु वे राजनीतिक प्रभावकारिता के महत्व को जानती है। अपने सीमित संसाधनो एवं परिस्थितियो के कारण सक्रिय एवं

सहभागी नहीं हो पाती। अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह है कि किन परिस्थितियों, उपलब्धियों एवं राजनीतिक परिद्रश्यो मे अध्यापिकाएं राजनीति के प्रति सचेत होती है। किस प्रकार राजनीति, प्रभावकारिता से परिचित होते हुए राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होती है अथवा अपने सीमित संसाधनों एव अन्य अभावों के कारण राजनीतिक गतिविधियो से उदासीन या विरसित होती है। इस शोध की उपर्युक्त दिशाओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर अध्ययन के उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार है :-

1. शिक्षित एवं अधिक शिक्षित अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर शिक्षा का प्रभाव ज्ञात करना।
2. पारिवारिक सम्पर्क एवं सरंचना का अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर प्रभाव जानना इस अध्ययन का उद्देश्य है।
3. धर्म एवं जाति का प्रभाव अध्यापिकाओं की राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सक्रिय सहभागिता को बढ़ाने में कहा तक सहायक है यह जानना अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।
4. अध्यापिकाओं की आर्थिक स्थिति एवं पारिवरिक व्यवसायों का राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर प्रभाव जानना अध्ययन का उद्देश्य है।

समस्या कथन-

किसी भी शोध कार्य के लिए कार्य का प्रस्तुतीकरण महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका अर्थ केवल शोध कार्य के शीर्षक का उल्लेख मात्र ही नहीं है, अपितु इससे सम्पूर्ण शोध कार्य का एक कल्पनात्मक चित्र मस्तिष्क में बन जाता है।

अतः इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने निम्नलिखित समस्या का चयन किया है।

शोध का विषय- 'विद्यालयीय अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन प्रभावकारिता एवं सहभागिता का अध्ययन'।

समस्या का परिसीमन-

किसी भी शोध कार्य को समय-काल एवं शोधार्थी की कार्य करने की क्षमता को देखते हुए इसका परिसीमन करना आवश्यक होता है। क्योंकि शोध का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। समय एवं साधनो के कारण समस्या के अध्यनार्थ निम्नांकित परिसीमाओं को ध्यान में रखा गया है।

भौगोलिक परिसीमन-

भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद बांदा से सम्बन्धित है बांदा जनपद में बांदा नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समास्त शिक्षण संस्थाओ मे जू0हाई0स्कूल, हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज मे कार्यरत अध्यापिकाओं तक सीमित किया गया है।

विषय की दृष्टि से-

विद्यालयीय अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन प्रभावकारिता एवं सहभागिता का अध्ययन जू0 हाई स्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज में कार्यरत महिला अध्यापिकाओं में से ऐसे विद्यालय जिनमें राजकीय, गैर राजकीय एवं निजी तथा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाए है जिन्हे राज्य सरकार या नगर पालिका द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

न्यादर्श-

1. बांदा जिले के 3 सरकारी गैर सरकारी इण्टरमीडिएट कालेज
2. बांदा जिले के 1 गैर सरकारी नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल
3. बांदा जिले के 33 सरकारी गैर सरकारी जूनियर हाईस्कूल

इस प्रकार अध्ययन में 3 इण्टरमीडिएट विद्यालय, 1 हाईस्कूल, 33 जूनियर हाईस्कूल शिक्षा संस्थान न्यादर्श मे लिये गये है। सरकारी, गैर सरकारी सभी स्कूलों एवं विद्यालयों की संख्या 38 है। और इनमे कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है। इण्टरमीडिएट में कार्यरत

अध्यापिकाओं की संख्या 100 है हाई‌ ‌न में 10 अध्यापिकायें कार्यरत है जू0हा0 स्कूल में 140 अध्यापिकायें कार्यरत है।

5. राजनीतिक दलो के बढ़ते हुए प्रभाव से अध्यापिकाओं की राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता प्रभावित होती है, यह जानना प्रस्तुत अध्ययन का एक उद्देश्य है।

6. संचार यातायात एवं सम्पर्क का प्रभाव अध्यापिकाओं की राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर पड़ता है। यह जानना अध्ययन का उदेश्य है।

7. आयु का प्रभाव शिक्षित महिलाओं की राजनीति में सक्रिय सहभागिता को बढ़ाता है। यह जानना भी अध्ययन का एक प्रमुख उदेश्य है।

उपकल्पना-

1. आयु का प्रभाव अध्यापिकाओं की राजनीतिक चेतना पर पड़ता है।
2. धर्म एवं जाति का प्रभाव अध्यापिकाओं की राजनीतिक सहभागिता पर पड़ता है।
3. अध्यापिकाओ की आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक व्यवसायो का प्रभाव राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर पड़ता है।
4. यातायात संचार एवं सम्पर्क का प्रभाव अध्यापिकाओं की राजनीतिक चेतना प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर पड़ता है।
5. विभिन्न राजनीतिक दलो से सम्पर्क का अभाव अध्यापिकाओ में राजनीतिक विरसन उत्पन्न करता है।
6. पारिवारिक एवं अन्य सामाजिक स्थितियां अध्यापिकाओ के विरसन एवं प्रभावकारिता को प्रभावकारिता को प्रभावित करती है।
7. अध्यापिकओं में विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता शैक्षिक स्तर से प्रभावित होती है।

8. अध्यापिकाओं की नौकरी के स्थायी एवं अस्थायी होने के प्रभाव उनके विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर पड़ता है।

अध्ययन पद्वति-

प्रस्तुत अध्यन बांदा जनपद के बांदा नगर पालिका के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ में कार्यरत अध्यापिकाओं में निरीक्षण पद्धति के अन्तर्गत अर्ध सहभागी अवलोकन विधि एवं साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से उक्त विषय में जानकारी प्राप्त की जायेगी। साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त आकड़ो का सांख्यकि निर्वचन कर अन्र्त सम्बन्धात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। साक्षात्कार अनुसूचीस की रचना इस प्रकार से की जायेगी जिससे हमारी उपरोक्त उपकल्पनाओ की भलीभांति जांच हो सके। विभिन्न तथ्यो, सूचनाओ एवं आकडो के एकत्रित करने के लिए दैतीयक स्त्रोत के रुप में रिकार्ड, पुस्तके, विशिष्ट कमेटियो की रिपोर्ट, समाचार पत्र व पत्रिकाओ में प्रकाशित सूचनाओ आदि को अपने अध्ययन में सम्मलित किया जायेगा। प्रस्तुत अध्ययन जनगणना पद्धति पर आधारित होगी। इसके अन्तर्गत इस क्षेत्र की समस्त अध्यापिकाओ को इसमे सम्मलित किया जायेगा।

अध्ययन के उक्त बांदा जनपद के मुख्यालय में बांदा नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त ऐसी शिक्षण संस्थाओं में, जिसमे महिला अध्यापिकाएं है। उन सब अध्यापिकाओ में राजनीतिक विरसन प्रभावकारिता एवं सहभागिता जानने का प्रयास किया जायेगा। ज्ञातव्य है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर बांदा नगर पालिका क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। इस सब संस्थाओं में कार्यरत महिलाएं रही है। इन्हे हमने उत्तरदाता के रुप में रखा और प्रस्तुत अध्ययन में हमने बांदा नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अध्यापिकाओ को उत्तरदात्री के रुप में चुना है। यहां के सभी बालिका इण्टर कालेजो एवं उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालयों में प्रायः सभी शिक्षिकाए ही है। लेकिन नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय है। उनमे शिक्षिकाएं ही नहीं, शिक्षक भी पढ़ाते है।

ऐसे में अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान न रखते हुए मात्र अध्यापिकाओं को उत्तरदात्री के रुप में चुना जायेगा। जिनकी संख्या 250 है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश । ।क्षिणाचंल में अवस्थिति बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद बांदा से सम्बन्धित है। 1991 की जनगणना के अनुसार बांदा की जनसंख्या 18,51,014 है। उत्तर प्रदेश के इसी बांदा जनपद के बांदा नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त शिक्षण संस्थाओं जितनी महिला अध्यापिकाएं है उन सब में जितनी महिला अध्यापिकाएं है उन सब में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता जानने का प्रयास किया जयेगा।

ज्ञातव्य है कि शिक्षा विभाग द्वारा 1997-98 के प्रदत्त सूचनाओ के आधार पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। बांदा नगर क्षेत्र में कुल या इण्टर कालेज है जिनसे 3 बालिका इण्टर कालेज एक चन्दा देवी ओमर वैश्य इण्टर कालेज है। जिनमे बालक एवं बालिकाएं साथ साथ पढ़ते है। चार बालिका इण्टर कालेजो में एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज पद्माकर चौराहा छावनी रोड पर स्थित है, शासन से मान्यता प्राप्त बालिका इण्टर कालेज में से दूसरा एक धनी आबादी के बीच ठठराही छोटी बाजार मार्ग पर भगवती प्रसाद ओमर बालिका इण्टर कालेज तथा तीसरा कचेहरी रेलवे क्रासिंग के सन्निकट आर्य कन्या बालिका इण्टर कालेज स्थित है। नगर पालिका इण्टर कालेज जामा मस्जिद के सामने अलीगंज में स्थित है। जिसमे हाईस्कूल स्तर तक की बालिकाओ को शिक्षा अभी दी जाती है। बांदा नगर की आबादी एक लाख से कुछ अधिक है जिनमे से बीस वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की संख्या लगभग 25 हजार है इन्हे शिक्षित करने का दायित्व तीन बालिका इण्टर कालेज (राजकीय, भगवती प्रसाद ओमर, आर्यकन्या) के अतिरिक्त नगर पालिका द्वारा सहायता प्राप्त नगर पालिका इण्टर कालेज और चन्दा देवी ओमर वैश्य इण्टर कालेज तथा प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल भी है। जो इस दिशा में अपना योगदान दे रहे है।

नगर पलिका द्वारा मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलो की संख्या 28 है जिनमे आदर्श ज्ञान भारती (अलींगज), स्व० जी०डी०एस० (काली देवी मन्दिर के पास प्राइवेट बस स्टैण्ड), आर०के०एस० (खूटी चौराहा अलीगंज), बाल भारती, हस्तकला विद्यालय, न्यू हैप्पी जू०हा०स्कूल (शुतुरखाना), प्रगति भारती (खाईपार), इण्डियन कान्वेन्ट (परशुराम तालाब), एस०एम० माण्टेसरी (कालूकुआं, भगत होटल के बगल में कुलिया में), आर०बी०एस० (सर्वोदय नगर), सहकारी शिक्षा निकेतन (डी०सी०एफ० के बगल में), डायमण्ड जुबली, नेशनल कान्वेन्ट, मदर टेरेसा (मर्दन नाका), पी०पी०एस० कान्वेन्ट (छावनी), आदर्श शिक्षा निकेतन (स्टेशन रोड), एच०एस०एन० शिक्षा निकेतन (पद्माकर चौराहा), नेहरु बाल विद्या मन्दिर (सिंह वाहिनी मन्दिर के गेट के सामने कटरा), रोजमेरी कान्वेन्ट (कटरा किरन कालेज चौराहा), सरस्वती विद्या मन्दिर (क्योटरा केन पथ मार्ग), किरन मान्टेसरी (स्वराज्य कालोनी), के०डी० मान्टेसरी विद्यालय (जेल रोड मे), स्वराज्य शिक्षा सदन (जेल से आगे), डा० लोहिया विद्या मंदिर (खुटला राजघाट रोड), तारण तरण जैन धर्म (छोटी बाजार), चन्दा शिशु शिक्षा सदन (अयोध्यावासी मन्दिर के पीछे), शिशु शिक्षा निकेतन (खिन्नीनाका), आर०डी०एस० (मनोहरी गंज), आदि जू०हा० स्कूल नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त है। जिनमे कार्यरत शिक्षिकाओं की संख्या 140 है।

शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों की संख्या 5 है जिनमे उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय (अलीगंज), जू०हा० स्कूल [illegible] (गूलर नाका), कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय बलखण्डी नाका बांदा (छत्रसाल स्टेशन के पास), उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय (कटरा), जू०हा० स्कूल क्रमोत्तर (खुटला), आदि स्कूलो में कार्यरत शिक्षिकाओं की संख्या 5 है। इस प्रकार इन सभी 33 विद्यालयो में कार्यरत शिक्षिकाओ की संख्या 100 है। इन शिक्षिकाओ को ही हम उत्तरदात्री के रुप में रखेगे और इनमे ही राजनीतिक विरसन प्रभावकारिता एवं सहभागिता का अध्ययन करने का अभीष्ट है।

खण्ड-दो

उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारियां

सा॰ ।। संख्या 2.1

विद्यालय	आयु गत विवरण								योग
	20-30		30-40		40-50		50-60		
	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	
इण्टरमीडिएट	33	33	23	23	27	27	17	17	100
हाईस्कूल	2	20	7	70	1	10			10
जू०हा० स्कूल	68	48.5	16	11.4	20	14.2	36	25.7	140
योग	103	41.2	46	18.4	48	19.2	53	21.2	250

प्रस्तुत सारिणी 2.1 तीन स्तर के विद्यालयों (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल और जू०हा० स्कूल) की अध्यापिकाओं की राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता और सहभागिता सम्वन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिये इन सभी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं को आयु के आधार पर चार भागो में विभक्त किया गया है। प्रथम आयु वर्ग में 20-30 आयु वर्ग की महिलाओं को सम्मलित किया गया है। इस आयु वर्ग की महिलाएं सबसे अधिक सचेत, जागरुक, कार्यशील और कार्यक्षम होती है द्वितीय आयु वर्ग में उन महिलाओ को सम्मलित किया गया है जिनकी आयु 30-40 है और जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात् अपने कर्तव्यो को पूरा करने में अधिक समय देने के कारण ये उतनी जागरुक नहीं होती जितनी प्रथम आयु वर्ग की। तृतीय आयु में वर्ग में उन उत्तरदात्रियों को सम्मलित किया गया है जिसकी आयु 40-50 है चतुर्थ आयु वर्ग में जिन उत्तरदात्रियो को रखा गया है वे उत्तरदात्रियां या अध्यापिकाएं अपनी जिन्दगी का आधा से अधिक समय बिता चुकी होती है। अर्थात् 50-60 के बीच आयु हो जाने पर शायद ही किसी अध्यापिका के अन्दर कुछ कार्य करने की इच्छा शेष रहती हो। इस अवास्था में आते आते अध्यापिकाएं पूरी तरह से थक चुकी होती है क्योंकि अध्यापिकाओं का जीवन प्रारम्भ से ही संघर्षमय जीवन होता है।

विद्यालयीय अध्यापिकाओं में ।नीतिक विरस।, प्रभावकारिता एवं सहभागिता के बारे मे यथासम्भव वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये बांदा नगर क्षेत्र के तीनो स्तर के विद्यालयों (इण्टर मीडिएट, हाईस्कूल और जू0हा0 स्कूल) की अध्यापिकाओं को उत्तरदात्री के रुप में चुना गया है। इन सभी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की कुल संख्या 250 है।

इस प्रकार जब हम अलग अलग विद्यालयों की अध्यापिकाओं की आयु के आधार पर जानकारी प्राप्त करते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट विद्यालयों की 100 अध्यापिकाओं में 20-30 आयु वर्ग की 33 (33 प्रतिशत), 30-40 आयु वर्ग 23 (23 प्रतिशत), 40-50 आयु वर्ग की 27 (27 प्रतिशत), 50-60 आयु वर्ग की 17 (17 प्रतिशत) सबसे कम है। इसी प्रकार हाईस्कूल विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमे 20-30 आयु वर्ग की 2 (20 प्रतिशत), 30-40 आयु वर्ग की 7 (70 प्रतिशत), 40-50 आयु वर्ग की 1 (10 प्रतिशत), 50-60 आयु वर्ग की एक भी अध्यापिकायें नहीं है। नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त सभी जू0हा0 स्कूल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमें 20-30 आयु वर्ग की 68 (48.5 प्रतिशत) सबसे अधिक है 30-40 आयु वर्ग की 16 (11.4 प्रतिशत) सबसे कम, 40-50 आयु की 20 (14.2) प्रतिशत 50-60 आयु वर्ग की 36 (25.7 प्रतिशत) अध्यापिकायें है।

उपरोक्त सारिणी का विवरण करने के पश्चात् ज्ञात होता है कि समस्त तीनों स्तर के विद्यालयों की 250 अध्यापिकाओं में विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर जिन अध्यापिकाओं को उत्तरदात्री के रुप में चुना गया उ· 20-30 आयु वर्ग 103 (41.2 प्रतिशत) सर्वधिक अध्यापिकाएं है। 30-40 आयु वर्ग 46 (18.4 प्रतिशत) सबसे कम है। 40-50 आयु वर्ग की 48 (19.2 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का स्थान तीसरा है और दूसरे स्थान पर 50-60 आयुवर्ग की 53 (21.2 प्रतिशत) अध्यापिकायें है।

जातिगत विवरण
सारणी सं० 2.2

जातिगत विवरण							
विद्यालय	सामान्य		पिछड़ा		अनु०जाति		योग
	सं०	प्र०	सं०	प्र०	सं०	प्र०	
इण्टरमीडिएट	78	78	12	12	10	10	100
हाईस्कूल	6	60	1	12	3	30	10
जू०हा० स्कूल	84	60	16	11.4	40	28.5	140
योग	168	67.2	29	11.6	53	21.2	250

भारत में व्यवसाय, जन्म, आयु, गुण, स्वाभाव और प्रजातीय भिन्नता के आधार पर जिस सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण हुआ वह आरम्भ में वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवार के संस्तरण के रुप में था लेकिन कालान्तर मे जातियों के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हो जाने से विभिन्न जातियों द्वारा बनने वाले सामाजिक स्तरीकरण का जन्म हुआ। इसके अन्तर्गत विभिन्न समूहों की स्थिति जन्म अथवा स्वाभाव से निर्धारित न होकर उनके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन ग्रामीण समाजों में जातिगत स्तरीकरण का महत्व आज भी कम नहीं हुआ जिसका एक मात्र आधार व्यक्ति का जन्म अथवा आनुवांशिकता है।

प्रस्तुत सारिणी मे गवेषिका ने तीनों स्तर के विद्यालयों (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जू०हाईस्कूल) की अध्यापिकाओं को जाति के आधार पर तीन वर्गो में विभाजित किया है। सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनु०जाति। इस सारिणी का जब हम विद्यालयों के आधार पर सभी स्तर की अध्यापिकओं का क्रमवार विवरण प्रस्तुत करते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट की 100 अध्यापिकाओं में 78 (78 प्रतिशत) अध्यापिकाएं उच्च्य जाति अर्थात् सामान्य वर्ग की है। पिछड़ी जाति की 12 (12 प्रतिशत) अध्यापिकाएं कार्यरत है। निम्न जाति अर्थात् अनुसूचित जाति, जिनकी समाज में स्थिति अत्यधिक कमजोर है ऐसी 10 अध्यापिकाएं

इण्टरमीडिएट कालेज में कार्यरत है जिनकी संख्या अन्य जाति अर्थात् सामान्य और पिछड़ी जाति की अपेक्षा सबसे कम है।

इसी प्रकार हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है। जिनमे उच्च जाति अर्थात् सामान्य वर्ग की 6 (60 प्रतिशत), अध्यापिकाएं कार्यरत है। पिछड़ी जाति की 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकाएं विद्यालय में कार्य कर रही है। अनुसूचित जाति की 3 (30 प्रतिशत) अध्यापिकाएं कार्य कर रही है। इस प्रकार हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं में सामान्य जाति की अध्यापिकाओं की संख्या सबसे अधिक है।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल अर्थात् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमें सामान्य वर्ग अर्थात् संभ्रात वर्ग की अध्यापिकायें 84 (60 प्रतिशत) है। पिछडे वर्ग अर्थात् मध्यम वर्ग जिनकी स्थिति समाज में अच्छी नहीं होती ऐसी अध्यापिकाओं की संख्या 16 (11.4 प्रतिशत) है। अनु0 जाति की 40 (28.5 प्रतिशत) अध्यापिकाएं कार्यरत है। इस प्रकार जू0हा0 स्कूल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं में सरकारी, गैर सरकारी जिनमे नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय शामिल है। ऐसे विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं में सामान्य वर्ग की अध यापिकओं की संख्या सबसे अधिक है आज समाज में ज्यादातर पढ़ी लिखी लडकियां, जिन्हे कोई रोजगार न मिलने के कारण ऐसे गैर सरकारी जू0हा0 स्कूलों मे अध्यापिका के रुप में कार्य करने लगती है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण-करने से ज्ञात होता है कि समस्त विद्यालयों (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल) में कार्यरत अध्यापिकाओं में सामान्य वर्ग की अध्यापिकाओं की संख्या 168 (67.2 प्रतिशत) सबसे अधिक है। क्योंकि सामान्य वर्ग में लोगों में यह धारणा व्याप्त है कि महिलाओं के लिए अध्यापिकाओं का कार्य सबसे अच्छा है। इसलिए अधिकांशतया पढ़ी-लिखी लड़कियाँ किसी अन्य कार्य की अपेक्षा अध्यापिका का कार्य करने

लगती है। पिछड़ी जाति की अध्यापिकाओं की संख्या सबसे कम 29 (11.6 प्रतिशत) अध्यापिकाएं है। क्योंकि ऐसी जाति में कम आयु में लड़कियों की शादी हो जाती है और ऐसे वर्ग की लड़कियां या महिलायें जो पढ़ी लिखी है वे अध्यापिका की अपेक्षा अन्य कार्य अर्थात् अपना स्वयं का रोजगार करके अच्छी कमाई कर लेती है। इसलिए इनकी संख्या कम है। अनु0जाति की अध्यापिकाओं की संख्या सामान्य वर्ग से कम और पिछड़ी जाति से अधिक 53 (21.2 प्रतिशत) है। गवेषिका ने सर्वेक्षण के दौरान पाया कि अनु0 जाति में मुस्लिम वर्ग की ज्यादातर महिलायें अध्यापिका के रुप में कार्य कर रही है।

शिक्षागत विवरण
सारणी सं0 2.3

विद्यालय	हाईस्कूल		इण्टरमीडिएट		स्नातक		परास्नातक		तकनीकी		पी0एच0डी0		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टर मीडिएट	–	–	–	–	15	15	76	76	6	6	3	3	100
हाईस्कूल	–	–	–	–	1	10	8	80	–	–	1	10	10
जू0हा0 स्कूल	20	14.2	24	17.1	76	54.2	19.	13.5	–	–	1	07	140
योग	20	8	24	96	92	36.8	103.	41.2	6	2.4	5	2	250

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे समाज के सदस्यो की जानकारी के स्तरों एवं कौशल में सतत सुधार सुनिश्चित होता है, किन्तु इसके साथ ही इसके माध्यम से वैयक्तिक विकास होता है तथा व्यक्तियों, समूहों तथा राष्ट्रो के मध्य नवीन सम्वन्ध कायम किये जाते है। इस प्रकार व्यक्ति एवं समाज की जीवन शैली उसकी अभिव्यक्ति, उसके आग्रह संस्कार एवं मूल्यों के निर्माण में शिक्षा एवं शिक्षा प्रक्रिया की अहम भूमिका होती है।

विद्यालयीय अध्यापिकाओं में सामाजिक चेतना के तीव्र प्रभाव को जानने तथा तीनो स्तर के (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल और जू0हा0 स्कूल) के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं में तुलनात्मक अध्ययन हेतु सभी अध्यापिकाओं की शिक्षा सम्वन्धी जानकारी प्राप्त की गई है। इस सम्बन्ध मे जो विवरण प्राप्त हुए है उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी विद्यालयो मे कार्यरत समस्त अध्यापिकाओं की संख्या 250 है जिनमे हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या 20 (8 प्रतिशत) है ये सभी अध्यापिकाएं केवल जू0हा0 स्कूल मे ही कार्यरत है न कि इण्टरमीडिएट व हाईस्कूल में। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या 24 (9.6 प्रतिशत) है ये सभी अध्यापिकाएं भी जू0हा0 स्कूल मे ही कार्यरत है न कि इण्टरमीडिएट व हाईस्कूल विद्यालयों में कार्यरत। स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या 92 (36.8 प्रतिशत) है इस स्तर तक शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाएं तीनों स्तर के विद्यालयों में कार्यरत है इसी प्रकार परास्नातक तक शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं

की संख्या सबसे अधिक 103 (41.2 प्रतिशत) है। इस स्तर तक शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाएं भी तीनों स्तर के विद्यालयो में कार्यरत है। तकनीकी स्तर तक शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या 6 (2.4 प्रतिशत) है। इस प्रकार तकनीकी शिक्षा प्राप्त अध्यापिकायें केवल इण्टरमीडिएट विद्यालयों में कार्यरत पायी गई। पी0एच0डी0 स्तर तक शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या सभी विद्यालयों में कम, 5 (2 प्रतिशत) है।

स्त्री शिक्षा का बढ़ता प्रभाव उससे स्त्रियो के होने वाले सम्मान एवं सुख में वृद्धि क्या शिक्षित महिलाओं को प्रभावित कर पाया है, क्या स्त्रियों के सम्मान, स्वतन्त्रता का सम्वन्ध शिक्षा से प्रत्यक्षतः है इसकी जानकारी शिक्षित महिलाओं को है, यह जानकारी सामाजिक चेतना का घोतक हो सकता है। इस दृष्टि से सन्दर्भित शिक्षित उत्तरदात्रियों से शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की गयी। प्रस्तुत सारिणी का क्रमवार विवरण प्रस्तुत करने से स्पष्ट होता है कि इण्टरमीडिएट कालेज की 100 अध्यापिकाओं में 15 (15 प्रतिशत) तक स्नातक स्तर की अध्यापिकायें कार्यरत है। परास्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या 76 (76 प्रतिशत) सबसे अधिक है तकनीकी शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या 6 (6 प्रतिशत) केवल इण्टरमीडिएट कालेज में ही है। पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या काफी कम 3 (3 प्रतिशत) है।

हाईस्कूल में कार्यरत 10 अध्यापिकाओ में 1 (10 प्रतिशत) स्नातक स्तर की अध्यापिका है। 8 (80 प्रतिशत) अध्यापिकाएं परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या नगन्य है। पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या 1 (10 प्रतिशत) कम है।

इसी प्रकार जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमे हाईस्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकायें 20 (14.2 प्रतिशत) है। इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकायें 76 (54.2 प्रतिशत) है। परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकायें 19 (13.5 प्रतिशत) है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या बिल्कुल

नहीं है। पी०एच०डी० शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या 1 (0.7 प्रतिशत) बहुत कम है। जूनियर हाईस्कूल में पी०एच०डी० शिक्षा प्राप्त शिक्षिका स्वयं अपना विद्यालय चला रही है।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि समस्त विद्यालयों में परास्नातक तक शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या सबसे अधिक है। हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाएं केवल जू०हा०स्कूल में ही पायी गयी है जिनमें सें कुछ सरकारी बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त है और कुछ अध्यापिकाएं गैर सरकारी स्कूलों में कार्यरत है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त अध्यापिकायें केवल इण्टरमीडिएट स्कूलों में ही पायी गयी जबकि पी०एच०डी० शिक्षा प्राप्त अध्यापिकायें सभी स्तर के विद्यालयों में कार्यरत है परन्तु इनकी संख्या सबसे कम है।

परिवार की सदस्य संख्या विवरण
सारिणी नं0 2.4

परिवार की सदस्य संख्या का विवरण							
विद्यालय	1- 4		5- 6		6 से अधिक		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टरमीडिएट	35	35	30	30	35	35	100
हाईस्कूल	2	20	3	30	5	50	10
जू0हा0 स्कूल	32	22.8	56	40	52	37.1	140
योग	69	27.6	89	35.6	92	36.6	250

प्रस्तुत सारिणी में समस्त विद्यालयो (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जू0हा0स्कूल) में कार्यरत अध्यापिकाओं की परिवार के सदस्य संख्या सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत सारिणी को हमने सदस्य संख्या के आधार पर तीन भागो में विभक्त किया गया है। प्रथम 1-4 सदस्य संख्या वाले परिवार, दूसरा वे परिवार जिनमे सदस्यों की संख्या 6 तक रखी गई है। तीसरी श्रेणी के परिवार जिनमे पति-पत्नी व बच्चो के अलावा और सदस्य भी सम्मलित हो सकते है।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम विद्यालय स्तर के आधार पर देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट कालेज में कार्यरत 100 अध्यापिकाओं में 1-4 तक भी सदस्य संख्या वाले परिवार की अध्यापिकाओं की संख्या 35 (35 प्रतिशत) है। 5-6 सदस्य संख्या वाले परिवार की अध्यापिकाये 30 (30 प्रतिशत) है। 6 से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवार की अध्यापिकायें 35 (35 प्रतिशत) है।

इसी प्रकार प्रकार हाईस्कूल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमे 1-4 तक की सदस्य संख्या रखने वाले परिवार की अध्यापिकाओं की संख्या 2 (20 प्रतिशत) है। 5-6 तक जिन परिवार के सदस्यो की संख्या है उन अध्यापिकाओं की

संख्या 3 (30 प्रतिशत) है। 6 से अधिक की संख्या वाले अध्यापिकाओं के परिवार की संख्या 5 (50 प्रतिशत) है।

इसी प्रकार जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है जिनमे 32 (22.8 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसी है जिनके परिवार के सदस्यों की सदस्य संख्या 1-4 है। 5-6 सदस्य संख्या वाले परिवार की अध्यापिकाओं की संख्या 56 (40 प्रतिशत) है। 6 से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवार की अध्यापिकायें 52 (37.1 प्रतिशत) है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि सभी स्तर के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है जिनमे 1-4 तक की सदस्य संख्या वाले अध्यापिकाओं के परिवार 69 (27.6 प्रतिशत) सबसे कम है। 5-6 तक सदस्य संख्या वाले परिवार की अध्यापिकाओं की संख्या 92 (36.8 प्रतिशत) सबसे अधिक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बांदा नगर क्षेत्र में आज भी एकांकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में रहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या अधिक है।

पारिवारिक आय
सारणी- 2.5

विद्यालय	पारिवारिक आय की पर्याप्तता				
	हां		नहीं		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	योग
1.इण्टरमीडिएट	70	70	30	30	100
2.हाईस्कूल	8	80	2	20	10
3.जू0हा0स्कूल	68	48.5	72	51.4	140
योग	146	58.4	104	41.6	250

प्रस्तुत सारिणी समस्त विद्यालयों (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल एवं जू0हा0 स्कूल) में कार्यरत अध्यापिकाओं की पारिवारिक आय की पर्याप्तता को दर्शाती है। इस सरिणी में इन सभी विद्यालयों मे कार्यरत अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि इण्टर मीडिएट विद्यालयों में जो अध्यापिकायें कार्यरत है क्या उनकी आय पर्याप्त है और जो हाईस्कूल या जू0हा0स्कूल में कार्यरत है उनकी आय पर्याप्त है। परन्तु ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में इन सभी अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि कौन से ऐसे कारण है जिससे इनकी आय पर्याप्त नहीं है। गवेषिका ने इन कारणो को जब जानने का प्रयास किया तो ज्ञात हुआ कि पहला कारण संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार है दूसरा कारण परिवार के सदस्यो की संख्या उनका स्तर एवं शिक्षा दीक्षा तीसरा सरकारी व गैर सरकारी स्कूल। जूनियर हाई स्कूल जो गैर सरकारी है उनमे कुछ स्कूल ऐसे है। जहां अध्यापिकाओं को 200,300,500 से अधिक वेतन नहीं दिया जाता है। ये अध्यापिकाएं अपनी एवं परिवार की अर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मजबूरी में विद्यालयों में पढ़ाकर अपना काम चलाती है। ये शैक्षिक बेरोज़गारी का ही परिणाम है जो लड़कियों को ट्यूशन करने के लिये मजबूर करता है।

प्रस्तुत सारिणी को आय की पर्याप्तता के आधार पर दो भागो में विभाजित किया गया है प्रथम वे अध्यापिकायें जिनकी आय पर्याप्त है। दूसरी वे अध्यापिकायें जिनकी आय

परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है अर्थात् अपनी जरुरतों को पूरा करते हुए साधारण जिन्दगी जीना। इस सारिणी को जब हम विद्यालय स्तर के आधार पर देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट कालेज की 100 अध्यापिकाओं में 70 (70 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसी है जो यह कहती है कि उनकी आय उनके परिवार के लिये पर्याप्त है। जबकि 30 (30 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि उनकी आय पर्याप्त नहीं है। जैसा कि सारिणी 2. 4 से स्पष्ट होता है कि ज्यादातर अध्यापिकाओं के परिवार की सदस्य संख्या 6 या 6 से ऊपर है।

इसी प्रकार हाईस्कूल स्तर के विद्यालयो की अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमे से 8 (80 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि उनकी आय पर्याप्त है। जबकि 20 (20प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि उनकी आय पर्याप्त नहीं है। कारण यह है कि हाईस्कूल विद्यालय की ज्यादातर अध्यापिकायें 20-30 या 30-40 आयु वर्ग की नव विवाहित अध्यापिकाएं है शायद इसलिए कहती है कि उनकी आय पर्याप्त है। जबकि 20 प्रतिशत अध्यापिकाओं में 2.7 सारिणी के अनुसार 40 प्रतिशत अध्यापिकायें अविवाहित है और अपने संयुक्त परिवार के साथ रहती है। इसीलिए ये कहती है कि इनकी आय पर्याप्त नहीं है।

इसी प्रकार जू0हा0 स्कूल में कार्यरत 140 अध्यापिकाओं में 68 (48.5 प्रतिशत) अध्यापिकायें ये कहती है कि इनकी आय पर्याप्त है इन अध्यापिकाओं में जिनकी आय पर्याप्त है कुछ अध्यापिकायें वो हैं जो बी0टी0सी प्रशिक्षण प्राप्त सरकारी स्कूलों में कार्यरत है। जबकि 72 (51.4 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि उनकी आय पर्याप्त नहीं है। इन अध्यापिकाओं में ज्यादातर अध्यापिकायें गैर सरकारी स्कूलो में कार्यरत है इन गैर सरकारी स्कूलों में ज्यादातर स्कूलों में 200,300,500,800,1000 इससे ज्यादा किसी स्कूल में नहीं दिया जाता है।

उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि सभी विद्यालयों में कार्यरत 250 अध्यापिकाओं में 146 (58.4) अध्यापिकायें अपनी आय को परिवार के लिये पर्याप्त मानती है जबकि 104 (41.6 प्रतिशत) अध्यापिकायें अपनी आय को पर्याप्त नहीं मानती है इसका कारण यह है कि इन अध्यापिकाओं के परिवार की सदस्य संख्या अधिक है या संयुक्त परिवार में रहती है या कम वेतन पर कार्य करती है।

आयु एवं समाचार पत्र संबंधी जानकारी
सारणी- 2.6

विद्यालय		आयु एवं समाचार पत्र सम्बन्धी जानकारी								
		20-30		30-40		40-50		50-60		योग
		हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
इण्टरमीडिएट	संख्या	23	11	21	2	26	-	16	1	100
	प्रति0	23	11	21	2	26	-	16	1	
हाईस्कूल	संख्या	2	-	7	-	1	-	-	-	
	प्रति0	20	-	70	-	10	-	-	-	10
जू0हा0स्कूल	संख्या	24	44	16	-	16	4	28	8	140
	प्रति0	17.1	31.4	11.4	-	11.4	28	20	5.7	
योग		49	55	44	2	43	4	44	9	250
		19.2	22	17.6	0.8	17.2	1.6	17.6	3.6	

प्रस्तुत सारिणी में समस्त विद्यालय (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल और जू0हा0स्कूल) की अध्यापिकाओं से समाचार पत्र संबंधी जानकारी को इस सारिणी में प्रस्तुत किया गया है। इस सारिणी में आयु के आधार पर अध्यापिकाओं को चार भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 20-30 आयु वर्ग की अध्यापिकायें, द्वितीय 30-40 आयु वर्ग की अध्यापिकायें, तृतीय 40-50 आयु वर्ग की, चतुर्थ 50-60 आयु वर्ग, की अध्यापिकायें।

प्रस्तुत सारिणी का जब हम विद्यालय स्तर के आधार पर विवरण प्रस्तुत करते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट विद्यालय मे कार्यरत 100 अध्यापिकाओं में 20-30 आयु वर्ग की 23 (23 प्रतिशत) अध्यापिकायें ये कहती है कि वे रोज अखबार पढ़ती है जबकि 11 (11प्रतिशत) उत्तरदात्रियां ये कहती है कि वो अखबार नहीं पढ़ती है। 30-40 आयु वर्ग की 21 (21 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अखबार से संबंधित जानकारी रखती है। जबकि 2 (2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों के घर अखबार ही नहीं आता। 40-50 आयु वर्ग की 26 (26प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अखबार से संबंधी जानकारी रखती है। 50-60 आयु वर्ग की 16 (16 प्रतिशत) उत्तरदात्रिया की समाचार पत्रों को पढ़ती है जबकि 1 (1प्रतिशत) उत्तरदात्री ही मात्र नहीं पढ़ती है। हाईस्कूल स्तर की 10 अध्यापिकाओं से 2 (20 प्रतिशत) अध्यापिकायें समाचार पत्र

पत्रिकाओं को पढ़ती है। 30-40 आयु वर्ग की 7 (70 प्रतिशत) अध्यापिकायें को अखबार संबंधी जानकारी रहती है। 40-50 आयु वर्ग की 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ती है और उनके संबंध में जानकारी रखती है। हाईस्कूल स्तर की सभी अध्यापिकायें समाचार पत्र पत्रिकाओं के संबंध मे जानकारी रखती है।

इसी प्रकार जू०हा० स्कूल में कार्यरत 140 अध्यापिकाओं में 20-30 आयु वर्ग की 24 (17.1 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां प्रतिदिन अखबार पढ़ती है। जबकि 44 (31.1 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के यहां कोई समाचार पत्र पत्रिकायें नहीं आती है। लेकिन अगर पढ़ने को मिल जाता है तो ये अध्यापिकायें पढ़ लेती है। 30-40 आयु वर्ग की 16 (11.4 प्रतिशत) अध्यापिकायें अखबार या समाचार पत्र सम्बन्धित जानकारी रखती है। 40-50 आयु वर्ग की 16 (11.4 प्रतिशत) अध्यापिकायें समाचार पत्र पत्रिकाओं संबंधी ज्ञान रखती है। जबकि 4 (2.8 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां यह कहती है कि कहीं मिल गया तो पढ़ लिया परन्तु रोज नहीं पढ़ती है। 50-60 आयु वर्ग की 28 (20 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अर्थात् अध्यापिकायें न केवल समाचार पढ़ती है बल्कि अपने घर रोज अखबार मगाती है ताकि घर के सभी सदस्यों को दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। जबकि 8 (5.7 प्रतिशत) अध्यापिकायें कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ती है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि 20-30 आयु वर्ग की 49 (19.6 प्रतिशत) अध्यापिकायें समाचार पत्र पत्रिकायें पढ़ती है। जबकि 55 (22 प्रतिशत) अध्यापिकायें समाचार पत्र पत्रिकाओं के संबंध में जानकारी रखती है लेकिन प्रतिदिन पढ़ती नहीं है। 30-40 आयु वर्ग की 44 (17.6 प्रतिशत) अध्यापिकायें समाचार पत्रों से सम्बन्धित जानकारी रखती है अर्थात् प्रतिदिन समाचार पत्र पत्रिकाये पढ़ती है मात्र 2 (0.8 प्रतिशत) अध्यापिकायें ही ऐसी है जो समाचार पत्र नहीं पढ़ती है। 40-50 आयु वर्ग की 43 (17.2 प्रतिशत) अध्यापिकायें भी रोज समाचार पढ़ती है। मात्र 4 (1.6 प्रतिशत)

अध्यापिकाये ही ऐसी है जो अखबार नहीं पढ़ती है। 50-60 आयु वर्ग की 44 (17.6 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसी है जो रोज समाचार पत्र पढ़ती है। मात्र 9 (3.6 प्रतिशत) अध्यापिकायें ही ऐसी है जो दैनिक समाचार नहीं देखती व पढ़ती है। उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 30-40 और 40-50 आयु वर्ग की ज्यादातर अध्यापिकाये ही रोज समाचार पत्र पढ़ती है 20-30 और 50-60 आयु वर्ग की कम।

वैवाहिक स्थिति
सारणी सं0- 2.7

वैवाहिक स्थिति									
	विवाहित		अविवाहित		परित्यक्ता		विधवा		योग
	सं	प्र0	सं	प्र0	सं	प्र0	सं	प्र0	
इण्टरमीडिएट	69	69	26	26	1	1	4	4	100
हाईस्कूल	6	60	4	40	-	-	-	-	10
जू0हा0स्कूल	68	48.5	68	48.5	-	-	4	2.8	140
योग	143	57.2	98	39.2	1	0.4	8	3.2	250

परिवार समाज की मौलिक इकाई है। किसी समाज का निर्माण विवाह नामक संस्था के द्वारा होता है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान युग तक विवाह के स्वरुपो में अन्तर देखने को मिलता रहा है। यह अन्तर आयु, विवाह सम्पन्न कराने के तरीको से भी स्पष्ट होता है। कम आयु में विवाह करने की प्रथा पहले थी और यह सामान्य सी बात थी किन्तु आज औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण विवाह की आयु में वृद्धि है। कन्या का विवाह कम आयु में करने से कन्या को भविष्य में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जहां एक ओर कन्या की शिक्षा, उसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि नहीं हो पाती वही दूसरी ओर पति की असमय मृत्यु हो जाने से कन्या का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। भारत में हिन्दु सामाजिक व्यवस्था के जो नियम स्मृतिकारों, ऋषियों, मुनियों व दार्शनिकों के द्वारा बनाये गये वह अत्यन्त कठोर थे। एक बार विधवा हो जाने के बाद किसी कन्या का पुनः विवाह नहीं होता था चाहे उसकी आयु कितनी कम क्यो न हो। विवाह से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले को समाज बहिस्कृत कर देता था। किन्तु 19 वीं 20 वीं शताब्दी में इन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किये गये। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1892, दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम 1961 बनाये गये। उपर्युक्त अधिनियमों द्वारा महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया। विवाह के स्वरुप तथा उसके तरीको में जो अन्तर आया है। वह

सामाजिक रुप से महिलाओं के अधिक जागरुक होने के कारण आया है और जागरुकता उनके सामाजिक चेतना का घोतक है।

प्रस्तुत सारिणी में अध्यापिकाओं से सम्बन्धित वैवाहिक स्थिति को चार भागों में विभाजित किया है। प्रथम विवाहित द्वितीय अविवाहित तृतीय परित्यक्तता चतुर्थ विधवा। इण्टरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत 100 अध्यापिकाओं में 69 (69 प्रतिशत) विवाहित है। 26 (26 प्रतिशत) अविवाहित है। परित्यक्ता अध्यापिकाओं की संख्या 1 (1 प्रतिशत) है। विधवा अध्यापिकायें मात्र 4 (4 प्रतिशत) ही है।

हाईस्कूल विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमे से विवाहित अध्यापिकाओं की संख्या 6 (6 प्रतिशत) है। अविवाहित अध्यापिकायें 4 (40 प्रतिशत) है। परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं एवं अध्यापिकाओं की संख्या शून्य अर्थात् एक भी नहीं है।

जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमें 68 (48.5 प्रतिशत) विवाहित है। 68 (48.5 प्रतिशत) अविवाहित अध्यापिकाओं की संख्या जू0हा0स्कूलों में सर्वाधिक है वह इसलिए है कि ज्यादातर स्कूल गैर सरकारी है नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे स्कूलों में कम वेतन मे अध्यापिकाओं को रखा जाता है। जो उनकी योग्यता को ज्यादा नहीं देखते है। इसलिए ऐसे स्कूलो में अविवाहित अध्यापिकाओं की संख्या अधिक होती है। परित्यक्ता अध्यापिकाओं की संख्या शून्य है। विधवा अध्यापिकाओं की संख्या मात्र 4 (2.8 प्रतिशत) है।

प्रस्तुत सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि समस्त विद्यालयों में कार्यरत 250 अध्यापिकाओं में विवाहित अध्यापिकाओं की संख्या 143 (57.2 प्रतिशत) सबसे अधिक है। अविवाहित अध्यापिकाओं की संख्या भी वर्तमान समाज में कम नहीं है। 98 (39.2 प्रतिशत) अध्यापिकाएं अविवाहित है जैसा कि सारिणी नं0 2.1 से स्पष्ट होता है कि 20-30 आयु वर्ग की अध्यापिकाओं की संख्या 103 (41.2 प्रतिशत) सबसे अधिक है। परिव्यक्ता अध्यापिकाओं की संख्या मात्र 1 (0.4 प्रतिशत) है जबकि विधवा अध्यापिकाओं की संख्या 8 (3.2 प्रतिशत) है।

परिवार का स्वरुप संबंधी विवरण
सारणी सं0- 2.8

परिवार का स्वरुप					
विद्यालय	संयुक्त		एकाकी		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टरमीडिएट	44	44	56	56	100
हाईस्कूल	8	80	2	20	10
जू0हा0स्कूल	96	68.5	44	31.4	140
योग	148	59.2	102	40.8	250

प्रस्तुत सारिणी में समस्त विद्यालयों की अध्यापिकाओं से संयुक्त परिवार एवं लघु परिवार के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। समस्त विद्यालयों (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जू0हा0स्कूल) की अध्यापिकाओं के परिवार सबंधी विचारो को जानने के उद्देश्य से विस्तृत परिवार (संयुक्त परिवार) एवं लधु परिवार से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया। इस बारे में जो उत्तर प्राप्त हुए उससे उनके सामाजिक चेतना की मात्रा का पता चलता है। समस्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है। जिनमें 148 (59.2 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने विस्तृत परिवार अर्थात् संयुक्त परिवार के पक्ष में उत्तर दिये जबकि 102 (40.8 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने लघु परिवार अर्थात् एकांकी परिवार के पक्ष में उत्तर दिये। लधु एवं विस्तृत परिवार से प्राप्त आकड़ो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज भी एकांकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार की अधिकता शिक्षित समाज में देखने को मिलती है। कारण यह है कि ज्यादातर अध्यापिकायें स्थायी रुप से रह रहे अपने माता-पिता के घर में रहती है। या फिर सास ससुर के घर में। दूसरा कारण यह है कि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट कालेज एवं स्कूलो में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या अधिक है। इसलिए ज्यादातर परिवार की महिलाएं संयुक्त परिवार के साथ रह रही है।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम विद्यालयनुसार देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट विद्यालयों में कार्यरत 100 अध्यापिकाओं में 44 (44 प्रतिशत) अध्यापिकाएं संयुक्त परिवार

के संबंध में उत्तर देती है जबकि 56 (56 प्रतिशत) अध्यापिकायें एकांकी परिवार के पक्ष में अपना उत्तर देती है। इण्टरमीडिएट विद्यालयों में संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार में रहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या अधिक है।

हाईस्कूल विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमे 8 (80 प्रतिशत) अध्यापिकायें संयुक्त परिवार के पक्ष में उत्तर देती है अर्थात् ये संयुक्त परिवार के साथ ही रहती है। जबकि मात्र 2 (20 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने ही लधु परिवार अर्थात् एकांकी परिवार के पक्ष में उत्तर दिये है।

जू0हा0स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमे संयुक्त परिवार के पक्ष में 96 (68.5 प्रतिशत) अध्यापिकायें अपने उत्तर देती है। जबकि लधु व एकांकी के पक्ष में उत्तर देने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 44 (31.4 प्रतिशत) है। जो संयुक्त परिवार की अपेक्षा काफी कम है। कारण यह है कि जूनियर हाईस्कूलों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं में ज्यादातर अध्यापिकाएं खासकर प्राइवेट स्कूलों में है।

समस्त विद्यालयों की अध्यापिकाओं से प्राप्त उत्तर विवरण के प्रतिशत के आधार पर यह देखने में आता है कि सभी विद्यालयों हाईस्कूल एवं जू0हा0स्कूल और प्राप्त विश्लेषण के आधार पर संयुक्त परिवार एवं विस्तृत परिवार के पक्ष में उत्तरदाता महिलाओं की संख्या एकांकी परिवार की अपेक्षा अधिक है जबकि एकांकी परिवार की अधिकता होनी चाहिए।

मासिक आय संबंधी विवरण
सारणी सं0- 2.9

मासिक आय									
विद्यालय	500-1000		3000		5000		8000 से अधिक		
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	योग
इण्टरमीडिएट	15	15	12	12	32	32	41	41	100
हाईस्कूल	5	50	1	10	3	30	1	10	10
जू0हा0स्कूल	76	54.2	8	5.7	12	85	44	31.4	140
योग	96	38.4	21	8.4	47	18.8	86	34.4	250

व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकतायें होती है रोटी, कपड़ा और मकान। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है रुपया। व्यक्ति भोजन करता, कपड़े पहनता, मकान में रहता इनकी सव की पूर्ति का माध्यम है रुपया। व्यक्ति एक दिन में कितना कमाता है या एक महीने की आय उसकी कितनी है यह निर्भर करता है उसके पद एवं योग्यता पर और यही आय व्यक्ति के रहन सहन और आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर की आय अधिक होगी, हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिका की अपेक्षा और उससे भी कम होगी जूनियर हाईस्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका की। परन्तु कुछ अध्यापिकायें ऐसी है जो जिस स्कूल में पढ़ाती है उसी स्कूल के बच्चो को ट्यूशन भी पढ़ाती है। और कुछ सब स्कूल के बच्चो को और कुछ अध्यापिकायें कोचिंग चलाती है। इस प्रकार अध्यापिकायें अपनी योग्यता और समय के आधार पर अतिरिक्त ट्यूशन करके अच्छा रुपया कमा लेती है। और कुछ अध्यापिकाओं की टयूशन के बाद भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में 300-500 रुपया मिलता है और स्कूल के या अन्य बच्चो को घर जाकर 300-400 से ज्यादा नहीं कमा पाती है। जबकि हाईस्कूल और इण्टर कालेज की विज्ञान वर्ग की अध्यापिकायें टयूशन से काफी रुपया कमा लेती है।

प्रस्तुत सारिणी में बांदा नगर क्षेत्र के समस्त बालिका विद्यालयों (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जू०हा०स्कूल) की समस्त अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उनकी मासिक आमदनी कितनी है। इसी सारिणी में मासिक आय को चार भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम आय वर्ग में 500-1000 तक द्वितीय आय वर्ग में 3000 तक तृतीय आय वर्ग में 5000 तक, चतुर्थ आय वर्ग में 8000 तक या इससे अधिक।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम विद्यालय क्रमानुसार अध्यापिकाओं की आय जानने का प्रयास करते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है जिनमें 500-1000 तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 15 (15 प्रतिशत) है जो इण्टरमीडिएट बालिका विद्यालयों में कुछ माह के लिए डेली बेस पर रखी जाती है। 3000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिकायें 12 (12 प्रतिशत) है। ये अध्यापिकायें भी एक साल के लिए रखी जाती है। 5000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिकाआं की संख्या 32 (32 प्रतिशत) है। 8000 तक या इससे भी अधिक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं में वे अध्यापिकायें है जो स्थायी रुप से कमीशन आयोग के द्वारा चुनकर भेजी जाती है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमें 500-1000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिकाये 5 (50 प्रतिशत), 2000-3000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिकायें मात्र 1 (10 प्रतिशत) है। 5000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 3 (30 प्रतिशत), 8000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिका मात्र 1 (10 प्रतिशत) है हाईस्कूल विद्यालय नगर पालिका परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है इन अध्यापिकाओं की आय भी नगर पालिका का चेयर मैन ही देता है इस विद्यालय में सभी अध्यापिकाओं की आय 1000 तक ही है और जो इससे अधिक कमा लेती है वे अध्यापिकायें स्कूल के बच्चो को टयूशन पढ़ाती है या अन्य स्कूल के बच्चो को भी।

इसी प्रकार जू०हा० स्कूल की अध्यापिकाओं से जब उनकी आमदनी के बारे में पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि जू०हा० स्कूल के नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमे से 500 1000 तक की आय को प्राप्त करने वाली उत्तरदात्रियों अर्थात् अध्यापिकाओं की संख्या 76 (54.2 प्रतिशत) सबसे अधिक। 3000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 8 (5.7 प्रतिशत) है। 5000 तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 12 (8.5 प्रतिशत) है। 8000 तक या इससे अधिक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं को देखे तो इनकी संख्या 44 (31.4 प्रतिशत) है। 8000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं में वे अध्यापिकायें है जो सरकारी स्कूलों में बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापिकायें है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि बांदा नगर क्षेत्र के सभी बालिका विद्यालय इण्टर मीडिएट से जू०हा० स्कूल तक के सभी विद्यालयों में 500-1000 तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं की संख्या सबसे अधिक है 3000 तक की आमदनी वाली 21 (8.4 प्रतिशत) अध्यापिकायें। 5000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली 47 (18.8 प्रतिशत) अध्यापिकायें है। 8000 तक या इससे अधिक की आमदनी वाली अध्यापिकाओं का स्थान दूसरा है। 5000 तक की आमदनी वाली अध्यापिकाओं का तीसरा स्थान और 3000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं का स्थान चतुर्थ सबसे कम।

विद्यालय एवं टी0वी0 सम्बन्धी जानकारी
सारणी सं0- 2.10

विद्यालय एवं टी0वी0 सम्बन्धी जानकारी					
विद्यालय	हां		नहीं		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टरमीडिएट	94	94	6	6	100
हाईस्कूल	10	100	-	-	10
जू0हा0स्कूल	92	65.7	48	34.2	140
योग	196	78.4	54	21.6	250

प्रस्तुत सारिणी बांदा नगर क्षेत्र के सभी बालिका इण्टर कालेज की अध्यापिकाओ, हाईस्कूल एवं जू0हा0 स्कूल की सभी अध्यापिकाओं की टी0वी0 एवं दूरदर्शन संबंधी जानकारी को प्रस्तुत करती है। जब महिलाओ से यह प्रश्न किया गया कि आप टी0वी0 देखती है तो अध्यापिकाओं से टी0वी0 सम्बन्धी जो उत्तर प्राप्त हुए उन उत्तरो को सारिणी में प्रस्तुत किया गया है। समस्त विद्यालयों (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जू0हा0स्कूल) में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है। जिनमे से 196 (78.4 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने टी0वी0 देखने के पक्ष में उत्तर दिये जबकि 54 (21.6 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने टी0वी0 न देखने के पक्ष में उत्तर दिये परन्तु हां कहने वाली उत्तरदात्रियों अर्थात् जो अध्यापिकायें टी0वी0 देखती है उनकी संख्या, टी0वी0 न देखने वाली अध्यापिकाओं की अपेक्षा काफी अधिक है।

प्रस्तुत सारिणी का जब हम विद्यालय क्रमानुसार देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है। जिनमें 94 (94 प्रतिशत) अध्यापिकायें टी0वी0 के कार्यक्रमों को देखती है। जबकि 6 (6 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि उन्हे टी0वी0 देखना पसंन्द नहीं क्योंकि टी0वी0 में ज्यादातर कार्यक्रम समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाले होते है बच्चों पर तो इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। अध्यापिकाओं से जब गवेषिका ने पूछा कि क्या आपके घर में टी0वी0 नहीं है। तब

अध्यापिकायें कहती है टी0वी0 तो है पर वो डिक्श का कनेक्शन नहीं लगवाती है। क्योंकि बच्चे जैसा टी0वी0 में देखते है वो वैसा ही चीजों की, वैसे ही ड्रेस की, वैसी ही बातो को ग्रहण करते है। बच्चो की हर मांग को हम पूरा नहीं कर सकते इसलिए उनके विचार टी0वी0 देखने के विपक्ष में है।

हाईस्कूल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं से जब टी0वी0 देखने के संबंध में प्रश्न पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि 10 अध्यापिकाओं में 10 (100 प्रतिशत) अध्यापिकायें टी0वी0 देखती है गवेषिका ने जब इन अध्यापिकाओ से पूछा कि टी0वी0 पर कौन से प्रोग्राम ज्यादा देखती है तो 9 (90 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने उत्तर दिया कि वे देश-विदेश के समाचार ज्यादा सुनती है और अन्य कार्यक्रम भी देख लेती है। परन्तु 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने यह कहा कि उन्हे धारावाहिक ज्यादा पंसद है समाचार व अन्य कार्यक्रम भी देख लेती है।

इसी प्रकार जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 जिनमें से 92 (65.7 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि वो टी0वी0 के सभी कार्यक्रम देखती है। जबकि 48 (34.2 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अर्थात् अध्यापिकायें टी0वी0 नहीं देखती है। टी0वी0 देखने वाली इन अध्यापिकाओं मे ज्यादातर अधयापिकायें ऐसी है जिनके घर मे देखने के लिये टी0वी0 नहीं है। कम वेतन मिलने पर भी मजबूरी में ये गैर सरकारी स्कूलों में कर्य करती है। और अपनी एवं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाती है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि समस्त बालिका विद्यालय की ज्यादातर अध्यापिकाये टी0वी0 देखती है।

तृतीय-अध्याय

राजनीतिक चेतना

अध्याय-3

राजनीतिक चेतना

द्वितीय अध्याय में हमने पद्वतिशास्त्र के अन्तर्गत अध्ययन की आवश्यकता अध्ययन का उददे्श्य, महत्व एवं अध्ययन पद्वति आदि का विश्लेषण किया है। यहां हम अध्यापिकाओं की राजनीतिक चेतना का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि चेतना का सह सम्बन्ध वर्गीय चेतना पर आश्रित होता है। इसके पूर्व चेतना का विश्लेषण हो सर्वप्रथम वर्ग की अवधारणा स्पष्ट होना आवश्यक है।

वर्ग की अवधारणा-

मार्क्स के अनुसार, सृष्टि की उत्पत्ति से ही विश्व के प्रत्येक भाग में किसी न किसी रुप में सामाजिक विभेदीकरण एवं सामाजिक संस्तरण विद्यमान रहा है। मनुष्य अपनी विशिष्ट समानताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न समूहो में विभाजित हो जाते है। ये समूह शारीरिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक अथवा अन्य समान लक्ष्यों के आधार पर बन जाते है। लेकिन मार्क्स समूह निर्माण के इन आधारों को स्वीकार नहीं करता। मार्क्स ने समूह निर्माण के आर्थिक कारक को महत्वपूर्ण माना है। वर्ग शब्द से मार्क्स का आशय आर्थिक समूह या वर्ग से है ओम प्रकाश वर्मा (1967) ने मार्क्स की वर्ग धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मार्क्स के अनुसार वर्गो का निर्माण 'भौतिक विभाजन' के कारण होता है। शारीरिक लक्षण, बौद्विक विशेषताएं धर्म जाति सम्प्रदाय आदि को मार्क्स वर्ग निर्धारण का आधार नहीं मानता। उसके वर्ग आर्थिक वर्ग है जो उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर विकसित होते है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की प्रक्रिया ही समाज को ऐसे वर्गो में विभाजित कर देती है जो आर्थिक दृष्टि से भिन्न होते है।

मार्क्स का कथन है कि प्रमुख रुप से समाज में दो वर्ग पाये जाते है जिनका निर्माण भौतिक आधार पर अर्थात् उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। एक वर्ग तो वह होता है जो उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामी होता है और आर्थिक दृष्टि से धनी, सामाजिक दृष्टि से शोषण कर्ता और राजनैतिक दृष्टि से शासक होता है। दूसरा वर्ग वह होता है जो अपनी शारीरिक मेहनत से उत्पादन कार्य करता है और स्वामी की कृपा के सहारे या मजदूरी के सहारे जीवित रहता है। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ग, निर्धन, सामाजिक दृष्टि से शोषित और राजनैतिक दृष्टि से शासित होता है। मानव इतिहास के प्रथम युग में स्वामी और दास ऐसे ही वर्ग थे। सामन्तवादी युग में सामन्त तथा किसान ऐसे ही वर्ग थे और आधुनिक पूजींवादी व्यवस्था में भी पूजीवादी और मजदूर दो प्रमुख वर्ग है। इस प्रकार मार्क्स उत्पादन की प्रणाली और धन अथवा वस्तुओं के वितरण के आधार पर विशुद्ध आर्थिक वर्गो को ही वास्तविक सामाजिक वर्ग मानता है।

मार्क्स ने तीन प्रकार के वर्गो का उल्लेख किया है जो उत्पादन की प्रक्रिया के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न शक्तियों के अधिकारी है और जिनकी आय के साधन भी भिन्न-भिन्न है। मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत इन तीन वर्गो की विशेषताओं को निम्न चार्ट से समझा जा सकता है।

वर्ग	शक्ति	आय का साधन
मजदूर	श्रम	वेतन या मजदूरी
पूंजीपति	धन या पूंजी	लाभ
जमीदार	भूमि	लगान

आधुनिक युग में औद्योगीकीकरण तथा श्रम-विभाजन के विकास के कारण औद्योगिक और व्यावसायिक श्रम और कृषि श्रम में भेद हो जाता है। श्रम-विभाजन के स्तर के अनुसार ही वर्गो के पारस्परिक संबंध विकसित होते है। श्रम चाहे खेत में किया जाय या कारखाने में अथवा किसी व्यावसायिक संस्था में उसकी प्रकृति तथा परिणाम एक ही होता है। इसी प्रकार उत्पादन का अधिकार चाहे भूमि के स्वामित्व के रुप में हो और चाहे उद्योग की

मिलकियत अथवा फर्म के मालिक के रुप में हो, उसकी आय और शक्ति की प्रकृति भी एक सी ही होती है। यही कारण है कि मार्क्स सामन्त वर्ग और पूंजीपति वर्ग में विशेष भेद नहीं करता और न ही वह किसान और मजदूर को भौतिक दृष्टि से पृथक समझता है।

मार्क्स ने यह घोषित किया है कि आधुनिक युग में यद्यपि अनेको वर्ग दिखाई देते है। परन्तु वास्तव में वे दो प्रमुख वर्गो के ही विभिन्न रुप है। ये दो प्रमुख वर्ग है, 'पूंजीपति-' और 'श्रमिक'। चाहे पूजी भूमि के रुप में हो और चाहे मशीनों और दुकानो के रुप में, श्रम चाहे शरीर का हो या मस्तिष्क का, इन्ही दो वर्गो से सम्बन्धित है। इस प्रकार मार्क्स भौतिक तथा अर्थिक आधार पर प्रत्येक समाज में वर्ग-भेद की स्थिति की कल्पना करता है। वही मैकाइवर और पेज ने कहा है कि वर्ग केवल आर्थिक भेद पर ही आधारित नहीं है अपितु सामाजिक स्थिति पर आधारित है। श्री राबर्ट बीरस्टीड ने वर्ग के निर्धारण में सात तत्वों या आधारों का वर्णन किया है।

(1) सम्पत्ति धन पूजी अथवा आय। (2) परिवार या रक्त संबंधी समूह। (3) निवास का स्थान (4) निवास की अवधि (5) पेशा (6) शिक्षा (7) धर्म। इसलिए वर्ग को बनने मे आर्थिक तत्त्व एक प्रमुख या महत्वपूर्ण कारक हो सकता हो, सब कुछ नहीं।

वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष-

मार्क्स की दृष्टि से समाज में सदैव से ही आर्थिक आधार पर वर्ग विभेदी करण पाया जाता है। स्वतन्त्र व्यक्ति एवं गुलाम, स्वामी एवं सेवक, शासक एवं शासित, अमीर एवं गरीब, शोषक एवं शोषित, मालिक एवं मजदूर आदि से संबंधित वर्ग मानव इतिहास में सदा से पाये गये है। मार्क्स की मान्यता है कि इस वर्ग भेद के कारण दोनो वर्गो के स्वार्थ एवं हित अलग-अलग होते है और जब दोनो वर्गो के हितो को टकराव होता है तो उनमे जागरुकता एवं चेतना अपने वर्ग के हितो के प्रति पनपने लगती है। इसी जागरुकता या चेतना को मार्क्स ने वर्ग चेतना कहा है।

इसी प्रकार वर्ग चेतना उस वर्ग मे अधिक संगठित पायी जाती है जो गरीब निर्धन सेवक, गुलाम शासित एवं शोषित होता है। ओ0पी0 गाबा (1993) ने मार्क्स की वर्ग चेतना को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मार्क्स वाद का एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि जहां हेगेल राष्ट्र-राज्य को विकास की चरम परिणति मानता है, मार्क्स सामाजिक प्रगति के लिए राष्ट्र की सीमाओं को स्वीकार ही नहीं करता। वह वर्ग चेतना में विश्वास करता है जो राष्ट्र या देश की सीमाओं में बंधकर नहीं रह सकती। अतः शोषक वर्ग को पराजित करने के लिए वह सम्पूर्ण विश्व के मजदूरो को एक हो जाने का आवाहन करता है। इसी अर्थ में मार्क्सवाद का स्वरुप अंतर्राष्ट्रीय है।

मार्क्स ने सर्वधारा वर्ग में पायी जाने वाली वर्ग चेतना को दो अवस्थाओं में उल्लेख किया है।

1. स्वयं में एक वर्ग (क्लास इन इट सेल्फ)
2. स्वयं के लिए एक वर्ग (क्लास फार इट सेल्फ)

1. स्वयं मे एक वर्गो की उस स्थिति व अवास्था को कहते है जब वह केवल सामान आर्थिक हित के कारण संगठित रहते है। तथा बुर्जुआ अर्थात् शोषक वर्ग से सर्वहारा अर्थात् शोषित वर्ग किसी प्रकार का विरोध नहीं करते है। इसी प्रकार जब सर्वहारा अपने किसी प्रकार के शोषण के प्रति जागरुक नहीं होते तो उसे कास्ट इन इट सेल्फ कहते है। लेकिन इसके विपरीत स्वयं के लिए एक वर्गो की उस स्थिति या अवस्था को कहते है। जव सर्वहारा अर्थात् शोषित वर्ग अपने शोषण के प्रति जागरुक होकर बुर्जआ अर्थात् शोषक के विरुद्ध संगठित होकर विरोध करते है।
2. इसी प्रकार जब सर्वहारा अपने शोषण के विरुद्ध जागरुक होकर संगठित होते है और शोषक वर्ग के प्रति विरोध या संघर्ष करने लगते है तो इसे क्लास फार इट सेल्फ कहते है। मार्क्स की मान्यता है कि इस वर्ग चेतना के कारण इन दोनो वर्गो में परस्पर संघर्ष सदैव से चला आ रहा है। मार्क्स के अनुसार जब शोषण चरम सीमा पर पहुचं जाता

है तव श्रमिक जो संख्या में अधिक होते है संगठित होने लगते है उनमे अपने वर्ग के हितो की रक्षा हेतु वर्ग चेतना पनपने लगती है और यह वर्ग चेतना मालिक वर्ग से संघर्ष करने की प्रेरणा देती है ''आज तक का प्रत्येक समाज शोषक और शोधित वर्गो के विरोध पर आधारित रहा है''। इस आधार पर जब तक आर्थिक वर्ग रहेगे तव तक संघर्ष रहेगा अतः वर्गो की समप्ति ही मानव संघर्ष की समाप्ति है।

मार्क्स ने एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन, संघर्ष विहीन, आदर्श समाज व्यवस्था की कल्पना के आधार पर साम्यवादी आदर्श व्यवस्था की व्यवस्था हेतु उसने सर्वहारा वर्ग को आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसके पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग को आवाहन किया है और पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया है। मार्क्स ने अन्त में लिखा है कि ''सर्वहारा तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी दासता की बेडियो के सिवा कुछ नहीं है जीतने के लिए सारी दुनिया है। अतः सारी दुनिया के मजदूरी एक हो''।

महिला अध्यापिकाओं में स्वचेतना स्वरुप-

हीनता की भावना से ग्रसित महिलायें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र मे पुरुषो के समान प्रत्येक सामाजिक पद सोपान में अपने जीवन स्तर को उच्च्च करने के प्रयास में है। आज गांव की महिलायें बच्चो के पालन पोषण और परिवार को व्यवस्थित करने के अतिरिक्त नौकरी एवं व्यवसाय मे भी सहयोग दे रही है। ओर अपने कार्यो की देखरेख के साथ अपने कर्तव्यो एवं जिम्मेदारियो को हर क्षेत्र मे बखूबी निभा रही है। आजकल महिला अध्यापिकायें स्कूल, कालेजों में नौकरी करने के साथ साथ, घर के कामकाज रसोई बनाना, घर की साफ सफाई, बजट के आधार पर घर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना, बच्चो का पालन पोषण व उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना, स्कूल या कालेज की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना, पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखना आदि कार्य स्वयं करती है। आर्थिक व्यवस्था उच्च्च करने के प्रयास में अध्यापिकाओं को ट्यूशन वगैरह करना आदि जैसे कठिन परिश्रम करने के बाद भी कुछ अध्यापिकाओं की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की है

कि उन्हे जीवन की अनिवार्य सुविधाएं कठिनता से प्राप्त हो रही है। फिर भी अध्यापिकायें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के प्रति जागरुक हो रही है। यदि समाजशास्त्रीय ढंग से विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट होता है कि किसी समुदाय विशेष की महिलाये अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के प्रति कितनी क्रियाशील एवं जागरुक है। नर्मदेश्वर प्रसाद (1958) ने इसी चेतना के संबंध मे व्यक्त किया है कि किसी भी सामाजिक समूह के अपने स्वतंत्र अस्तित्व को चेतना के लिए मुख्यतः दो बाते आवश्यक है प्रथम उस समूह के सदस्यो के बीच एक दूसरे की सामाजिक, आर्थिक स्थिति की समानता की चेतना, द्वितीय सामाजिक पद सोपान में अपने से ऊपर के स्तर के एवं नीचे के स्तर के व्यक्तियों या समूहों की तुलना में क्रमशः हीनता या उच्चता की भावना, इन दो प्रकार के संवेगो पर ही किसी सामाजिक समूह की चेतना निर्भर करती है इनके अभाव मे समूह चेतना पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं हो सकती। सामान्यतः किसी समूह विशेष के सदस्यो में समानता का एक भाव होता है और यही समानता का भाव उनमें समूह की स्पष्ट चेतना पैदा करता है। जिसके कारण कोई समूह क्रियाशील होता है।

महिलाओ का प्रत्येक सामाजिक पद सोपान में क्रियाशील होने के बाद भी आज महिलाओ के साथ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव पूर्ण प्रवृत्ति पायी जा रही है। यही स्थिति जाति व्यवस्था में भी पायी जाती है। इसी संबंध में नर्मदेश्वर प्रसाद (1973) ने व्यक्त किया है कि भारत जैसे देश में यह विभाजन जाति व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक निर्योग्यताओं के आधार पर अभिव्यक्ति पाते है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विषमता के आधार पर विभाजन सर्वत्र होता है। जब किसी समूह के सभी सदस्यों की पद स्थिति एक समान होती है, तब समूह बोध का उदय होता है। जिसके परिणामस्वरुप उनमें एकता की भावना विकसित होती है।

परिणामस्वरूप व्यवसाय पद प्रतिष्ठा में एकरुपता का अभाव ही महिलाओं में सघर्ष से निपटने एवं उनमे एकता की भावना विकसित होने की स्थिति उत्पन्न करता है। अनेक

स्थानो पर राजनीतिक दवाव जैसे कारणों से महिलाओं से अधिक कोई अन्य समूह प्रभावित नही होता। शहरी क्षेत्रों में हो रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन सामान्य रुपेण स्त्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे है। थकी हुई, काम के बोझ में दबी, कुपोषित, मूक, शक्तिहीन और असंगठित, आज भारतीय माहिलाओं की यही नियति है जो आज उनके अन्दर उदासीनता की स्थिति को उत्पन्न करती है कुछ महिलाये इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी भी हो रही है लेकिन यह संख्या आज भी उतनी नही है जितनी कि होनी चाहिए।

महिलाओ में राजनीतिक चेतना :-

इस प्रकार सामाजिक परिवेश का सामाजिक चेतना पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस चेतना की बृद्धि में सम्पर्क, शिक्षा, संचार एवं ऐच्छिक प्रयासो का विशेष महत्व होता है। हमने देखा कि विभिन्न संगठनों के सम्पर्क एवं प्रयासो से समाज की सार्वधिक उपेक्षित अध्यापिकायें उनमें से शिक्षित महिलाओं में क्रमशः सामाजिक चेतना बढ़ती जा रही है। सामाजिक स्थितियों एवं समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझने में सक्षम होती जा रही है। अध्यापिकाये अब अपने परिवेश में होने वाले राजनीतिक बदलाव से परिचित होती जा रही है। जनतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में राजनैतिक दलों की अहम भूमिका होती है। सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्हे जन सहभागिता की आवश्यकता होती है यह सहभागिता तभी सम्भव है जब उनमें राजनीतिक चेतना की पर्याप्त मात्रा होती है। इस दृष्टि से आज विभिन्न दल अपने कार्यक्रमो के माध्यम से न केवल नगर में वरन नगर के क्षेत्रो में लोकप्रिय होने की चेष्टा कर रहे है। स्थानीय सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दल नागरिकों को चैतन्य बनाते हुए अपने राजनीतिक हित की पूर्ति भी करने में सफल हो रहे है। अतः सामाजिक चेतना क्रमशः राजनीति को भी विकसित करता है और इस चेतना बृद्धि में सम्पर्क, संचार, शिक्षा के साथ-साथ राजनीतिक दल एवं स्वैच्छिक संगठनो का भी योगदान होता है।

इस प्रकार किसी समूह या समुदाय में रहने वाले व्यक्ति की चेतना राजनीतिक संस्कृति एवं व्यवस्था के सन्दर्भ मे अपना रुप ग्रहण करती है। तब इसे राजनीतिक चेतना कहते है। वैसे सामान्य जानकारी एवं राजनीतिक चेतना में अन्तर किया जा सकता है। यद्यपि इन दोनो में अन्तर है किन्तु दोनो एक दूसरे से सम्वद्ध भी है। एन0जी0एस0 (1974) ने कहा है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं की जानकारी को राजनीतिक जानकारी (पोलिटिकल इनफारमेशन) कहते है। राजनीतिक चेतना एक प्रत्यक्षीकरण है जिसमें व्यक्ति राजनीतिक जानकारियों के आधार पर तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण या अभिवृत्तियों को विकसित करता है तथा राजनीतिक सन्दर्भ मे कोई मत अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। कभी-कभी एक व्यक्ति वोट देता है। वह किसी व्यक्ति अथवा दल को किन जानकारियों के आधार पर वोट देता है एवं किस दृष्टि से प्रभावित होकर मत देता है, यह सब उसकी चेतना का परिचायक है। मत अभिव्यक्ति का संबंध व्यक्ति के अस्तित्वात्मक एवं गुणात्मक आयामों से है। इन आयामों के समुच्चय को राजनीतिक चेतना कहते है। अस्तित्वात्मक पहलू के अन्तर्गत दल व्यवस्था के बारे में जानकारी सामाजिक, आर्थिक समस्या के सन्दर्भ में राजनीतिक जानकारी सम्मलित है। मूल्याकंनात्मक आयाम, तुलनात्मक सन्दर्भ में व्यक्ति को राजनीतिक व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार राजनीतिक चेतना एक जटिल प्रक्रिया है। रामप्यारे (1981) ने कहा कि व्यक्ति की राजनीतिक चेतना का संबंध उसके ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण से है जिसके द्वारा वह राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक संस्कृति की सामान्य विशेषताओं और राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत अंगो के विषय में जानकारी रखता है। इस राजनीतिक चेतना के परिणामस्वरुप राजनीतिक सहभागिता विकसित होती है।

जनतन्त्रात्मक राजनीतिक संस्कृति अपनाने वाले देशों में राजनीतिक चेतना का विशेष महत्व है। वर्तमान आधुनिक समाज में जहां बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण समाज जटिल होता जा रहा है। आज सस्थाएं परस्पर एक दूसरे से अन्तः क्रिया करते हुए विकसित एवं

जाटिल होती जा रही है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो कई प्रकार की संस्थाओं से सम्बन्धित होता है स्वयं की स्थिति का संज्ञान दूसरों से अपनी तुलना के आधार पर करता है। इस चेतना के फलस्वरुप वह अपने सामान्य लोगो से निकटता का अनुभव करता है। उनके बीच या सामूहिक सन्दर्भ में हितो के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। प्रजातन्त्र में सत्ता की बागडोर बहुमत के पास होती है। मत अभिव्यक्त करने के परिणामस्वरुप सत्ता प्राप्त होती है या बदलती है। मत के महत्व एवं उसके प्रभाविकता के परिणाम स्वरुप व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा चैतन्य होने लगा है। प्रजातान्त्रिक देशों में व्यक्तियों की राजनीतिक चेतना बढ़ती जा रही है। जिसका एक कारण मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगो की जनता के बीच सक्रियता है। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से राजनीतिक प्रक्रियाओं की शिक्षा देते है। व्यक्ति की राजनीतिक के नायको में अधिक जागरूकता होती है। उसकी राजनीतिक समझ बढ़ती है और उसका राजनीतिक व्यवहार दिशा प्राप्त करता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को राजनीतिकरण की प्रक्रिया कहते है। आज प्रायः हर प्रजातान्त्रिक देशो में यह प्रक्रिया प्रगतिशील है जिसका एक पहलू लोगो में चेतना का विकास होना है इसके परिणाम-स्वरुप सहभागिता में भी वध्दि होती है।

वर्ग चेतना भी राजनीतिक चेतना को विकासित करने में सहायक होती है रजनी कोठरी (1985) ने कहा कि भारत में जहाँ परम्परागत जाति व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था क्रमशः संसदात्मक व्यवस्था में परिवर्तीत हुई है एक लम्बे विवाद के पश्चात वर्तमान स्थिति को प्राप्त कर सकती है। हमारी वर्तमान राजनीति संरचना ऐतिहासिक परिवर्तनो को लम्बे दौर के बाद तथा विभिन्न कारणों के समावेत प्रभाव के परिणामस्वरुप यहां विकसित हुई है। यह विकास जिसको आधुनिक राजनीतिकरण की संज्ञा दी जाती है वह प्राचीन से नवीन व्यवस्था तक हुए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनो के प्रभाव से सतत बढ़ती हुई चेतना का परिणाम है।

भारत में यह राजनीतिक चेतना सब वर्गो जातियों में एक सामान नही होती है। विशेषंकर कुछ क्षेत्रों के आदिवासी समूहो में यह चेतना नही बढ़ी है जितनी उक्त समूहो में दिखाई पड़ती है। फिर भी राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिणामस्वरुप आदिवासी समाजो में स्थानीय हितों एवं क्षेत्रीय संस्कृति की सुरक्षा की दृष्टि से जातीय क्षेत्रीय भावना तेजी से विकसित हुई है। वे राजनीति से पहले की अपेक्षा अधिक सम्बद्ध होने लगे है। राजनीति विषय में बढ़ती हुई जानकारी उनकी राजनीतिक प्रभावकारिता को बढ़ाती है।

इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न आयामों के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसकी मात्रा विभिन्न क्षेत्रों कें समुदायो में अलग अलग पायी जाती है। राजनीतिक दृष्टि से भी पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक जागरुक है। इसी आधारो को ध्यान में रखते हुए यहाँ अध्यापिकाओं की राजनीतिक चेतना की मात्रा जानने का प्रयास किया गया है बाँदा नगर की अध्यापिकाओं में जो महिलाये शिक्षित है उनसे राजनीतिक चेतना की जानकारी प्राप्त की गई हैं। सर्वेक्षण के दौरान उनकी राजनीतिक सक्रियता, आरक्षण, मताधिकार, प्रत्याशिता, पिछड़ेपन के संबध में दहेज निरोधक कानून की उपादेयता व शिक्षिकाओं की चर्चा आदि के विषय में अध्यापिकाओं के विचार जानने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है।

राजनीति में महिलाओ की सक्रियता संबंधी विचार जानने से पहले उ0प्र0 की राजनीति में महिलाओं के योगदान को जानना भी आवश्यक है राजेन्द्र प्रसाद श्री वास्तव (1999) के अनुसार आज देश का राजनीतिक भविष्य इसलिए अन्धकार मय दिखता है क्योकि यहाँ की महिलाओं को राजनीति और शासन में जो स्थान मिलना चाहिए था, वह अव तक नही मिल पाया है। इसलिए जो कभी मातृशक्ति और दैविक शक्ति के रुप में सम्मानित होती थी आज देश के स्वाधीन होने के बावजूद उपेक्षित है। हजार वर्ष के विदेशी शासनकाल में महिलाओं के आत्मसम्मान का लगातार हनन होता रहा है। आज देश स्वतन्त्र हो चुका है, फिर भी उन्हे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अपेक्षित सम्मान नही प्राप्त हो सका है।

उ0प्र0 की राजनीति में देश के पहले आय चुनाव 1952 में प्रदेश से तीन महिलाये ससंद पहुची थी जिसमें कांग्रेस की लखनऊ से विजयलक्ष्मी पंडित, बाराबंकी से गंगादेवी निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में, कमलेन्दु एम0शाह का पहले चुनाव से उ0प्र0 का महिला प्रतिनिधित्व संसद में मौजूद रहा है 1957 के दूसरे आम चुनाव में प्रदेश से सुशीला नैयर झांसी से और गंगा देवी उन्नाव मोहनलालगंज से चुनी गई दोनो कांग्रेस प्रत्याशी थी। महिलाओं की यह भागीदारी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर थी लेकिन शिक्षित होने से राजनैतिक सक्रियता हासिल हो जायेगी ऐसी कोई गारन्टी नही थी। राष्ट्रीय स्तर पर विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू अरुणा आसफ अली की सक्रियता मे पारिवारिक माहौल की ज्यादा देन थी। विद्यान सभा चुनाव से 19 महिलाये चुनी गयी जिनमे बिजनौर से चन्द्रावती, मेरठकैन्ट से प्रकाशवती सूद ही पुनः चुनी गयी

1962 के चुनाव में छः महिला चुनी गयी जिसमे कैसरगंज से स्वतन्त्र पार्टी की वसन्त कुमारी, बलरामपुर से समुद्रा जोशी, झांसी से शुशीला नैयर प्रमुख थी विद्यान सभा सें कानपुर शहर-5 से शुशीला रोहतगी, इलाहाबाद से राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, मेंहदी वाल से सुचेता कृलानी प्रमुख थी। सुचेता कृपलानी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल हुआ। विद्यान सभा में 20 महिलायें चुनकर गई।

1967 के चुनाव तक एक ऐसी महिला राजनीतिक रुप से सशक्त हो चुकी थी जिसे एक लम्बे समय तक भारत की प्रधानमंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिसने विश्व की राजनीति को भी प्रभावित किया। पं0 नेहरु की पुत्री इन्दिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई उनके साथ-साथ अन्य महिलाये भी राजनीति में पहुंची जिनमे गोन्डा से सुचेता कृपलानी, फूलपुर से विजय लक्ष्मी पंडित, मोहन लाल गंज से कई बार जीत चुकी गंगा देवी आदि कांग्रेस से और कैसरगंज से भारतीय जनसंघ की सुशीला नैयर प्रमुख थी। इस बार विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व कम रहा और वे केवल 6 स्थान जीती सभी जिनमे राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पुनः जीती। 1969 में हुए चुनावों में बी0के0डी0 का उभार था। इस बार सदन में

18 महिलायें पहुंची थी। जिनमे सण्डीला से कुदेशिया बेगम, इग्लास से गायत्री देवी, इलाहाबाद उत्तर से राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी प्रमुख थी।

'गरीबी हाटाओ' के मुद्दे पर इन्दिरा जी ने 1977 का लोकसभा चुनाव एक बार फिर रायबरेली से जीता। उनके बहुमत में प्रदेश की चार अन्य महिलायें शामिल थी। जिनमे लखनऊ से शीला कौल एक नया नाम था। कैसरगंज सीट एक बार फिर भारतीय जनसंघ की सुशीला नैयर ने जीती। इन्दिरा जी प्रधानमंत्री बनी। महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता बढ़ी। इसका प्रभाव 1974 के प्रदेश विधानसभा चुनवों में दिखा जब 21 महिलायें विधायक बनी जिसमें स्वरुप कुमारी बक्शी, मोहसिना किदवई, राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी का स्थान कांग्रेस में प्रमुख था। गायत्री देवी वी०के०डी० से गोकुल की प्रतिनिधि थी।

1977 का चुनाव जिसमे केवल तीन महिला सांसद उ०प्र० से चुनी गई जब रायबरेली से इन्दिरा गांधी चुनाव हार गयी थी तब झांसी से सुशीला नैयर और फूलपुर से कमला बहुगुणा संसद गयी थी। इस समय प्रदेश की विधान सभा में 10 महिलायें ही पहुंच सकी। परन्तु 1980 के चुनाव में एक बार फिर इन्दिरा जी केन्द्र बिन्दु थी। सदन में सात महिलायें और प्रदेश में उनकी संख्या 23 तक पहुंची।

सारणी सं0- 3.1
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति

लोक सभा में		विधान सभा में		
वर्ष	संख्या	वर्ष	संख्या	आज कानपुर 22, अगस्त 1999
1952	3	1952	10	
1957	3	1957	19	
1962	6	1962	20	
1967	8	1967	6	
1971	6	1969	18	
1977	3	1974	21	
1980	7	1977	10	
1984	9	1980	23	
1989	6	1985	29	
1991	3	1989	16	
1996	10	1991	11	
1998	8	1993	16	
		1996	11	

सारणी सं0- 3.2 संसद में प्रतिनिधित्व						
		लोक सभा			राज्य सभा	
वर्ष	कुल सीटे	महिला सांसदों की संख्या	महिला सांसदो का प्रतिशत	कुल सीटो	महिला सांसदो की संख्या	महिला सांसदो का प्रतिशत
1952	442	22	4.4	219	16	7.3
1957	500	27	5.4	237	18	7.5
1962	503	34	6.8	238	18	7.6
1967	523	31	5.0	240	20	8.3
1971	521	22	4.2	243	17	7.0
1977	544	19	3.4	244	25	10.2
1980	544	28	5.1	244	24	9.8
1984	544	44	8.1	244	28	11.4
1989	517	27	5.22	245	24	9.7
1991	544	39	7.18	245	38	15.5
1996	543	40	7.18	223	20	9.0
1999	543	43	7.2	237	22	9.2
औसत	523	31	5.8	238	23	9.3

1984 के चुनाव मे जब कांग्रेस की कमान राजीव गांधी के हाथो मे आयी तब प्रदेश से 9 कांग्रेसी महिला सांसद पहुंची और 1985 की प्रदेश की विधान सभा में 27 महिला विधायक थी जिनमें 25 कांग्रेस की थी।

1989 में जब शाहबानों का मुद्दा, मन्दिर मस्जिद, बोफोर्स दलाली काण्ड ने राजनीति को प्रभावित किया तो प्रदेश से केवल 6 महिला सांसद हुई जिनमे मायावती, मेनका गांधी, शीला कौल, राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, सुभाषिनी अली, जीती जिनमें शीला कौल कई बार पहले भी सांसद रह चुकी थी। प्रदेश की विधान सभा में यह संख्या घटकर 16 रह गयी थी।

1991 का चुनाव महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा जिसमें वे 1952 की ही स्थिति मे आ गयी थी। जिनमें अलीगढ़ से शीला गौतम, इलाहाबाद से सरोज दुबे, रायबरेली से शीला कौल प्रमुख थी। प्रदेश की विधान सभा में उनकी संख्या 11 रह गयी थी।

महिलाओं के दृष्टिकोण सें 1996 का लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहा जव सदन में उनकी संख्या सर्वाधिक 10 तक पहुंची जिसमे 5 महिलायें भाजपा से थी। कांग्रेस से 2 सपा से 2 जद से मेनका गांधी थी। सपा से फूलन देवी जो बेंडिट क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। कांग्रेस से बेगम नूरबानो, राजकुमारी रत्ना सिंह प्रमुख थी। प्रदेश की विधान सभा में उनकी संख्या 21 थी। 1998 के लिए हुए लोक सभा चुनाव सांसद में प्रदेश की 8 महिलायें पहुंची जिनमे 3 सपा से 1 बसपा से 3 भाजपा से तथा एक भाजपा समर्थित निर्दलीय मेनका गांधी।

कुल मिलाकर सदन में महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही इन्दिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, शीला कौल, मेनका गांधी, ऊषा वर्मा, शीला गौतम, सुभद्रा जोशी, सुशीला रोहतगी, गंगादेवी कुछ गिने चुने नाम ही है।

हमे एक नजर संसद में महिलाओ के प्रतिनिधित्व पर भी डालनी होगी ताकि स्वतः इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन सभी सरकारों तथा राजनीतिक दलों को प्राप्त हो सके। संसद में प्रतिनिधित्व महिलाओं के चार्ट को देखने के वाद गवेषिका द्वारा अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार द्वारा महिला अध्यापिकाओं की राजनीति से सक्रियता संबंधी विचार को जानने का प्रयास किया गया है।

सारणी सं0- 3.3
विद्यालीय अध्यापिकायें एवं राजनीति में सक्रिय होकर चुनाव लड़ने संबंधी जानकारी

क्र0	विद्यालय	राजनैतिक लाभ हेतु		अधिक धन कमाने हेतु		सम्मान प्राप्ति हेतु		महिलाओ के उत्थान हेतु		सेवा में सुरक्षा हेतु		सामाजिक लाभ		अन्य		योग
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	100
1	इण्टरमी0	2	2	6	6	22	22	33	33	18	18	14	14	5	5	
2	हाईस्कूल	–	–	1	10	3	30	6	60							10
3	जू0हा0	16	11.4	8	5.7	20	14.2	72	51.4					24	17.1	140
	योग	18	7.2	15	6	45	18	111	44.4	18	7.2	14	5.6	29	11.6	250

प्रस्तुत सारिणी में यह जानने का प्रयास किया गया है कि आज कल महिलाओं में राजनीतिक प्रभाव पड़ने व महिला आरक्षण की बात का संसद में होना तथा 73 वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका के चुनाव व पंचायती राज, ग्राम प्रधान व ग्राम सभा आदि में महिलाओं को आरक्षण मिल जाने से महिलाओं के विचारों में जागरुकता आयी है और वे अपना अधिकार पाने व समाज से लड़ने के लिए राजनीति में भाग लेकर चुनाव मैदान में उतर कर अपनी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर रही है। इसलिए गवेषिका ने विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं से राजनीति मे सक्रिय होकर चुनाव लड़ने के कारणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। ऐसे कौन से कारण है जो उन्हे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करते है प्रस्तुत सारिणी में यही जानने का प्रयास किया गया।

इस सारिणी में महिलाओं के चुनाव लड़ने संबंधी कारणों को 7 भागों में विभाजित किया गया। राजनीतिक लाभ हेतु, अधिक धन कमाने हेतु, सम्मान प्राप्ति हेतु, महिलाओं के उत्थान हेतु, सेवा में सुरक्षा हेतु, सामाजिक लाभ हेतु, अन्य, प्रस्तुत सारिणी में अध्यापिकाओं के विचारों की संख्यात्मक गणना करते है तो पता चलता है कि समस्त 250 अध्यापिकाओं में राजनीति में सक्रिय होकर चुनाव लड़ने के कारणों में महिलाओं के उत्थान हेतु संबंधी कारणों मे सबसे अधिक अध्यापिकाओं की संख्या 111 (44.4) है। द्वितीय स्थान पर सम्मान प्राप्ति हेतु 45 (18 प्रतिशत), तीसरे स्थान पर अन्य कारण 29 (11.6 प्रतिशत) इसके बाद

राजनीतिक लाभ हेतु एवं सेवा मे सुरक्षा हेतु संबंधी कारणों पर 18 (7.2) 18 (7.2) संख्या बराबर है। अधिक धन कमाने हेतु संबंधी विचार रखने वाली 15 (6 प्रतिशत) और सामाजिक लाभ के संबंध में महिलाओं के विचारों का प्रतिशत 14 (5.6 प्रतिशत) है।

जब हम प्रस्तुत सारिणी का विद्यालयवार देखते है तो पता चलता है कि इण्टर मीडिएट की 100 अध्यापिकाओं में 2 (2 प्रतिशत) अध्यापिकायें राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए और 6 (6 प्रतिशत) अधिक धन कमाने के लिए चुनाव मैदान में उतरती है। सम्मान प्राप्ति हेतु 22 (22 प्रतिशत) और महिलाओं के उत्थान हेतु 33 (33 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के विचार राजनीति में सक्रिय होकर चुनाव लड़ना है। सेवा में सुरक्षा हेतु 18 (18 प्रतिशत) और सामाजिक लाभ के लिए महिलायें राजनीति में सहभागी हो रही है। अन्य कारणों से महिलाओं का चुनाव लड़ना, इस कारण के संबंध मे अध्यापिकाओं की संख्या 5 (5 प्रतिशत) है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है। जिनमें से कुछ ऐसे कारण जिनके कारण अध्यापिकाएं चुनाव लड़ना चाहती है जिन कारणों को हाईस्कूल की अध्यापिकाओं ने प्रमुख माना वे है अधिक धन कमाने के लिए 1 (10 प्रतिशत) सम्मान प्राप्ति हेतु 3 (30 प्रतिशत), महिलाओ के उत्थान हेतु 6 (60 प्रतिशत) हाईस्कूल की अध्यापिकायें इन 7 कारणों में से से दो कारणो को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। ये दो कारण है सम्मान प्राप्ति हेतु और महिलाओं के उत्थान हेतु, बाकी कारणों में राजनीतिक लाभ हेतु, सेवा में सुरक्षा हेतु, सामाजिक लाभ हेतु तथा अन्य लाभ हेतु में से किसी भी कारण को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानती है इसलिए इन कारणों के संबंध में किसी अध्यापिका ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओ में सभी अध्यापिकाओं ने चुनाव लड़ने के दो कारणों, सेवा में सुरक्षा हेतु, सामाजिक लाभ हेतु जैसे कारणों को छोड़कर सभी कारणों के प्रति अपने उत्तर दिये है। हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140

है। जिनमें से 16 (11.4 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह मानती है कि राजनीति से संबंध रखने से उन्हे अपने मुश्किलों को आसान करना बड़ा ही सरल हो जाता है। 8 (5.7 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का कहना यह है कि अधिक धन कमाने के लिए ही वह चुनाव लड़ना चाहती है। सम्मान प्राप्ति के लिए जो चुनाव लड़ना चाहती है उन अध्यापिकाओं की संखय 20 (14.2 प्रतिशत) है। महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने व उनकी प्रगति के लिए जो अध यापिकायें चुनाव लड़ना चाहती है उनकी संख्या सबसे अधिक 72 (51.4 प्रतिशत) है। अन्य किसी कारणों से जो अध्यापिकायें चुनाव मैदान में उतरती है। उनकी संख्या 24 (17.1 प्रतिशत) है।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं के उत्थान हेतु, सम्मान प्राप्ति हेतु, अधिक धन कमाने, राजनीतिक लाभ हेतु व अन्य कारणों हेतु के संबंध में ही ज्यादा अध्यापिकाओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किये है।

सारणी सं0- 3.4

अध्यापिकाओं की जाति एवं मताधिकार प्रयोग से स्त्रियों मे जागरुकता संबंधी विचार

क्र0	विद्यालय		सामान्य		पिछड़ा वर्ग		अनु0जाति		योग
			हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
1	इण्टरमीडिएट	सं0	64	14	12	–	8	2	100
		प्र0	64	14	12	–	8	2	
2	हाईस्कूल	सं0	6	–	1	–	3	–	10
		प्र0	60	–	10	–	30	–	
3	जू0हा0 स्कूल	सं0	84	–	8	8	28	12	140
		प्र0	60	–	5.7	5.7	20	8.5	
	योग		154	14	21	8	39	14	250
			61.6	5.6	8.4	3.2	15.6	5.6	

राजनीतिक समाजशास्त्र के उदभव से ही राजनीतिक समाजशास्त्र की रुचि मतदान व्यवहार के अध्ययन में रही है। अमेरिका एवं यूरोप के देशों में इस प्रकार के अनेक अध्ययन हो चुके है। मतदान कौन करता है, क्यों करता है जैसे अनेक विषयों की जानकारी अब तक प्राप्त की जा चुकी है। कुछ अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि मतदान के प्रभाव से अनेक परिवर्तन हुए। इस प्रकार मतदान की प्रभावकारिता व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित करती है, एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। भौतिक उपलब्धियों के इस युग में व्यक्ति आदान प्रदान की संस्कृति में विश्वास करता है। अतः मतदान करने पर उसे क्या प्राप्त होगा इसे गम्भीरता से जानने को उत्सुक रहता है। इस दृष्टि से यहाँ अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या मतदान से स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है ? और क्या महिलाओं में जागरुकता आयी है ?

प्रस्तुत सारिणी से यह स्पष्ट है कि अधिकांश अध्यापिकायें यह मानती है कि मताधिकार प्रयोग से स्त्रियों में जागरुकता आयी है। समस्त विद्यालयों की 250 अध्यापिकाओं में सामान्य वर्ग की 154 (61.6 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की 21 (8.4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 39 (15.6 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने मताधिकार प्रयोग से स्त्रियों में जागरुकता आने

संबंधी बात को स्वीकार किया है जबकि सामान्य वर्ग की 14 (5.6 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की 8 (3.2 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 14 (5.6 प्रतिशत) बहुत कम अध्यापिकाओं ने इसे अस्वीकार किया है।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम विद्यालय स्तर के आधार पर अध्यापिकाओं के विचार जानने का प्रयास करते हैं तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट विद्यालयों की 100 अध्यापिकाओं में सामान्य वर्ग की 64 (64 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की 12 (12 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की 8 (8 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह मानती है कि वोट या मतदान करने से महिलाओं में जागरुकता आयी है। जबकि सामान्य वर्ग की 14 (14 प्रतिशत) अनुसूचित, जाति की 2 (2 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की कोई भी अध्यापिका मतदान से स्त्रियों में जागरुकता आने संबंधी बात को अस्वीकार नहीं करती है।

हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं के विचारों से ज्ञात होता है कि मतदान से महिलाओं में राजनीतिक चेतना ही जागृत नहीं हुई बल्कि महिलायें जागरुक हो गयी है। वे अपनी इच्छा से मतदान मे सहभागी हो रही है। हाईस्कूल मे कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमें से लगभग सभी अध्यापिकाओं मे सामान्य वर्ग की 6 (60 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की 1 (10 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 3 (30 प्रतिशत) अध्यापिकायें मताधिकार प्रयोग से महिलाओं में आने वाली जागरुकता संबंधी बात को स्वीकार करती है कोई भी अध्यापिका इस बात से इनकार नहीं करती है।

इसी प्रकार जू0हा0स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमे सामान्य वर्ग की 84 (60 प्रतिशत), पिछड़े वर्ग की 8 (5.7 प्रतिशत) और अनुसूचित जाति की 28 (20 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि मतदान करने या वोट डालने से स्त्रियों मे अपने अधिकार संबंधी भावना का विकास ही नहीं आता बल्कि उनमे जागरुकता भी आती है। जबकि कुछ ऐसी भी अध्यापिकायें है जो इस बात को स्वीकार नहीं करती उनका मानना यह है कि मतदान से स्त्रियों में कोई जागरुकता नहीं आयी है इस बात को जो अध्यापिकायें

अस्वीकार करती है। उनमें पिछड़े वर्ग की 8 (5.7 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की 2 (8.5 प्रतिशत) सामान्य वर्ग की कोई भी अध्यापिका नहीं है।

महिला आरक्षण

महिलाओं के उत्थान की फिक्र कमोवेश प्रत्येक काल में मौजूद रही है कोशिशे भी हुई है, लेकिन परिणाम वही ढांक के तीन पात। महिलाओ का स्थान अव भी वही है, उनका शोषण यथावत जारी है। भारत के मूल संविधान में आरक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है राज्य सरकारो को यह अधिकार अवश्य दिया गया है कि वे अपने विवेक से सरकारी सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में प्रावधान कर सकती है। संविधान के चार अनुच्छेद इस विषय को (15,16,49 और 335) प्रभावित करते है।

स्वाधीन गणतन्त्र भारत में भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 15 (3) व 51 (क) में महिलाओं के संरक्षण एवं सर्वमुखी उन्नति का पूरा प्रावधान रखा गया है। इन अनुच्छेदों के ये प्रावधान संविधान के मूल अधिकार एवं कर्तव्य के अन्तर्गत ही रखे गये, जिनमें यह स्पष्टतः निर्दिष्ट है, कि भारत की प्रभुता ओर अखंण्डता को अक्षुण बनाये रखने के लिए भारत के सभी लोगो में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश, जाति, लिंग पर आधारित ऐसे सभी भेदभाव से परे हो जौ स्त्रियो के सम्मान के विरुद्ध हो।

डा० कृष्ण निगम (1999) 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधनों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं व अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 30% आरक्षण दिया गया। यह 1 जून 1993 से लागू किया गया। यह संविधान की बारवहीं अनुसूची में समावेश है। अनुच्छेद 243 (घ) तथा अनुच्छेद 243 (न) में पंचायतो एवं नगरपालिकाओं में महिलाओं व अनुसूचित जातियो और जनजातियों के लिए कतिपय स्थान आरक्षित किये गये है। ऐसे आरक्षित स्थानों में एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति अथवा

जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगे, इसके अलावा किसी पंचायत अथवा नगर पालिका के कुछ स्थानों में से एक तिहाई स्थान सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गये है।

गांव पंचायतों, गांव सभाओं, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और जिला परिषदों में आरक्षण होने से महिलाएं प्रधान, सरपंच और सभासद चुनी जा रही है। इन निकायों में वह सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभा रही है। लखीमचन्द्र (1998) ने लिखा है कि कहा जाता है कि गांव सभाओ और निगमों में अशिक्षित महिला सरपंच और पार्षद घूघट की ओट में अधिकारियों से बात करने में संकोच करती हैं। जिससे समस्याएं हल नहीं हो पाती। इसलिए स्थानीय निकायों में दिया गया आरक्षण कामयाब नहीं हो रहा है। यह तर्क उचित नहीं है। सत्य तो यह है कि निर्वाचित महिलाओं के संरक्षक उनके स्थान पर मामलों को सुलझा लेते है। उदाहरण के लिए लालू यादव परोक्ष रुप से राजकाज का संचालन कर रहे है। वैसे इसे दलित समाज की कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए। यह कमजोरी तो हमारे तन्त्र की है कि हम 50 वर्षो मे भी इस समाज को इस योग्य नहीं बना पाये कि वह घरेलू दायरे से बाहर आ पाती। उसे शिक्षित करने में तन्त्र उदासीन रहा है। अब वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित है, संघर्ष के लिए उत्सुक है। जहां उन्हे आरक्षण से पद मिला है, वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन चुनौती के रुप में कर रही है। यदि महिलाओं को लोकसभा और विधायिकाओं में आरक्षण मिला तो उन्हे यथार्थ से आत्मसात करना होगा। देश के उत्थान, देश की राजनीतिक, सामाजिक ठेकेदारों को समय रहते यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि महिला आरक्षण के बिना महिला स्वतंत्रता महज लफ्फाजी और बेईमानी है, क्योकि आरक्षण के बिना नारी स्वातन्त्र के सन्दर्भ अधूरे है।

सूर्यभान सिंह (1998) के अनुसार आरक्षण विधेयक संविधान में 81 वां संशोधन करके महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। धारा 330 (क) के उपबन्ध (3) के अनुसार लोकसभा के लिए चुनी वाली सीटों

में एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के लिए सीटों का निर्धारण क्रमिक रुप से किया जायेगा अर्थात् प्रत्येक चुनाव में ऐसी आरक्षित सीटे बदल जायेगी। धारा 330 (क) के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटो का एक तिहाई हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु आरक्षित होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य विधान सभाओं में धारा 332 (क) के द्वारा की गयी है। 81 वां संशोधन के रुप में महिलाओं को लोकसभा और राज्यविध ाान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए 16 मई 1997 का महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया किन्तु पिछली 11 वीं लोकसभा महिला आरक्षण विधेयक पर कोई भी निर्णय लिये बिना भंग हो गयी थी।

अखिरकार 14 दिसम्बर 1998 को महिला आरक्षण लोकसभा में भारी शोर-शरावे और हंगामे के बीच लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिलवाने संबंधी 84 वां संवौधानिक संशोधन विधेयक केन्द्रीय विधि मंत्री डा०एम थंबी दुरई ने प्रस्तुत किया। विधेयक पेश होते ही विरोधी दलो ने ऐसा बवाल मचाया कि अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई स्थागित करनी पड़ी। हमेशा की तरह इस बार भी महिला विधेयक लंबित ही रह गया है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में महिलाओं की कई लाभकारी योजनाओं पर ध्यान दिये जाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया। लोकसभा विधानसभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटो को आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन कराने का आश्वासन दिया साथ ही शासनिक एवं प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं में भी महिलाओं को उनका पूरा हक दिलाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष कटिबद्ध सरकार के कार्यक्रम में भी प्रमुखता के साथ इसे शामिल किया गया था किन्तु वह भी अपना वचन पूरा नहीं कर सकी। सच तो यह है कि राजनीतिज्ञों में दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव है। वे महिलाओं को अधिकार देना ही नहीं चाहते। कोरी सहानुभूति का प्रर्दशन तो सहज है किन्तु कल्याण को कार्यरुप में

परिणत करना अत्यन्त कठिन है। इस विधेयक की चर्चा में जनता दल के अध्यक्ष श्री शरद यादव ने तो इस विधेयक का विरोध कर ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच एक तरह से छवि को ही तिरोहित किया था। बॉव कट महिलाओं की अलोचना करके और इस सदन में उनके आचरण को देखते हुए इस विधेयक को पारित होने से ही रोक दिया।

कम्युनिस्ट दल इस बात का आरोप तीनों ही सरकारों पर लगाते आ रहे है कि ये महिला आरक्षण विधेयक के पारित करने के सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है। इन्हीं की पार्टी की गीता मुखर्जी ने सरकार के साथ ही साथ अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलो को इस बात के लिए दोषी ठहराया। सरकार और राजनीतिक दलों की विधेयक के प्रति मानसिकता इस बात से ही जाहिर हो गयी है कि केवल इस विधेयक को लेकर सत्ता को महफूज बनाने और कांग्रेस सत्ता के नजदीक आने को ही राजनीति करने में लगी हुई है। महिला आरक्षण बिल सरकार और विपक्षी दलों के गले की हड्डी बन चुका है।

पम्मी बर्थवाल (1998) ने लिखा है 1993 की बात है, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 73 वां संवैधानिक संशोधन पारित कर पंचायतों में स्त्रियों को 33 प्रतिशत अरक्षण देने की व्यवस्था की थी। तब सभी राजनीतिक दलो ने इसका जबरदस्त समर्थन किया था। तभी लोकसभा और राज्य सभा जैसे सत्ता के ऊपरी निकायों में भी महिलाओं को आरक्षण की सुविधा देने पर विचार किया गया। 1996 में मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री एच०डी० देवगौड़ा ने पहली बार इस आशय का विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। अन्य पिछड़े वर्गो और अल्प संख्यकों के लिए विधेयक में विशेष व्यवस्था की मांग के बाद इसे गीता मुखार्जी के नेतृत्व वाले संसदीय पैनल को सौप दिया गया। पैनल ने विधेयक में किसी परिवर्तन की मांग को ठुकराते हुए अपनी रिपोर्ट सदन को दी, जिसे मोर्चा सरकार के घटकों ने खारिज कर दिया और विधेयक लंबित रह गया। जुलाई 1998 में भाजपा सरकार द्वारा विधेयक को एक बार फिर जिलाए जाने की कोशिश में राजद के सांसद सुरेन्द्र प्रसाद यादव को रास नहीं आई। उन्होने विधि मंत्री दुरई के हाथो से विधेयक की प्रति छीन कर फाड डाली। यह मामला ऐसा

नहीं है कि सामान्य बहुमत से विधेयक स्वीकृत हो सकता है। इससे लिए संविधान में संशोध ान करना होगा और दो तिहाई बहुमत से ही इसका अनुमोदन किया जा सकता है। विधेयक के पक्ष घर कतिपय दलों का तो यहां तक कहना है कि इसे बहस के बिना ही सर्व सम्मति से पारित किया जाना चाहिए। वस्तुतः यदि गम्भीर प्रयास किये जाते तो विधेयक के टालने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

तमाम प्रयासों तथा हो तल्ला के बाद राजनीति में महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आता रहा है। लगभग सभी राजनीतिक दलो द्वारा महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण देने की मांग करने के वाबजूद टिकट वितरण में यह दल इनकी उपेक्षा कर देते है। यही कारण है कि लोकसभा में महिलाओं की उपस्थिति कमजोर बनी रहती है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 559 महिलाएं 1996 में खड़ी हुई थी जबकि सबसे अधिक 44 महिलाएं 1984 में विजयी हुई। हालांकि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में लगातार कोशिशे और वहस होती रही है किन्तु अभी भी उनकी पर्याप्त भागीदारी संभव नहीं हो रही है। यही कारण है कि इसके लिए संवैधानिक प्रावधान करने की जरुरत भी महसूस की जा रही है।

स्थिति यह है कि वर्ष 1952 के पहले चुनाव में जहां सिर्फ 22 महिलायें जीती थी वही वर्ष 1984 में 44 विजयी हुई और उनका प्रतिशत बढ़कर मात्र 8.1 हो सका। पहले आम चुनाव में लोकसभा की भागीदारी 4.4 प्रतिशत थी जो दूसरे और तीसरे में बढ़कर 5.4 और 6.7 हो गयी। इस दौरान 1957 और 1962 के चुनावों में उनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 27 और 34 हो पायी। तीसरे आम चुनाव के बाद से उनकी भागीदारी 1974 के चुनाव तक लगातार घटती गयी। लोकसभा में महिलाओं की संख्या 1967 में 31 की और 1971 में 22 फिर 1977 मे अब तक की सबसे कम सिर्फ 19 हालांकि 1977 का चुनाव सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन के बाद का चुनाव था। पर सम्पूर्ण क्रान्ति भी महिलाओं की लोकसभा भागीदारी बढ़ा नहीं सकी बल्कि निम्नतर स्तर पर पहुंचा दिया। इसके बाद 1980 के लोक सभा चुनाव

मे जीतने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 26 हो गयी तथा 1984 के चुनाव में सर्वाधिक 44 महिलायें चुनाव में विजयी हुई।

1984 के चुनाव का इसलिए भी महत्व है कि यह इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था और सहानुभूति की लहर पर सवार होकर राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारी बहुमत लेकर जीती थी। इस दौरान लोकसभा में न सिर्फ महिलाओं की संख्या बढ़ी बल्कि उनका प्रतिशत भी सर्वाधिक अर्थात् 8.1 रहा।

महिलाओ का प्रतिशत सन् 1989 में फिर घटा और उनकी संख्या 27 पर पहुंची गयी सदन में उनका प्रतिशत घटकर पांच दशमलव दो हो गया। महिलाओं की भागीदारी 1991,1996 और 1998 में कमोवेश एक सी रही है। 1991 में 39, और 1996 में 40 तथा 1998 में 43 महिलाएं लोकसभा में पहुंची। उनका प्रतिशत क्रमशः 7.2, 7.4 और 7.9 रहा। पिछडे राज्यों से 1991 के बाद से तीन लोकसभा चुनावों में जितनी महिलायें जीती, उनका प्रतिशत जीतने वाली कुल महिलाओं का चालीस प्रतिशत से अधिक था जबकि विकसित समझे जाने वाले पूर्वोक्त राज्यों ने सिर्फ तीस प्रतिशत महिलाओं को लोकसभा में पहुंचाया। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि बारहवी लोकसभा के लिए जीतने वाली महिलाओं में एक तिहाई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की थी।

बारहवीं लोकसभा में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में नौ महिला सदस्य और पश्चिम बंगाल से पांच महिला सदस्य पहुंची। बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश से चार चार तथा राजस्थान से तीन महिलायें संसद आयी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली से दो-दो तथा असम, हरियाणा, केरल, मणिपुर, पंजाब तथा तमिलनाडु से मात्र एक-एक महिला ही संसद तक पहुंच पाने में सफल रही थी। श्रीमती विजयाराजे सिंधिया सातवी बार जीतने वाली महिला उम्मीदवार थी। सुश्री उमा भारती और श्रीमती सुमित्रा महाजन पहले ही हैट्रिक बना चुकी है। राजस्थान में बीस महिलाओं में से तीन बारहवीं लोकसभा में चुनी गयी जबकि 14 की जमानत जब्त हो गयी। बयालीस लोकसभा सीटो वाले पश्चिम बंगाल में 21 महिलाओं

में से 12 राष्ट्रीय दलो के टिकटों पर चुनाव लड़ी इनमे से पांच ही लोकसभा पहुंच पायी और नौ की जमानत जब्त हो गयी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गीता मुखर्जी छठी बार और ममता बनर्जी तीसरी बार सांसद बनी थी। पंजाब में नौ महिला प्रत्याशियों में से बारहवीं लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल की राहविन्दर कौर ही संसद पहुंच पायी। महाराष्ट्र में 48 महिलाओं में से 19 राजनैतिक दलो के टिकटो पर चुनाव लड़ी थी। इनमें मात्र एक ही संसद तक पहुंच पायी। ग्यारहवीं लोकसभा में यहां से दो ही महिलायें चुनी गई थी।

महिलाओं को टिकट देने में राजनीतिक दल हमेशा से ना-नुकर करते रहे है। यही वजह है कि प्रत्येक राजनीतिक दल की महिला सदस्य और सांसद आरक्षण को लेकर आक्रामक रुख अपनाए है। भाजपा की छांव तले ममता और जयललिता के साथ सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस भी महिला आरक्षण पर कमर कसे तैयार खड़ी है। यहां दिलचस्प बात यह है कि दलितो और मुस्लिम महिलाओं के लिए विधेयक में अलग से प्रावधान न किये जाने पर बवाल मचाने वाले राजद शोचनीय ही रहे है। पम्पी वर्थवाल (1998) ने लिखा है कि महिला आरक्षण को लेकर हर दल राजनीति खेल रहा है। देश की राजनीति में पुरुष प्रधानता माना जाना तथ्य है। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का मतलब राजनीति में पुरुषों के वर्चस्व को खुली चुनौती, तभी तो विधेयक पर सिद्धांततः सभी दलो की सहमति के वाबजूद यह आज तक पारित नहीं हो पाया है। यूं लोकप्रिय विचार होने के नाते कोई भी दल इसके विरोध का जोखिम नहीं उठाना चाहता। मगर साथ ही इसे पारित कर सत्ता में शक्ति संतुलन भी खोना नहीं चाहता। अब अगर भाजपा गठबंधन सरकार को ही लिया जाए तो न केवल सहयोगी दल, बल्कि भाजपा सांसद तक इस मामले पर एकमत नहीं है। संसद के कुल 200 सांसद पिछड़े वर्गो से है। इनमे भाजपा के 68 सांसद भी शुमार है, जो सत्ता पक्ष में होते हुए भी विधेयक में दलित वर्गो के लिए अलग से आरक्षण का परचम लहराए है। अब दलित महिलाओं को आरक्षण पृथक व्यवस्था दिये जाने पर वे कितने राजी होगे यह तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल इस विधेयक को सदगति मिलने से रही।

सारणी सं0- 3.5 अध्यापिकाओं की आयु एवं महिलाओं को राजनीति में पृथक से आरक्षण संबंधी विचार											
			20 -30		30-40		40-50		50-60		योग
क्र0	विद्यालय	संख्या प्रतिशत	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
1.	इण्टर मीडिएट	सं	30	3	19	4	18	9	10	7	100
		प्र0	30	3	19	4	18	9	10	7	
2.	हाईस्कूल	सं0	2	–	7	–	1	–	–	–	
		प्र0	20	–	70	–	10	–	–	–	
3.	जू0हा0 स्कूल	सं0	64	4	16	–	20	–	24	12	140
		प्र0	45.7	2.8	11.4		14.2		17.1	8.5	
		सं0	96	7	42	4	39	9	34	19	250
		प्र0	38.4	2.8	16.8	1.6	15.6	3.6	13.6	7.6	

महिलाओं को राजनीति में पृथक से आरक्षण की बात मात्र एक चुनावी मुद्दा या सत्ता पर कविज होने वाले दलो की प्रमुख लिस्ट तक ही सीमित है। लोकसभा में कई बार आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन इसे पास नहीं होने दिया गया। बांदा नगर क्षेत्र की पढ़ी लिखी एवं शिक्षित अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं को राजनीति में प्रथक से आरक्षण मिलना चाहिए, इस संबंध में इनके क्या विचार है ? इस सारिणी में प्रस्तुत किये गये है।

इस सारिणी में सभी विद्यालय की अध्यापिकाओं को आयु के आधार पर चार भागो में बांटा गया है प्रथम 20-30 आयु वर्ग की, द्वितीय 30-40 आयु वर्ग की, तृतीय 40-50 आयु वर्ग की, चतुर्थ 50-60 आयु वर्ग की, अध्यापिकाओं को रखा गया है। प्रस्तुत सारिणी का जब हम विद्यालयक्रमानुसार विवरण जानने का प्रयास करते है तो ज्ञात होता है। इण्टरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है। जिनमें 20-30 आयु की 30 (30 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह मानती है कि महिलाओं को राजनीति में प्रथक से आरक्षण मिलना चाहिए जबकि 3 (3प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसा मानने से इनकार करती है। 30-40 आयु वर्ग की 19 (19 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह स्वीकार करती है कि महिलाओं

को राजनीति में अलग से आरक्षण रखा जाना चाहिए जबकि 4 (4 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसा स्वीकार नहीं करती है। 40-50 आयु वर्ग की 18 (18 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि राजनीति में महिलाओं को प्रथक से आरक्षण होना चाहिए जबकि 9 (9 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसा कहने से इन्कार करती है। 50-60 आयु वर्ग 10 (10 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि राजनीति में महिलाओं को प्रथक से आरक्षण मिलना चाहिए जबकि 7 (7 प्रतिशत) ऐसा स्वीकार नहीं करती है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं में सभी 10 अध्यापिकाओं के विचारों से ज्ञात होता है कि सभी अध्यापिकायें महिलाओं को राजनीति में प्रथक से आरक्षण मिलना चाहिए के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करती है। कोई भी अध्यापिका ऐसी नहीं जो महिलाओं के राजनीति में आरक्षण संबंधी विचारो के विपक्ष में उत्तर दिये हो अर्थात् 100 प्रतिशत अध्यापिकाओं का विचार आरक्षण के पक्ष में है। आरक्षण के पक्ष में जिन अध्यापिकाओं ने अपने विचार प्रस्तुत किये उनमे 20-30 आयु वर्ग की 2 (20 प्रतिशत), 30-40 आयु वर्ग की 7 (70 प्रतिशत), 40-50 आयु की 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें है।

जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं के विचार जानने से ज्ञात होता है कि जू0हा0स्कूल की अधिंकाश अध्यापिकायें आरक्षण के पक्ष मे अपने विचार प्रस्तुत करती है। जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। आयु वर्ग के आधार पर 20-30 आयु की अध्यापिकाओं का प्रतिशत 64 (45.7 प्रतिशत) है ये अध्यापिकायें महिलाओं को राजनीति में प्रथक से आरक्षण मिले इस सम्वन्ध में हां कहती है। जबकि 4 (2.8 प्रतिशत) अध्यापिकाओ का विचार इसके पक्ष में नहीं है। 30-40 आयु वर्ग की 16 (11.4 प्रतिशत) अध्यापिकायें ही मात्र राजनीति में महिलाओं के आरक्षण के पक्ष मे अपने विचार देती है इस आयु की कोई भी अध्यापिका इसके विपक्ष में उत्तर नहीं देती है। 40-50 आयु वर्ग की सभी 20 (14.2 प्रतिशत) अध्यापिकायें राजनीति में महिलाओं के प्रथक से आरक्षण के पक्ष में ही उत्तर देती है। 50-60 आयु वर्ग की 24 (17.1 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का कहना यह है

कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए जबकि 12 (8.5 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात को अस्वीकार करती है।

उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बांदा नगर क्षेत्र के समस्त विद्यालयो (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जू०हा०स्कूल) में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है जिनमे अधिकांश अध्यापिकाओं का विचार राजनीति में महिलाओं के प्रथक से आरक्षण के पक्ष में है। आरक्षण के पक्ष में हां कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या व प्रतिशत इस प्रकार है 20-30 आयु की 96 (38.4 प्रतिशत), 30-40 आयु वर्ग की 42 (16.8 प्रतिशत), 40-50 आयु वर्ग की 39 (15.6 प्रतिशत), 50-60 आयु वर्ग की 34 (13.6 प्रतिशत) अध्यापिकायें है। जबकि आरक्षण के विपक्ष अर्थात् आरक्षण के पक्ष में नही उत्तर देने वाली अध्यापिकाओं में 20-30 आयु की 7 (2.8 प्रतिशत), 30-40 आयु की 4 (1.6 प्रतिशत) 40-50 आयु वर्ग की 9 (3.6 प्रतिशत) 50-60 आयु वर्ग की 19 (7.6 प्रतिशत) अध्यापिकायें है। प्रस्तुत सारिणी मे आरक्षण के पक्ष में हां कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या व प्रतिशत अधिक है जबकि न कहने वाली अध्यापिकाओ का बहुत कम। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं में राजनीति के प्रति चेतना जागृत हुई है।

सारणी सं0- 3.6

अध्यापिकाओं की जाति एवं महिलाओं के सहयोग से सरकार के गठन सम्बन्धी जानकारी

विद्यालय		सामान्य		पिछड़ा वर्ग		अनु0जाति		योग
		हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
इण्टर	सं0	48	30	3	2	10	7	100
मीडिएट	प्र0	43	30	3	2	10	7	
हाईस्कूल	सं0	4	2	1	–	2	1	10
	प्र0	40	20	10	–	20	10	
जू0हा0	सं0	52	32	8	15	9	24	140
स्कूल	प्र0	37.1	22.8	5.7	10.71	6.42	17.1	
योग	सं0	104	64	12	17	21	32	250

भारतीय संविधान में समानता, स्वतन्त्रता एवं धर्म निरपेक्षता को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। समानता के लिए भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु से लेकर वर्तमान समय के प्रधानमंत्री तक ने भरपूर प्रयास किये हैं। खेद है कि आर्थिक विषमता की खाई क्रमशः बढ़ती ही गई है। परन्तु राजनीतिक दृष्टिकोण से एक समानता अवश्य दिखाई पडी है कि राजा हो या रंक सबके मत को समान अधिकार प्राप्त है। जहां एक ओर धनवान को एक मत देने का अधिकार है वही निर्धन को भी एक ही मत देने का अधिकार है। इस दृष्टि से देश में समानता दिखाई पड़ती है। यह बात और है कि धन, पद, प्रभाव एवं शक्ति के माध्यम से मत से प्रभावित करने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है।

मतदान व्यवहार में पुरुष के समान ही स्त्री को भी अधिकार प्राप्त है। ज्ञातव्य हो कि भारत उन अनेक विकसित राष्ट्रो की तुलना में सबसे आगे रहा है, जहां महिलाओं को मताधिकार प्राप्त है। महिलाओं को मत देने की सुदीर्ध परम्परा यहां रही है। यही नहीं सत्ता के शीर्षस्थ पद पर आसीन स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर महिलाओं के मन में यह भाव भरने में सफल रही कि स्त्रियां भी सरकार गठन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। नगरीय क्षेत्र में एवं शिक्षित महिलाओं में इस प्रकार

की चेतना तो प्रायः दिखाई पड़ती है। किन्तु विद्यालयीय अध्यापिकाओं में इस विषय में कितनी चेतना है, यह जानने का प्रयास यहां किया गया है। चयनिक बालिका विद्यालयों की अध्यापिकाओं से यह पूछा गया कि क्या सरकार के गठन में स्त्रियों का भी सहयोग होता है। अध्यापिकाओं द्वारा दिये गये उत्तरो को निम्न सारिणी में प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत सारिणी में अध्यापिकाओं की जाति के आधार पर सरकार के गठन में महिलाओं के सहयोग संबंधी जानकारी को प्रस्तुत किया गया है। जाति के आधार पर अध्यापिकाओं को तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम सामान्य, द्वितीय पिछड़ा वर्ग, तृतीय अनुसूचित जाति की अध्यापिकायें। समस्त विद्यालयीय अध्यापिकाओं को जब हम विद्यालयाक्रमानुसार देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टर की 100 अध्यापिकाओं में 48 (48 प्रतिशत) सामान्य अध्यापिकाओं ने यह माना कि सरकार गठन में स्त्रियों का योगदान होता है जबकि 30 (30 प्रतिशत) अध्यापिकायें सरकार के गठन में स्त्रियों के सहयोग को अस्वीकार किया है। पिछड़े वर्ग की 3 (3 प्रतिशत) अध्यापिकायें सरकार के गठन में महिलाओं के योग संबंधी विचार के पक्ष में हां कहती है जबकि 2 (2 प्रतिशत) अध्यापिकायें न कहती है। अनुसूचित जाति की 10 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह मानती है कि महिलाओं के सहयोग से सरकार का गठन होता है। जबकि 7 (7 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है महिलाओं का सरकार के गठन में कोई योगदान नहीं है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत 10 अध्यापिकाओं में सामान्य वर्ग की 4 (40 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह स्वीकार करती है कि सरकार के गठन में महिलाओं का योगदान होता है जबकि 2 (20 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात को अस्वीकार करती है। पिछड़े वर्ग की 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें महिलाओं के सहयोग से सरकार के गठन के पक्ष में हां कहती है जबकि न कोई नहीं कहती है। अनुसूचित जाति की 2 (20 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह मानती है कि सरकार के गठन में महिलाओं का योगदान होता है जबकि 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसा मानने से इन्कार करती है।

जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है जिनमें सामान्य वर्ग की 52 (37.1 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि महिलाओं के सहयोग के सरकार का गठन नहीं हो सकता है। महिलाओं के मतो का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है जबकि 32 (22.8 प्रतिशत) अध्यापिकायें कहती है कि महिलाओं का कोई योगदान नहीं होता है। पिछड़ी जाति की 8 (5.7 प्रतिशत) अध्यापिकायें सरकार के गठन मे महिलाओं के योगदान को उचित या सही मानती है जबकि 15 (10.71 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसा नहीं मानती हैं। अनुसूचित जाति की 9 (6.42 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह स्वीकार करती है कि सरकार के गठन में महिलाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है जबकि 24 (17.1 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसा मानने से इन्कार करती है कि सरकार के गठन में महिलाओं का कोई योगदान नहीं होता है।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम विश्लेषण करते है तो ज्ञात होता है कि बांदा नगर क्षेत्र के सभी बालिका विद्यालय (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जू0हा0स्कूल) विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है। जिनमें सभी स्कूलों की सामान्य वर्ग की अध्यापिकाओं में 104 अध्यापिकायें महिलाओं द्वारा सरकार के गठन के संबंध में हां कहती है जो पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति की अपेक्षा काफी अधिक है। जबकि 64 अध्यापिकायें नहीं कहती है। पिछड़ी जाति की अध्यापिकाओं में 12 अध्यापिकायें हां कहती है। जबकि 17 अध्यापिकायें नहीं कहती है। अनुसूचित जाति की 21 अध्यापिकाओं का मानना यह है कि बिना महिलाओं के सहयोग के सरकार का गठन नहीं हो सकता है अर्थात् महिलाओं के सहयोग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जबकि 32 अध्यापिकायें यह कहती है कि सरकार के गठन में महिलाओं का कोई योगदान नहीं होता है अर्थात् बिना महिलाओं के सहयोग के भी सरकार का गठन हो सकता है। इन अध्यापिकाओं का स्थान द्वितीय है।

सारणी-सं0 3.7

अध्यापिकाओं की जाति एवं उनके राजनीति में प्रवेश सम्बन्धी पारिवारिक पसंद का विचार

विद्यालय	संख्या प्र0	सामान्य		पिछड़ा वर्ग		अनु0जाति		योग
		हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
इण्टर	सं0	18	60	4	1	4	13	100
मीडिएट	प्र0	18	60	4	1	4	13	
हाईस्कूल	सं0	4	2	1	1	–	3	10
	प्र0	40	20	10	10	–	30	
जू0हा0	सं0	28	56	12	11	13	20	140
स्कूल	प्र0	20	40	8.5	7.85	9.28	14.2	
योग	सं0	50	118	16	13	17	36	250
	प्र0	20	47.2	6.4	5.2	6.8	14.4	

आज प्रत्येक वर्ग की नारी सम्मानपूर्वक जीना चाहती है। जहां एक ओर शिक्षा का विकास हुआ है वही दूसरी ओर नारी के विचारो में भी परिवर्तन आया है। आज की नारी ग्राम पंचायत ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, नगरपालिका की अध्यक्षा, विधान सभा और लोक सभा तक के सभी राजनीतिक पदो पर अपना प्रभाव बनाना चाहती है। परन्तु कुछ परिवार ऐसे है जो अपनी बहुओं और बेटियों को घर के बाहर नौकरी करने एवं चुनाव में खड़े होना अच्छा नहीं समझते। इस प्रकार बहुत सी महिलायें जो राजनीति में जाना चाहती है वो भी नहीं जा पाती। यह सारिणी में अध्यापिकाओं के राजनीति में प्रवेश के पारिवारिक विचारो को स्पष्ट किया गया है।

प्रस्तुत सारिणी में प्रत्येक जाति की अध्यापिका से यह जानने का प्रयास किया गया है कि राजनीति में उनके जाने पर उनके परिवार वालो के विचार क्या है। जाति में आधार पर अध्यापिकाओं को तीन भागो में बांटा गया है। प्रथम, सामान्य-वर्ग, अर्थात् (उच्च-जाति) पिछड़ा वर्ग अर्थात् (मध्यम वर्ग), अनुसूचित जाति अर्थात् (निम्न वर्ग) बांदा नगर क्षेत्र के समस्त बालिका विद्यालय जो नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसे सभी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है। जिनमें सामान्य वर्ग की 50 (20 प्रतिशत)

अध्यापिकाओं के परिवार महिलाओं के राजनीति में जाने के विचार के पक्ष में है जबकि 118 परिवार सामान्य वर्ग के ऐसे है जो राजनीति में महिलाओं का जाना पंसद ही नहीं करते है। पिछड़ी जाति की 16 (6.4 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार वाले अध्यापिकाओं का राजनीति में जाना पंसद करते है जबकि 13 (5.2 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार महिलाओं का राजनीति में जाना परसंद नहीं करते। अनुसूचित जाति की 17 (6.8 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवारों का मानना है कि महिलाओं को राजनीति मे जाना चाहिए। जबकि 36 (14.4 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार का मानना यह है कि राजनीति में जाना महिलाओं को शोभा नहीं देता। इस सारिणी से स्पष्ट होता है सभी जाति के ज्यादातर परिवार यही कहते है कि राजनीति मे महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। इन सभी जातियों मे हां कहने वाली और न कहने वाली सामान्य जाति का स्थान प्रथम हैं। दूसरा स्थान अनुसूचित जाति का और तीसरा स्थान पिछड़ी जाति का है।

प्रस्तुत सारिणी को विद्यालय क्रमानुसार जब हम देखते है। तो ज्ञात होता है। कि इण्टरमीडिएट विद्यालय की 100 अध्यापिकाओं में सामान्य वर्ग के 18 (18 प्रतिशत) परिवार महिलाओ के राजनीति में जाने के पक्ष में हां कहते है जबकि 60 (60 प्रतिशत) परिवार न करते है। पिछड़ी जाति की 4 (4 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार वाले महिलाओं का राजनीति में जाना पसंद करते है जबकि 1 (1 प्रतिशत) परिवार ही इन संबंध मे न करते है। अनुसूचित जाति की 4 (4 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार वालो का मानना है। कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए, तभी महिलाओं आगे आ सकती है। जबकि 13 (13 प्रतिशत) अध्यापिकओं के परिवार वाले इसके विपक्ष में उत्तर देते है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमें सामान्य जाति की 4 (40 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार वालों का मानना यह है कि स्त्रियों को अपना यदि अधिकार पाना है तो उन्हे राजनीति में प्रवेश करना ही होगा अर्थात् बिना राजनीति में प्रवेश किये महिलाओं आगे नहीं बढ़ पायंगी, न अपना अधिकार प्राप्त कर सकेगी जबकि 2

(20 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार वाले इस प्रकार के विचारों के पक्ष में अपना उत्तर नहीं देते है। पिछड़ी जाति की 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवारों का मानना यह है कि महिलाओं का राजनीति में भाग लेना चाहिए जबकि 1 (10 प्रतिशत) का मानना यह है कि महिलाओं का राजनीति मे जाना अच्छा नहीं है। यह पुरुषों का काम है। स्त्रियों को अपने घर एवं परिवार की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अनुसूचित जाति की एक भी अध्यापिका ऐसी नहीं जो हां कहती हो। सभी 3 (30 प्रतिशत) अध्यापिकाओं यह कहती है कि राजनीति में जाना हमारे परिवार वाले पसंद नहीं करते है।

इसी प्रकार जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यपिकाओं की संख्या 140 है। जिनके सामान्य वर्ग की 28 (20 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार वालो का मानना है कि राजनीति में महिलाओं को भाग लेना चाहिए जबकि 56 (40 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार वाले महिलाओं का राजनीति मे जाना पसंद नहीं करते है। पिछड़ी जाति की 12 (8.5 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार वाले महिलाओं के राजनीति मे जाने के पक्ष में उत्तर देते है। जबकि 11 (7.28 प्रतिशत) अध्यापिकाओं के परिवार वाले इसके विपक्ष में उत्तर देते है। अनुसूचित जाति का 13 (9.26 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसे परिवार की है जिनका मानना यह है कि राजनीति में महिलाओं को हिस्सा अवश्य लेना चाहिए जबकि 20 (14.2 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसी है जिनके परिवार वाले महिलाओं को राजनीति में जाना पसंद नहीं करते और यह कहते है कि महिलाओं घर में ही रहकर अपने पति की सेवा व बच्चो की देखभाल करें।

सारणी सं0-3.8
अध्यापिकाओं की किसी राजनैतिक पार्टी की सदस्य संबंधी जानकारी

			20 -30		30-40		40-50		50-60		योग
क्र0	विद्यालय	संख्या प्रतिशत	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
1.	इण्टर	सं	–	33	–	23	2	24	2	16	100
	मीडिएट	प्र0	–	33	–	23	2	24	2	16	
2.	हाईस्कूल	सं0	–	2	1	6	1	–	–	–	10
		प्र0		20	10	60	10	–	–	–	
3.	जू0हा0	सं0	68	4	12	–	20	–	–	36	140
	स्कूल	प्र0	48.5	2.8	8.5	–	14.2	–	25.7	–	
		सं0	–	103	5	41	3	44	2	52	250
		प्र0		41.2	2						

प्रस्तुत सारिणी बांदा नगर क्षेत्र के सभी बालिका इण्टर कालेज, हाईस्कूल, और नगर पालिका द्वारा मान्यता सभी जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की राजनीतिक पार्टी की सदस्य संबंधी जानकारी अर्थात् विद्यालयीय अध्यापिकायें विद्यालय कार्य के साथ अन्य कार्य जैसे किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य है या नहीं संबंधी जानकारी को इस सारिणी मे प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत सारिणी द्वारा अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि कितनी अध्यापिकायों में राजनीतिक चेतना जाग्रत हो चुकी है या राजनीतिक पार्टियों में सहभागी हो चुकी या हो रही है। यदि महिलायें राजनीतिक पार्टियों या गतिविधियों में भाग लेती है तो यह उनमें राजनीतिक चेतना का परिणाम है।

प्रस्तुत सारिणी में अध्यापिकाओं की आयु के आधार पर अध्यापिकाओं की राजनीतिक चेतना संबंधी जानकारी को प्राप्त किया गया है। प्रस्तुत सारिणी को जब हम विद्यालय स्तर के आधार पर जानने का प्रयास करते है तो ज्ञात होता है कि इण्टर मीडिएट विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है। जिनमें 20-30 आयु वर्ग की कोई भी अध्यापिका किसी भी राजनीतिक पार्टी की सदस्य नहीं है। अर्थात् 33 (33 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कह रही है वो किसी भी पार्टी से सम्बन्धित नहीं है। 30-40 आयु वर्ग मे

भी 3 (3 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कह रही है कि वो किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं है। 40-50 आयु वर्ग की मात्र 2 (2 प्रतिशत) अध्यापिकायें ही यह कह रही है। कि वो राजनीतिक पार्टियों की सदस्य है जबकि 24 (24 प्रतिशत) अध्यापिकायें किसी भी पार्टी की सदस्य होना स्वीकार नहीं करती है। 50-60 आयु वर्ग की भी मात्र 2 (2 प्रतिशत) अध्यापिकायें ही राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों में शामिल है जबकि 16 (16 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि वह किसी भी पार्टी कि न तो सदस्य है न ही राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है।

इसी प्रकार हाईस्कूल विद्यालय की अध्यापिकाओं से जब यह सवाल पूछा गया कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी की सदस्य है तो अध्यापिकाओं ने जो उत्तर दिये वे इस सारिणी मे प्रस्तुत है। हाईस्कूल विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है। जिनमें 20-30 आयु वर्ग की 2 (20 प्रतिशत) अध्यापिकायें किसी भी पार्टी की सदस्य होना स्वीकार नहीं करती। 30-40 आयु वर्ग की मात्र 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें ही यह कहती है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य है। जबकि 6 (60 प्रतिशत) अध्यापिकायें किसी भी पार्टी की सदस्य होना स्वीकार नहीं करती है। 40-50 आयु वर्ग की मात्र 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह स्वीकार करती है। कि वो किसी भी पार्टी की सदस्य है। 50-60 आयु वर्ग की एक भी अध्यापिका नहीं है।

इसी प्रकार जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है जिनमें 20-30 आयु वर्ग कोई भी अध्यापिका किसी भी पार्टी की सदस्य होना स्वीकार नहीं करती है। 68 (48.5 प्रतिशत) अध्यापिकायें राजनीतिक पार्टी की सदस्यता बनना अस्वीकार करती है। 30-40 आयु वर्ग की 4 (2.8 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह है कि वह राजनीतिक पार्टी की सदस्य बनना चाहती है अर्थात् किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य है जब की 12 (8.5 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का कहना यह है कि वह किसी की पार्टी की सदस्य नहीं है। 40-50 आयु वर्ग की कोई भी अध्यापिका हां नहीं कहती जबकि 20 (14.2 प्रतिशत)

अध्यापिकायें यह कहती है कि वो किसी न किसी पार्टी में शामिल है। 50-60 आयु वर्ग की भी 36 (25.7 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह स्वीकार करती है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी की न तो सदस्य है।

प्रस्तुत सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि सभी बालिका इण्टर कालेजो, हाईस्कूल विद्यालयों, जू0हा0 स्कूल विद्यालयो में 30-40 आयु की सबसे ज्यादा अध्यापिकायें 5 (2 प्रतिशत) रजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती है या राजनीतिक पार्टी की सदस्य है दूसरे स्थान पर 40-50 आयु वर्ग की 4 अध्यापिकायें किसी न किसी पार्टी की सदस्य है। तीसरे स्थान पर 50-60 आयु वर्ग अध्यापिका राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है। 20-30 आयु वर्ग की कोई भी अध्यापिका किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अभी शिक्षित वर्ग (अध्यापिकाओं) में भी राजनीतिक चेतना उतनी अधिक नहीं है। जितनी अधिक होना चाहिए। इससे ज्ञात होता है कि जब शिक्षित महिलायें ही आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अशिक्षित महिलाओं की तो बात ही अलग है।

सामाजिक परिवेश का सामाजिक चेतना पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस चेतना की वृद्धि में सम्पर्क शिक्षा संचार एवं ऐच्छिक प्रयासों का विशेष महत्त्व होता है। विभिन्न संगठनों के सम्पर्क, एवं सामाजिक प्रयासों से समाज के हर वर्ग की महिला जो शिक्षिक है उनमें सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना बढ़ती जा रही है। आजकल की शिक्षित महिलायें अब अपने परिवेश में होने वाले राजनीतिक बदलाव से परिचित होती जा रही है। अतः सामाजिक चेतना क्रमशः राजनीतिक चेतना को भी विकसित करती है और इस चेतना वृद्धि में सम्पर्क, संचार शिक्षा के साथ-साथ राजनीतिक दल एवं स्वैच्छिक संगठनों का भी योगदान होता है।

चतुर्थ–अध्याय

राजनीतिक विरसन

चतुर्थ-अध्याय

राजनीतिक विरसन

पराएपन या अलगाव की संकल्पना-

सर्वप्रथम पराएपन या अलगाव की संकल्पना हेगरी के मार्क्स वादी विचारक जार्ज ल्यूकाच (1885-1967) ने बीसवीं शताब्दी के पहले और. दूसरे दशकों में पूंजीवादी समाज में अलगाव और जडवस्तुकरण पर एक लेखमाला लिखी थी। जब यह लेख प्रकाशित हुआ, तब तक मार्क्स की इकॉनॉमिक एण्ड फिलॉसॉफिक मैनुस्क्रिप्टान आफ 1884 (1884 की आर्थिक और दार्शनिक पाण्डुलिपियां) प्रकाश में नहीं आई थी। अतः ल्यूकाच ने पराएपन का मार्क्सवादी सिद्धान्त अपनी प्रेरणा और सूझ-बूझ से विकसित किया था। बाद में जब मार्क्स की अज्ञात 'पाण्डुलिपियाँ' प्रकाशित हो गई और उनकी व्यापक चर्चा होने लगी, तब से ल्यूकांच की रचनाओं का महत्त्व बढ़ गया और पराएपन का सिद्धान्त समकालीन मार्क्सवादी चितंन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है।

पराएपन या अलगांव की संकल्पना मार्क्स की इकॉनामिक एण्ड फिलॉसॉफिक मैनुस्क्रिप्टस आफ 1884 का प्रधान विषय है। मार्क्स ने (आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपिया, 1844) के अन्तर्गत पूंजीवाद की आलोचना इस आधार पर की थी कि वह मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता। वह मनुष्य की रचनात्मक शक्तियों और कोमल भावनाओं को स्पष्ट करके उसे प्रकृति से, समाज से यहा तक कि अपने आप से बेगाना बना देता है। ऐसी हालात में उसकी स्वतन्त्रता की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। उसकी स्वतन्त्रता वापस लाने का सही तरीका यह होगा कि उन परिस्थितियों को बदल दिया जाए जिनमें मनुष्य 'अलगाव' या 'पराएपन' का अनुभव करता है।

कार्ल मार्क्स- (1973) ने विरसन या अलगाव को व्यक्ति की वह दशा माना है जिसमें उसका कार्य परदेशी शक्ति बन जाता है, जो उसके द्वारा शासित न रहकर उससे हार जाता है तथा उसके ही विरुद्ध हो जाता है।

<u>एरिक फ्राम-</u> (1973) ने और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि विरसन अनुभव का वह रुप है जिससे व्यक्ति अपने आप को परदेशी समझने लगता है। इससे वह अपने से विकर्षित हो जाता है। वह आपने आप को संसार का केन्द्र व अपने कार्यो का सृजन करता अनुभव नहीं करता अपितु उसके कार्य तथा इसके परिणाम उसके स्वामी बन जाते है।

<u>कैनीथ कैनीस्टोन-</u> (1960) कैनीथ के मतानुसार नगरीय औद्योगिक अधिकारी तन्त्रीय समाजों में शक्ति की जितनी दूरी आज है उतनी पहले कभी नहीं रही है। उदाहरण प्राचीन ग्रीक तथा रोमानी जर्मनी प्रथा में जनता की अपने नेताओं के प्रति पूर्ण अधीनता इसी प्रवृत्ति के उदाहरण है।

ओ०पी० गावा (1993) ने कार्ल मार्क्स के विरसन के सम्प्रत्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए, मार्क्स के पूंजीवादी समाज के अन्तर्गत पराएपन के चार स्तरो की पहचान की है।

<u>(क) सर्वप्रथम मनुष्य अपने उत्पादन तथा उत्पादन प्रक्रिया से कट जाता है</u> क्योंकि पूंजीवादी समाज में श्रमिक से यह नहीं पूछा जाता कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाय और कैसे किया जाए। उसका काम उसे रचनात्मक कार्य का संतोष नहीं दे पाता। उदाहरण के लिए यादि सामंतवादी समाज में कोई श्रमिक एक पूरी कमीज बनाता था तो उसे यह संतोष होता था कि उसने एक उपयोगी या कलात्मक वास्तु बनाई है, शायद व्यक्ति विशेष के लिए बनाई है जिसे वह उस कमीज को पहने हुए देख सकता था। अतः अपने उत्पादन के वह एक तरह का अपनापन महसूस करता था। परन्तु पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े-बड़े कारखानों में कोई श्रमिक पूरी कमीज नहीं बनाता। कोई सिर्फ कालर बनाता है, कोई जेबे बनाता है, कोई कुछ और कोई सिर्फ बटन लगाता है। पूरी कमीज के साथ कोई अपनापन अनुभव नहीं करता। उसे कौन पहनेगा, और उसे पर वह कैसी लगेगी- यह भी कोई नहीं जानता।

<u>(ख) मनुष्य प्रकृति से पराया हो जाता है-</u> क्योकि मशीनी वातावरण में कामगार स्वयं भी मशीन का एक पूर्जा बन जाता है और बाहर के वातावरण से बिल्कुल उदासीन हो

जाता है, जैसे प्रकृति से उसका संबंध ही टूट गया है और वह प्रकृति के रमणीय दृश्यों तथा वातावरण का रस भी नहीं ले पाता है।

(ग) तीसरे आर्थिक प्रणली में प्रतिस्पर्घा इतनी प्रधान होती है कि मनुष्य अपने सहचरो से भी कोई हार्दिक संबंध नहीं रख पाता- इस प्रतिस्पर्धा में एक का लाभ दूसरे की हानि बन जाता है जिससे हितो में तीव्र संघर्ष पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए जब एक मजदूर बीमार पड़ता है तो उसकी जगह दूसरे बेकार बैठे मजदूर को काम मिल जाता है।

(घ) अंत में मनुष्य अपने आप से भी पराया हो जाता है- क्योंकि काम के बोझ से दबा हुआ वह केवल बोझ ढोने वाला पशु बनकर रह जाता है और कला, सहित्य और अपनी सांस्कृतिक परम्परा में उसका कोई रुझान नहीं रह जाता दूसरे शब्दों में पूंजीवादी प्रणाली मानवीय प्रतिभा और गुणों को उन परिस्थितियों का दास बना देती है जो पूंजी और संपत्ति के निजी स्वामित्व से पैदा होती है। संक्षेप में पूंजीवाद समस्त मानवीय क्षमताओं को नष्ट करके मनुष्य को पूंजी और निजी संपत्ति के हाथ की कठपुतली बना देता है। इसके अन्तर्गत कामगार के साथ-साथ पूंजीपति भी अपनी स्वतंत्रता खो वैठता है क्योंकि अधिक से अधिक धन की लालसा उसे चैन नहीं लेने देती और वह इसके पीछे सारे मानवीय गुणों से शून्य होता चला जाता है। अतः सम्पन्नता के बीच भी वह सच्ची स्त्रतंत्रता से वंचित रहता है।

आदर्श शून्यता की स्थिति में अलगाव-

विरसन या आदर्श शून्यता व्यक्ति में अलगाव के भाव लाता है। आदर्श शून्यता की स्थिति में विरसन ज्यादा प्रभावकारी होता है। व्यक्ति अपने क्रिया कलापों से विरत होने लगता है। उसमें निराशा के भाव पनपने लगते है। इसके मूल में उपेक्षा होती है। आधुनिक अमेरिकन समाजशास्त्री राबर्ट के०मर्टन ने अपनी पुस्तक "शोसल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर" में इमाइल दुर्खीम की आदर्श शून्यता की विचारधारा का और अधिक विस्तृत एवं

स्पष्ट विश्लेषण किया है। मर्टन ने आदर्श शून्यता की व्याख्या प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से की है उसने दुर्खीम के आदर्श शून्यता के सिद्धान्त को स्वीकार तो किया है लेकिन इसका आगे विश्लेषण करते हुए कहता है कि मै इस बात का अध्ययन करना चाहता हूं कि किस प्रकार सामाजिक सरंचना कुछ लोगों के उपर एक विशेष प्रकार का नकारात्मक दवाव डालती है कि वह संतुलित व्यवहार के स्थान पर असन्तुलित व्यवहार करने लगते है। इसके अतिरिक्त अनेक परम्परागत विचारक यह मानते है कि व्यक्ति विचलित व्यवहार प्राणीशास्त्रीय कारक के कारण करते है और प्राणीशास्त्रीय जन्मजात प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को सामाजिक नियमों तथा निषेघों का उल्लंघन करके विचलित व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं अर्थात् अभी तक अनेक विचारक विचलित व्यवहार का कारण स्वयं मनुष्य को मानते रहे है और इसी आधार पर इटैलियन प्रमुख अपराधशास्त्री सीजर लोम्ब्रासो ने कहा है कि "अपराधी जन्मजात होते है।"

मर्टन ने अपने अलगाव के सिद्धान्त का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि हमारा प्राथमिक उदेश्य यह खोज करना है कि किस प्रकार कुछ सामाजिक संरचनायें कुछ व्यक्तियों पर मान्य व्यवहार की अपेक्षा अमान्य व्यवहार करने के लिए विस्तृत दवाब डालती है आदर्श शून्यता की परिभाषा करते हुए लिखा है कि आदर्श शून्यता को सांस्कृतिक संरचना के पतन के रुप में समझा जा सकता है जो कि मुख्य रुप में तब उत्पन्न होती है जबकि लक्ष्यो तथा साधनों के बीच एकरूपता नहीं रहती है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि समाज की संरचना के दो प्रमुख तत्व होते है :-

1. सांस्कृतिक लक्ष्य
2. संस्थागत आदर्श नियम

प्रत्येक सामाजिक संरचना के अन्तर्गत व्यक्ति के जीवन का एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है। मानव के इस लक्ष्य का निर्धारण संस्कृति करती है। इसी प्रकार प्रत्येक समाज की

संस्कृति का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है और वह संस्कृति मनुष्य के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करती है। प्रत्येक व्यक्ति इन्ही लक्ष्यों को स्वीकार कर लेता है। मर्टन ने इन्हें सांस्कृतिक लक्ष्य कहा है। प्रत्येक संस्कृति केवल मनुष्यों के लिए सांस्कृतिक लक्ष्य ही नहीं निर्धारित करती अपितु सामाजिक संरचना में उन लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए कुछ सर्वमान्य विधियां, आदर्श और विश्वास-निर्मित कर देती है। मान्यता प्राप्त विधियों को ही उचित माना जाता है तथा सामाजिक सरंचना के द्वारा जो मान्य नहीं है उसे अनुचित माना जाता है। मर्टन ने इन सर्वमान्य विधियों या आदर्शो को संस्थागत आदर्श नियम कहा है। उदाहरण के लिए यौन उदेश्य एवं संन्तानोत्पत्ति के लक्ष्य के लिए विवाह नामक संस्था का विकास हुआ है विवाह के लिए अनेक नियम व विधियां बनाई गई है।

इस प्रकार सांस्कृतिक लक्ष्य तथा संस्थागत आदर्शो के बीच संन्तुलन बना रहना है। चाहिए तभी सामाजिक संरचना संगठित रहती है और जब सामाजिक संरचना के लक्ष्यों और संस्थागत आदर्शो के बीच समायोजन नहीं रहता तो व्यक्ति के व्यवहार में आदर्श शून्यता आ जाती है।

मर्टन के अनुसार लक्ष्यों और संस्थागत साधनों के बीच तनाव आदर्श शून्यता की ओर ले जाता है। अपने उदाहरण के माध्यम से आदर्श शून्यता को और अधिक स्पष्ट किया है। उसने समाजवाद का उदाहरण देते हुए लिखा है। "जब एक समाज में समाजवाद की स्थापना को लक्ष्य मान लिया जाता है। पर उसे स्थापित करने के लिए आवश्यक नियमो तथा तरीको को नहीं अपनाया जाता तो एक असांमजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसमें रहते हुए व्यक्ति यह देखता है और अनुभव करता है कि एक तरफ समाजवाद का नारा दिया जाता है और दूसरी ओर उन परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं किया जाता जिनमें धनी व्यक्ति दिन प्रतिदिन और अधिक धनी होता चला जाता है और निर्धन की निर्धनता व दुखदर्द में निरन्तर वृद्धि होती जाती है। ऐसी परिस्थिति में अनेक व्यक्ति न तो सांस्कृतिक लक्ष्यों की परवाह करते हैं और न ही समाज के आदर्शो की। वह तो अपने ढंग से अपने

लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपना आदर्श नियम ढूढ़ निकालता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। यही विसंगति या नियमहीनता की स्थिति है। आदर्श शून्यता में आदर्श शून्यता का कारण संस्कृतियों को भी माना है। उन्होंने अमेरिका समाज की संस्कृति का उदाहरण देकर इसे स्पष्ट किया है। इस संस्कृति में कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक वल दिया जाता है किन्तु संस्थागत नियमों के पालन की उतनी अधिक परवाह नहीं की जाती है।

इस संस्कृति में तीन स्वयं सिद्धि सांस्कृतिक सिद्धान्तो पर बल दिया जाता है

1. प्रत्येक व्यक्ति को उच्च्य लक्ष्य व महत्वाकांक्षाए रखना चाहिए।
2. असफलता की कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए और असफलताओं को अन्तिम सफलता तक पहुचाने के लिए रास्ते के विश्राम स्थल समझना चाहिए।
3. महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना या कम कर देना ही वास्तव में असफलता है अर्थात् उच्च्य लक्ष्यों को न रखना ही पराजय या असफलता है।

मर्टन के मतानुसार- कि इन स्वयं सिद्ध सिद्धान्तों के कारण अमेरिकन समाज में व्यक्ति की निरन्तर आकांक्षाये बढ़ती जाती है और सांस्कृति द्वारा उनकी पूर्ति की इच्छा उत्पन्न की जाती है। जिससे वह पागलपन होकर उनके पीछे भागता है और निराशा व असफलता से बचने की प्ररेणा दी जाती है तथा अतृप्त आकाक्षाओं के प्रति निरन्तर चेतना जाग्रत की जाती है। इस समाज की संस्कृति में धन व्यर्थ को सफलता का प्रतीक माना जाता है। धन की प्राप्ति जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया है। परन्तु इसकी प्राप्ति के साधनों के प्रति समानान्तर चेतना जाग्रत नहीं की गई है। इस कारण उचित अनुचित, स्वीकृति-अस्वीकृति, जिन साधनों से भी हो धन कमाने की चेष्टा करते है। अमेरिकन समाज की इस मान्यता को फुटबाल के खेल के उदाहरण से भी समझाया है कि जब फुटबाल खेलने वाली दो विरोधी टीमो का बल लक्ष्य पर ही केन्द्रित रहता है। हमे केवल जीतना ही है चाहे नियमों का पालन करके या उलघंन करके। दो विरोधी टीमों के खिलाड़ी नियम को तोड़कर गिराने तक की कोशिश करते है। यही स्थिति नियमहीनता ही है मर्टन के अनुसार आज अमेरिकन सामज में नियमहीनता चरम

सीमा पर है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य अधिक से अधिक धनार्जन है। चाहे रास्ते सही हो या गलत। यही कारण है कि आज अपराध के क्षेत्र में अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान रखता है।

राजनीतिक विरसन- राजनीतिक विरसन व्यक्ति की राजनीति के प्रति उदासीनता अथवा राजनीतिक सहभागिता में ह्रास है। यद्यपि विरसन का संप्रत्यय एक प्राचीन संप्रत्यय है तथापि सामाजिक विज्ञानो में महत्वपूर्ण स्थान पूंजीवादी समाजों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही ग्रहण किया है। प्राचीन अर्थ में इसका प्रयोग पागलपन की अवस्था के लिए किया जाता था। फ्रांसीसी भाषा में एलीने तथा स्पेन की भाषा में 'एलिण्डो' ऐसे ही शब्द है जिनका प्रयोग व्यक्ति की उन मानसिक दशाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिससे वह अपने आपको परदेशी समझने लगता है तथा अपने एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति अलगाव अनुभव करता है। समकालीन साहित्य में इस शब्द का प्रयोग चिन्ताग्रस्त या असन्तुलित मनोदशाओं व प्रवृत्तियों के लिए किया जाता है जो व्यक्ति को समाज से, पर्यावरण से यहां तक की स्वयं अपने से उदासीन बना देती है। विरसन युक्त व्यक्ति एकल, बेसहारा एवं असुरक्षित अनुभव करने लगता है तथा सामाजिक संबंधो के जाल से अपने आपको अलग रखने का प्रयास करता है।

आधुनिकीकरण का सह उत्पाद औपचारिक एवं तटस्थ संबंध स्थापन का प्रभाव केवल आधुनिकी एवं सम्पन्न देशों पर ही नहीं पड़ा है, वरन इससे पिछड़े एवं अल्प विकसित देश भी प्रभावित हुए है। तीसरी दुनिया के देश भी इस रोग से मुक्त नहीं हुए है। अनौपचारिक संबंधों की अत्मीयता, अपनापन धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। व्यक्ति उपभोक्ता बनकर रह गया है। उपभोगवादी प्रवृत्ति जहां लालसा में वृद्धि करते है वही उपलब्धियों का अभाव उसे तटस्थ एवं उदासीन बनाते हैं। आज कमोवेश भारत के सामान्य जन की स्थिति भी इसी प्रकार की दिखाई पड़ रही है। मर्टन के समायोजन की अवधारण को दृष्टि में रखते हुए ध्यान दे तो स्पष्ट होता है कि संस्कृति द्वारा परिभाषित लक्ष्यों का सीमित होना साथ ही

संस्थागत साधन का अनुपलब्ध होना अदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न कर रहा है जिसके परिणामस्वरुप अलगाव एवं उदासीनता में वृद्धि हो रही है।

ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश में जहां एक ओर लक्ष्य और साधन प्राप्त करने की होड़ मची हुई है। वहीं दूसरी ओर न प्राप्त होने की स्थिति में अलगाव एवं विरसन भी उत्पन्न हो रहा है। आज की प्रकृति यह है कि हम सभी उपलब्धियां प्रायः राजनीतिक संबंध के आधार पर प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे है, चाहे वे लक्ष्य हो या साधन। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर राजनीतिक चेतना एवं सहभागिता में वृद्धि हो रही है वही दूसरी ओर उपलब्धि के अभाव में व्यक्ति राजनीतिक विरसन का शिकार भी हो रहा है। यह स्थिति वर्तमान भारत में सभी वर्गो की है। इससे अध्यापक एवं अध्यापिका भी अछूते नहीं है। धर्मवीर महाजन (1983)ने कहा है कि आधुनिक औद्योगिक समाजों में विरसन की प्रवृत्ति बढ जाने के कारण समाज वैज्ञानिक निरन्तर इस संप्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ विद्वान इसका प्रयोग करना उचित ही नहीं समझते जबकि हीगल कार्लमार्क्स, जे0एस0मिल, मैक्सवेबर, जार्ज सिमैल, डेविड रीजमैन, एरिकफ्राम तथा अनेक अन्य विद्वानों के नाम इस संप्रत्यय से जुडे हुए हैं।

1950 के पश्चात राजनीतिक समाजशास्त्रीयों द्वारा विरसन के संप्रत्यय का प्रयोग सभी प्रकार की राजनीतिक स्थितियों की व्याख्या करने के लिए किया जाने लगा है तथा जनमत, मतदान, उपस्थिति, मतसंग्रह, राजनीतिक समाजीकरण, उग्रवादी राजनीति तथा दलीय अन्तर्भावना जैसे विविध पहलुओं पर इसके परिव्ययों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। विभिन्न अध्ययनों से सामान्यतः हमें पता चलता है कि सभी प्रकार की राजनीतिक मनोवृत्तियॉ एवं व्यवहार राजनीतिक विरसन द्वारा प्रभावित होते हैं। स्पष्ट है कि राजनीति के प्रति विकर्षण, शक्तिहीनता तथा उदासीनता पैदा कर देती है जिसे विर्षकण विच्छिन्नता, परकीकरण विरसता, उदासीनता, वैराश्य अथवा अलगाव भी कहते हैं।

अध्यापिकाओं में उदासीनता-

प्रत्येक व्यवसाय और धन्धे में व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ का असर उसके कार्य पर पड़ता है, किन्तु इसका जितना गहरा संबंध शिक्षक के कार्य से है उतना अन्य धन्धे से नहीं। अध्यापिकाओं का संबंध उन छोटे-बड़े बच्चो से होता है जिनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है और जिनमें नई-नई मनोवृत्तियों का निर्माण हो रहा है। ऐसी अवस्था में शिक्षिका के व्यक्तितत्व का बहुत गहरा असर छात्राओं पर पड़ता है। सर्वेक्षण के दौरान गवेषिका को एक पाँचवीं कक्षा की छात्रा ने बताया कि छठीं कक्षा में जब वह जायेगी तो वह चित्रकला नहीं लेगी, कारण पूछने पर पता चला कि चित्रकला की शिक्षिका से वह डरती है। उस लड़की ने यह भी बताया कि उसको एक शिक्षिका जब कक्षा में आने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ती है तब सब विद्यार्थी अपने स्थान पर चुपचाप बैठ जाते है। एक दूसरी शिक्षिका का जब घंटा शुरु होता है तब कुछ छात्राएं रस्सी कूदने लगती है और कुछ अन्य खेलों में लग जाती है। ये कुछ उदाहरण यह बताने के लिए दिये गये है कि किस प्रकार शिक्षिका के व्यक्तित्व का असर बच्चों पर पड़ता है। इसी प्रकार का अध्ययन बैक्सर ने नर्सरी स्कूलों के छात्रों पर किया। इसको पता लगा कि जो शिक्षक असंतुलित थे उनका कुप्रभाव उनके छात्रों पर भी पड़ा और उनके सन्तुलन में अवांछनीय परिवर्तन आया, जबकि इन्हीं के समान अन्य छात्रों में जिन्हें "सन्तुलित शिक्षक" पढ़ा रहे थे, इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया।

इन दृाष्टान्तों और अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षिका को उदासीनता, अलगाव वैराश्य एवं हीनता की भावना का प्रभाव उसकी छात्राओं के प्रति व्यवहार में झलकता है। जो शिक्षिका स्वास्थ मन की होती है वे ऐसे वातावरण का संचार करने में सफल होती रहती है जिसमें छात्राएं अपने को सुरक्षित पाती है और किसी प्रकार के तनाव का अनुभव नहीं करतीं। इसके विपरीत ऐसी भी अध्यापिकायें है जिनकी कक्षा में छात्राएं घबराहट, बेचैनी और डर के कारण दबी रहती हैं, और उनके स्वाभाविक विकास में बाधाएं पड़ती है।

उदासीनता या असन्तुलन के कुछ लक्षण-

1. दूसरों को दोष देना- कुछ शिक्षिका ऐसी होती है जिन्हें दूसरों मे दोष ही दोष दिखाई देते है। अपनी कमियों की ओर इनका ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि अपनी कमियों को जानने में एक मानसिक बेचेनी होती है जिसे केवल संतुलित व्यक्ति ही सहन कर सकता है। दोषरोपण के कारण इनका सभी से झगड़ा हुआ करता है।

2. सम्मान प्राप्त करने के प्रयत्न- कुछ अध्यापिकायें आत्महीनता की भावना के कारण, अपने को प्रकाश में लाने के अजीब प्रयास करती हैं। किसी विचार गोष्ठी में वे सबसे अधिक बोलने की कोशिश करती हैं या अव्यवहारिक सुझाव रखती है। छात्राओं में व विद्यालय मे लोकप्रिय बनने की कोशिश करती हैं जो स्थान वे प्राप्त करना चाहती है उसके लिए पर्याप्त योग्यता न होने के कारण वे सभी की उपहास्पद बन जाती है।

3. चिड़चिडाहट- कुछ अध्यापिकायें छोटी-छोटी बातो पर नाराज हो जाती है छात्राओं के साधारण नटखटपन को वे सहन नहीं कर पाती। कोई शरारत होने पर अपराधी छात्रा का पता न लगने पर वे सारी कक्षा को दण्डित करती हैं। इस प्रकार की चिडचिडाहट उदासीनता या असंतुलन की द्योतक है।

4. आन्तरिक संबाधा (कम्पलशन)- गवेषिका को एक ऐसी शिक्षिका का पता लगा जिसने अपने सारे दैनिक कार्यक्रमों को इतना दृढ बना रखा था कि इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई स्थान नहीं था। उदाहरण के लिए उसने निश्चित किया हुआ था कि एक घंटा प्रतिदिन कार्य करना है। यदि छात्रों के गृह कार्य नहीं होता फिर भी वह एक घंटो बैठी रहती और भजन किया करती। यहां तक तो ठीक था किन्तु परीक्षा की कापियां यदि आती तो वह केवल एक घंटा प्रतिदिन के हिसाब से उन्हे जाचती और इस प्रकार परीक्षाफल बनाने में कभी बिलम्ब भी हो जाता, किन्तु शिक्षका कभी एक घंटे से अधिक समय नहीं लगाती। प्रधानाध्यापिका और निरीक्षक उसकी आदतो को जानते थे इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके जीवन मे एक प्रकार की आन्तरिक संबाधा या अग्रेजी में जिसे

(कम्पलन) कहते है घर कर गई थी। इस प्रकार की बाध्यता जब होती है तो व्यक्ति को उसके अनुरुप कार्य करना ही पड़ता है अन्यथा वह बहुत बेचैनी का अनुभव करता है। इस प्रकार की बाहयता एक मानसिक रोगी मानी जाती है। अक्सर छात्राओं को इनसे अधिक अहित नहीं होता।

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षिका के धन्धे में उन्हीं महिलाओं को आना चाहिए जिनमें सचमुच छात्राओं के प्रति रुचि है, जिनको शिक्षक कार्य मे आनन्द आता है, जो अपनी आज्ञाए मनवाना और दूसरों पर अपना रोष जमाना नहीं चाहती, और जो मानसिक रोगों से मुक्त है, जो अध्यापिकाओं का चुनाव करते है उन पर भी इस बात का काफी उत्तरदायित्व है कि वे उचित व्यक्तित्व वाली अध्यापिकओं का चुनाव करें।

सारणी सं0 4.1

शिक्षा एवं विद्यालयीय अध्यापिकाओं में उदासीनता की स्थिति संबंधी जानकारी

क्र0	विद्यालय	संख्या	हाईस्कूल		इण्टरमीडिएट		स्नातक		परास्नातक		तकनीकी		पी0एच0डी0.		
		प्रतिशत	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	योग
1.	इण्टर	सं0	–	–	–	–	12	3	47	29	5	1	2	1	100
	मीडिएट	प्र0	–	–	–	–	12	3	47	29	5	1	2	1	
2.	हाईस्कूल	सं0	–	–	–	–	1	–	7	1	–	–	1	–	10
		प्र0	–	–	–	–	10	–	70	10	–	–	10	–	
3.	जू0हा0	सं0	12	8	20	4	48	28	19	–	–	–	–	–	140
	स्कूल	प्र0	8.5	5.7	14.2	2.8	34.2	20	13.5	–	–	–	–	–	
	योग	सं0	12	8	20	4	61	31	73	30	5	1	3	2	250
		प्र0	8.5	3.2	8	1.6	24.4	12.4	29.2	12	2.0	0.4	1.02	8	

व्यक्ति अपने धंधे में संतोष या असंतोष का जो अनुभव करता है उसका उसके मानसिक स्वास्थ पर असर पड़ता है। संतोष या खुशी मानसिक सन्तुलन को दृढ़ करती है, जबकि असंतोष या उदासीनता उसको असुलित बनाती है।

जब गवेषिका ने संतोषदाई पहलुओं और उदासीनता के कारणों को साक्षात्कार के दौरान जानने का प्रयास किया तो पता चला कि जिन अध्यापिकाओं की रूचि अपने छात्रो पर है तो यह उसके संतोष का बहुत बड़ा कारण है या फिर वो यह मानती है कि वह भावी नगरिको का निर्माण कर रही है या उन्हें लगता है कि छात्रों के व्यक्तित्व और भविष्य के निर्माण में उसका योग है। किसी पाठ या विषय को सफलतापूर्वक पढ़ा सकने पर उसे उसी सफलता का अनुभव होता है जो किसी कलाकर को अपने सफल कला के प्रदर्शन में। कुछ संतोष के कारण छुट्टियों का अधिक मिलना। कुछ अध्यापिकाओं का छात्रो पर हुक्म चलाने से संतोष भी गलत मनोवृत्ति का परिचायक है।

असंतोष या उदासीनता के कारणों में प्रमुख कम वेतन और समाज में शिक्षक का कम सम्मान है। अध्यापिकाओं का कहना है कि इसी योग्यता के व्यक्तियों को अन्य विभागों में अधिक वेतन मिलता है। कुछ विभागों में जैसे रेल, डाक, बैंक आदि में अधिक सुविधायें मिलती है। इसके साथ-साथ शिक्षिकों को रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा रखना पड़ता है। कुछ अध्यापिकाओं का यह भी कहना है कि ट्यूशन के कारण शिक्षिका का सम्मान समाज में गिरा है। इसके कारण उन्हें नीचा देखना पड़ता है। किन्तु उनका कहना है कि मजबूर होकर उन्हें ट्यूशन करनी पड़ती है। कुछ अध्यापिकाएं ऐसी भी है जो अपने वेतन से संतुष्ट है और उनका यह भी विचार है कि उन्हें समाज में पर्याप्त सम्मान मिलता है। प्रायः इस प्रकार कहने वाली ज्यादातर अध्यापिकाएं सरकारी स्कूलों एवं सीनियर सरकारी, अर्ध सरकारी विद्यालयों की है। प्राइवेट जूनियर हाईस्कूलों, एवं नगरपालिका द्वारा संचालित हाईस्कूलों में कार्यरत अध्यापिकाओं का मानना है कि उनका वेतन बहुत कम है। ये कुछ ऐसे कारण है जो अध्यापिकाओं में उदासीनता की स्थिति को जन्म देती है।

प्रस्तुत सारिणी में शिक्षा के आधार पर विद्यालयीय अध्यापिकाओं में उदासीनता की स्थिति संबंधी जानकारी प्राप्त की गई है। इस सारिणी से स्पष्ट होता है कि विद्यालय स्तर के आधार पर विद्यालय को तीन भागों में विभक्त किया है। इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जू0हा0स्कूल शिक्षा के आधार पर समस्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं से जब उदासीनता की स्थिति के संबंध पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाएं केवल जूनियर हाईस्कूल में थी जिनमें से 12 (8.5) अध्यापिकायें यह कहती है कि आजकल विद्यालयों में महिलायें उदासीनता की स्थिति से गुजर रही है। किसी को वेतन की परेशानी तो किसी को प्रसाशनिक लोगो से परेशानी है जिससे अध्यापिकाओं में उदासीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जबकि 8 (3.2) अध्यापिकायें यह मानती है कि उनमें उदासीनता जैसी कोई भावना नहीं है। इण्टरमीडिएट अध्यापिकाओं की संख्या भी जूनियर हाईस्कूलों में ही देखी गई जिनमे से 20 (8 प्रतिशत) अध्यापिकायें हां कहती है। 4 (1.6 प्रतिशत) अध्यापिकायें नहीं कहती है। वर्तमान समय मे किसी भी सरकारी या प्राइवेट प्राथमिक स्कूलों में भी कोई हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट शिक्षा प्राप्त महिलाओं को अध्यापिका नहीं बनाता या नौकरी नहीं देता। हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं सिर्फ वे पुरानी अध्यापिकायें है जो सरकारी उच्च्य प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत है। स्नातक, परास्नातक, तकनीकी एवं पी0एच0डी0 स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 61 (24.4), 73 (29.2), 5 (2 प्रतिशत), 3 (1.2) अध्यापिकायें यह मानती है कि आजकल कई कारणों से अध्यापिकाओं में उदसीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जबकि स्नातक की 31 (12.4) परास्नातक 30 (12 प्रतिशत) तकनीकी 1 (0.4) पी-एच0डी0 1 (0.8) अध्यापिकायें यह स्वीकार करती है कि उनके अन्दर कोई हीन भावना नहीं है। यह व्यवसाय तो उनके लिए सबसे अच्छा है और वे इस प्रोफेशन से बहुत खुश है।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम विद्यालय के क्रमानुसार देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट की 100 अध्यापिकाओं मे हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा प्राप्त तक की कोई

भी अध्यापिका विद्यालय में कार्यरत नहीं है। स्नातक स्तर की 12 (12 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का यह कहना है कि वो उदसीनता की स्थिति से ग्रस्त रहती है। जबकि 3 (3 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का कहना है कि वो विल्कुल भी उदासीन नहीं रहती है। परास्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं ने स्वीकार किया कि किसी न किसी कारण से वह उदसीन होती है जबकि 29 (29 प्रतिशत) यह स्वीकार नहीं करती है। तकनीकी स्तर की शिक्षा प्राप्त 5 (5 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने यह माना कि सभी स्तर की शिक्षिकाओं में विद्यालय से संबंधित कुछ ऐसे कारण होते है या निकल आते है जो महिलाओं में उदासीनता की स्थिति को जन्म देते है जबकि 1 (1 प्रतिशत) यह मानती है कि व्यक्ति उदासीनता की स्थिति को स्वयं जन्म देता है। पी०एच०डी० स्तर की शिक्षा प्राप्त 2 (2 प्रतिशत) अध्यापिकाएं उदासीनता की स्थिति के उत्पन्न होने के संबंध में हां कहती है। जबकि 1 (1 प्रतिशत) नहीं कहती है। इससे स्पष्ट होता है कि परास्नातक स्तर की अध्यापिकायें ही सबसे अधिक है जो उदासीनता से ग्रस्त है या फिर उदासीनता से उत्पन्न होने वाली स्थिति के संबंध में हां कहती है। और नहीं भी इसी स्तर की अध्यापिकायें ही कहती है।

इस प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमें से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकायें बिल्कुल नहीं है। स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त 1 (10 प्रतिशत) परास्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त 7 (70 प्रतिशत) तकनीकी स्तर की 0 (0 प्रतिशत) एवं पी०एच०डी० स्तर की शिक्षा प्राप्त 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह स्वीकार करती है कि आजकल सभी विद्यालयों में कई ऐसे कारण होते है। हालाकि हर विद्यालय में अलग-अलग. हो सकते है। पर इन कारणों की वजह से अध्यापिकाओं में उदासीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जबकि स्नातक, तकनीकी और पी०एच०डी० स्तर की कोई अध्यापिका नहीं कहती है। मात्र परास्नातक की 1 (10 प्रतिशत) ही यह कहती है कि उसको उदासीनता जैसी कोई समस्या नहीं है, वो अपने काल व व्यवसाय से बहुत खुश है।

गवेषिका ने साक्षात्कार के दौरान जब उदासीनता का कारण पूछा तो ज्यादातर अध्यापिकाओं ने वेतन की कमी को बताया। प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर अध्यापिकाओं की उदासीनता की स्थिति का कारण वेतन की कमी ही है।

इस प्रकार जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमें हाईस्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त 12 (8.5 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना है कि वह अपने व्यवसाय से खुश नहीं है अर्थात् उदासीन है। जबकि 8 (5.7) अध्यापिकायें अपनी नौकरी से खुश है। इण्टरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 20 (14.2 प्रतिशत) अध्यापिकायें विद्यालय से उत्पन्न होने वाले व घरेलू सामाजिक परेशानी से उत्पन्न होने वाले कारणों से उदासीन होने के कारण हां कहती है। जबकि 4 (2.8 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह मानती है कि वे किसी भी कारणों से उदासीन नहीं है। स्नातक एवं परास्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 48 (34.2), 19 (13.5) अध्यापिकायें यह कहती है कि सामाजिक अर्थिक, विद्यालय, प्रशासन आदि से संबंधित कुछ ऐसे कारण हैं जो अध्यापिकाओं में उदासीनता या अलगाव, विक्षोम या वैरस्य की भावना को उत्पन्न करते हैं। जबकि परास्नातक की बिल्कुल नहीं मात्र स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकायें 28 (20 प्रतिशत) ही इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि विद्यालययी कारणो से अध्यापिकाओं में अलगाव उत्पन्न होता है। तकनीकी एवं पी०एच०डी० स्तर की शिक्षा प्राप्त कोई भी अध्यापिका विद्यालयी कारणों से उत्पन्न होने वाली उदासीनता या अलगाव के संबंध में हां नहीं कहती है जबकि 1 (0.7 प्रतिशत) अध्यापिका ही यह कहती है कि वे किन्ही भी कारणों से उदासीन नहीं है। जूनियर हाईस्कूलों में उदीसनता से उत्पन्न होने वाली स्थिति के संबंध में हां कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या अधिक है क्योंकि ज्यादातर अध्यापिकायें प्राइवेट स्कूलों में काम करती हैं। और प्राइवेट स्कूलों में वेतन बहुत कम 100 रुपया से लेकर 1000 तक ही रहता है। इन प्राथमिक एवं उच्च्य प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापिकायें अपनी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

ट्यूशन भी पढ़ाती है। इस प्रकार इनको अपने सामाजिक जीवन को सन्तुलित बनाने के लिए काम अधिक करना पड़ता है जो उनमें उदीसनता अलगाव एवं हीनता की भावना को जन्म देती है। जबकि सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापिकायें वेतन की समस्या से हीन न होकर अन्य दूसरे कारणों से उदासीन रहती है।

सारणी सं0 4.2
विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं राजनैतिक अध्यापिकाओं से बच्चो की शिक्षा पर कुप्रभाव संबंधी विचार

			20 -30		30-40		40-50		50-60		योग
क्र0	विद्यालय	संख्या प्रतिशत	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
1.	इण्टर मीडिएट	सं	23	10	12	11	19	8	7	10	100
		प्र0	23	10	12	11	19	8	7	10	
2.	हाईस्कूल	सं0	2	-	5	2	1	-	-	-	10
		प्र0	20	-	50	20	10	-	-	-	
3.	जू0हा0 स्कूल	सं0	52	16	12	4	20	-	24	12	140
		प्र0	37.1	11.4	8.5	2.8	14.2	-	17.1	8.5	
		सं0	77	26	29	17	40	8	31	22	250
		प्र0	30.8	10.4	11.6	6.8	16	3.2	12.4	8.8	

शिक्षक के व्यवहार अर्थात् उदासीनता, अलगाव, वैरस्य एवं हीनता की भावना का प्रभाव उसके छात्रो के प्रति व्यवहार में झलकता है। जो शिक्षक स्वस्थ एवं हीन भावना से ग्रसित नहीं होते है वे ऐसे वातावरण का संचार करने में सफल होते रहते है जिसमें छात्र अपने को सुरक्षित पाते है और किसी प्रकार के तनाव का अनुभव नहीं करते। इसके विपरीत ऐसे भी शिक्षक है जिनकी कक्षा में छात्र घबराहट, बैचेनी और डर के कारण दबे रहते हैं, और उनके स्वाभाविक विकास में बाधाएं पड़ती है।

पियर्सन ने एक दस वर्षीय बालक का दृष्टान्त दिया। यह बालक गणित में कभी 3 संख्या आती थी तब कोई भूल करता था। कारण खोजने पर पता चला कि जब यह पहली कक्षा में था। 3 सीखने में अधिक विलम्ब लगा रहा था। शिक्षक ने नाराज होकर कई बार उसके हाथ पर मारा। इसी प्रकार का एक विश्वविद्यालय के छात्र का दृष्टान्त बालिन ने दिया है। इसके मन में हीनता की भावना इतनी गहरी बैठ गई थी कि इसके मित्र अक्सर इस बात का जिक्र करते थे। जब यह छात्र तीसरी कक्षा में था। इसे अगूंठा चूसने की आदत थी। इस बात को लेकर इसकी शिक्षिका इसका खूब मजाक उड़ाती थी। उसने तीन वर्ष तक उस छात्र

को तीसरी कक्षा से रोका तब यह चौथी कक्षा में पहुंचा तब चौथी कक्षा के शिक्षक को यह लगा कि बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। उसने उसे दो तरक्की एक साथ दिलवाई, फिर भी जो हीनता की भावना उसके मन में बैठ गई थी वह न मिट सकी। ऊपर दिये दृष्टान्तों से स्पष्ट होता है कि बच्चे का स्वस्थ मानसिक विकास करने के लिए अध्यापिका के मन का स्वस्थ होना आवश्यक ही नहीं बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी हीनता, उदासीनता अलगाव या वैरस्य की भावना का प्रभाव बच्चों के दिमाग पर उनके क्रिया कलापों पर एवं उनकी पढ़ाई पर व उनके व्यवहार पर पड़ता है।

विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं राजनीतिक अध्यापिकाओं से बच्चों की शिक्षा पर कुप्रभाव संबंधी अध्ययन को ज्ञात करने के लिए विद्यालयीय अध्यापिकाओं को आयु के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। प्रथम 20-30 आयु वर्ग, द्वितीय 30-40 आयु वर्ग की, तृतीय 40-50 आयु वर्ग की चतुर्थ 50-60 आयु वर्ग की, अध्यापिकाओं की उत्तरदात्री के रुप में चुना गया। प्रस्तुत सारिणी का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि समस्त 250 उत्तरदात्रियों में हां कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या अधिक है 20-30 आयु की 77 (30.8), 30-40 आयु की 29 (11.6), 40-50 आयु की 40 (16 प्रतिशत) 50-60 आयु की 31 (12.4) अध्यापिकायें यह मानती है स्वस्थ मन का बच्चो की शिक्षा पर, बच्चो के दिमाग पर असर पड़ता है जबकि 20-30 आयु की 26 (10.4), 30-40 आयु की 17 (6.8), 40-50 आयु की 8 (3.2), 50-60 आयु की 22 (8.8) उत्तरदात्रियों का मानना है कि अध्यापिकाओं के राजनीति में होने का बच्चो की शिक्षा पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम विद्यालयानुसार देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है जिनमें से 20-30 आयु वर्ग की 23 (23 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि राजनीतिक अध्यापिकाओं का बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है जबकि 10 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि अध्यापिकाओं के कार्य का बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 30-40 आयु वर्ग

12 (12 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि अध्यापिकाओं के स्वस्थ मन का बच्चो की शिक्षा पर अच्छा असर होता है जबकि 11 (11 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात को स्वीकार नहीं करती है। 40-50 आयु वर्ग की 19 (19 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात को स्वीकार करती है कि यादि अध्यापिकाओं में हीन भावना है तो उसका असर बच्चों पर व उनकी शिक्षा पर पड़ता है जबकि 8 (8 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि अध्यापिकाओं की हीना भावना का बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 50-60 आयु वर्ग 7 (7 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह मानती है कि अध्यापिकाओं का उदासीन होना, बच्चो की शिक्षा व व्यवहार को प्रभावित कर सकता है जवकि 10 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात को स्वीकार नहीं करती है।

इस प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है। जिनमें से 2 (20 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना है कि अध्यापिकाओं का राजनीति में व्यस्त रहने से अध्यापिकाओं का मन शान्त नहीं रहता। अध्यापिकाओं में इस प्रकार की उदासीनता बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार ये उत्तर दात्रियों इस संबंध में अपना उत्तर हां कहती है जबकि नहीं में उत्तर देने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या बिल्कुल नहीं है। 30-40 आयु वर्ग 5 (50 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों का मानना है कि अध्यापिकाओं की भावना का बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है इस संबंध में हां कहती है जबकि 2 (20 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात से इन्कार करती है कि अध्यापिकाओं की भावनाओं का बच्चो की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 40-50 आयु वर्ग में हां कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या 1 (10 प्रतिशत) है जबकि नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या नगन्य है। 50-60 आयु वर्ग में कोई भी उत्तरदात्री हां या नहीं में उत्तर देने वाली नहीं है।

इस प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमें 20-30 आयु वर्ग की सबसे अधिक 52 (37.1) उत्तरदात्रियां इस बात से सहमत है कि अध्यापिकाओं का राजनीति से कोई भी संबंध उनके व्यवसाय के साथ-साथ बच्चों के व्यवहार

व शिक्षा को प्रभावित करता है जबकि 16 (11.4 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि अध्यापिकाओं के व्यवसाय का राजनीति से संबंध होने पर बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 30-40 आयु वर्ग की 12 (8.5) अध्यापिकायओं का मानना है कि अध्यापिकाओं का बच्चों की शिक्षा व भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जबकि 4 (2.8) अध्याापिकायें इस बात को स्वीकार नहीं करती है। 40-50 आयु वर्ग की मात्रा हां कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या 20 (14.2) है जो इस बात को स्वीकार करती है कि अध्यापिकाओं का विद्यालय के बच्चों से बहुत गहरा संबंध होता है। अधिकांश बच्चे अपनी अध्यापिकाओं को आदर्श मानकर वैसा ही कार्य व व्यवहार करने की कोशिश करते है। इसलिए अध्यापिका एवं बच्चो के संबंध को नकारा नहीं जा सकता है जबकि इस आयुवर्ग में कोई भी उत्तरदात्री नहीं में अपना उत्तर नहीं देती अर्थात् सभी अध्यापिकाओं इस बात को स्वीकार करती है और सहमत है। 50-60 आयु वर्ग की 24 (17.1) अध्यापिकायें इस बात को स्वीकार करती है कि यदि अध्यापिका विद्यालय में भी उदासीन, अलग या हीनभावना से ग्रसित है तो उसका व्यवहार व कार्य भी विद्यालय में परिवर्तित होगा और जिसका असर बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है जबकि 12 (8.5) उत्तरदात्रियों व इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि अध्यापिकाओं की भावनाओं का बच्चों की शिक्षा पर कोई असर या प्रभाव होता है।

सारणी सं0 4.3

विद्यालयीय अध्यापिकाओं की जाति एवं राजनैतिक दल किसी को वांछित लाभ दिला सकते है संबंधी विचार

क्र0	विद्यालय		सामान्य		पिछड़ा वर्ग		अनु0जाति		योग
			हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
1	इण्टरमीडिएट	सं0	32	46	4	8	7	3	100
		प्र0	32	46	4	8	7	3	
2	हाईस्कूल	सं0	3	3	1	–	2	1	10
		प्र0	30	30	10	–	20	10	
3	जू0हा0	सं0	44	40	8	8	24	16	140
	स्कूल	प्र0	31.4	28.5	5.7	5.7	17.1	11.4	
	योग		79	89	13	16	33	20	250
			31.6	35.6	5.2	6.4	13.2	8	

भृष्टता की व्यापकता भी गुल खिलाती है ऐसे में होता यह है कि उपभोगवादी प्रकृति जहाँ लालसा में वृद्धि करती है, वहीं उपलब्धियों का अभाव उसे तटस्थ्य एवं उदासीन बनाता है। आज स्थिति यह है कि रिश्वत के बल पर राजनीतिक नेता या राजनीतिक दल से सम्बद्ध पहचान लोगो को आगे आने का मौका दे रही है अर्थात् जिनकी पहचान नेताओं, दलों अधिकारियों से है वे अपना काम तुरन्त करवा लेते हैं। जैसे कम प्रतिभावान लोगो को भी नौकरी मिल जाती है जबकि उनसे बेहतर प्रतिभावान बालक, बालिकाओं को या महिलाओं को नौकरी नहीं मिलती है। यही भावना लोगो के अन्दर उदासीनता को जन्म दे रही है।

प्रस्तुत सारिणी में विद्यालयीय अध्यापिकाओं से यह जानकारी प्राप्त की गई है। कि क्या कोई राजनैतिक दल किसी को वांछित लाभ दिला सकते है। अध्यापिकाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह ज्ञात होता है कि समस्त विद्यालयों की 250 उत्तरदात्रियों में उदासीन महिलाओं की संख्या ज्यादा है क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी को कोई लाभ नहीं दे सकता। यह अज्ञानता महिलाओं की उदासीनता का परिणाम है। प्रायः सामान्य जाति की 79 (31.6) अध्यापिकायें यह कहती है कि राजनैतिक सदस्य उनके

कामों में उनकी सहायता करते हैं जबकि 89 (35.6) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि राजनीतिक दल बिना स्वार्थ के किसी का कोई काम नहीं करते है। सिर्फ कहते है करते नहीं है। पिछड़े वर्ग की 13 (5.2) अध्यापिकाओं का मानना है कि राजनीतिक दल किसी को भी वांछित लाभ दिला सकते है जबकि 16 (6.4) अध्यापिकायें इस बात से इन्कार करती है कि कोई किसी को लाभ नहीं दे सकता है। अनुसूचित जाति की 33 (13.2) अध्यापिकाओं का मानना है कि राजनीतिक दल से सम्बद्ध होने पर किसी को भी लाभ हो सकता है। जबकि 20 (8 प्रतिशत) अध्यापिकायें राजनीतिक दलों से संबंध रखने से मिलने वाले लाभों के प्रति उदासीन है।

इस सारिणी में जब हम जाति के आधार पर विद्यालयानुसार (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल) अध्यापिकाओं से जानने का प्रयास किया गया कि क्या कोई राजनीतिक दल किसी को कोई सहायता, मदद या नौकरी दिलाने में सहायक है तो साक्षात्कार के दौरान और अनुसूची से प्राप्त आकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इण्टरमीडिएट की ज्यादातर अध्यापिकाओं का उत्तर नहीं अर्थात् अध्यापिकाओं की जानकारी राजनीति के प्रति अधूरी है या फिर वे अलगावादी भावना से ग्रसित या उदासीन है। इण्टरमीडिएट की 100 अध्यापिकाओं में सामान्य वर्ग की 32 (32 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना है कि राजनीतिक दल से संबंध उनकी सहायता कर सकता है जबकि 46 (46प्रतिशत) अध्यापिकओं का विचार है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी को कोई भी लाभ नहीं दिला सकता है। पिछड़े वर्ग की 4 (4%) अध्यापिकायें राजनीतिक दलों से मिलने वाले लाभो के सम्बन्ध में हां कहती है जबकि इससे दुगनी अध्यापिकाओं 8 (8%) का मानना यह है कि कोई राजनीतिक दल किसी को कोई भी लाभ नहीं दिला सकता है। अनुसूचित जाति की 7 (7 प्रतिशत) अध्यापिकायें राजनीतिक दलों से मिलने वाले लाभों की बात को स्वीकार करती है जबकि मात्र 3 अध्यापिकायें ही इस जाति की इस बात को अस्वीकार करती है। इससे स्पष्ट है अनुसूचित जाति के लोग राजनीतिक व्यक्तियों से मिलने वाले लाभों के प्रति अधिक सचेत

है।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकओं की संख्या 10 है जिनमें से सामान्य वर्ग की 3 (30 प्रतिशत) अध्यापिकाओं इस बात से सहमत है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी को कोई भी वांछित लाभ दिला सकते है जबकि 3 (30 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात से असहमत है कि उनको कोई वांछित लाभ दिला सकता है। सामान्य वर्ग में हां या न कहने वाली अध्यापिकओं की संख्या बराबर है। पिछड़े वर्ग में जबकि यह चेतना अधिक है। इस वर्ग में सिर्फ वे उत्तरदात्रियां है जो राजनीतिक दलों से मिलने वाले लाभो के पक्ष में हां कहती है। न कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या शून्य है। अनूसूचित जाति की 2 (20 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि राजनीतिक दलों का संबंध उनको वांछित लाभ दिला सकता है। जबकि 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात को न तो स्वीकार करती है न ही सहमत है। उनका उत्तर सिर्फ नहीं है।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है जिनमें सामान्य वर्ग की 44 (31.4) अध्यापिकायें यह मानती है कि जिनका संबंध राजनीति दल या पार्टियों से है या जिनका कोई सम्बन्धी राजनीति में वे अध्यापिकाये राजनीति से मिलने वाले लाभों के संबंध में हां कहती है जबकि न कहने वाली उत्तरदात्रियां 40 (28.5) हैं। अनुसूचित जाति की 24 (17.1) अध्यापिकायें इस बात से सहमत है कि राजनीति दलों से है तो वे राजनीतिक व्यक्तियों से अनेक लाभों को प्राप्त कर सकती है जबकि 16 (11.4) अध्यापिकायें इस बात से असहमत है अर्थात् यह कहां जा सकता है कि न कहने वाली अध्यापिकओं को राजनीति के बारे कोई जानकारी नहीं है और यदि जानकारी है भी तो वे उनसे मिलने वाले लाभों के प्रति उदासीन है।

इस सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिन अध्यापिकाओं में राजनीतिक चेतना होने के बाद भी वे अपना उत्तर नहीं देती है तो ये प्रायः राजनीतिक में उनकी उदासीनता, अलगाव का ही परिणाम है।

सारणी सं0 4.4

जाति एवं विद्यालयीय अध्यापिकाओं को राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित करने संबंधी जानकारी

क्र0	विद्यालय		सामान्य		पिछड़ा वर्ग		अनु0जाति		योग
			हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
1	इण्टरमीडिएट	सं0	29	49	3	9	4	6	100
		प्र0	29	49	3	9	4	6	
2	हाईस्कूल	सं0	6	–	1	–	1	2	10
		प्र0	60	–	10	–	10	20	
3	जू0हा0	सं0	36	48	–	16	8	32	140
	स्कूल	प्र0	25.7	34.2	–	11.4	5.7	22.8	
	योग		71	97	4	25	13	40	250
			28.4	38.8	1.6	10	5.2	16	

प्रस्तुत सारिणी में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या आध्यापिकाओं को राजनीतिक गतिविधयां प्रभावित करती है या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलो, नेताओं, विधायक, सांसदो आदि की गतिविधियां न केवल शासन, प्रशासन व शहरी कार्यक्रमों पर अपना प्रभाव डालते है। वरन् विद्यालयीय कार्यक्रमों में भी राजनीतिक नेताओं को कार्यक्रमों का शुभारम्भ करने के लिए विद्यालय में बुलाया जाता है। इस प्रकार यह कहां जा सकता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो राजनीतिक प्रभाव से अछूता न हो। चाहे वो पढ़ाई हो या विद्यालय।

इस प्रकार राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित विद्यालय में सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या विद्यालय पर भी राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है या नहीं। प्रस्तुत सारिणी को जब हम विद्यालयनुसार अध्यापिकओं में जब जानने का प्रयास करते है तो ज्ञात होता है कि सामान्य वर्ग की 29 (29 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि विद्यालय की गतिविधियों पर राजनीति का प्रभाव पड़ता है जबकि 49 (49 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात को स्वीकार

नहीं करती। पिछड़े वर्ग की 3 (3 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात से सहमत है कि राजनीतिक दलों व नेताओं का विद्यालय तंत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है जबकि 9 (9 प्रतिशत) आध्यापिकायें इस बात से असहमत है कि राजनीतिक गतिविधियों का विद्यालयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुसूचित जाति की 4 (4 प्रतिशत) अध्यापिकायों का मानना है कि विद्यालय कार्यक्रम राजनीतिक नेताओं के शुभारम्भ के केन्द्र होते है जबकि 6 (6 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना है कि विद्यालयों का राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इण्टरमीडिएट, विद्यालय की ज्यादातर अध्यापिकाओं का मानना है कि विद्यालय पर राजनीतिक गतिविधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अध्यापिकओं की राजनीति जानकारी न होने, राजनीति लाभों से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसा मानती है। यह अध्यापिकाओं में राजनीति के प्रति उदसीनता का परिणाम है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकओं की संख्या 10 है जिनमे सामान्य वर्ग की 6 (60 प्रतिशत) अध्यापिकओं का मानना है कि राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव सिर्फ विद्यालय पर ही नहीं पड़ता बल्कि विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापिकाओं प्रचार्या व कार्यालय कार्य पर भी पड़ता है। हाईस्कूल में मात्र हां कहने वाली अध्यापिकायें सामान्य वर्ग में हैं। सामान्य वर्ग में नहीं कहने वाली कोई भी अध्यापिका नहीं है। पिछड़े वर्ग में भी नहीं है उत्तर देने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या शून्य है। पिछड़े वर्ग में हां कहने वाली अर्थात् वे उत्तरदात्रियाँ जिनका मानना है कि विद्यालय राजनीतिक दलो व नेताओं के कार्यक्रम का एक हिस्सा बनते जा रहे है की संख्या 1 (10) है। अनुसूचित जाति 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह स्वीकार करती है कि विद्यालयों के कार्यक्रमों पर राजनीतिक दलों व नेताओं का दवाब बढ़ता जा रहा है। जबकि 2 (20 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस बात को मानने से इन्कार करती है। इससे स्पष्ट है कि हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं में विरसन की अपेक्षा चेतना अधिक है क्योंकि यह विद्यालय नगरपालिका परिषद द्वारा ही संचालित होता है।

इसी तरह जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकायें 140 है जिनमे सामान्य वर्ग की 36 (25.7) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि विद्यालय पर राजनीतिक दबाव बढ़ता ही जा रहा है जबकि 48 (34.2 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना है कि वे किसी के दवाब में आकर कार्य नहीं करती है बल्कि हर कार्य के लिए स्वतंत्र है। ऐसा उन अध्यापिकाओं का विचार है जो प्राइवेट विद्यालय में अपनी मर्जी से कार्य कर रही है। पिछड़े वर्ग की सभी उत्तरदात्रियों का मानना है कि विद्यालय अपना कार्य स्वयं संचालित करने लिए स्वतंत्र है। इसलिए 16 (11.4 प्रतिशत) अपना उत्तर नहीं में देती है। वे यह मानती है कि राजनीति का कोई प्रभाव विद्यालय पर नहीं पड़ता है। अनुसूचित जाति की 8 (5.7) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि राजनीतिक गतिविधियों का बहुत अधिक प्रभाव विद्यालयों पर पड़ता है और यह प्रायः इण्टर कालेजों, हाईस्कूल व सरकारी स्कूल पर इनका प्रभाव अधिक देखा जाता है जबकि 32 (22.8) अध्यापिकायें इस बात को अस्वीकार करती है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता हैं कि समस्त विद्यालयों में कार्यरत 250 अध्यापिकाओं में नहीं कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या अधिक है। प्रायः यह कहा जा सकता है कि जब राजनीतिक का प्रभाव व दबाब गरीब, मजबूर, लाचार, व्यक्तियों पर पड़ता है तो विद्यालय तो इनके कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। विद्यालयों का शुभारम्भ हो या सांस्कृतिक कार्यक्रमों हो या कोई और कार्यक्रम ज्यादातर राजनीतिक नेताओं को ही मुख्य अतिथि के रुप में स्वागत किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है जो अध्यापिकायें यह कह रही है कि विद्यालय पर राजनीतिक नेताओं, दलों के प्रति कम जानकारी का अभाव है जो इनकी राजनीतिक के प्रति उदासीनता या अलगाव की भावना को प्रकट करती है। इस उदासीन अध्यापिकाओं की संख्या सामान्य वर्ग में 97 (38.8) पिछड़े वर्ग में 25 (10प्रतिशत), अनुसूचित जाति में 40 (16 प्रतिशत) है।

सारणी सं0 4.5
अध्यापिकाओं की आयु एवं नेताओं की कथनी करनी में अन्तर संबंधी विचार

क्र0	विद्यालय	संख्या प्रतिशत	20 -30		30-40		40-50		50-60		योग
			हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
1.	इण्टर	सं	33	–	22	1	27	–	17	–	100
	मीडिएट	प्र0	33	–	22	1	27	–	17	–	
2.	हाईस्कूल	सं0	2	–	7	–	1	–	–	–	10
		प्र0	20	–	70	–	10	–	–	–	
3.	जू0हा0	सं0	68	–	16	–	20	–	36	–	140
	स्कूल	प्र0	48.5	–	11.4	–	14.2	–	25.7	–	
		सं0	103	–	45	1	48	–	53	–	250
		प्र0	41.2	–	1 .8	0.41	19.2	–	21.2	–	

महिलाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए एक आन्दोलन शुरू करने की जरूरत है ताकि वे अपने मत के अधिकार को समझ सके और उसका सही सही उपयोग कर सके। देश के राजनीतिक दल महिलाओं को अधिकाधिक राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने की बात तो करते है, लेकिन जब भी उसका समय आता है, वे अपने वादे से मुकर जाते हैं। महिलाओं के लिए राजनीति में आना अब लगातार जोखिम भरा होता जा रहा है। राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधियों के प्रवेश के कारण महिलाएं राजनीति में आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। देश के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के कल्याण के लिए बड़ी-बड़ी बाते करते है, लेकिन चुनाव के बाद वे अपने सभी वादे भूल जाते है। जो पार्टी सत्तारुढ़ होती है उसका भी ध्यान महिलाओं की शिक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को सुधारने की ओर उस तरह गम्भीरता से नहीं जाता जो वह चुनाव के समय आश्वासन देते है। इस सारिणी में अध्यापिकाओं से नेताओं की कथनी करनी में अन्तर संबंधी विचार को ही जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत सारिणी में अध्यापिकाओं की आयु को आधार मानकर चार भागों में बांटा

गया है। प्रथम 20-30 आयु वर्ग की द्वितीय 30-40 आयु वर्ग की, तृतीय 40-50 आयु वर्ग की, चतुर्थ 50-60 आयु वर्ग की। इस सारिणी को जब हम विद्यालय के स्तर के अनुसार देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट की 100 अध्यापिकाओं में 33 (33प्रतिशत) 20-30 आयु वर्ग की 22 (22 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने यह माना कि नेता जो कहते है वो कभी पूरा नहीं करते सिर्फ वादे करते हैं और भूल जाते हैं जबकि 1(1%) अध्यापिका का कहना है कि नेता जो कहते है उसे पूरा भी करते है। 40-50 आयु वर्ग की 27 (27 प्रतिशत) 50-60 आयु वर्ग की 17 (17 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि नेताओं की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है।

हाईस्कूल स्तर की 10 अध्यापिकाओं में 2 (20%), 20-30 आयु वर्ग 7 (70%), 30-40 आयु वर्ग 1 (10%) 40-50 आयु वर्ग की अध्यापिकायें अर्थात् सभी अध्यापिकायें यह मानती है कि नेताओं के कहने और करने में भारी अन्तर है। हाईस्कूल स्तर की एक भी अध्यापिका यह नहीं कहती है कि नेता जो कहते है उसे पूरा भी करते है।

इसी प्रकार जू0हा0 स्कूल की 140 अध्यापिकायें है। जिनमें 20-30 आयु वर्ग की 62 (48.5 प्रतिशत), 30-40 आयु वर्ग की 16 (11.4 प्रतिशत), 40-50 आयु वर्ग की 20 (14. 2 प्रतिशत) और, 50-60 आयु वर्ग की 36 (25.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियां अर्थात् जू0हा0 स्कूल भी सभी अध्यापिकाओं का मानना यह है कि नेता जो कहते है उसे बहुत कम ही पूरा करते है।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समस्त विद्यालय की 250 अध्यापिकाओं में सभी अध्यापिकायें 20-30 आयु वर्ग की 103 (41.2 प्रतिशत), 30-40 आयु वर्ग की 45 (68 प्रतिशत), 40-50 आयु वर्ग 48 (19.2 प्रतिशत) 50-60 आयु वर्ग की 53 (21.2 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि नेता बहुत कम ही अपना वादा पूरा करते है जबकि 30-40 आयु वर्ग की मात्र 1 (0.41) अध्यापिका ही यह मानती है नेता जो कहते है उसे पूरा भी करते है।

सारणी सं0 4.6

विद्यालयीय अध्यापिकाओं की शिक्षा एवं महिलाओं में स्त्री हिंसा में विक्षोभ या अलगाव संबंधी विचार

क्र0	विद्यालय	संख्या	हाईस्कूल		इण्टरमीडिएट		स्नातक		परास्नातक		तकनीकी		पी0एच0डी0		
		प्रतिशत	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	योग
1.	इण्टर	सं0	–	–	–	–	10	5	49	27	4	2	2	1	100
	मीडिएट	प्र0	–	–	–	–	10	5	49	29	4	2	2	1	
2.	हाईस्कूल	सं0	–	–	–	–	1	–	8	–	–	–	1	–	10
		प्र0	–	–	–	–	10	–	80	–	–	–	10	–	
3.	जू0हा0	सं0	12	8	12	12	68	8	19	–	–	–	–	1	140
	स्कूल	प्र0	8.5	5.7	8.5	8.5	48.5	5.7	13.5	–	–	–	–	–	
	योग	सं0	12	8	12	12	79	13	76	27	4	2	3	2	250
		प्र0	4.5	3.2	4.8	4.8	31.6	5.2	30.4	10.8	1.6	0.8	1.2	0.8	

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा से सारा देश चिन्तित है। उनका उत्पीड़न, उनके साथ बलात्कार, अपहरण अथवा भगा ले जाना, दहेज संबंधी हत्याएं, पत्नी को पीटने, विद्यवाओं के साथ अन्यांय जैसी अनेक घटनाएं महिलाओं के मन को व्यथित करती रहती है। महिलाओं में अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी आदि से निपटने के लिए अपेक्षित कदम न उठाये जाने के कारण महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा है। विद्यालयीय अध्यापिकाओं में आवागमन की असुविधा, पारिवारिक समस्यायें, बच्चों का उत्तरदायित्व शैक्षिक विभाग की जिम्मेदारियां, शैक्षिक अधिकारियों की बाते, गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यालय संचालक द्वारा दिये जाने वाले विद्यालयीय काम काज आदि कुछ ऐसी स्थितियां है जो अध्यापिकाओं में विक्षोम, अलगाव तनाव या विरसन को उत्पन्न करती है। विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं संबंधी सभी समस्याएं अर्थात स्त्री हिंसा क्या महिलाओं में विक्षोम, अलगाव या विरसन को उत्पन्न करती है।

प्रस्तुत सारिणी में विद्यालयीय अध्यापिकाओं को शिक्षा के आधार पर छः भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम हाईस्कूल, द्वितीय इण्टरमीडिएट, तृतीय स्नातक, चतुर्थ परास्नातक, पाचवी तकनीकि, छठवी पी०एच०डी। इस सारिणी को जब हम विद्यालय स्तर के आधार पर देखते है तो पता चलता है कि अधिकांश अध्यापिकायें हाँ कह रही हैं। इण्टरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है जिसमें हाईस्कूल शिक्षा और इण्टरमीडिएट शिक्षा प्राप्त एक भी अध्यापिका नही है। स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 10 (10 %) अध्यापिकाओं का कहना है कि हिंसा से महिलाओं में विक्षोभ या अलगाव की स्थिति उत्पन्न है जबकि 5 (5 %) अध्यापिकाये ऐसा नही कहती है। परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त 49 (49%) अध्यापिकायें विक्षोम या अलगाव की स्थिति से होने वाली समस्याओं के संबंध में हाँ कहती है जबकि 27 (27%) अध्यापिकायें ऐसा मानने से इन्कार करती है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त 4 (4%) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि हिंसा का रूप चाहे जो

भी हो। महिलाओं में तनाव, परेशानी या विक्षोभ को उत्पन्न करता है जबकि 2 (2%) अध्यापिकायें ऐसा नही मानती हैं। पी0एच0डी0 स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 2 (2%) अध्यापिकायें भी स्त्री हिंसा से महिलाओं में उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव, अलगाव, संबंधी विचारो के पक्ष में हाँ कहती है जबकि 1 (1%) अध्यापिकायें मानसिक तनाव, अलगाव संबंधी परेशानी का कारण स्त्री हिसा को नही मानती है।

इसी प्रकार हाईस्कूल विद्यालय में कार्य करने वाली अध्यापिकायें 10 है जिसमें हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त कोई भी अध्यापिका नहीं है। स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त। (10%) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि स्त्रीं हिसा से महिलाओं में विक्षोभ या अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है जबकि न कहने वाली कोई भी अध्यापिका नही है। परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त 8 (8%) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि स्त्री हिंसा महिलाओं में अनेक समास्यायें ही उत्पन्न नही करती बल्कि मानसिक तनाव, विक्षोभ या अलगाव की स्थिति को भी जन्म देती है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कोई भी अध्यापिका हाईस्कूल विद्यालय में नही है। पी0एच0डी0 प्राप्त। (10%) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि स्त्री हिंसा से महिलाओं में मानसिक तनाव, अनेक परेशानियाँ बनी रहती हैं जिनके कारण अध्यापिकाओं में विक्षोभ या अलगाव उत्पन्न होता है।

जूनियर हाईस्कूल में कार्य करने वाली अधिकांश अध्यापिकाओं का मानना यह है कि स्त्री हिंसा का रूप चाहे जो भी हो परिवारिक, सामाजिक या विद्यालयीय महिलाओं में तनाव विक्षोभ या अलगाव को उत्पन्न करते है। जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है जिनमें हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त 12 (85%), इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त 12 (85%) स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 68 (48.5%) परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त 19 (13.5%), पी0एच0डी0 स्तर तक की शिक्षा प्राप्त एवं तकनीकी स्तर तक की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं को छोड़कर सभी अध्यापिकाओं का मानना यह है कि स्त्री हिंसा से महिलाओं में विक्षोम अलगाव की स्थिति ही उत्पन्न नही होती बल्कि मानसिक तनाव को भी

उत्पन्न करती है जवकि न कहने वाली अध्यापिकाओं में हाईस्कूल की 8 (5.7%) इण्टरमीडिएट की 12 (8.5%) स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 8 (5.7%) यह कहती हैं कि स्त्री हिंसा से विक्षोभ या अलगाव की स्थिति का कोई संवंध नहीं है। अर्थात विक्षोभ या अलगाव का कारण स्त्री हिंसा नही है इसलिए ये अध्यापिकायें अपने प्रश्न का उत्तर नही देती है।

सारणी सं0 4.7

विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं राजनैतिक नेता द्वारा अध्यापक का पद दिलाने संबंधी जानकारी

विद्यालय	हां		नहीं		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टरमीडिएट	30	30	70	70	100
हाईस्कूल	8	80	2	20	10
जू0हा0स्कूल	64	45.7	76	54.2	140
योग	102	40.8	148	59.2	250

प्रस्तुत सारिणी में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या कोई राजनीतिक नेता अध्यापक का पद दिला सकता है या नही। इस संबंध में विद्यालय की 250 अध्यापिकाओं में नही कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 148 (59.2) है जिनका विचार है कि कोई नेता किसी भी तरह का कोई पद नही दिला सकता है। प्रायः ऐसा कहने वाली उत्तरदात्रियों के विचार से तो यही स्पष्ट होता है कि ये अध्यापिकायें राजनीति की स्पष्ट छवि के बारे में सही जानकारी नही रखती। आजकल का दौर राजनीति का दौर है। व्यक्ति राजनीति में घुस अपने धन, सम्मान, प्रतिष्ठा और अपने हर मंसूबों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। ये नही कहने वाली अध्यापिकाओं का कार्य या तो किसी नेता द्वारा नही हुआ या फिर ये यह नही जानती कि नेताओ के द्वारा आज के भृष्ट दौर में सब कुछ सम्भव है। (40.8) जिनका मानना है कि कोई भी राजनीतिक नेता अध्यापक का पद दिलाने का कार्य कर सकता है।

इस सारिणी को जब हम विद्यालयानुसार देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 हैं जिनमें हा कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या 30 है जिनका विचार है कि राजनीतिक नेताओ द्वारा अध्यापक का पद ही प्राप्त नही किया जा सकता बल्कि अन्य कार्य भी कर सकते है। जवकि नहीं में उत्तर देने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 70 (70%) अधिक है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ये अध्यापिकाये

राजनीति के बारे में कम जानकारी रखती है या राजनीति से अलग रहना चाहती है इसलिए ऐसा कहती हैं।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमे 8 (80%) उत्तरदात्रियां ऐसी है जिनका मानना है कि आज के बदलते समाज में बिना किसी पहचान या सोर्स के कोई काम नही होता है। जिनकी अधिकारियों एवं नेताओं से अच्छी पहचान है तो उनका काम बहुत आसानी से हो जाता है, नही तो कार्यालयों शिक्षा विभाग एवं शिक्षा परिषद के चक्कर काटते काटते व्यक्ति परेशान हो जाता है जबकि नही कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या 2 (20%) कम है। इन उत्तरदात्रियों का विचार है कि कोई नेता किसी को कोई अध्यापक का पद नही दिला सकता है। ये स्वार्थी होते है बिना किसी स्वार्थ के ये कोई किसी का काम नही करते है।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है जिनमें हां कहने वाली उत्तरदात्रियों अर्थात अध्यापिकाओं की संख्या 64 (45.7) है जिनका मानना है कि आज के वर्तमान समय में अध्यापक का पद ही नही कोई भी कार्य करवाना हो तो पहचान बनाना या पहचान होंना बहुत जरूरी है क्योकि कोई भी काम बिना पहचान या रिश्वत के नही होता है। इसीलिए इन अध्यापिकाओं का विचार है कि राजनीतिक नेता अध्यापक का पद दिलाने में समर्थ है जबकि वे अध्यापिकायें जो नही कहती है उनकी संख्या 76 (54.2) है। उनके विचार से कोई नेता किसी को पद नही दिलाता बल्कि अपनी योग्यता से वह किसी भी पद को हासिल कर सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये अध्यापिकायें राजनीतिक के प्रति कम जानकारी रखती है या फिर वे राजनीतिक के प्रति जागरूक नहीं है या रूचि नही रखती हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो अध्यापिकायें नही में अपना उत्तर देती है वे राजनीति के प्रति उदासीन, अलगाव की भावना से सबंधित या हीनता की भावना से ओत-प्रोत हैं। इसलिये इनका विचार इस प्रकार का है।

सारणी सं0 4.8

राजनैतिक दल संबंद्ध अध्यापिकाओं से प्रबंधतन्त्र एवं प्रधानाचार्य प्रभावित होने संबंधी जानकारी

विद्यालय	हां		नहीं		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टरमीडिएट	43	43	57	57	100
हाईस्कूल	8	80	2	20	10
जू0हा0स्कूल	72	51.4	68	48.5	140
योग	123	49.2	127	50.8	250

राजनैतिक दलो का संबंध किसी एक विभाग से न होकर सभी विभागों में कार्यरत लोगो से है। शिक्षा विभाग भी राजनैतिक दलो से प्रभावित विभाग है। शिक्षा विभाग में भी राजनैतिक दलो व नेताओं का दबाव बना रहता है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग की उदासीनता भी शिक्षकों के असंतोष का कारण बनती है। शिक्षको के सुझावो को यह कहकर वापिस भेज दिया जाता है कि वजर में इसके लिए कोई व्यवस्था नही है। पाठ्यक्रम के बनाने में और पुस्तकों के चुनाव में भी शिक्षकाओं का कोई हाथ नही रहता। कभी-कभी वह अपने पसंद के विषय को पढ़ा नही पाती। नये-नये प्रयोगो के करने के लिये वह स्वतंत्र नही है। परीक्षा फल यदि खराव हो जाये तो उसे दोषी ठहराया जाता है, जबकि पाठयेन्तर क्रियाकलापों में उसें अधिक समय लगाना पड़ता है।

प्रधानाध्यापक के व्यवहार का भी शिक्षिकाओं में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जहाँ प्रधानाध्यापक शिक्षिको की राय स्कूल के कार्यो में लेती है और उनकी राय पर उचित ध्यान देती है, शिक्षकाओ के प्रति शालीनता का व्यवहार करती है उनकी समस्याओ में मदद करती है वहा शिक्षक संतुष्ट रहते है। इसके विपरीत यदि प्रधानाध्यापिका केवल आज्ञा देती है, और शिक्षिको पर कठोर नियत्रण रखना अपना कर्तव्य समझती है, वहाँ शिक्षिकायें बहुत असंतुष्ट

रहती है। कुछ अध्यापिकाओं का कहना है कि अयोग्य प्रधानाध्यापिका शिक्षिकाओं के बीच फूट डालकर अपना शासन कायम रखती है। अपने को शिक्षिकाओं से अलग मानती है। एक उदाहरण दिया गया कि माह के आखिरी दिन जब शिक्षिकायें अपना रजिस्टर भरने में लगी रहती है। प्रधानाध्यापिका घर चली जाती है। इसी प्रकार स्कूल के नौकरो से अपने घर का काम करवाती है, जबकि यह सुविधा अध्यापिकाओं को नही मिलती।

प्रस्तुत सारिणी में राजनीतिक दलों से संबंधित अध्यापिकाओं से प्रवंधतंत्र एवं प्रधानाचार्य प्रभावित होने संबंधी जानाकारी को प्रस्तुत किया गया है। समस्त विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है जिनमे 127 (50.8) अध्यापिकाये वो है जो इस बात को मानने से इनकार करती है कि राजनीतिक दलो से संबंधित होने पर विद्यालय प्रबंधत्रंत एवं प्रधानाचार्य प्रभावित होते है। इन अध्यापिकाओं की राजनीति के प्रति उदासीनता है या फिर यह कह सकते है कि राजनीतिक के प्रति इनके मन में लगाव नही है बल्कि अलगाव की भावना है। जबकि वे उत्तरदात्रियां जो यह मानती है राजनीतिक या दलो से संबंधित होने पर विद्यालय पर काफी प्रभाव पड़ता है। लगभग (49.2) अध्यापिकाये ही ऐसा मानती क्योकि ये जानती है कि राजनीति से जुड़े होने पर विद्यालय प्रबंध का कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। गवेषिका के इस उदाहरण से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक प्रभाव का विद्यालय पर कितना असर होता है। एक महाविद्यालय में जब एढ़ाक में पढ़ने के लिए लड़का जो विद्यायक जी का भाई है तीन साल से लगातार इंटरव्यू में पास हो रहा है और वो जो अन्य अध्यापिका या अध्यापक थे वो भी किसी न किसी की पहचान से आये हुए है। किसी भी यूनवर्सिटी के अध्यक्ष से पहचान थी, बाकी प्रोफेसरो से जबकि जो अध्यापक अध्यापिकायें चुनी गई उनसे कहीं अधिक योग्य लड़के, लड़कियाँ वहा मौजूद थे। पर वहा तो योग्यता कोई स्थान ही नही था। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि आज के दौर में राजनीतिक पहचान का कितना बोल-बाला है।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम विद्यालय के क्रमानुसार देखते है तो पता चलता है कि किस विद्यालय की अध्यापिकायें राजनीतिक दलो से संबंध अध्यापिका से प्रवंधतन्त्र या प्रधानाचार्य प्रभावित होने संबंधी जानकारी के प्रति हाँ कहती है। इण्टरमीडिएट की 100 अध्यापिकाओं में 43 (43%) अध्यापिकाओं का मानना है कि वह इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि आज का दौर राजनीतिक दौर है। यहाँ सब काम राजनीतिक व्यक्तियों की पहचान से करवाये जा सकते है जबकि 57 (57%) अध्यापिकाओं का विचार यह नही है। उनका विचार है कि अपनी योग्यता के बल पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। राजनीतिक नेताओं से या दलो से संबधित होना आवश्यक नही है। इस प्रकार के विचार रखने वाली अध्यापिकाओं की संख्या व प्रतिशत है हां कहने वाली अध्यापिकाओं की अपेक्षा अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि इण्टर मीडिएट विद्यालय की ज्यादातर अध्यापिकायें राजनीतिक के प्रति उदासीन या अलगाव की भावना से युक्त हैं।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिसमें से 8 (8%) अध्यापिकाओं का विचार है कि राजनीतिक दलो से किसी प्रकार का संबंध उन्हे विद्यालयी लाभ दिला सकता है। आज की जागरूक महिलाएँ इस बात को अच्छी तरह से जानती भी हैं और पहचानी भी है कि राजनीतिक दलो का सम्पर्क उन्हे कितना लाभ दिला सकता है। हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं में राजनीतिक चेतना या जागरूकता अधिक है। इसलिए हाँ कहने वाली अध्यापिकायें न कहने वाली अध्यापिकाओं की अपेक्षा बहुत अधिक है जबकि नहीं कहने वाली 2 (20%) अध्यापिकायें ही है जिनका विचार है राजनीतिक दलो से पहचान जरूरी नही है। विद्यालय का कार्य जिम्मेदारी या योग्यता के आधार पर करते रहने से सब कार्य होते है। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक के प्रति कम जानकारी इनको राजनीतिक उदासीन बनाती है।

इसी प्रकार उच्चमाध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) में कार्यरत 140 अध्यापिकाओं में से 72 (51.4%) अध्यापिकाओं का विचार है कि राजनीतिक दलो का सम्पर्क या प्रभाव न केवल प्रबंधतंत्र प्रधानाचार्य को वरन विद्यालय के समस्त कार्यो को भी प्रभावित करता है। जो अध्यापिकायें ऐसा कहती हैं वह उनकी राजनीतिक चेतना या जागरुकता का परिणाम है। जबकि वे उत्तरदात्रियाँ जो इस बात को स्वीकार नही करती या अपना उत्तर नही में देती है वे अध्यापिकायें या तो राजनीतिक के बारे अच्छी तरह से जानती नहीं है या फिर उनका क़िसी राजनीतिक दल से सम्पर्क नही है। बल्कि अलगाव है। इसीलिए यें 68 (48.5) अध्यापिकायें अपना उत्तर नही में दे रही है।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विद्यालयीय अध्यापिकाओं में राजनीति के प्रति उदासीनता सबसे अधिक इण्टर मीडिएट विद्यालय की अध्यापिकाओ में, इसके बाद जूनियर हाईस्कूल की अध्यापिकाओं में और सबसे कम 2 (20%) हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं में है। प्रायः यह उदासीनता की स्थिति न केवल घर के कार्यो में बल्कि विद्यालय के सभी कार्यो के प्रति भी उदासीन बनाती है।

पंचम–अध्याय

राजनीतिक प्रभावकारिता

पंचम अध्याय

राजनीतिक प्रभावकारिता या राजनीतिक प्रभाविता

व्यक्तियों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को समझने के प्रयास और तीव्र होते जा रहे है। विभिन्न देशो में विशेषतया प्रजातन्त्रीय देशो में मतदान एवं निर्वाचकीय व्यवहार तथा जनमत के अध्ययन इसी प्रयास का परिणाम हैं। वास्तव में जितने अध्ययन मतदान व्यवहार एवं जनमत पर किये गये हैं शायद उतना अधिक ध्यान प्रक्रिया के अन्य पहलुओ की ओर नही दिया गया है। निर्वाचकीय प्रक्रिया चुनाव नागरिकों की सहभागिता से संबंधित तथा चुनाव के समय नागरिको के सम्मुख मतदान करने या न करने का विकल्प होता है। इसे मतदान उपस्थिति कहा जाता है तथा ये अनेक व्यक्तिगत जनांकिकीय एवं अन्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक ऐसा ही निर्धारक कारक मतदाता की राजनीतिक प्रभाविता भावना है।

राजनीतिक व्यवहार के छात्रो द्वारा राजनीतिक प्रभाविता भावना के सम्प्रत्य का प्रयोग राजनीतिक घटनाओं एवं मामलों के सन्दर्भ में नागरिकों के अपने कार्यो के परिणाम के प्रति उसकी अनुभूति के लिए किया जाता है। इस सम्प्रत्य की उत्पत्ति प्रथमतः सामाजिक मनोविज्ञान में 1950-60 के दशक के मध्य हुई। प्रिविट के अनुसार यह अहम् शक्ति व्यक्तिगत सक्षमता आत्मविश्वास तथा व्यक्तिगत प्रभावोत्पादकता जैसी धारणाओ से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वास्तव में यह व्यक्तिगत प्रभाविता के संप्रत्यय का ही राजनीतिक जीवन में विस्तार है।"

इस सम्प्रत्य में रुचि विशेष रूप से 1954 में मिशिगन विश्व-विद्यालय के रिसर्च सेन्टर द्वारा राजनीतिक प्रभाविता भावना के अनुगम्य के निर्माण के पश्चात् व्यापक स्तर पर देखी जा सकती है। कैपबैल एंव सहयोगियों ने "अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक प्रभाविता भावना को एक अनुमाप द्वारा मापने का प्रयास किया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया

है कि मतदान व्यवहार काफी सीमा तक व्यक्ति की राजनीतिक प्रभाविता भावना पर निर्भर है।

इस प्रकार राजनीतिक प्रभावित भावना नागरिक की वह अनुभूति है कि व्यक्तिगत राजनीतिक कार्य राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है अर्थात नागरिक कर्तव्यो को निभाना लाभप्रद है। यह एक अनुभूति है कि राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन सम्भव है तथा व्यक्तिगत नागरिक इस परिवर्तन को लाने में भूमिका निभा सकता है। ईस्टन एवं डेविड -राजनैतिक व्यवस्था में व्यक्ति की सहभागिता को मूल शासन आदर्श कहा है। आदर्श स्ववृन्ति तथा व्यक्ति वास्तविक आचरण में भेद है। एक आदर्श के रूप में राजनीतिक प्रभाविता भावना से अभिप्राय राजनीति में व्यक्तियों द्वारा प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की अकांक्षा संबंधी योग्यता है। एक स्ववृन्ति के रुप में इसका अर्थ राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी होने की क्षमता है। जबकि व्यक्ति के वास्तविक आचरण के रुप में इसका अर्थ व्यक्ति का व्यवहार है। इन तीनों तत्वो के परस्पर संबंध का वर्णन करते हुए इन्होने यह बताया है कि व्यक्ति प्रभावी रुप में कार्य भी कर सकता है और नही भी। परन्तु अगर वह घटनाओं को वास्तव में प्रभावित करता है तथा राजनीतिक नियति के निर्माण में भाग लेता है तो उसने राजनीतिक प्रभावित भावना को प्रेक्षण योग्य स्तर पर व्यक्त किया है भले ही वह अपनी इस प्रभाविता भावना के बारे में जागरूक नही है। दूयूवान के अनुसार (1959) ''राजनीतिक प्रभाविता भावना व्यक्तित्व का एक सामान्य गुण है तथा इस प्रकार यह प्रत्यक्ष व्यवहार वादी अनुक्रियाओं एवं मनोवैज्ञानिक अभिवृन्तिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। परन्तु इस संबंध को अनुभाविक रुप से प्रमाणित नही किया गया है''।

मैथिसन एवं पावेल (1972) ने प्रभाविता को दो श्रेणियों में विभाजित किया है।

अ- मत प्रभाविता

ब- राष्ट्रीय प्रभाविता

मतप्रभाविता से अभिप्राय व्यक्ति का यह विश्वास है कि व्यक्तिगत राजनीतिक मत महत्वपूर्ण है, जबकि राष्ट्रीय प्रभाविता किसी वस्तु एवं स्थिति के सन्दर्भ में होती है। राष्ट्रीय प्रभाविता को भी दो प्रकार का बताया गया है। प्रत्यक्ष, व्यवहित राजनीतिक प्रभाविता व्यक्ति की यह अनुभूति हैं कि वह प्रत्यक्ष रुप से राष्ट्रीय सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार की प्रभाविता स्थायी एवं आधुनिक राष्ट्रों का प्रमुख लक्षण है। व्यवहित राजनीतिक प्रभाविता व्यक्ति की यह अनुभूति है कि वह सरकार को इसलिए प्रभावित कर सकता है क्योंकि उसके कुछ ऐसे मध्यस्थों से साधक संबंध है जो स्थानीय एवं राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली है।

राजनीतिक प्रभाविता भावना-

राजनीतिक प्रभावित भावना को कई बार कुछ लोग इससे मिलते जुलते संप्रत्ययों नागरिक दायित्व तथा व्यक्तिगत प्रभाविता से उलझा देते हैं। यह नागरिक कर्तव्य भावना जिसे कई बार राजनीतिक उत्तरदायित्व या नागरिक दायित्व भी कहा जाता है। नागरिक दायित्व से अभिप्राय व्यक्तियों की यह अनुभूति है कि उन्हे नागरिक होने के नाते राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। भले ही ऐसा करना लाभप्रद या प्रभावकारी हो अथवा न हो। नागरिक दायित्व राजनीतिक क्रियाओं को प्रेरणा देता है परन्तु यह जरुरी नहीं है कि इससे उसके कार्यों की प्रभाविता की अनुभूति भी विकसित हो। राजनीतिक प्रभाविता भावना व्यक्तिगत प्रभाविता भावना नहीं है। यद्यपि प्रथम संप्रत्यय द्वितीय संप्रत्यय का राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार है। फिर भी दोनो एक नहीं है। व्यक्तिगत प्रभाविता भावना व्यक्ति की अपनी योग्यता के बारे में यह विश्वास या अनुभूति है कि वह जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रभाविता उच्च है तो उसमें राजनीतिक प्रभाविता भावना भी अधिक होती है। इस प्रकार राजनीतिक प्रभाविता भावना गैर राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाविता का परिणाम हो सकती है।

इस प्रकार राजनीतिक प्रभाविता भावना से अभिप्राय व्यक्ति की वह अनुभूति है जिसके द्वारा वह विश्वास करता है कि वह स्वय या अन्य लोगो की सहायता से राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है तथा राजनीतिक नेताओं के व्यवहारों को इष्ट दिशा में प्रेरित कर सकता है इसका प्रयोग राजनीतिक घटनाओं एवं मामलों के सन्दर्भ में नागरिक के कार्यो को परिणाम के प्रति उसकी अनुभूति के लिए किया जाता है। धर्मवीर महाजन (1983) राजनीतिक प्रभाविता भावना के संप्रत्यय के सन्दर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इससे व्यक्ति की राजनीति के क्षेत्र मे प्रभावी होने की अनुभूति का ही पता चलता है न कि इस बात का कि वह वास्तविक व्यवहार में उतना प्रभावी है या नहीं जितनी कि उसे इसकी अनुभूति है। राजनीतिक प्रभाविता भावना का मापन एक अनुमाप द्वारा दिया जाता है।

महिलाओं में राजनीतिक प्रभावकारिता-

राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित ये अध्यापिकायें किस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों के प्रति सचेत होते हुए सक्रिय हो रही है पाचवें अध्याय में साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राप्त तथ्यों से यही जानने का प्रयास किया गया है नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण जैसी प्रक्रियाओं में राजनीति का बढ़ता प्रभाव उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर जिन अध्यापिकाओं के सम्पर्क एवं प्रभाव राजनीतिक दलों से नहीं है वहां वे उससे उदासीन दिखाई पड़ती है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय में सारिणी नं० 4.3, 4.4, 4.8, में स्पष्ट किया गया है किन्तु वे राजनीतिक प्रभावकारिता के महत्व को जानती है। अपने सीमित संसाधनो एवं परिस्थितियों के कारण सक्रिय एवं सहभागी नहीं हो पाती।

अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह है कि किन परिस्थितियों, उपलब्धियों एवं राजनीतिक परिदृश्यों में अध्यापिकायें राजनीति के प्रति सचेत होती है। किस प्रकार राजनीतिक प्रभावकारिता से परिचित होते हुए राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होती है।

आज के युग में राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो सीमित हो गया, परन्तु इसमें भाग लेने वालों की संख्या बढ़ गई है दूसरों शब्दों में, आज राजनीति के अध्ययन मे मनुष्य के

सामाजिक जीवन की समस्त गतिविधियों पर विचार नहीं किया जाता बल्कि केवल उन गतिविधियों पर विचार किया जाता है जो सार्वजानिक नीति और सार्वजानिक निर्णयों को प्रभावित करती है।

भारत के संविधान में महिलाओं को समानता मात्र ही प्रदान नही की गई है अपितु नीति निर्देशक सिद्धान्तों में राज्य को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह महिलाओं के पक्ष मे ठोस व सकारात्मक कदम भी उठाये और उनके द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक लिहाज से जिस असमानता को झेलना पड़ता है। उसका निवारण हो सके। भारत में सभी नहीं तो ऐसे अनेक कानून अवश्य है जो महिलाओं को अनेक तरह से काफी प्रभावित करते हैं। इसमे 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 जो 1984 और 1986 में संशोधित भी हुआ, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1971 तथा समान परिश्रामिक अधिनियम, 1976, गर्भपात से सम्बन्धित अधिनियम 1971 आदि। मगर इनमें से ज्यादातर कानून क्रियान्वयन के लिहाज से पूर्णरुप से प्रभावी नहीं हो सके। ऐसा होने के कारणों में से एक है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, अनेक वर्षो के अनुभव ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि कानून मात्र का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जबकि उन्हें क्रियान्वित करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी। साथ ही जब तक शिक्षा और साक्षरता का अभाव रहेगा तब तक महिलायें अपने अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सकेंगी। इस बात की अनुभूति ने ही भारत में महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि विभिन्न क्षेत्रों में अपने उन अधिकारों को लागू करने के लिए सुनियोजित ढंग से प्रयत्नशील हो, जिनकी संविधान ने उनके लिए गांरटी दी है।

आज का युग बदल रहा है। समय परिवर्तित हो रहा है। परिस्थितियां बदल रही है। पाश्चात्य संस्कृति अपने कदम जोरो से आगे बढ़ा रही है। वह अपना प्रभाव सम्पूर्ण मानव जाति पर छोड़ रही है। इससे महिलाएं भी प्रभावित होती जा रही है। उनकी जीवन शैली में

परिवर्तन आ रहा है। खान-पान, रहन-सहन से लेकर पूरी दिनचर्या बदल रही है। वे अपने दायित्व, कर्तव्य भूलती जा रही हैं। करुणा का स्त्रोत सूखता जा रहा है। सहनशीलता के अभाव में परिवार में वह सामजस्य स्थापित नहीं कर पा रही है। प्रबल अहंकार से समाज में उसका दायरा सीमित होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में 21 वीं सदी में युवको की जीवन शैली पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। यह एक चिन्ता का विषय है। जो महिलाओं के दायरे को प्रभावित कर रहा है।

देश की आबादी जिस अनुपात में बढ़ी विद्यालयों एवं शिक्षकों की बढ़ोत्तरी उस अनुपात में नहीं हो सकी। अधिसंख्य प्राथमिक विद्यालयों मे पांच कक्षाओं को चलाने के लिए एक या कही मात्र दो शिक्षिका है फिर शेष कक्षाओं का संचालन कैसे होता होगा। इस पर शायद कभी विचार नहीं किया गया।

इन शिक्षिकाओं का इस्तेमाल सरकार द्वारा अन्य दूसरे क्षेत्रों के लिए भी किया जाता है। मसलन, जनगणना करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, कुष्ठ रोगियों का पता लगाना, दवा एवं टीकाकरण आदि के विशेष अभियान आदि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां शिक्षको की सेंवाएं अनिवार्यतः जनहित के नाम पर ली जाती है जिससे शिक्षण का कार्य प्रभावित होता हैं। पर दूसरी तरफ इन महिला अध्यापिकाओं में राजनीतिक दल राजनीतिक नेता या नगर पालिका का अध्यक्षा बनने जैसी भावना को बढ़ावा मिलता है यही कारण है कि आज अनेक महिला अध्यापिकायें राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई हैं। नगर पालिका की सदस्या या अध्यक्षा बनने के लिए तैयार है जो राजनीतिक प्रभावकारिता का ही परिणाम है।

अध्यापिकाओं में संचार एवं सम्प्रेषण का प्रभाव-

महिला अध्यापिकाओं पर जिस प्रकार उनके वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वह प्राकृतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक। उसी प्रकार इन आधुनिक संचार साधनो का प्रभाव उनकी जीवन शैली को भी प्रभावित कर रहा है जहां एक तरफ जनसंख्या का घनत्व, आवास का स्वरुप, कृषि कार्य, लधु उद्योग, व्यवसाय की प्रकृति,

धर्म, प्रथा, परम्पराये एवं जनरीतियां महिलाओं के रहन सहन के स्तर एवं उनके व्यवहार प्रतिमानों को विशेष रुप से प्रभावित करते हैं वही संचार साधनों का उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। अध्यापिकाओं की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव संचार साधनों पर बहुत अधिक पड़ता है। जैसे जिन अध्यापिकाओं के घर की आर्थिक स्थिति जितनी अधिक अच्छी होगी उनके घर में उनते ही अधिक संचार साधन उपलब्ध होगे।

सतत शिक्षा को प्रभावी बनाने की दृष्टि से विद्यालयों मे अब आधुनिक सम्प्रेषण टेक्नालाजी नेटवर्क का कुशलता एवं बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इनके तहत रेडियो, टेलीविजन, टेलीकान्फरेसिग, कम्प्यूटर तथा अभिक्रमित अनुदेशन की पद्वति का प्रयोजन बद्ध ढंग से उपयोग इसके स्वरुप एवं प्रणाली में विविधता का समावेश कर देता है शिक्षा एवं मनोरंजन के उद्देश्य से कम्प्यूटर, टेलीविजन एवं फिल्मों का उपयोग बच्चो ही अधिक से अधिक सहज रुप में ज्ञानवर्धन ही नहीं करता बल्कि अध्यापिकाओं को भी सहज रुप में प्रभावित करता है। बच्चो की आवश्यकताओं तथा रुचियों पर आधारित व्यवसायिक एवं प्रावधिक शिक्षा के अनौपचारिक पाठय क्रमों को बड़े पैमाने पर विद्यालयों में प्रारम्भ करना जिससे बच्चो के साथ अध्यापिका भी प्रभावित हो सके।

आधुनिक शिक्षा पद्वति एवं संचार के नवीन साधनों ने महिलाओं के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किये हैं। एक ओर यदि कोई महिला विदेश से शिक्षा प्राप्त करके अपने शहर को वापस लौटती है तो वह अपने प्रगतिशील विचारो और व्यवहारों के कारण महिलाओं के लिए शीघ्र ही आर्कषण का केन्द्र बन जाती है। नई तकनीक एवं संचार प्रणाली से युक्त शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होने से नई पीढ़ी की लड़कियों एवं महिलाओं के विचारो और दृष्टिकोणों में परिवर्तन होने लगा है। दूसरी ओर संचार के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के फलस्वरुप महिलाओं में नए विचारो, व्यवहारों, आदतों और मनोवृत्तियां प्रवेश करती जा रही है।

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का तो आधार ही संचार है। संचार के बिना मानवीय जीवन सम्भव नहीं है संचार के अन्तर्गत उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। जिसके द्वारा एक मस्तिष्क दूसरे को प्रभावित करता है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर मस्तिष्क को सूचनाएं देता है और उन सूचनाओं के आधार पर मस्तिष्क शरीर को अपने वातावरण के अनुसार कार्य करने का आदेश देता है। इसी प्रकार संचार साधनों की कल्पना विद्यालयी वातावरण में की जा सकती है। सूचना या संवाद प्रेषण को संचार कहते है। संचार का ताप्पर्य एक महिला अथवा समूह द्वारा अपने विचारो को अन्य महिलाओं, बच्चो अथवा समूहों तक पहुचाना है। इस प्रकार संचार को सम्प्रेषण की एक प्रक्रिया कहा जा सकता है। व्यापक अर्थो में इसके अन्तर्गत समस्त मानव व्यवहार आ जाता है। विद्यालयी संचार प्रक्रिया में अध्यापिकायें बच्चों को और बच्चे अध्यापिकाओं को प्रभावित करते है।

संचार की प्रभावपूर्ण प्रक्रिया सभी विकास योजनाओं की सफलता का आधार है। लेकिन विकास कार्यक्रम की सफलता मुख्य रुप से इसी तथ्य पर निर्भर है कि योजना से संबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता और लक्ष्यों को विद्यालयीय अध्यापिकायें किस सीमा तक समझ पाती है, इस उद्देश्य से विद्यालय विकास के लिए नियोजको ने विद्यालय वातावरण में कम्प्यूटर जैसे संचार साधन के महत्व को अनुभव किया। विद्यालय के सभी कार्यो में कम्प्यूटर का महत्व सर्वाधिक है क्योंकि इसका विकास ही संचार के माध्यम के रुप में किया गया था। विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से सभी क्षेत्रों तक पहुचाने के लिए एक साधन के रुप में इसका सूत्रपात किया गया, जिसे हम संचार प्रक्रिया के लिए वाहक अथवा माध्यम कहते है। संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण केन्द्र विद्यालय भी है जहां अध्यापिकाओं के माध्यम से बच्चो में ज्ञानवर्धन एवं विकास कार्यक्रमों का सम्प्रेषण किया जाता है। विद्यालयी समुदाय में संचार की भूमिका का कार्य केवल विकास कार्यक्रमों को पहुचाना ही नहीं है बल्कि कार्यक्रमों को स्थिरता प्रदान करने तथा उन्हें प्रभावपूर्ण बनाने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यालयी समुदाय में वांछित परिवर्तन लाने के लिए विकास कार्यक्रमों

से सम्बन्धित ज्ञान का अनेक विधियो द्वारा विद्यालय में संचार किया जाता है। विद्यालयी समुदाय में जब कोई परिवर्तन आता है तो यह परिवर्तन या तो विद्यालयी समुदाय के अन्दर ही उत्पन्न होता है अथवा विद्यालयी समुदाय से बाहर किसी अन्य समूह द्वारा लाया जाता है। पहली स्थिति को हम स्वयं होने वाला परिवर्तन कहते है। जबकि दूसरे को सम्पर्क से उत्पन्न परिवर्तन कहा जाता है संचार के इस तरीके के दो उपागम अथवा विधियां महत्वपूर्ण है जिन्हे इस प्रकार समझा जा सकता है।

(1) चयनित सम्पर्क- विद्यालयी समुदाय का कोई भी सदस्य (अध्यापिका हो या बच्चे) यदि नियोजन के प्रयास से किसी नवीन विचार अथवा कार्य विधि को जानकर उसे अंगीकृत कर लेता है तो धीरे धीरे विद्यालय के अन्य बच्चे व महिलायें भी उससे सम्पर्क करके नए ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयत्न करने लगते है। इस प्रकार नये ज्ञान को ग्रहण करने वाली महिला समुदाय में उसका सम्प्रेषण करने के लिए मुख्य सम्प्रेषक बन जाता है।

(2) प्रत्यक्ष सम्पर्क- यदि विद्यालयी समुदाय से बाहर उत्पन्न विकास संबंधी नवीन विचार सरकारी अभिकर्ताओं द्वारा विद्यालय तक पहुचाया जाता है अथवा सरकारी अभिकर्ताओं द्वारा परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया जाता है तो सम्पर्क की इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष सम्पर्क कहा जाता है।

विद्यालयी समुदाय में नवीन ज्ञान, प्रविधियों तथा व्यवहारों का सम्प्रेषण करने के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा एजेन्सी के लिए यह अत्यधिक आवश्यक होता है कि संचार के उचित साधन अथवा माध्यम द्वारा महिलाओं एवं बच्चो के व्यवहारो को प्रभावित किया जाय। इस दृष्टिकोण से संचार प्रक्रिया में संचार के साधन अथवा वाहिका एक माध्यम है जिसके द्वारा जनता को लाभ पहुचाया जाता है।

संचार साधनो का प्रभाव- (1) जनसंचार (2) संचार के अंतर वैयक्तिक साधन

1. जनसंचार का प्रभाव- वर्तमान जीवन में संचार के अन्तर्गत जनसंचार का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसी के द्वारा कोई कार्यक्रम देश की सम्पूर्ण जनता तक

तीव्रता और सरलता से पहुचाया जा सकता है। भारत जैसे देश में व्यापक अशिक्षा, निर्धनता तथा महिलाओं के शोषण के कारण जन सामान्य को ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हो पाते जिससे वे स्वयं विकास कर सकें इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनसंचार के लिए निम्नांकित साधनो को प्रयोग में लाया जा रहा है। लघु पुस्तिकाएं, समाचार पत्र, पत्रिकायें, रोजगार समाचार पत्र, कम्प्यूटर, वैज्ञानिक ज्ञान वर्धक सामग्री, भौगोलिक जानकारी से सम्बन्धित सामग्री आदि के द्वारा उनके लाभो से अध्यापिकाओं एवं बच्चो को परिचित कराया जाता है। जिससे उनका सम्पूर्ण विकास प्रभावित हो।

(2) संचार के अन्तर्वैयक्तिक साधन- विद्यालयी समुदाय में पारस्परिक सहयोग एवं सहभागिता की भावना को बढ़ाने, सरकार एवं जनता के बीच संबंध सुदृढ़ करने तथा महिला अध्यापिकाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास करने के लिए संचार के अन्तर्वैयक्तिक साधनों अथवा वाहिकाओं में वृद्धि का प्रयत्न किया गया है। अंतर्वैयक्तिक संचार में किसी भी परियोजना से संबंधित अधिकारी तथा कार्यकर्ता, परिवर्तनकारी अभिकर्ता के रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्तर्वैयक्तिक संचार के अन्तर्गत परिवर्तनकारी अभिकर्ता किसी कार्यक्रम का जन सामान्य में प्रसार ही नहीं करते बल्कि उनकी प्रतिक्रियाओं से नियोजनकर्ताओं को अवगत भी कराते है। इसके पश्चात् संशोधित कार्यक्रम का पुनः प्रसार कराते है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संचार की इस विधि में परिवर्तनकारी अभिकर्ता सरकारी व्यवस्था तथा जनसामान्य के बीच समन्वय स्थापित करके विकास योजनाओं को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते है।

सारणी सं0 5.1

विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं राजनीति के प्रचार प्रसार सम्बन्धी जानकारी

क्र0	विद्यालय	रेडियो/टी0वी		समाचार/पत्र पत्रिकाओं		राजनीतिक पार्टियों द्वारा		सामाजिक संस्थाओं या संगठनों द्वारा		
		सं0	प्र0	स0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	योग
1.	इण्टरमीडिएट	13	13	33	33	46	46	8	8	100
2.	हाईस्कूल	–	–	7	70	3	30	–	–	10
3.	जू0हा0स्कूल	48	34.2	36	25.7	44	31.4	12	8.5	140
	योग	61	24.4	76	30.4	93	37.2	20	8	250

राजनीति का प्रचार एवं प्रसार मीडिया का ही एक साधन नहीं है बल्कि अन्य आधुनिक तकनीको एवं साधनो का भी एक तरीका है जैसे रोडियो, टी०वी०, पत्रिकाये, राजनीतिक पार्टियो एवं दल और सामाजिक संस्थाओं व संगठनों द्वारा भी राजनीति का प्रचार व प्रसार भिन्न-भिन्न आधुनिक तरीको द्वारा किया जाता है। समाज का वह पक्ष जो राजनीतिक जानकारियों से अनभिज्ञ है वह राजनीति के इन लुभावने तरीको से अधिक प्रभावित होते है अर्थात् समाज की महिलाओं पर राजनीतिक पार्टियो का प्रभाव अधिक पड़ता है। प्रस्तुत सारिणी में अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि कौन से ऐसे साधन है जो महिलाओं या अध्यापिकाओं पर राजनीतिक प्रभाव अधिक डालते है।

प्रस्तुत सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि समस्त 250 अध्यापिकाओं मे से 93 (37.2 प्रतिशत) सबसे अधिक अध्यापिकायें राजनीतिक पार्टियों द्वारा किये जाने वाले प्रचार प्रसार से प्रभावित होती है। इसके बाद मीडिया समाचारपत्र एवं पत्रिकाओं से 76 (30.4 प्रतिशत), रेडियों एवं टी०वी० से प्रभावित होने वाली महिला अध्यापिकाओं की संख्या 61 (24.4 प्रतिशत), सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा 20 (8 प्रतिशत) आदि साधनो द्वारा प्रभावित हो रही है।

इसी प्रकार जब हम विद्यालय क्रमानुसार अध्यापिकाओं से राजनीति के प्रचार प्रसार से प्रभावित होने संबंधी विचारो को जानने का प्रयास करते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट की 100 अध्यापिकाओं मे से 13 प्रतिशत, रेडियो/टी०वी०, 33 (33 प्रतिशत) समाचार पत्र पत्रिकाओ, 46 (46 प्रतिशत) राजनीतिक पार्टियो से, 8 (8 प्रतिशत) सामाजिक संस्थाओ को राजनीति के प्रचार एवं प्रसार का माध्यम मानती है। इण्टर कालेज में कार्यरत अध्यापिकाओं से मिली जानकारी से स्पष्ट है कि इन अध्ययापिकाओं में सबसे अधिक अध्यापिकायें राजनीति के प्रचार प्रसार का कारण राजनीतिक पार्टियो को मानती है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमें 7 (70 प्रतिशत) अध्यापिकायें राजनीतिक प्रचार प्रसार में सामाचार पत्र पत्रिकाओं को महत्वपूर्ण

मानती है। 3 (30 प्रतिशत) अध्यापिकायें राजनीति के प्रचार-प्रसार के संबंध में राजनीतिक पार्टियों को उत्तरदायी मानती है। जबकि रेडियो/टी0वी0 और सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनो को राजनीति के प्रचार प्रसार के माध्यम को कोई भी अध्यापिका स्वीकार नहीं करती अर्थात् इन माध्यमो के संबंध में कोई भी अध्यापिका अपना उत्तर नहीं देती है। हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं में सबसे अधिक राजनीति के प्रचार प्रसार संबंधी माध्यमों में समाचार पत्र पत्रिकाओं को माना है।

जू0हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं से जब राजनीति के प्रचार प्रसार संबंधी माध्यमों के बारे में जानकारी की गई तो ज्ञात होता है कि जू0हाई स्कूल मे कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमे 48 (34.2 प्रतिशत) अध्यापिकायें रेडियो/टी0वी0 को राजनीति के प्रचार प्रसार का माध्यम मानती है। जबकि 36 (25.7 प्रतिशत) अध्यापिकायें समाचार पत्र पत्रिकाओं के संबंध में अपना उत्तर देती है। 44 (31.4 प्रतिशत) अध्यापिकायें राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में अपने विचार देती है। जबकि 12 (8.5 प्रतिशत) अध्यापिकायें सामाजिक संस्थाओं एवं सगठनो को राजनीति के प्रचार प्रसार का माध्यम स्वीकार करती है। जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं में सबसे अधिक अध्यापिकायें वे हैं जो राजनीति के प्रचार प्रसार के माध्यम में रेडियो और टी0वी0 को सबसे महत्वपूर्ण मानती है।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति के प्रचार एवं प्रसार के लिए कोई एक माध्यम ही सर्वोत्तम या उत्तरदायी नहीं है। अध्यापिकाओं के विचारो के अनुसार राजनीतिक पार्टियों सबसे अधिक, समाचार पत्र पत्रिकायें उससे कम, रेडियो टी0वी0 उससे कम और सबसे कम उत्तर जिसमें प्राप्त हुए है वे हैं सामाजिक संस्थाएं या संगठन किसी के संबंध में उत्तर कम या ज्यादा होना किसी साधन की सार्थकता को कम नहीं करता यही कारण है कि सभी साधन कम या अधिक मात्रा मे अध्यापिकाओं को प्रभावित अवश्य कर रहे है।

सारणी सं0 5.2

विद्यालयीय अध्यापिकाओं का बांदा नगर पालिका की अध्यक्ष महिला चुने जाने से मिली प्रेरणा सम्बन्धी जानकारी

क्र0	विद्यालय	आप भी अध्यक्षा बनना चाहेगी		सम्मान/प्रतिष्ठा मिलती है।		राजनैतिक दलो की सदस्य बनना पंसद करेगी		कोई प्रेरणा नहीं मिलती		
		सं0	प्र0	स0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	योग
1.	इण्टरमीडिएट	9	9	31	31	10	10	50	50	100
2.	हाईस्कूल	-	-	1	10	-	-	9	90	10
3.	जू0हा0स्कूल	12	8.5	44	31.4	28	20	56	40	140
	योग	21	8.4	76	30.4	38	15.2	115	46	250

आज जब आधुनिकीकरण विश्वव्यापी घटना बन चुकी है ऐसी स्थिति में आधुनिकता की लहर का प्रभाव केवल महानगरो तक सीमित नहीं है बल्कि नगरो, कस्बो में भी राजनीति के प्रति महिलाओं मे बढ़ती चेतना, सहभागिता और प्रभावकारिता इसके प्रभाव को सिद्ध करती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती (2 जून 1995) ने अपने शासन काल में स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दी है। जिसके परिणामस्वरुप महिलाओं में राजनीति के प्रति चेतना बढ़ी जिसके परिणाम स्वरुप सहभागिता में भी वृद्धि हुई है। इस नियम का एक सुखद परिणाम बांदा नगर पालिका को भी प्राप्त हुआ। यहां के नगर पालिका के अध्यक्ष पद को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया और यहां से सुधा चौहान अध्यक्षा (1995) और विभिन्न वार्डो में अनेक महिला नगर पालिका में सभासद निर्वाचित हुई है।

इसका प्रभाव वर्तमान में अन्य महिलाओं पर भी दिखाई पड़ रहा है। यह जानने के लिए बांदा नगर क्षेत्र के सभी बालिका विद्यालय (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, और जू0हा0स्कूल) की अध्यापिकाओं से यह सवाल पूछा गया कि बांदा नगर पालिका की अध्यक्षा महिला चुने जाने से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। यदि आपको प्रेरणा मिलती है तो क्या आप भी अध यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहेगी या राजनीतिक दलो की सदस्य बनकर सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहेगी या राजनीति में जाना ही नहीं चाहेगी। प्रस्तुत सारिणी में सभी अध यापिकाओं से यही जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत सारिणी का आंकलन करने से ज्ञात होता है कि समस्त विद्यालय की 250 अध्यापिकाओं में 21 (8.4 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का कहना यह है कि वो भी अध्यक्षा बनना चाहती है। 76 (30.4 प्रतिशत) अध्यापिकायें जिनका मानना यह है कि इस पद को प्राप्त करने से सम्मान और प्रतिष्ठा ही नहीं मिलती है बल्कि समाज में एक पहचान भी बन जाती है। 38 (15.2 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का कहना यह है कि वह मात्र राजनीतिक दलो की सदस्य बनना पसंद करेगी जिससे उनके सारे मुश्किल काम आसान हो जाये। 115

(46 प्रतिशत) अध्यापिकायें जिनका कहना यह है कि उनको कोई प्रेरणा नहीं मिलती है अर्थात् जो अध्यक्षा बनेगी उसे हर तरह का लाभ होगा उससे हमे क्या। हम अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है कि स्कूल और घर के बाद हमारे पास समय ही नहीं बचता है।

इस सारिणी का जब हम विद्यालय के अनुसार विवरण प्रस्तुत करते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट विद्यालय की 100 अध्यापिकाओं में 9 (9 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि वह भी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा बनना चाहती है। जबकि 31 (31 प्रतिशत) अध्यापिकाये इसलिए अध्यक्षा पद का चुनाव लड़ना चाहेगी कि अध्यक्षा बन जाने पर सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाती है। 10 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें सिर्फ राजनीतिक दलो की सदस्या बनना ही पसंद करती है। 50 (50 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसी है जिनका कहना यह कि उन्हे बांदा नगर पालिका की अध्यक्षा महिला चुने जाने से उन्हे कोई प्रेरणा नहीं मिलती है।

इसी प्रकार हाईस्कूल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 हैं जिनमे से एक भी अध्यापिका ऐसी नहीं है जो नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा बनना चाहे या राजैनतिक दलों या संगठनों की सदस्या बनना पसंद करे। मात्र एक अध्यापिका ऐसी है जो इसलिए अध्यक्ष बनने के पक्ष में है क्योकि अध्यक्षा बन जाने पर समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती तथा एक अच्छी पहचान बन जाती है। जबकि 9 (90 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि यह महिलाओ की राजनीति में भागीदारी बनाने के लिए एक नियम बना दिया गया है। जो इसमे हिस्सा लेना चाहे वो ले। परन्तु इससे हमे कोई प्रेरणा नहीं मिलती हां यह अवश्य हुआ है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रादन किये गये है।

जब नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त सभी जू०हा० स्कूलो और सभी सरकारी बालिका विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि बांदा नगर क्षेत्र की नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा महिला चुनी जाने से आपको कोई प्रेरणा मिलती है तो अध्यापिकाओं ने जितने उत्तर दिये उनसे ज्ञात होता है कि जू०हा० स्कूल की

सभी अध्यापिकाओं की संख्या 140 है जिनमे से 12 (8.5 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि वह एक टीचर होने के साथ साथ अगर मौका मिला तो अध्यक्षा का पदभार भी संभालेगी अर्थात् अध्यक्षा बनना चाहेगी। 44 (31.4 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि वह अध्यक्षा इसलिए बनना चाहेगी कि अध्यक्षा बन जाने से जो सम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है वह बहुत कम लोगो को ही मिल पाती है जबकि 28 (20 प्रतिशत) अध्यापिकायें मात्र राजनीतिक दलो की सदस्या बनना ही पसंद करेगी। 56 (40 प्रतिशत) अध्यापिकायें ऐसी है जिनका कहना यह है कि उनको इससे कोई प्रेरणा नहीं मिलती है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से यह तथ्य सामने आता है कि इस प्रकार के नियम बनने और महिलाओ को अवसर दिये जाने से महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत हुई है। और वे राजनीतिक लाभो से प्रभावित होकर सहभागी हो रही है लेकिन अभी इनकी संख्या अधिक नहीं है, कम ही है। अभी महिलाओं को और बढ़ने की आवश्यकता है।

सारणी सं0 5.3

सेवारत अध्यापिकाओं एवं राजनीतिक दल से सम्पर्क बढ़ाने सम्बन्धी जानकारी

क्र0	विद्यालय	भावी सम्स्याऐ		सम्मान और प्रतिष्ठा पाने हेतु		प्रभुत्व बनाये रखने हेतु		धन कमाने हेतु		अन्य		
		सं0	प्र0	स0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	योग
1.	इण्टरमीडिएट	35	35	30	30	10	10	23	23	2	2	100
2.	हाईस्कूल	6	60	2	20	1	10	1	10	–	–	10
3.	जू0हा0स्कूल	52	37.1	24	17.1	28	20	20	14.2	16	11.4	140
	योग	93	37.2	56	22.4	39	15.6	44	17.6	1.8	7.2	250

राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव (27 अगस्त 1999) ने लिखा है कि एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओ में राजनीतिक जागरुकता बढ़ी है तथा बहुत अधिक संख्या में महिलाये राजनीति में सक्रिय भूमिका अपना रही है। सर्वेक्षण के अनुसार सक्रिय भूमिका अदा करने वालो में एक तिहाई महिलायें है। 1971 की तुलना में 1996 में चुनवी सभाओं और राजनीतिक दल के सदस्य बनने वाली महिलाओ की संख्या दो गुनी हो गयी है। फिर भी पुरुषों से यह बहुत कम है। देश के राजनीतिक दल महिलाओं को अधिकाधिक राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने की बात तो करते है लेकिन जब भी समय आता है, वे अपने वादे से मुकर जाते है। राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधियों के प्रवेश के कारण महिलायें राजनीति में आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जो पार्टी सत्तारुढ़ होती है उसका भी ध्यान महिलाओ की शिक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को सुधारने की ओर उस तरह गम्भीरता से नहीं जाता जो वह चुनाव के समय आश्वासन देते है। इसके बाद भी क्या महिलायें राजनीतिक दलों से सम्पर्क बनाये रखती है यही जानने के लिए समस्त विद्यालयीय अध्यापिकाओं से यह प्रश्न पूछा गया है।

प्रस्तुत सारिणी में समस्त विद्यालयीय अध्यापिकाओं से राजनीतिक दल से सम्पर्क रखने के पक्ष में विचार जानने का प्रयास किया गया है विद्यालय स्तर के आधार पर इण्टरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है जिनमें 35 (35 प्रतिशत) अध्यापिकायें भावी समस्याओं के निदान हेतु राजनैतिक दलो से सम्पर्क बढ़ाने के पक्ष को स्वीकार करती है। सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति में राजनीतिक दल का सम्पर्क आवश्यक है। इसे 31 (31 प्रतिशत) अध्यापिकायें स्वीकार करती है। विद्यालय एवं अन्य स्थानो पर अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए राजनीतिक दल से सम्पर्क आवश्यक है ऐसा 10 (10 प्रतिशत) महसूस करती है। धन अर्जन एवं राजनीतिक दल से सम्पर्क के सह सम्बन्ध को 23 (23 प्रतिशत) स्वीकार करती है। राजनीतिक दलो से सम्पर्क बढ़ाने के अन्य कारणो को मात्र 2 (2 प्रतिशत) ही स्वीकार करती है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है। जिनमें 6 (60 प्रतिशत) अध्यापिकायें भावी समस्याओं के निदान हेतु राजनीतिक दल से सम्पर्क रखने के पक्ष को महत्वपूर्ण मानती है। 3 (30 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्ति में सहायक राजनीतिक दलो से सम्पर्क को महत्व को स्वीकार किया। विद्यालय एवं अन्य स्थानों पर अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिका राजनीतिक दलो से सम्पर्क बनाये रखने की आवश्यकता को महसूस करती है। साथ ही धन एवं लाभ कमाने में महत्वपूर्ण व्यक्तियों अर्थात् राजनीतिक दलो के सदस्यो से सम्पर्क को महत्वपूर्ण समझती है।

इसी प्रकार हमने जब जू0हा0 स्कूल की अध्यापिकाओं से यह सवाल पूछा तो ज्ञात हुआ कि समस्त विद्यालय की 140 अध्यापिकाओं में 52 (37.1 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने यह माना है कि वे वर्तमान या भावी समस्याओ के समाधान करने में राजनीतिक दलो से सम्पर्क रखने के महत्व को स्वीकार करती है। जबकि 24 (17.1 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए राजनीतिक दलो से सम्पर्क बढ़ाये रखना ही आवश्यक नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों की सदस्या बनने को भी महत्वपूर्ण समझती है। जैसा कि पूर्व सारिणी में 28 (20 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने इसके पक्ष में उत्तर दिये। विद्यालय, समाज एवं अन्य स्थानों पर अपने प्रभुत्व को कायम रखने में भी राजनीतिक दलो की सम्पर्कता को 28 (20 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने आवश्यक माना है धन कमाने के साधनो में राजनीतिक दलो से सम्पर्क बनाये रखने की आवश्यकता को 20 (14.2 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने अति महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी आवश्यकता जाहिर की है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि ऐसे अनेक कारण है जिनकी वजह से महिलाये राजनीतिक दलो से सम्पर्क बनाये रखने की आवश्यकता को महसूस करती है। बांदा नगर क्षेत्र समस्त बालिका विद्यालयों (इण्टरमीडिएट, विद्यालय हाईस्कूल, और

जू0हा0 स्कूल) में कार्यरत अध्यापिकाओं की सख्या 250 है। जिनमे से 93 (37.2%) अध्यापिकायें वर्तमान एवं भावी समास्याओं के निदान हेतु राजनीतिक दलो से सम्पर्कता की आवश्यकता को महसूस करती है। सबसे अधिक अध्यापिकाये इसी कारण को ध्यान में रखते हुए इस पक्ष मे अपने उत्तर दिये। दूसरा स्थान उन अध्यापिकाओं का है जो सम्मान और प्रतिष्ठा को कायम रखने में राजनीतिक दलो से सम्पर्क बनाये रखने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। तीसरा स्थान उन अध्यापिकाओ का है जिनमें 4 17.6 प्रतिशत अध्यापिकायें विद्यालय एवं अन्य स्थानो पर अपने प्रभुत्त्व को कायम रखने में राजनीतिक दलो के सम्पर्क के महत्व को स्वीकार करती है। धन अर्जन करने एवं राजनीतिक दलो से सम्पर्क के यह सम्बन्ध को 39 (15.6 प्रतिशत) अध्यापिकाओ ने स्वीकार किया है इस कारण के पक्ष में उत्तर दने वाली महिलाओ का स्थान चतुर्थ है। पाचवा स्थान उन उत्तरदात्रियों का है जो इन चारो कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से राजनैतिक दलो की सम्पर्कता की आवश्यकता को महसूस करती है जिनकी संख्या 18 (7.2 प्रतिशत) है।

सारणी सं0 5.4

विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं महिलाओ को समाज मे आगे बढ़ाये जाने सम्बन्धी विचार

क्र0	विद्यालय	समाज में जागरुकता लाकर		स्त्रियों को अधिक शिक्षित करके		राजनीति में प्रवेश करके		अधिक धन उपार्जन द्वारा		हड़ताल करके		अन्य		योग
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
1.	इण्टरमीडिएट	33	33	53	53	9	9	2	2	–	–	3	3	100
2.	हाईस्कूल	6	60	4	40	–	–	–	–	–	–	–	–	10
3.	जू0हा0स्कूल	76	54.2	52	37.1	4	2.8	4	2.8	4	2.8	–	–	140
	योग	115	46	109	43.6	13	5.2	6	2.4	4	1.6	3	12	250

महिलाओं में शिक्षा का अभाव, स्वाभिमान का अभाव और इन दोनो से उपजे अनेक ऐसे कारण जो नारी को अबला बनाने के लिए विवश कर रही है। शिक्षा के अभाव मे नारी अपने अधिकार एवं कर्तव्य के बीच सामंजस्य नहीं कर पाती है। विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सर्वप्रथम महिलाओ को एकजुट होना होगा। अर्थात् हर मां, जो अब तक पुत्रों को पुत्रियों की अपेक्षा अधिक महत्व देती आई है उन्हे अपना नजरिया बदलना होगा और पुत्र पुत्रियो के मध्य भेदभाव का परित्याग कर जन्म काल से ही समान शिक्षा देनी होनी। समान शिक्षा का अर्थ केवल बलिकाओं के शिक्षा स्तर में वृद्धि करना नहीं है बल्कि बालको को भी घरेलू कामो की समान रुप से शिक्षा दी जाय ताकि वे भी आगे चलकर नारियों पर आश्रित न रहे और कलह को बढ़वा न दे। साथ ही महिलाओं मे स्वाभिमान जगाना होगा ताकि वे अपने कर्तव्यो के साथ अधिकारो को भी समझे और उन्हे पाने के लिए सजग रहे।

समस्त विद्यालयीय अध्यापिकाओं से जब यह प्रश्न पूछा गया कि महिलाओ को समाज में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इन विद्यालयीय अध्यापिकाओं ने जो उत्तर दिये उन्हे सारिणी मे प्रस्तुत किया गया है। इण्टरमीडिएट विद्यालयों की अध्यापिकाओं की संख्या 100 है। जिनमें 33 (33 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का कहना यह है कि समाज एवं महिलाओ मे जब तक जागरुकता नहीं आयेगी तब तक महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अर्थात् महिलाओं मे जागरुकता लाकर ही उन्हे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जबकि 53 (53 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि जब तक महिलायें शिक्षित नहीं होगी तब तक उनके अन्दर आगे आने की क्षमता का विकास नहीं हो सकेगा अर्थात् घर की चाहरदीवारी में कैद रहने वाली महिला जब तक घर से बाहर निकल कर इस बाहय सामाजिक वातावरण से नहीं मिलती तब तक स्वाभिमान, निर्बलता, निर्भयता, उत्साह, और समाज से लड़ने की ताकत विकसित नहीं हो सकेगी। 9 (9 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि महिलायें राजनीति में भाग लेकर आगे बढ़ती है। जबकि 2 (2 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह मानती है कि स्वयं का रोजगार करके या अन्य रेजगार में शामिल होकर अधिक धन उपार्जन

करके महिलायें आगे बढ़ सकती है। एक भी महिलायें ऐसी नहीं है जो हड़ताल करके आगे बढ़ने का सुझाव दें। जबकि 3 (3 प्रतिशत) अध्यापिकायें अन्य कारणों से आगे बढ़ने का सुझाव देती है।

इसी प्रकार हाईस्कूल मे कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है जिनमें 6 (60 प्रतिशत) अध्यापिकाये यह स्वीकार करती है कि समाज मे जागरुकता लाकर या महिलाओं को जागरुक बनाकर ही महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। जबकि 4 (40 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने यह माना कि महिलाएं शिक्षित हो जाये तो उनमे आगे बढ़ने की प्रेरणा स्वयं जागृत हो जायेगी। हाईस्कूल की एक भी अध्यापिका ने महिलाओ को आगे बढ़ने के कारणो में इन कारणो जैसे राजनीति में महिलाओ का प्रवेश, अधिक धन उपार्जन द्वारा, हड़ताल करके या कोई अन्य कारण को स्वीकार नहीं किया है।

इसी प्रकार जू०हा० स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओ की संख्या 140 है। जिनमें 76 (54.2 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने यह माना कि समाज मे या महिलाओ मे जागरुकता लाकर ही महिलाओ को आगे बढ़ाया जा सकता है। जबकि 52 (37.1 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने यह स्वीकार किया कि स्त्रियो को आगे न बढ़ने का कारण अशिक्षा है यदि सभी महिलायें शिक्षित हो जाये तो वे स्वयं आगे बढ़ सकती है। अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी स्वयं कर सकती है। 4 (2.8 प्रतिशत) अध्यापिकायें महिलाओं के आगे बढ़ने के कारणो में राजनीति में महिलाओ के प्रवेश संबंधी कारण को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। जबकि 4 (2.8 प्रतिशत) अध्यापिकायें महिलाओं के आगे बढ़ने का कारण अधिक धन उपार्जन को बतलाती है। 4 (2.8 प्रतिशत) अध्यापिकाये महिलाओ के आगे बढ़ने के बाधक कारणो से बचने के लिए हड़ताल को एक मुख्य कारण बताती है अन्य किसी भी कारण को एक भी अध्यापिका ने स्वीकार नहीं किया।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि बांदा नगर क्षेत्र के समस्त बालिका विद्यालयो में कार्यरत 250 अध्यापिकाओं मे महिलाओ को समाज मे आगे बढ़ाये जाने

के कारणो में जिस कारण के प्रति सर्वाधिक अध्यापिकाओं ने उत्तर दिये वह है समाज मे महिलाओ को जागरुक बनाकर। इस कारण को 115 (46 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने स्वीकार किया है। दूसरे स्थान पर 109 (43.6%) अध्यापिकाओं ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का कारण स्त्रियों को अधिक शिक्षित होना है। माना है। राजनीति में महिलाओं को प्रवेश जैसे कारण को 13 (5.2%) अध्यापिकाओं ने स्वीकार किया। अधिक धन उपार्जन द्वारा 6 (2.4 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने समाज में महिलाओं के आगे बढ़ने का कारण बताया है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए महिलाओं द्वारा हड़ताल को महिलाओं के आगे आने के कारण को 4 (1.6 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने महत्वपूर्ण माना है। इन कारणो के अलावा अन्य कारण को महत्वपूर्ण मानने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 3 (1.2 प्रतिशत) है।

सारणी सं0 5.5

विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं विभिन्न राजनैतिक दलो, संगठनो व संस्थाओ में महिलाओं की बढ़ रही संख्या संबंधी विचार

क्र0	विद्यालय	जागरुकता बढ़ना		अपना अधिकार पाना		स्वाभिमान भावना बढ़ना		पुरुष के समकक्ष आने का चाह		कोई कारण नहीं		योग
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
1.	इण्टरमीडिएट	32	32	44	44	4	4	19	19	1	1	100
2.	हाईस्कूल	7	70	1	10	1	10	1	10	–	–	10
3.	जू0हा0स्कूल	60	42.8	64	45.7	8	5.7	8	5.7	–	–	140
	योग	99	39.6	109	43.6	13	5.2	28	11.2	1	04	250

आज महिलाये हर क्षेत्र मे आगे बढ़ रही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र या सौन्दर्य, विज्ञान या तकनीकी, सास्कृतिक या सामाजिक सभी कार्यो में सहभागी होकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रही है। बांदा नगर क्षेत्र के सभी बालिका इण्टर कालेजो, हाईस्कूल एवं जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं से यह जानने के लिए कि क्या विभिन्न राजनीतिक दलो, संगठनो व संस्थाओं में महिलाओ की संख्या बढ़ रही है। यदि बढ़ रही है तो कौन से ऐसे कारण है जिससे महिलाओ को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। यही विचार जानने के लिए ही महिलाओ से ऐसा प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न के लिए अध्यापिकाओं ने जिन कारणों को उत्तरदायी बताया वे सभी उत्तर इस सारिणी में प्रस्तुत किये गये है।

उपरोक्त सारिणी को जब विद्यालय स्तर के आधार पर जानने का प्रयास करते है। तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओ की संख्या 100 है। जिनमे 32 (32 प्रतिशत) अध्यापिकाओ का कहना यह है कि महिलाये जितनी अधिक जागरुक होगी उतनी अधिक राजनीतिक दलो व संगठनो मे उनकी संख्या बढ़ेगी। 44 (44 प्रतिशत) अध्यापिकाओ का मानना यह है कि विभिन्न राजनीतिक दलो, संगठनो व संस्थाओं मे महिलाये इसलिए भाग ले रही है क्योंकि वो अपना अधिकार समझती है। महिलाओं में स्वाभिमान की भावना बढ़ने पर वे स्वयं राजनीतिक दलों, संगठनो व संस्थाओ में भागीदार बन रही है, 4 (4 प्रतिशत) अध्यापिकाओ का कहना यही है। जबकि 19 (19 प्रतिशत) अध्यापिकाओं ने यह स्वीकार किया कि आजकल महिलायें घर की चाहरदीवारी से बाहर निकलकर व पुरुषो द्वारा किये जा रहे जुल्मो व स्त्रियो को सहन न कर सकने के कारण, पुरुष के समकक्ष व बराबर आने की चाह में महिलायें विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा व नगर पालिका परिषद आदि राजनीतिक गतिविधियों, दलो व संगठनो में सहभागी बनकर पुरुषत्व को चुनौती दे रही है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किये जा रहे प्रयासों के संबंध मे कोई भी अध्यापिका जबाव नहीं देती है। 1 (1 प्रतिशत) अध्यापिका का कहना

यह है कि ऐसा कोई कारण नहीं जिसकी वजह से महिलाये राजनीतिक दलो संगठनो व संस्थाओं में भाग ले रही है। वे बिना किसी कारण स्वयं की इच्छा से सहभागी बन रही है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है। जिनमे 7 (70 प्रतिशत) अध्यापिकायें अर्थात् सबसे अधिक अध्यापिकाओं का मानना यह है कि महिलाओ में जागरुकता आने के कारण वे विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों दलो, संगठनो, व संस्थाओ में भाग ले रही है। 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिका का कहना यह है कि महिलाएं अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए ही विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी बन रही है। 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिका यह कहती है कि महिलाओं मे जैसे-जैसे स्वाभिमान की भावना बढ़ रही है वैसे वैसे वे स्वयं कुछ करके दिखाना चाहती है। कुछ महिलायें पुरुषत्तव को चुनौती देना चाहती है। वे यह दिखा देना चाहती है कि वे भी पुरुषो से कम नहीं है। पुरुष के बराबर है ऐसा 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिका का मानना है। किसी अध्यापिका ने यह नहीं कहा कि सरकारी प्रयास व अन्य किसी कारण से भी राजनीति मे महिलाओ की संख्या बढ़ रही है।

इसी प्रकार जू०हा० स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमें 60 (42.8 प्रतिशत) अध्यापिकाये यह बताना चाहती है कि महिलाओ का राजनीतिक दलो, संगठनों व संस्थाओ में भाग लेने का प्रमुख कारण उनके अन्दर बढ़ती जागरुकता की भावना है। जबकि इससे अधिक 64 (45.7 प्रतिशत) अध्यापिकाओ का मानना यह है कि महिलायें अपना अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो रही है। 8 (5.7 प्रतिशत) अध्यापिकायें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने तथा राजनीति में बढ़ती संख्या का कारण महिलाओं के अन्दर बढ़ती स्वाभिमान की भावना को माना है। आज स्त्री पारिवारिक कलह से दूर व पति के अत्याचार से बचने के लिए पुरुष के बराबर आने के लिए भी महिलायें राजनीतिक दलो, संगठनो व गतिविधियों में भाग ले रही है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है समस्त बालिका विद्यालयों में कार्यरत 250 अध्यापिकाओ में 109 (43.6 प्रतिशत) सबसे अधिक अध्यापिकाओं का मानना यह है कि महिलायें अपना अधिकार पाने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय हो रही है। जबकि दूसरे स्थान पर 99 (39.6 प्रतिशत) अध्यापिकाये राजनीतिक दलो संगठनो व संस्थाओ में बढ़ रही महिलाओ की संख्या का कारण महिलाओ मे बढ़ती जागरुकता की भावना को माना है। तीसरा स्थान जहां 28 (11.2 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह मानती है कि राजनीति में भाग लेने का एक प्रमुख कारण महिलाऐ पुरुष के बराबर आना चाहती है। जबकि 13 (5.2 प्रतिशत) अर्थात चतुर्थ स्थान पर वे अध्यापिकायें है जो राजनीतिक दलो व संगठनों में महिलाओ की बढ़ती संख्या का कारण महिलाओ मे स्वाभिमान भावना का बढ़ना बताती है। पाचवे स्थान पर 1 (0.4 प्रतिशत) अध्यापिका यह कहती है कि किसी कारण से महिलाये राजनीति में भाग नहीं लेती है बल्कि स्वयं की इच्छा व आगे बढ़ने की चाह से सहभागी हो रही है। कोई भी अध्यापिका राजनीति मे बढ़ रही संख्या का कारण सरकारी प्रयास को नहीं बताती है।

सारणी सं0 5.6

विद्यालयीय अध्यापिकाओ एवं राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, संबंधी विचार

क्र0	विद्यालय	संख्या	हाईस्कूल		इण्टरमीडिएट		स्नातक		परास्नातक		तकनीकी		पी0एच0डी		
		प्रतिशत	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	योग
1.	इण्टर	सं0	–	–	–	–	14	1	65	11	2	4	3	–	100
	मीडिएट	प्र0	–	–	–	–	14	1	65	11	2	4	3	–	
2.	हाईस्कूल	सं0	–	–	–	–	1	–	6	2	–	–	–	1	10
		प्र0	–	–	–	–	10	–	60	20	–	–	–	10	
3.	जू0हा0	सं0	20	–	24	–	68	8	12	4	–	–	4	–	140
	स्कूल	प्र0	14.2	–	17.1	–	48.5	5.7	8.5	2.8	–	–	2.8	–	
	योग	सं0	20	–	24	–	83	9	83	17	2	4	7	1	250
		प्र0	8	–	9.6	–	33.2	3.6	33.2	6.8	0.6	1.6	2.8	0.4	

शिक्षा स्तर और सहभागिता स्तर परस्पर संबंधित है तथा उच्च शिक्षा सहभागिता के स्तर को उंचा उठा देती है इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से जो देश सम्पन्न है उनमे सहभागिता का स्तर उंचा रहता है अर्थात् सम्पन्नता और सहभागिता स्तर परस्पर और प्रत्यक्ष रुप से संबंधित है इसी प्रकार रोपर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आर्थिक दृष्टि से जो देश जितने अधिक पिछड़े होते है उन देशो मे सहभगिता का स्तर निम्न रहता ही है। लिप्सेट एवं लर्नर ने सामाजिक, आर्थिक विकास में व राजनीतिक सहभागिता के बीच सम्बन्ध स्थापित करते हुये स्पष्ट किया है कि सामाजिक आर्थिक विकास सहभागिता के स्तर पर निर्भर है तथा जिस समाज मे सहभागिता का स्तर निम्न होगा उस देश मे न केवल आधुनिकीकरण की क्रिया कम होगी बल्कि राजनीतिक स्थायित्व भी कम होगा।

राबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक सहभागिता से राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ती है। उसने राजनीतिक सहभागिता के सन्दर्भ में राजनीतिक प्रभावशीलता के निम्नलिखित तीन कारण बताये है- (1) यदि लोग राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने से उत्पन्न लाभो को अन्य क्रियाओं से प्राप्त होने वाले लाभों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझते है तो वे राजनीति में भाग लेगे। (2) यदि लोगो को यह विश्वास हो जाता है कि वे राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेकर उनसे उत्पन्न लाभो को प्रभावित कर सकते है, अर्थात् यदि वे यह अनुभूत करते है कि वे राजनीतिक निर्णय निर्माण पद्वति को प्रभावित कर मनोनुकूल परिणाम उत्पन्न करवा सकते है तो वे राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेगे। (3) यदि लोगो को यह अनुभव हो जाये कि बिना राजनीति में भाग लिये वे अपने इच्छित उद्देश्यों या लाभों की प्राप्ति नही कर सकते है तो वे राजनीति में अवश्य भाग लेंगे।

एक जिज्ञासु प्राणी होने के कारण व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता द्वारा राजनीतिक पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है क्योंकि कई बार उसे निराशा जनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो विक्षोभ या अलगांव को जन्म देती हैं। परन्तु राजनीतिक सहभागिता मानसिक तनाव को कम करने तथा व्यक्ति को इससे

दूर ले जाने में सहायक हो सकती है। बांदा जनपद की बलिका विद्यालयों की अध्यापिकाओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि राजनीति में सक्रिय होने संबंधी उनके क्या विचार है। क्यों वे राजनीति में सक्रिय हो रही है। यदि वे हो रही है तो किन परिस्थितियों का प्रभाव उन्हें राजनीति में सक्रिय होने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत सारिणी मे बांदा नगर क्षेत्र की सभी बालिका इण्टरकालेज, हाईस्कूल, और जू०हा० स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं से जब यह जानने का प्रयास गया कि क्या महिलाओं को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए तो ज्यादातर अध्यापिकाओं ने हां में अपना जबाब दिया। इसी सारिणी को जब हम शैक्षिक स्तर के आधार पर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट कालेजों में स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 100 अध्यापिकाओं में 14 (14 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि महिलाओं को राजनीति में सक्रियता से भाग लेना चाहिए जबकि 1 (1 प्रतिशत) इस संबंध में कोई विचार प्रस्तुत नहीं करती है, परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त 65 (65 प्रतिशत) अध्यापिकायें राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, के संबंध मे हां कहती है। जबकि 11 (11 प्रतिशत) अपना उत्तर नहीं में देती है।

तकनीकी शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं में 2 (2 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि राजनीति में महिलाओ को सक्रिय रुप मे भाग लेना चाहिए जबकि 4 (4 प्रतिशत) अध्यापिकायें इस संबंध में नहीं में उत्तर देती है। पी०एच०डी० धारक अध्यापिकाओं में 3 (3 प्रतिशत) अध्यापिकायें ही यह कह रही है कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए। इण्टरमीडिएट में हां कहने वाली उत्तरदात्रियों में परास्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओं की संख्या व प्रतिशत सबसे अधिक है।

इसी प्रकार हाईस्कूल मे कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है। जिनमें स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त 1 (10 प्रतिशत), परास्नातक तक की शिक्षा प्राप्त 6 (60 प्रतिशत) तकनीकी में 0 (0 प्रतिशत), पी०एच०डी० शिक्षा प्राप्त में भी 0 (0 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना

यह है कि महिलाओ को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। जबकि न कहने वाली उत्तरदात्रियों में परास्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त व पी0एच0डी0 शिक्षा प्राप्त 2 (20 प्रतिशत) और 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिकायें ही न के संबंध में उत्तर देती है जबकि स्नातक स्तर की तथा तकनीकी स्तर की कोई भी अध्यापिकाअयें नही नही कहती है।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल मे कार्यरत् अध्यापिकाओं की संख्यो 140 है जिनमें हाईस्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओ की संख्या 20 (14.2 प्रतिशत), इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाओ की संख्या 24 (17.1 प्रतिशत), स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाए 68 (48.5 प्रतिशत), परास्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त 12 (8.5 प्रतिशत), पी0एच0डी0 स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 4 (2.8 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि महिलाओं को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। ये सभी अध्यापिकायें महिलाओं की राजनीति में सक्रियता के सम्बन्ध में हां कहती है। जबकि न कहने वाली अध्यापिकाओ में स्नातक स्तर की मात्र 8 (5.7 प्रतिशत), परास्नातक स्तर की 4 (2.8 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि महिलाओं को राजनीति में सक्रिय होने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए वे अपना उत्तर नहीं में देती है।

प्रस्तुत सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि समस्त बालिका इण्टर कालेज हाईस्कूल, जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं में हां कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या या प्रतिशत बहुत अधिक, जबकि न कहने वाली उत्तर दात्रियों की संख्या बहुत कम है। हां कहने वाली अध्यापिकाओं मे हाईस्कूल स्तर तक की 20 (8 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट की 24 (9.6 प्रतिशत) स्नातक स्तर की 83 (33.2 प्रतिशत) परास्नातक स्तर की 83 (33.2 प्रतिशत) तकनीकी स्तर की 2 (0.6 प्रतिशत) पी0एच0डी0 स्तर की 7 (2.8 प्रतिशत) अध्यापिकायें, जिनका विचार यह है कि महिलाओं को राजनीति मे सक्रिय रुप से भाग लेना चाहिए जबकि न कहने वाली आध्यापिकाओ मे स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त 9 (3.6 प्रतिशत) परास्नातक स्तर की 19 (6.8 प्रतिशत), तकनीकी स्तर की 4

(1.6 प्रतिशत) पी0एच0डी0 स्तर की 1 (0.4) अध्यापिकाये मात्र न पक्ष के सम्बन्ध में अपना उत्तर देती है।

प्रस्तुत सारिणी में हां कहने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत बहुत अधिक है, इससे स्पष्ट होता हे कि ये सभी आध्यापिकायें स्थानीय नगर पालिका में महिला होने एवं 1996 में सुधा चौहान नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाने से महिलाओं को बहुत अधिक प्ररेणा मिली। जिनमें 76 (30.4 प्रतिशत) अध्यापिकायें यह कहती है कि महिलाओं को राजनीति मे सक्रिय होने से या नगर पालिका का अध्यक्ष बनने, वार्ड नम्बर की सदस्य बनने, ग्राम प्रधान या विधान सभा या लोक सभा में चुने जाने से महिलाओं को सम्मान एवं प्रतिष्ठा ही नहीं मिलती बल्कि आर्थिक रुप से भी बहुत लाभ होता है जैसा कि बांदा नगर पालिका की अध्यक्षा चुने जाने से मिलती प्रेरणा सम्बन्धी जानकारी से ज्ञात हुआ है।

राजनीति में सक्रियता के सम्बन्ध में हां कहने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत, इसलिए अधिक है, कि अब महिला सीट होने से अर्थात् महिलाओ को राजनीति में अवसर दिये जाने से बहुत अधिक अध्यापिकायें या महिलायें प्रभावित होकर राजनीति में सहभागी हो रही है। यह राजनैतिक प्रभावकारिता का ही परिणाम है, कि महिलायें अधिकांश रुप मे राजनीति मे सहभागी हो रही है।

सारणी सं0- 5.7
राजनैतिक दल एवं समस्यायों का समाधान

विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं राजनैतिक दल आपकी समस्याओं के साधान मे सहायक है संवंधी					
विद्यालय	हां		नहीं		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टरमीडिएट	9	9	91	91	100
हाईस्कूल	1	10	9	90	10
जू0हा0स्कूल	40	28.5	100	71.4	140
योग	50	20	200	80	250

विधान मंडलो और संसद मे प्रतिनिधित्व के अधिकार को ऐसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है जो समाज मे सच्ची समानता का सन्देश देगा। राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र में अपने अनेक वादों को पूरा करने की बात कहते है। चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। राजनीतिक दलों की राजनीति को समझना टेढ़ी खीर है। क्या आप मानती है ? कि राजनीतिक दल आपकी समस्याओं पर ध्यान देते है। और उनको समझकर उनका समाधान करते है। इस सारिणी में यही जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत सारिणी (5.7) में समस्त अध्यापिकाओं को विद्यालय स्तर के आधार पर तीन भागो में विभजित किया गया है। प्रथम इण्टरमीडिएट द्वितीय हाईस्कूल तृतीय जूनियर हाईस्कूल इण्टरमीडिएट विद्यालय मे कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है। जिनमें हां कहने वाली अध्यापिकायें 9 (9 प्रतिशत) है जिनका मानना है कि राजनीतिक दल उनकी समस्याओं का समाधान करते है तथा अन्य परेशानियों मे भी उनका साथ देते है। जबकि 91 (91प्रतिशत) अध्यापिकाओं का मानना है कि राजनीतिक दल बहुत स्वार्थी होते है। ये अपना काम हो जाने पर अर्थात् चुनाव जीत जाने के बाद किसी की नहीं सुनते है। इण्टरमीडिएट में कार्यरत अध्यापिकाओ में नहीं कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या बहुत अधिक है। हां कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या बहुत कम (9 प्रतिशत) ही है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओ की संख्या 10 है जिनमे से 1 (10 प्रतिशत) अध्यापिका का विचार यह है कि राजनीतिक दलो के माध्यम से हम कई मुश्किल कामो को पूरा कर सकते है। जबकि 9 (90 प्रतिशत) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी का काम बिना किसी मतलब से नहीं करता है। ये सभी राजनीतिक दल अने किसी न किसी उद्देश्य से ही लोगो के काम किया करते है। इस प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं में भी नहीं कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या (90 प्रतिशत) बहुत अधिक है।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है जिनमे से 40 (28.5) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि राजनीतिक पार्टियों का सदस्य रहने या पारिवारिक सदस्यों का राजनीतिक व्यक्तियों से संबंध होना उनके लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि कई ऐसे काम जो असानी से नहीं होते वे राजनीतिक दलो या नेताओं के द्वारा कराये जा सकते है। जबकि नहीं कहने वाली अध्यापिकाओं, जिनका विचार है कि कोई भी राजनीतिक दल उनकी किसी भी समस्या का समाधान करने में सहायक नहीं है। इस प्रकार जूनियर हाईस्कूल में भी नहीं कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या व प्रतिशत बहुत अधिक 71.4 है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि वे अध्यापिका जो यह मानती है कि राजनीतिक दल उनकी सभी मुश्किल कामों में सहायता करते है, उन अध्यापिकाओं की संख्या सभी विद्यालयों में बहुत कम 50 (20 प्रतिशत) है। जबकि नहीं कहने वाली अध्यापिकायें जिनका मानना यह है कोई भी राजनीतिक दल बिना किसी स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करते है। उन अध्यापिकाओं की संख्या 200 (80 प्रतिशत) है। इससे स्पष्ट है कि नहीं कहने वाली अध्यापिकायें राजनीतिक प्रभाव से अपरिचित है या उनकी प्रभावकारिता के सम्पर्क में नहीं आयी इसलिए वे ऐसा कह रही है। नहीं तो आज राजनीतिक वर्चस्व या प्रभाव सब जगह दिखाई दे रहा है।

सारणी सं0 5.8

महिला अध्यापिका की दृष्टि में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की राजनीतिक ताकत संबंधी जानकारी

क्र0	विद्यालय	बराबर		बहुत कुछ		कुछ भी नहीं		सामान्य		योग
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
1.	इण्टरमीडिएट	21	21	13	13	8	8	58	58	100
2.	हाईस्कूल	2	20	–	–	1	10	7	70	10
3.	जू0हा0स्कूल	32	22.8	24	17.1	36	25.7	48	34.2	140
	योग	55	22	37	14.8	45	18	113	45.2	250

संविधान मे महिलाओं को समानता मात्र ही प्रदान नहीं की गयी है अपितु नीति निर्देशक सिद्धान्तों में राज्य को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह महिलाओं के पक्ष में ठोस और सकारात्मक कदम भी उठाये और उनके द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, और राजनीतिक लिहाज से जिस असमानता को झेलना पड़ता है उसका निवारण हो सके। पर ऐसा नहीं हो पाया और आज भी स्त्रियों की स्थिति जैसी की तैसी है। इस सारिणी में यही जानने का प्रयास किया गया है कि आज स्त्रियों की मानसिकता में कितना परिवर्तन आया है और वह अपने विचार क्या रखती है।

प्रस्तुत सारिणी (5.8) में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ताकत को चार रुप में मापने का प्रयास किया गया है। (1) क्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ताकत बराबर है। (2) पुरुषों से महिलायें ज्यादा ताकतवार है। (3) पुरुषों के सामने महिलायें कुछ भी नहीं है। (4) पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ताकत साधारण है। इस सारिणी को जव हम विद्यालय के क्रमानुसार देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है। जिनमें से 21 (21) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ताकत बराबर है कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। दूसरी तरफ वे अध्यापिकाएं जिनका मानना यह है कि पुरुषों की तुलना मे महिलायें अधिक ताकतवार है जिनकी संख्या 13 (13 प्रतिशत) है। वे अध्यापिकायें जो यह मानती है कि पुरुषों की तुलना मे महिलाओं की ताकत कुछ भी नहीं है उनकी संख्या 8 (8 प्रतिशत) है। वे अध्यापिकायें जो यह समझती है कि पुरुषों के सामने महिलायें साधारण सी है सामान्य तौर पर चतुर्थ विचार या सामान्य विचार रखने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 58 सबसे अधिक है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है। जिनमे से वे अध्यापिकायें जो यह मानती है कि महिलायें पुरुषों के समकक्ष या बराबर है उनकी संख्या 2 (20 प्रतिशत) है। द्वितीय विचार जिसमें महिलाओं को पुरुष से ज्यादा ताकतवार कहा गया है ऐसे विचार रखने वाली अध्यापिकाओं की संख्या बिल्कुल नहीं है। तृतीय विचार जिसमें

महिलाओं को पुरुषों के समक्ष नगण्य या कुछ भी नहीं माना गया है ऐसी अध्यापिकाओं की संख्या 1 (10 प्रतिशत) है। वे अध्यापिकायें जिनका विचार यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, उनकी संख्या 7 (70 प्रतिशत) है। इस सारिणी में भी सामान्य विचार रखने वाली अध्यापिकाओं की संख्या अधिक है।

इसी प्रकार जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमें से उन महिलाओ की संख्या 32 (22.8 प्रतिशत) है जो यह स्वीकार करती है कि पुरुषों और महिलाओं की स्थिति हर तरह से सामान्य है और ये हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर है। वे अध्यापिकायें जो यह विचार रखती है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा ताकतवार है उन अध्यापिकाओं की संख्या 24 (17.1) है। वे अध्यापिकायें जो यह स्वीकार करती है कि पुरुषों के सामने महिलाओं की ताकत कुछ भी नहीं है या पुरुष के समक्ष उनकी ताकत नगण्य है, उन माहिलाओं की संख्या 48 (34.2) है। जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत सभी अध्यापिकाओं का विचार किसी एक पक्ष की तरफ अधिक नहीं है बल्कि सारिणी में दिये गये चारों विचारो में सभी विचारों के पक्ष में तर्क दिये है। यह उनकी राजनीतिक चेतना राजनीतिक प्रभावकारिता का परिचायक है। उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि चतुर्थ विचार जिसमें महिलाओं को पुरुषो की तुलना में सामान्य कहा गया है। इस पक्ष में अध्यापिकाओं के अन्य तीन विचारों की अपेक्षा 113 (45.2) अधिक है। अन्य तीनों पक्षों में अध्यापिकाओं के विचार लगभग समान से है। प्रथम विचार जिसमे महिलाओ को पुरुषो के बराबर कहा गया है, इसमे 22 अध्यापिकायें है। द्वितीय विचार जिसमे महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा कहा गया है इसमें अध्यापिकाओं के विचार 37 (14.8) है। तृतीय में कुछ भी नहीं अर्थात् नगण्य है, यह विचार रखने वाली अध्यापिकायें 45 (18) है। इससे स्पष्ट होता है अव महिलायें जागरुक हो गयी है। वे हर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है। और अपनी ताकत को पुरुषो के समान प्रस्तुत करना चाहती है यह विचार उनकी राजनीतिक चेतना एवं राजनीतिक प्रभावकारिता एवं प्रभाविता भावना से युक्त है।

सारणी सं0- 5.9
विद्यालयीय अध्यापिकाओं एवं महिलाएं राजनीति में प्रभवी भूमिका निभा सकती है संबंधी जानकारी

विद्यालयीय अध्यापिकाओं राजनीति में प्रभवी भूमिका निभा सकती है संबंधी जानकारी					
विद्यालय	हां		नहीं		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टरमीडिएट	93	93	7	7	100
हाईस्कूल	9	90	1	10	10
जू0हा0स्कूल	124	88.5	16	11.4	140
योग	226	90.4	24	9.6	250

आज का दौर राजनीतिक दौर है जहां एक ओर लोकसभा और राज्य सभा मे महिलाएं सांसद एवं विधायक बन रही है तो दूसरी ओर नगर पालिका, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत में महिला सीट मिल जाने से आज की महिलायें राजनीति की ओर झुक रही है। इस सारिणी में महिलाओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या अध्यापिकायें भी राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

प्रस्तुत सारिणी 5.9 में जब अध्यापिकाओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या अध्यापिकायें राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा सकती है तो ज्यादातर अध्यापिकाओं का जवाब हां था। इससे स्पष्ट है ज्यादातर अध्यापिकाये राजनीति में जाना चाहती है। यही प्रश्न जब इण्टरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं से पूछा गया तो ज्ञात होता है कि 100 अध्यापिकाओं में 93 (93 प्रतिशत) अध्यापिकायें हां कहती है। अर्थात् सभी अध्यापिकायें राजनीति में जाना चाहती है या इनको राजनीति मे जाने का अवसर दिया जाये तो यह अपना कार्य बड़ी सक्षमता से कर सकती है। जबकि नहीं कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 7 (7प्रतिशत) बहुत कम है। इससे स्पष्ट है कि अध्यापिकाओं का रुझान सिर्फ राजनीति में ही नहीं वरन् राजनीति मे जाकर प्रभावी भूमिका निभा कर पुरुषों के समक्ष अपने वर्चस्व को कायम भी रखना चाहती है। यह राजनीतिक चेतना या प्रभावकारिता का ही परिणाम है।

इसी प्रकार हाईस्कूल मे कार्यरत अध्यापिकाओं से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वे राजनीति मे प्रभावकारी भूमिका का निर्वाह कर सकती है। तो ज्यादातर अध्यापिकाओ का जवाब हां था। हां कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या 9 (90 प्रतिशत) है जो न कहने वाली अध्यापिकाओ की अपेक्षा बहुत अधिक है। जबकि न कहने वाली अध्यापिकाओ की संख्या 1 (10प्रतिशत) है जो हां कहने वाली अध्यापिकाओ की अपेक्षा बहुत कम है। इससे स्पष्ट है कि महिलाएं जागरुक होकर राजनीति में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करने के लिए तैयार है।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमें हां कहने वाली अध्यापिकाओं में 124 (88.5) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि यदि महिलाओ को अवसर दिया जाय तो वे राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। आज जो महिलायें घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों मे कार्य कर रही है वे राजनीति में प्रभावकारी कार्य कर सकती है ऐसा विचार हां कहने वाली अध्यापिकाओ का है। जो अध्यापिका ऐसा स्वीकार नहीं करती है या ऐसा नहीं मानती है उनकी संख्या हां कहने वाली अध्यापिकाओं की अपेक्षा बहुत कम है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि समस्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है। जिनमे अधिकांश अध्यापिकाओं अर्थात् बहुत ज्यादा 226 (90.4) अध्यापिकायें ऐसी है जो यह मानती है कि राजनीति में महिलाएं प्रभावी भूमिका निभा ही नही सकती है बल्कि पुरुषों के मुकाबले अपनी भूमिका का निर्वाह ज्यादा अच्छी तरह कर सकती है बहुत कम अध्यापिका 24 (9.6) ऐसी है जो इस बात को नहीं मानती है अर्थात् अस्वीकार करती है।

षष्ठम–अध्याय

राजनीतिक सहभागिता

षष्ठम अध्याय

राजनीतिक सहभागिता

राजनैतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना आज कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। ये बात फरवरी 1997 में हुई अंतर्राष्ट्रीय सांसदों की बैठक में आये प्रतिनिधियों के भाषण से स्पष्ट हो गई थी। महिलाओं की भागीदारी न सिर्फ जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने बल्कि पिछडे वर्ग का शोषण करने वाली सांमती ताकतो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी जरुरी है।

किसी भी देश की वास्तविक स्थिति का मानदण्ड विभिन्न क्षेत्रो में महिलाओं की भागीदारी से होता है। आज हमारा देश विश्व के उन्नतिशील देशो में से एक है परन्तु यदि देश की स्थिति मानव विकास सूचकांक (हयूमन डियू इंडेक्स) के आधार पर देखे तो यह काफी पीछे है। इस स्थिति का मूल कारण हमारे देश में महिलाओं की उपेक्षित दशा है। विगत पचास वर्षो की निरन्तर प्रगति के बावजूद देश की आधी आवादी उपेक्षा की शिकार है। उसे अपमान जनक स्थितियों से गुजरना पड़ता है, चाहे घर के बाहर हो या चहारदीवारी के भीतर हो या बाहर। महिलायें आज हर दृष्टि से उपेक्षित है। चाहे शिक्षा हो, सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति। महिलाओं की उपेक्षित स्थिति के कारणों की जांच करे तो पाते है कि उन्हे निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, चाहे घर हो या बाहर। आज भी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ महिलाओं को राजनीतिक-भागीदारी से बंचित रखने का कुकृत्य खेल रहे है। हमे इसके प्रति सतर्क रहना होगा।

महिलाओं ने आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार बढ़ चढ कर भाग लिया था उसे ध्यान में रखते हुए उन्हे संसद और विधान सभा के दोनो सदनों में समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए भारतीय महिलाओं का राजनीतिक संघर्ष के प्रति उनके उत्साह को देखते हुए चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला जबकि एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कई देशों

में आज भी महिलाओं को चुनाव में भागीदारी का अधिकार नहीं मिला है। मतदान के प्रति भारतीय महिलाओं का उत्साह देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों का यह दायित्व बनता है कि वे अधिक से अधिक महिलाओं को उम्मीदवार बनाये। महिलायें पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती है। इसलिए वे जनता के दुख दर्द को बेहतर समझती है। ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक दलों के पास ऐसी महिलाओं की कमी है या अभाव है जो अच्छा काम कर सकती है। जब से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है तब से संसद और विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। सत्तारुढ होने के बाद कुछ महिलाओं ने नेकनामी की जगह बदनामी हासिल की लेकिन हतोत्साहित होने की जरुरत नहीं है हर चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है। बहुत से राजनीतिक दल ऐसे है जो बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट नहीं देते है। सिद्वान्त रुप में सभी राजनीतिक दल अब यह मानने लगे है कि संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होना चाहिए लेकिन इस पर अमल करने वाले कम ही है। महिलाओं की ओर से कुछ गडबड़ी है। पुरुषों की तरह महिलाओं के भी स्वतन्त्र उम्मीदवार के रुप में चुनाव लड़ने का साहस जुटाना चाहिए।

तिहत्तरवें संविधान संशोधन, 1992 के अनुसार पंचायतो के तीनो स्तरो (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, व जिला पंचायत) पर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण, सदस्यों एवं अध्यक्षों के रुप में उपलब्ध करा दिया गया है। बिहार, उड़ीसा एवं तमिलनाडु को छोडकर लगभग सभी राज्यों ने अपने पंयाचत अधिनियमों में संशोधन कर चुनाव करा दिये है। जिसमे लगभग दस लाख महिलाओं को देश भर में पंचायत के सदस्यों एवं अध्यक्षों के रुप में काम करने का अवसर प्राप्त हो गया है। यह महिलाओं को राजनीतिक रुप से सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किन्तु जमीनी स्तर की सच्चाइया जैसे- निरक्षरता, गरीबी, साधन व सम्पत्ति विहीनता परिवार तथा समाज में स्थान आदि को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या महिलायें पंचायत क्रान्ति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगी।

बाँदा साहूजी नगर जनपद में महिलाओं की पंचायतो में सहभागिता के सन्दर्भ में तथ्य एकत्र किये गये है, जिसके आधार पर यह पाया गया है कि यह ग्राम पंयाचतो के कुल 767 पद है व सदस्यों की कुल पदों की संख्या 767 है जिससे क्रमश 200 से 270 पद महिलाओं के पास है।

इसी प्रकार कुल 13 क्षेत्र पंचायतो में सदस्यों के कुल पदों की संख्या 810 है जिसमे से 281 पदो पर महिलाओ की भागीदारी है तथा कनिष्ठ उपप्रमुख व प्रमुख के कुल 13-13 पद है जिनमे से महिलाओं को प्राप्त पदो की संख्या क्रमशः 25 है जबकि ज्येष्ठ उप प्रमुख पद पर एक भी महिला की भागीदारी नहीं है।

इसके अतिरिक्त जिला पंचायत में कुल सदस्यों की संख्या 32 है। जिसमे 11 पदों पर महिलाओं की भागीदारी है जबकि उपाध्यक्ष व अध्यक्ष पर पर महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है।

इस प्रकार यदि ग्राम सभा चुनाव व नगरपालिका के चुनाव 1988 के परिणामों को देखा जाय तो पता चलता है कि उस समय महिलाओं की भागीदारी लगभग नगण्य थी किन्तु पंचायतों में आरक्षण प्राप्त होने के बाद स्पष्टतः महिलाओं की संख्या वढ़ी है।

शिप्रा तोमर (1998), आखिर देश की राजनीति तो महिलाओं के वोट वैंक पर भी निर्भर करती है ऐसे में कोई भी गंभीर पार्टी और नेता महिलाओं के पचास प्रतिशत वोटो को "महिला वोट भी कोई चीज है।" कहने का दुस्साहस नहीं कर सकते है। महिला वोट वो चीज है जिसके पीछे आज महिला आरक्षण विधेयक के विरोधी राजनीतिज्ञ भी दौड़ रहे है। इसे कोई नेता मजाक कहकर नहीं उडा सकता। नई संसद में यह बिल पारित हो पाये या नहीं पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो महिलाये आज पंचायती स्तर पर आगे बढ़ रही है उनमे जागरुकता भी बढ़ी है। पंचायतो के बाद उनका अगला लक्ष्य संसद और विधान सभाओं में अपना उपयुक्त स्थान पाना ही होगा। महिला वोट क्या चीज है ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा। इसी संवंध मे वांदा जनपद की महिला अध्यापिकाओं से

यह प्रश्न पूछा गया कि क्या मताधिकार प्रयोग से उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार आया है ? कि नहीं यह जानने का प्रयास किया गया है सारणी नं0 6.1 में।

राजनीतिक सहभागिता-

राजनीतिक सहभागिता प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य संघटक है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्थाओं में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमे नागरिकों से भागीदारी की आशा की जाती है। यद्यपि अधिकतर देशो में राजनीतिक शक्ति केवल कुछ लोगे मे ही केन्द्रित होती है फिर भी ये सत्ताधारी लोग जन साधारण को राज्य के मामलो में राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रेरित करते है ताकि राजनीतिक सत्ता को सबल बनाया जा सके और राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व एवं निरन्तरता बनाये रखी जा सके। अगर किसी समाज में अधिकांश जनता को राजनीतिक सहभागिता का अवसर नहीं दिया जाता या इससे वंचित रखा जाता है तो वहां विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैक्गलोस्की "राजनीतिक सहभागिता को उन स्वैच्छिक क्रियाओं, जिनके द्वारा समाज के सदस्य शासको के चयन एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से जननीतियों के निर्माण में भाग लेते है।" इसमे क्लब में सदस्यों की राजनीतिक बातचीत जैसी आकस्मिक क्रिया से लेकर राजनीतिक दल के सदस्यों की सक्रिय क्रियायें तक सम्मिलित की जा सकती है। इस परिभाषा को स्वीकार करने में सबसे बडी कठिनाई यह है कि राजनीतिक सहभागिता केवल प्रजातन्त्रीय व्यवस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, अपितु अन्य व्यस्थाओं में भी किसी न किसी रुप में मानी जाती है। साथ ही यह जरुरी नहीं है कि आधुनिक स्थायी प्रजातन्त्रो में राजनीतिक सहभागिता की उच्च मात्रा ही पायी जाये।

राजनीतिक सहभागिता की प्रमुख क्रियाएं-

राजनीतिक सहभागिता में विविध प्रकार की क्रियाये सम्मिलित की जाती है। मैक्गलोस्की ने इसमे मतदान, वाद-विवाद, सभाओं में उपस्थिति, धन संग्रह, प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क कायम रखना आदि प्रमुख क्रियायें तथा दल की औपचारिक सदस्यता ग्रहण

करना, चुनाव अभियानों में भाग लेना, राजनीतिक भाषण और लेख तथा सार्वजानिक एवं दलील पदो के लिए चुनाव में भाग लेना आदि जैसी सक्रिय क्रियाओं को सम्मिलित किया है।

आधुनिक समय में राजनीतिक सहभागिता के प्रकारो का क्रमशः विस्तार हुआ है, प्रारम्भ में चुनाव प्रक्रिया एवं मतदान में सक्रियता को राजनीतिक सहभागिता कहा जाता था। इसके अन्तर्गत मतदान, चुनाव प्रचार, दलीय पक्षपात पूर्ण कार्य, दलीय साहित्य वितरण, सभाओं में उपस्थिति तथा चुनाव अभियान में धन का अंशदान देना आदि सम्मिलित था। आगे चलकर राजनीतिक सहभागिता में अन्यान्य प्रभारो के कृत्यों में की जाने लगी। नागरिको ने सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के उद्देश्य से निर्वाचन से परे भी राजनीतिक सहभागिता करना प्रारम्भ कर दिया। इसके परिणाम स्वरुप राजनीतिक सहभागिता की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ।

बुडवर्थ तथा रोपर ने राजनीतिक भागीदारी की पांच प्रमुख क्रियाये बतायी है।

(अ) चुनाव में मत देना

(आ) प्रभावक समूह के सदस्य बनकर इन्हे समर्थन प्रदान करना।

(इ) विधायकों से प्रत्यक्ष संचार करना।

(ई) राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भाग लेकर विधायकों पर प्रभाव स्थापित करना।

(उ) अन्य नागरिकों से मौखिक रुप से राजनीतिक विचारों का अभ्यासिक प्रचार करना।

राजनीतिक सहभागिता की मात्रा एवं विस्तार के आधार पर कुछ विद्वानों ने राजनीतिक गतिविधियों को निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया है।

(अ) राजनीतिक अथवा प्रशासकीय पद धारण करना।

(ब) राजनीतिक अथवा प्रशासकी पद के लिए प्रयत्न करना।

(स) राजनीतिक संघटक का सक्रिय सदस्य होना।

(द) राजनीतिक संघटक का निष्क्रिय सदस्य होना।

(य) अर्द्ध राजनीतिक संघटक का सक्रिय एवं निष्क्रिय सदस्य होना।

(र) सार्वजानिक सभा प्रदर्शन आदि में भाग लेना।

(ल) अनौपचारिक राजनीतिक विचार विमर्श में सहभाग।

(ब) राजनीति में सामान्य अभिरुचि रखना।

(ट) मतदान

(क्ष) उदासीनता

इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता के अन्तर्गत वे सभी राजनीतिक गतिविधियां सम्मलित है जिनका उद्देश्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है। ये कृत्य कानूनी एवं गैर कानूनी दोनो प्रकार के हो सकते है। परन्तु इसका आशय यह नहीं है कि राजनीतिक सहभागिता के अन्तर्गत क्रान्तिकारी, विद्रोही या हिंसात्मक कृत्य भी सम्मलित है।

राजनीतिक सहभागिता का वर्गीकरण-

लेस्टर मिलब्राथ (1965) ने राजनीतिक सहभागिता से सम्बद्ध राजनीतिक क्रियाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

1. संचालक अर्थात पूर्ण विवादी सक्रिय क्रियायें-

ये लोग राजनीतिक दलो के लिए अपना सम्पूर्ण समय, ज्ञान, कौशल एवं धन का उपयोग करते है। इसके अन्तर्गत ऐसे राजनीतिक सम्मिलित होते हैं जो सार्वजनिक एवं दलीय पदो में नियुक्ति, पद के लिए प्रत्याशी, दल के लिए संग्रह, दल के चौगुट एवं राजनीति तथा दलीय निर्वाचन अभियानों में सम्मलित होने जैसी सक्रिय क्रियाओं में भाग लेते है।

इसे राजनीति की संचालक गतिविधियों की भी संज्ञा दी जाती है। इसका संचालन राजनीतिक दलो के हाई कमान्ड अथवा केन्द्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। इसके संचालन कर्ता राजनीतिक दल के प्रमुख व्यक्ति होते है। जिनके ऊपर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता की मुख्य जिम्मेदारी होती है।

संक्रमणीय क्रियायें-

इसमे दल के समर्थक सहानुभूतिकर्ता एवं तटस्थ राजनीतिक होते है जो श्रोताओं के रुप में दल की सभाओं, रैलियों में भाग लेना, दल के कोष में चन्दा देने तथा सरकारी प्रधिकारियों अथवा राजनीतिक नेताओं से सम्पर्क स्थापित करने जैसी राजनीतिक क्रियाओं को सम्पादित करते है।

दर्शक क्रियाये-

इसमे दलीय बिल्ला धारण करने, दलीय स्टीकर प्रदर्शित करने, अन्यो को विशेष प्रकार से मत देने के लिए प्रभावित करने, राजनीतिक वाद विवाद में भाग लेने, मत देने तथा राजनीतिक उद्दीपनों के प्रति झुकाव होने जैसी क्रियाओं को सम्मलित किया जाता है।

मिलब्राथ ने राजनीतिक सहभागिता का वर्गीकरण अमरीकी राजनीति के सन्दर्भ में किया है। इस वर्गीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं है।

1. ज्यो ज्यो नागरिक राजनीतिक गतिविधियों में अर्न्तग्रस्त होता है, उसमे सहभागिता का अंश भी बढ़ जाता है। अर्थात् वह एक राजनीतिक कृत्यों की श्रेणी से दूसरे राजनीतिक कृत्यों की श्रेणी में प्रवेश कर जाता है।
2. जो व्यक्ति एक स्तर पर अर्न्तग्रस्त होता है, उसके अन्य स्तरो पर भी अर्न्तग्रस्त होने की संभावना रहती है। अतः संचालकगण निम्न स्तर की राजनीतिक गतिविधियों को भी सम्पन्न कर सकते है।
3. इस वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उपरी श्रेणी में आरोहण हेतु नागरिकों को समय, शक्ति साधनों के रुप में भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। इन श्रेणीवद्व राजनीतिक कृत्यों को सम्पादित करना सभी लोगो के वश की वात नहीं होती। इन मूल्यों को चुकाने की क्षमता कम ही लोगों में होती है। अतः प्रत्येक स्तर पर कुछ ही लोग अपने समय साधन एवं शक्ति का निवेश करते है।

मिलब्राथ के वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सहभागिता दो प्रकार की

होती है। इसमे नागरिको को बहुत कम भाग सक्रिय रुप से संलग्न होता है। इसी प्रकार संक्रमणीय गतिविधियों में भी नागरिकों का अधिकांश भाग सम्मिलित नहीं होता इसमे नागरिकों का अधिक से अधिक 10-15 प्रतिशत भाग ही हिस्सा ले पाता है। संचालक व संक्रमणीय गतिविधियों में नागरिकों का सक्रिय भाग ही सम्मिलित होता है। इस वर्गीकरण में निष्क्रिय भागीदारी का भी जनतांत्रिक व्यवस्था में अपना महत्व है। राजनीति में सक्रिय व निष्क्रिय भागीदारी का जनतांत्रिक व्यवस्था में अपना महत्व है। राजनीति में सक्रिय व निष्क्रिय भागीदारी नागरिको की अभिरुचि से सम्बन्धित है। राजनीति में सक्रिय रुप से सम्मिलित होने के लिए समय, शक्ति व साधन के रुप में भारी मूल्य चुकाना पड़ता है जो सभी के वश की बात नहीं है।

राजनीतिक सहभागी-

आमण्ड और पावेल (1975) के अनुसार भागीदार वे व्यक्ति है जो व्यवस्था की निवेश संबंधी सरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के प्रति अभिमुख रहते है तथा अपने आपको प्रभावी ढंग से भागो के स्वरुपीकरण मे तथा निर्णयों के लिए जाने में संलग्न रखते है। आमण्ड के अनुसार राजनीतिक भागीदारी राजनीतिक संरचानाओं एवं प्रक्रियाओं में अपने को अर्न्तग्रस्त मानता है। वह राजनीति में अपनी भूमिका के प्रति जागरुक रहता है। वह राजनीतिक प्रक्रियाओं व निर्णयों में अधिक भाग लेता है। इस प्रकार वह अपनी राजनीतिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होता है तथा वह अपनी राजनीतिक प्रभाविता को कायम रखने के लिए निरन्तर सक्रिय रहता है। राबर्ट दहल (1969) ने राजनीतिक भागीदारी की मात्रा व तीव्रता के आधार पर किसी राजनीतिक समाज के समस्त नागरिको को चार श्रेणियों में विभाजित किया है उसके अनुसार राजनीतिक अन्तर्गस्तता के आधार पर नागरिकों के मध्य उपर्युक्त चार श्रेणियों का निर्माण होता है। इन्हे वह, राजनीतिक स्तर शक्ति प्राप्त करने वाला तथा शक्तिशाली श्रेणियो में वर्गीकृत करता है।

रावर्ट दहल इस विचार से सहमत है कि सभी नागरिकों में राजनीतिक अंतर्गस्तता का स्तर एक समान नहीं होता अर्थात् राजनीति में सक्रिय भाग लेने वालो की संख्या उत्तरोत्तर कम होती है। राजनीतिक विषयों पर विचार करना, उस पर वाद विवाद करना अपनी शक्ति बढ़ाकर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का आकांक्षी होना तथा वास्तविक शक्ति को प्राप्त करना ये सभी राजनीतिक भागीदारी के भिन्न भिन्न स्तर है वह यह भी मानता है, कि प्रत्येक समाज का विशाल भाग राजनीति मे निष्क्रिय रहता है अर्थात् उसके संचालन में कोई सक्रिय योगदान नहीं करता। ये ही लोग राजनीतिक भागीदारी से अपने को पृथक रखते है तथा वे ही अराजनीतिक स्तर के नागरिक होते है। बहुधा ये लोग राजनीति के प्रति विमुखता का भाव रखते हैं।

रावर्ट दहल ने इस विषय पर भी विचार किया है कि नागरिक किन कारणों से राजनीति में रुचि लेते है अथवा विमुखता रखते है। आधुनिक समाजों में शिक्षा का प्रसार, वयस्क मताधिकार का बिस्तार तथा प्रजातांत्रिक राजनीति व्यवस्थाओं की स्थापना के बाद भी नागरिकों का क्यों विशाल भाग सुराजनीतिक स्तर से सम्बद्ध रहता है, इस प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास लेखक महोदय ने अपनी पुस्तक में किया है। रावर्ट दहल के तर्क इस संबंध में निम्नांकित है।

(क) यदि नागरिक राजनीतिक अन्तर्ग्रस्तता से प्राप्त होने वाले लाभों की अपेक्षा अन्य प्रकार की गतिविधियों से होने वाले लाभों को अधिक मूल्यवान समझता है। तो इससे भागीदारी प्रभावित होती है तथा लोग राजनीतिक भागीदारी से कम अन्तर्ग्रस्त होते है।

(ख) यदि नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत विकल्प में उसे कोई महत्व प्रतीत नहीं होता अथवा यह सोचने के लिए बाध्य होता है कि जो उसके समक्ष राजनीतिक विकल्प है, यदि वह उस पर कार्य करता है तो उसका ठोस परिणाम सामने नहीं आयेगा तो इससे

भी राजनीतिक भागीदारी प्रभावित होती है तथा लोग राजनीति में निष्क्रिय होने लगते है।

(ग) यदि लोगो को यह विश्वास हो जाता है कि चाहे वे कितना भी प्रयत्न करे परन्तु राजनीतिक परिणामों को सार्थक ढंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता है तो वे निष्क्रिय हो जाते है।

(घ) यदि नागरिकों को यह समझ में आ जाता है कि बिना राजनीतिक गतिविधियों को तेज किये ही संतोषजनक परिणाम निकलने की संभावना अधिक है तो राजनीतिक भागीदारी में कमी आ जाती है।

(ङ) यदि नागरिकों को यह अनुभव होता है कि राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास प्राप्त ज्ञान एवं निपुणता पर्याप्त नहीं है तो वे राजनीतिक भागीदारी नहीं करते।

(च) यदि नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी के मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है उससे राजनीतिक सक्रियता प्रभावित होती है। तथा वे राजनीतिक भागीदारी से विमुख हो जाते है।

इस प्रकार छः कारणों से नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता की मात्रा प्रभावित होती है। इस कारण सभी समाजों में राजनीतिक भागीदारी की चार परतो में अराजनैतिक स्तर के लोगो की संख्या अत्यधिक होती है। राजनीतिक सहभागिता का विचार इस बात से अवगत कराता है कि समाज में विभिन्न राजनीतिक स्तरो के लोग होते है तथा राजनीतिक सहभागिता के आधार पर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। श्रेणीवद्ध राजनीतिक कृत्यों में लोगों को कौन सा स्थान किन कारणो से होता है राजनीतिक समाजशास्त्री इसका परीक्षण और स्पष्टीकरण करता है। मानव के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का राजनीतिक सहभागिता पर पर्याप्त प्रभाव रहता है।

राजनीतिक सहभागिता सभी क्षेत्रों में एवं सभी लोगों में एक समान स्तर की नहीं दिखायी पड़ती है। व्यक्ति की कंशानुगत एवं अन्य सामाजिक विशेषताओं का भी सहभागिता पर असर पड़ता है। एक व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता पर अनेक सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक कारणो का प्रभाव पड़ता है। योगेश अटल (1976) इस बात से सहमत प्रतीत होते है कि राजनीतिक सहभागिता की प्रक्रिया आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया से प्रभावित होती है। वाइनर ने इन स्थितियों की चर्चा की है जिसमे व्यक्ति की उक्त सहभागिता प्रभावित होती है और उनके मात्रात्मक भेद को जाना जा सकता है। नगर की बढ़ती हुई श्रम शक्ति, आधुनिकीकरण की समान गति न होना, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक आधार पर लोगो का विभाजन, राजकीय क्रिया कलापों में वृद्धि राज्य एवं धर्म में विरोध एवं वृहद संचार के माध्यमों में वृद्धि आदि कारको से राजनीतिक सहभागिता बढ़ती है। सहभागिता के मनोविज्ञान की चर्चा करते हुए लर्नर कहता है कि एक व्यक्ति जब किसी राजनीतिक मुद्दे पर आवश्यक जानकारी के आधार पर मत व्यक्त करने की क्षमता रखता है तब वह राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी भी हो सकता है। जनसंख्या के अन्तर जितना मत वैभिन्य किसी मुद्दे पर होगा उतना ही लोगो की राजनीतिक सहभागिता में सक्रियता दिखायी पडेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों मे सहभागिता की मात्रा में भेद होता है, उसके पीछे अनेक कारण होते है। जिनमे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक आदि अनेक कारण जो सहभागिता को भिन्न-भिन्न रुपों में प्रभावित करते है। जिनमे राजनीतिक चेतना प्रमुख कारण है। बांदा जनपद की महिला अध्यापिकाओं से जब यह पूछा गया कि क्या मताधिकार प्रयोग से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है या नहीं वे अपना वोट किसलिए देती है? प्रस्तुत सारिणी 6.1 में यही जानने का प्रयास किया गया है।

सारणी सं0 6.1

विद्यालयीय अध्यापिकाओं की जाति एवं राजनीतिक सभा में सम्मलित हो संबंधी विचार

क्र0	विद्यालय		सामान्य		पिछड़ा वर्ग		अनु0जाति		योग
			हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	
1	इण्टरमीडिएट	सं0	16	62	2	10	5	5	100
		प्र0	16	62	2	10	5	5	
2	हाईस्कूल	सं0	3	3	1	–	–	3	10
		प्र0	3	3	1	–	–	3	
3	जू0हा0	सं0	16	68	12	4	20	20	140
	स्कूल	प्र0	11.4	48.5	8.5	2.8	14.2	14.2	
	योग		35	133	15	14	25	28	250
			14	53.2	6	5.6	10	11.2	

सभा या मंच एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा कोई नेता अपने विचारों को प्रचारित कर लोगों को प्रभावित करता है। प्रजात्रन्त में प्रायः सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियों एवं विचारों को प्रसारित करने के लिए मंच या सभा का सहारा लेते है। इन सभाओं या मंचो की सार्थकता तभी है जब यहां दर्शक या श्रोता समूह उपस्थित हो। मंच के समीप श्रोतामण्डल का एकत्रीकरण एक बड़ी कला है। जो राजनीतिक दल इस कला में महारथ हासिल किये हुए है। उनके विचार या नीतियां जन मानस तक शीघ्र पहुंच जाती है। इसलिए राजनीतिक दलो का प्रथम प्रयास सभा का आयोजन करना होता है, जिससे जनता का एकत्रीकरण सम्भव हो सके। जिन स्थानों पर राजनीतिकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से चली है, वहां सभा के आयोजन में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है जबकि उन स्थानों पर जहां के नागरिक राजनीतिक रुप से अधिक जागरुक नहीं हो पाये है। वहां सभा मे जनता की उपस्थित एक समस्या बनी रहती है। सभा के आयोजन में स्थल का भी विशेष महत्व होता है। सभा स्थल की दूरी का प्रभाव सभा में सम्मलित होने वालों पर पड़ता है चुनाव के अवसर पर सघन सम्पर्क अभियान में रत प्रत्याशी प्रायः नेताओं की उपस्थित न

होने पर सभाओं का आयोजन स्थानीय नेताओं द्वारा किया करते है। बांदा शहर नगरो की अपेक्षा एक छोटा शहर है परन्तु स्थान का महत्व होने पर बड़े-बड़े नेताओं का आगमन चुनाव के समय हो ही जाता है। इस प्रकार सभा के आयोजन में सन्देश एवं संचार के साधनों का प्रभाव सभा की सहभागिता पर स्पष्ट रुप से दिखाई पड़ता है। यहां पर महिलाओं के सभा में सम्मलित होने संबंधी सांख्यकी आंकड़े प्रस्तुत है।

प्रस्तुत सारिणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि समस्त विद्यालयों मे कार्यरत अध्यापिकाओ की संख्या 250 है जिनमे से अधिकतर महिलाओं अर्थात् अध्यापिकाओ का मानना यह है कि वे सभा में कम सम्मलित होती है। समस्त 250 अध्यापिकाओं में सामान्य वर्ग की 35 (14%) अध्यापिकाएं राजनीतिक सभा या मंचन कार्यक्रम मे शामिल होती है जबकि 133 (53.2%) अध्यापिकायें किसी सभा में सम्मलित नहीं होती है। पिछड़ा वर्ग की 15 (6%) अध्यापिकाए सभा मे सम्मलित होती है जवकि 14 (5.6%) अध्यापिकाओं का कहना यह है कि वे किसी राजनीतिक सभा या नेता के भाषण को सुनने के लिए नहीं जाती है। अनुसूचित जाति की 25 (10%) अध्यापिकायें राजनीतिक सभा या मंचन में सहभागी होती है जबकि 28 (11.2%) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि उन्हे अपने दैनिक कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती इसलिए नहीं जाती है।

प्रस्तुत सारिणी का जब हम विद्यालयावार विवरण प्रस्तुत करते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट की 100 अध्यापिकाओं में से सामान्य वर्ग की 16 (16%) अध्यापिकाएं ही राजनीतिक सभा या मंचन कार्यक्रम मे सहभागी होती है। जबकि 62 (62%) सभा में सम्मलित होने की बात से इन्कार करती है। पिछडे वर्ग की 2 (2%) अध्यापिकाओ का कहना है कि राजनीतिक सभा में सम्मलित होने से फायदा होता है इसलिए ये सभा में सम्मलित होती है। 10 (10%) अध्यापिकाओं का कहना यह है कि इससे उन्हे कोई फायदा नहीं होता तो क्यों भाग ले। अनुसूचित जाति मे हां कहने वाली अध्यापिकाओं एवं न कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या व प्रतिशत 5 (5%) हां 5 (5%) न कहने वाली अध्यापिकाएं बराबर है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत टीचरों का साक्षात्कार करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश महिला अध्यापिकायें राजनीतिक सभा में सम्मलित नहीं होती। राजनीतिक सभा में सम्मलित होने वाली अध्यापिकाओं की संख्या काफी कम है। जाति के आधार इन विद्यालयों की अध्यापिकाओं की स्थिति को जाने तो पता चलता है। कि सामान्य वर्ग की 3 (30%) अध्यापिकायें यह कहती है कि वे राजनीतिक सभा मे इसलिए भाग लेती हे कि अपने विचारो को दूसरो तक या दूसरे (नेताओं) की बात को सुनकर, समझकर उनकी प्रतिक्रिया को जान सके। जबकि 3 (30%) सामान्य वर्ग की अध्यापिकाओं का कहना है कि वे किसी राजनीतिक सभा या मंचन में भाग नहीं लेती है। पिछडे वर्ग की 1 (10%) अध्यापिका ही ऐसी है जो राजनीतिक सभाओं में भाग लेती है। नहीं कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या शून्य है। अनुसूचित जाति की राजनीतिक सभा में सम्मलित होने संख्या शून्य अर्थात् कोई भी अध यापिका यह नहीं कहती कि वे सभाओं में भाग लेती है जबकि 3 (30%) अध्यापिकायें राजनीतिक सभाओं या मंचन में सहभागी होती है।

इसी प्रकार जू0हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमें सामान्य वर्ग की 16 (11.4%) अध्यापिकायें यह कहती है कि वे राजनीतिक सभाओं में पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए सहभागी होती है। जबकि 68 (48.5%) अध्यापिकाएं किसी सभा या नेताओं के भाषण सुनने के लिए नहीं जाती है। पिछड़े वर्ग की 12 (8.5%) अध्यापिकाओं राजनीतिक सभा या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार रहती है। जबकि 4 (2.8%) अध्यापिकायें किसी भी सभा में भाग नहीं लेती है। अनुसूचित जाति की 20 (14.2%) अध्यापिकायें राजनीति से संबंधी सभाओं, मंचन कार्यक्रम या नेताओं के भाषण, सभी में सहभागी होती है। जबकि 20 (14.2%) अध्यापिकायें राजनीतिक सभा कार्यक्रमों में भाग ही नहीं लेती है।

प्रस्तुत सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता हे कि इण्टरमीडिएट विद्यालयों में किसी भी राजनीतिक सभा में सम्मलित न होने वाली अध्यापिकाओं की संख्या अधिक है।

जबकि हाईस्कूल में यह संख्या कुछ कम है। जू0हा0 स्कूल में पिछडे वर्ग को छोडकर सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति की अध्यापिकाओं की संख्या अधिक है। गवेषिका ने साक्षात्कार करते समय जब सभी जाति की अध्यापिकाओं से जिन अध्यापिकाओं ने नकारात्मक उत्तर दिये उनसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि कुछ अध्यापिकाओं को किसी भी सभा में सम्मलित होने में उन्हे रुचि नहीं। कुछ अध्यापिकाओं का कहना था कि सभाओं में सम्मिलित होने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है और कुछ अध्यापिकाओं ने यह कहा कि राजनीतिक नेता या दल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब कुछ करते है। इनके कहने और करने में बहुत अन्तर होता है। दूसरी तरफ जिन अध्यापिकाओं ने हां में उत्तर दिये उनसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि कुछ अध्यापिकाओं के पारिवारिक या नातेदारी संबंध राजनीतिक दल या पार्टियो के साथ होने पर वह सभाओं या मंचन कार्यक्रम में सहभागी होती है और कुछ अध्यापिकायें अपनी रुचि से सहभागी होती है और कुछ विचारों को सुनने व उनसे कुछ सीखने के कारण राजनीतिक सभा या मंचन कार्यक्रमों में भाग लेती है।

सारणी सं0 6.2

विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं किसी सभा में सम्मिलि होने के उद्देश्य संबंधी विचार

क्र0	विद्यालय	नेता बनना		देश सेवा		प्रतिष्ठा पाने		सहयोग देने		कोई उद्देश्य नहीं		योग
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
1.	इण्टरमीडिएट	-	-	23	23	12	12	37	37	28	28	100
2.	हाईस्कूल	-	-	1	10	2	20	3	30	4	40	10
3.	जू0हा0स्कूल	8	5.7	36	25.7	12	-	44	31.4	40	-	140
	योग	8	5.7	60	25.7	27	8.5	83	31.4	72	28.5	250

प्रस्तुत सारिणी (6.2) के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सभी जाति वर्ग की अध्यापिकाएं राजनीतिक सभाओं में सम्मलित होकर राजनीति में सहभागी होने का परिचय देती है। परन्तु इस सारिणी (6.3) में अध्यापिकाओं से यही जानने का प्रयास किया गया है कि अध्यापिकाओं का राजनीतिक सभा में सम्मिलित होने का उद्देश्य क्या है ? क्या वह नेता बनना चाहती हे या देश सेवा के लिए या समाज में प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से या राजनीतिक व्यक्तियों व राजनीति में सहयोगी होने के उद्देश्य से या फिर बिना किसी उद्देश्य से राजनीति में सहभागी हो रही है ? यह जानने प्रयास किया गया है इस सारिणी में।

प्रस्तुत सारिणी का विद्यालयानुसार जब विवरण ज्ञात करते है तो पता चलता है कि इण्टरमीडिएट विद्यालय की 100 अध्यापिकाओं में 28 नेता नहीं बनना चाहती अर्थात् नेता बनने के मत पर किसी ने भी अपना विचार व्यक्त नहीं किया है। दूसरी वे अध्याकिाए है जो देश सेवा के उद्देश्य से अपना विचार प्रकट करती है। उनकी संख्या 23 (23%) है प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से जो अध्यापिकाएं राजनीति में सहभागी हो रही है उनकी संख्या 12 (12%) है। कुछ अध्यापिकायें ऐसी है जो राजनीतिक व्यक्तियों, दलो व पर्टियों के व्यक्तियों का सहयोग करने के उद्देश्य से राजनीतिक सभा या मंच में भाग लेती है। उन अध्यापिकाओं की संख्या 37 (37%) सबसे अधिक हे। कुछ अध्यापिका ऐसी भी है जो बिना किसी उद्देश्य के राजनीतिक दलो के नेताओं के भाषण सुनने के लिए सभाओं में सम्मलित होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उद्देश्य कुछ भी हो नेता बने, देश सेवा, प्रतिष्ठा पाने या न पाने पर राजनीतिक चेतना या जागरुकता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है। कि वे राजनीतिक क्रियाओं में सहभागी होकर अपनी प्रभावकारिता को और अधिक बढ़ाना चाहती है।

इस प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं से जब यह सवाल पूछा गया तो ज्ञात होता है कि ये अध्यापिकायें भी बिना किसी उद्देश्य के सभा या मंचन या राजनीतिक नेताओं के सिर्फ़ भाषण सुनने के लिए ही राजनीति में सहभागी होती है। अन्य उद्देश्यो के प्रति अध्यापिकाओं के विचार कुछ कम है। जैसे हाईस्कूल की समस्त 100 अध्यापिकाओं मे नेता बनने के प्रति किसी ने भी अपना विचार व्यक्त नहीं किया। देश सेवा के उद्देश्य से कुछ अध्यापिकाओं ने अपना विचार व्यक्त किया, इन अध्यापिकाओं की संख्या 1 (10%) सबसे कम है। कुछ अध्यापिका समाज में प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से राजनीतिक क्रिया कलापों में सहभागी हो रही है। ऐसी अध्यापिकाओं की संख्या 2 (20%) है। कुछ अध्यापिकाएं ऐसी है जो राजनीतिक सभा या कार्यकताओं या पार्टी दल के नेताओं का सहयोग करने के उद्देश्य से सभा में सम्मिलित या सहभागी होती है और कुछ अध्यापिकाएं ऐसी है जो बिना किसी उद्देश्य के राजनीतिक नेताओं के भाषण सुनने के लिए सभा मंचन कार्यक्रमों में सहभागी हो रही है।

इस प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमे से मात्र 8 (5.7) अध्यापिकायें ही नेता बनने के उद्देश्य से राजनीतिक गतिविधियों या क्रिया कलापों या सभाओं में सम्मिलित होती है। जबकि 36 (25.7) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि वे राजनीतिक सभा में इसलिए सम्मलित होती है ताकि वे नेता बनकर देश की सेवा कर सके। वे अध्यापिका जिनका विचार सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों से सम्पर्क कर या राजनीतिक सदस्य बनकर समाज में प्रतिष्ठा पाना है ऐसी अध्यापिकाओं की संख्या 12 (20%) है। सबसे अधिक विचार जिसमे व्यक्त किये गए। उस विचार में अध्यापिकाओं की संख्या 44 (31.4%) है जिनका मानना है कि वो समाज में पहचान बनाने के लिए राजनीतिक व्यक्तियों के साथ मिलकर उनका सहयोग देने के उद्देश्य से सहभागी हो रही है। उन अध्यापिकाओं की संख्या 40 है जिनका राजनीतिक सभा में सम्मिलित होने का कोई खास

उद्देश्य नहीं है। वे सिर्फ नेताओं के भाषण सुनने व राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी करने के उद्देश्य से ही सभाओं में सम्मलित या सहभागी होती है।

प्रस्तुत सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं में न केवल राजनीतिक चेतना आयी है वरन राजनीतिक सभाओं में सम्मिलित होकर सहभागिता का परिचय दे रही है।

सारणी सं0 6.3

विद्यालययीय अध्यापिकाएं एवं राजनीतिक दलो को निम्न माम्लों में सहयोग करने संबंधी विचार

क्र0	विद्यालय	प्रचार करना		चन्दा देना		वोट देना		बैठको में भाग लेना		समर्थन जुटाने में सहयोग देना		कोई सहयोग नहीं		
		सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	सं0	प्र0	योग
1.	इण्टरमीडिएट	4	4	9	9	45	45	2	2	6	6	34	34	100
2.	हाईस्कूल	1	10	–	–	6	60	1	10	1	10	1	10	10
3.	जू0हा0 स्कूल	20	14.2	–	–	84	60	–	–	16	11.4	20	14.2	140
	योग	25	10	9	3.6	135	54	2	0.8	23	9.2	56	22.4	250

आज जनता की राजनीतिक सहभागिता में लगातार वृद्धि सभी आधुनिक जनतांत्रिक समाजों की एक प्रधान विशेषता है। राजनीतिक सहभागिता का तात्पर्य समाज के विभिन्न राजनीतिक समूहों एवं राजनीतिक दलो व राजनीतिक व्यवस्था से किसी न किसी स्तर पर सक्रिय रुप से जुड़ना है। राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने के स्तर अनेक होते है। लेकिन प्रत्येक स्तर से कोई व्यक्ति या समूह तभी जुड सकता है, जबकि वह उस स्तर के अनुरुप पर्याप्त रुप से सक्रिय हो। क्या विद्यालयीय अध्यापिकाएं विभिन्न राजनीतिक दलो के कार्यक्रम में सहयोगी होती है या नहीं यदि होती है तो वे राजनीतिक दलो के व्यक्तियों को किन मामलों में सहयोग करती है। यही जानने का प्रयास इस सारणी में किया गया है।

प्रस्तुत सारिणी (6.3) में विभिन्न राजनीतिक दलों को विभिन्न मामलों में सहयोग करने संबंधी विचारों को 6 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्रचार करना, द्वितीय चन्दा देना, तृतीय वोट देना, चतुर्थ बैठकों में भाग लेना, पांचवा समर्थन जुटाने मे सहयोग देना, छठवां कोई सहयोग नहीं। यह सारिणी अध्यापिकाओं के विचार को संख्यात्मक रुप में प्रस्तुत करती है। समस्त विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है जिनमे से सबसे अधिक अध्यापिकाएं जिन मामलों में राजनीतिक व्यक्तियों व दलो को सहयेाग करती है वह है वोट देना। 135 (54%) अध्यापिकायें वोट देकर राजनीतिक दलों का सहयोग करती है। इसके बाद दूसरे नम्बर में वे अध्यापिकाएं है जो यह कहती है कि वे किसी राजनीतिक दल को सहयोग नहीं करती है। तीसरे नम्बर पर वे अध्यापिकाएं है जो राजनीतिक दलों का प्रचार करने में

सहयोग करती है। चतुर्थ नम्बर में 23 (9.2) अध्यापिकाएं समर्थन जुटाने मे अपना सहयोग करती है। पाचवें नम्बर मे 9 (3.6) अध्यापिकायें चन्दा देने में राजनीतिक व्यक्तियों का सहयोग करती है। छटवें नम्बर में वे अध्यापिकायें है जो राजनीतिक व्यक्तियों को समर्थन जुटाने में सबसे कम 2 (0.8) सहयोग करती है।

प्रस्तुत सारिणी का विद्यालयनुसार वर्णन करने से ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है। जिनमें 4 (4%) अध्यापिकायें राजनीतिक दलों या पार्टियों के प्रचार करने में सहयोग करती है। 9 (9%) अध्यापिकायें चन्दा लेने में राजनीतिक पार्टियो का सहयोग करती है। वे अपनी अपनी पहचान वाले व्यक्तियों से आग्रह करती है कि इस पार्टी का विभिन्न मामलों में सहयोग करे। सबसे अधिक अध्यापिकायें 45 (45%) राजनीतिक व्यक्तियों को वोट देकर अपना सहयोग करती है। सबसे कम अध्यापिकायें वे है जो राजनीतिक व्यक्तियों की बैठको में भाग लेती है। वे अध्यापिकायें जो चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों की अपने पहचान वाले व्यक्तियों व रिश्तेदारों से यह आग्रह करती है कि वे उनकी पार्टी के व्यक्ति को ही अपना चुनाव या वोट दे इन अध्यापिकाओं की संख्या 6 (6%) है। 34 (34%) अध्यापिकाओं का विचार है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी या दल का कोई राजनीतिक सहयोग नहीं करती है। इण्टरमीडिएट विद्यालय की सबसे अधिक अध्यापिकाएं वोट देकर, उसके बाद चन्दा देना, उसके वाद समर्थन जुटाने में सहयोग देने उसके वाद प्रचार करने व सबसे कम राजनीतिक बैठकों में भाग लेने में राजनीतिक व्यक्तियों का सहयोग करती है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओ से जब यही सवाल पूछा गया तो पाया गया कि वोट देने में सहयोग करने वाली अध्यापिकाओं की संख्या सबसे अधिक थी। हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है। जिनमें से 1 (10%) अध्यापिकाएं यह कहती है कि वे राजनीतिक दलो व पार्टियों का प्रचार करने में सहयोग करती है। 6 (60%) अध्यापिकाएं राजनीतिक दलो में अपना वोट देकर सहयोग प्रदान करती है। वोट देकर

सहयोग प्रदान करने वाली अध्यापिकाओं की संख्या व प्रतिशत सबसे अधिक है। वे अध्यापिका जो राजनीतिक दलों की बैठकों में भाग लेती है, राजनीतिक व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करती है और फिर उनके विचारानुसार उनके कार्यो में सहयोग करती है उनकी संख्या 1 (10%) है। उन अध्यापिकाओं की संख्या भी 1 (10%) है जो राजनीतिक पार्टियों के लिए समर्थन जुटाने में सहयोग करती है। उन अध्यापिकाओं की संख्या भी 1 (10%) है जो राजनीतिक दलों का कोई सहयोग नहीं करती है। हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं का विचार जाानने के पश्चात यही ज्ञात होता है कि सबसे अधिक राजनीतिक दलो को सहयोग अपना वोट देकर करती है उसके वाद विभिन्न मामलों में लगभग संख्या वरावर सी है।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं से जब यह पूछा गया कि आप राजनीतिक दलो व पार्टियों को किन मामलों में सहयोग करती है तो सभी अध्यापिकाओं के विचार अलग-अलग थे। वैसे जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनमे 20 (14.2%) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि वे राजनीति का प्रचार करने में विभिन्न दलो का सहयोग करती हैं। सबसे अधिक 84 (60%) वोट देकर विभिन्न राजनीतिक दलों का सहयोग करती है। 16 (11.4%) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि चुनाव प्रचार के समय विभिन्न दलो के लिए समर्थन जुटाकर अपना सहयोग प्रदान करती है। जबकि 20 (14.2%) अध्यापिकाऐं ऐसी है जो किसी भी राजनीतिक दल का कोई सहयोग नहीं करती है।

प्रस्तुत सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि सभी विद्यालयों इण्टरमीडिएट हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल आदि में सबसे अधिक जिस मामले पर सहयोग करने का विचार प्रकट किया गया वह विचार है वोट देना। राजनीतिक दलों को अपना वोट देकर राजनीतिक मामले व राजनीतिक व्यवस्था में अपना सबसे अधिक सहयोग करती है। और सबसे कम राजनीतिक बैठको में भाग लेकर अपना सहयोग प्रदान करने में।

सारणी सं0 6.4

विद्यालयीय अध्यापिकाएं एवं किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध संबंधी विचार

विद्यालय	हां		नहीं		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टरमीडिएट	12	12	88	88	100
हाईस्कूल	4	40	6	60	10
जू0हा0स्कूल	44	31.4	96	68.5	140
योग	60	24	190	76	250

राजनीतिक दलो एवं क्षेत्रीय दलो का अपना अलग स्वरुप है, उनका विकास क्षेत्रो की उपेक्षा के चलते हुआ है। उन्होने क्षेत्रीय धरती में अपनी जड़े स्थापित कर ली है जो राष्ट्रीय विडम्बनाओं के चलते अपने वर्चस्व को मजबूत करते जा रहे है। सदियो से उपेक्षित जाति समूह भी उनसे जुडे है और जाति समूहों की जकडन क्षेत्रीय दलो के प्रभुत्व को मजबूत कर रही है। क्षेत्रीय दल अब महज क्षेत्रीय नहीं रहे। वे अपने हित के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी अपनी सक्रिय भागीदारी की छाप छोड़ने को कटिबद्ध है। पिछली सरकारों के उदहारण स्वरुप तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियाँ केन्द्र सरकार में भागीदारी कर चुकी हैं। उसी तरह पंजाब, आन्ध्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम के क्षेत्रीय दलो ने भी राष्ट्रीय नीति निर्धारण में अपनी सक्रिय भागीदारी स्थापित की है।

चाहे सिद्धान्त की रुपरेखा कैसी भी हो, लेकिन जिन क्षेत्रीय शक्तियों ने एक बार भी देश के राष्ट्रीय प्रशासन में भागीदारी की है, उनसे यह उम्मीद करना कि वे बिना प्रयोजन किसी नीति विशेष के आधार पर किसी बड़े दल के समाने आत्मसर्मपण कर महज पिछलग्गू बनेगी आज के युग में सम्भव प्रतीत नहीं होता। गांधी ने कांग्रेस सरीखा विशाल राष्ट्रीय संगठन बनाते समय अपने समकक्ष प्रतिभाओं को देश के हर क्षेत्र से समेटा था। गोपीनाथ बारदोली, अम्यंकर चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरु, सरदार बल्लभ भाई पटेल,

मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, ये सभी लगभग गांधी के समकक्ष थे। इन विभूतियों के सम्मिलित प्रयास, नेतृत्व और बलिदान की आधार भूमि पर ही कांग्रेस बनी थी। जिसने लगभग चार दशक देश में शासन किया है। आज वही दल लगभग क्षेत्रीय दल की शक्ल लेता जा रहा है। क्षेत्रीय प्रभाव के नेतृत्व को विकसित नहीं होने दे रहा है क्योंकि दल व्यक्ति परक बनकर ही रहना चाहता है।

स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक दशको की तुलना में अब राजनीतिक दलों मे बदलाव आ गया है। कुछ राजनीतिक दल अथवा कह लीजिए कि विभिन्न नामों वाले राजनीतिक दलों में उनके मूल स्वरुप की तुलना में कोई सादृश्य खोज पाना भी कठिन हो गया है। मतदाओं की परेशानी इस बात ने और अधिक बढ़ा दी है कि अब नेताओं की पूरी तरह एक नयी पीढ़ी उभरी है, जिसका स्वातन्त्रय संघर्ष से कोई व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं रहा था और स्वातन्त्रय योद्धाओं के त्याग और बलिदान से भी यह पीढ़ी अनभिज्ञ सी ही है। अतएव मतदाओं के लिए उलझन उपस्थित हो गयी है कि वे किसका चयन करे और किसके पक्ष में मतदान करे। उन्हे अपने स्पष्ट चयन के लिए कोई प्ररेणा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा कभी कभार ही होता है। जब लोग ये जान पाते है कि ये नेता क्या चाहते है। ऐसा आपातकाल के बाद हुए चुनाव में अथवा श्रीमती इन्द्रिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था, जब देश में बने आसाधरण माहौल मे राष्ट्र भावनाओं से आप्लावित एक पार्टी के पक्ष में लोगों ने प्रचण्ड मतदान किया अन्यथा हाल के चुनावों में कोई स्पष्ट जनादेश किसी भी दल के पक्ष में नही आ पाता। ऐसे चुनावों में जब मुद्दे स्पष्ट तौर पर पेश नहीं हो पाते, मतदाता के समक्ष कोई रणनीति नहीं होती और वोटो का निर्धारण राजनीतिक दलों के लिए प्रमुखताओं के आधार पर होता है। प्रस्तुत सारिणी में बांदा नगर की महिला अध्यापिकाओ से यही जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वे राजनीतिक दलों से सम्बद्ध है या नहीं।

बांदा नगर की महिला अध्यापिकाओं को तीन स्तर में विभाजित किया गया है इण्टरमीडिएट विद्यालय की अध्यापिका, हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिका और जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकायें इन सभी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 हैं जिनमे से 60 (24%) प्रतिशत अध्यापिकाओं का विचार है कि वे किसी न किसी राजनीतिक दल से किसी न किसी रुप मे जुडी हुई है। जबकि 190 (76%) अध्यापिकाओं का विचार है कि वे किसी राजनीतिक दल की न तो सदस्य है न ही किसी दल से सम्बद्ध है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाये राजनीति की ओर अपना रुख कर रही है। लेकिन अभी ये संख्या पर्याप्त नहीं है।

प्रस्तुत सारिणी को जब हम विद्यालयानुसार अध्यापिकाओं का विचार जानने का प्रयास करते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट की 100 अध्यापिकाओं में 12 (12%) अध्यापिकाओं का विचार है कि राजनीतिक दलो से उनका सम्बन्ध है। वे राजनीतिक दलो की सम्बद्धता को इसलिए स्वीकार करती है कि राजनीतिक व्यक्तियों की पहचान उनके कार्यो को आसान करती है इसलिए वे राजनीतिक व्यक्तियों व दलो से सम्बन्ध बनाये रखना चाहती है जबकि 88 (88%) अध्यापिका राजनीति के व्यक्तियों व दलों से दूर रहना चाहती है। इसलिए वे अपना विचार नहीं में व्यक्त करती है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओ की संख्या 10 है। जिनमे से 4 (40%) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य नहीं है परन्तु राजनीतिक दलों से पहचान अवश्य बनाये हुए है। चुनाव के समय अन्य राजनीतिक मामलों में राजनीतिक दलों व पार्टियों के व्यक्तियो का सहयोग अवश्य करती है। जबकि 6 (60%) अध्यापिकएं यह मानती है कि वो किसी भी राजनीतिक दलो की न सदस्य है और न ही किसी राजनीतिक दलो से पहचान है। इससे स्पष्ट है कि नहीं कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या अधिक अवश्य है परन्तु हां कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या भी कम नहीं है। ये महिलाओ की राजनीतिक जागरुकता व सहभागिता का परिचायक है।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्य करने वाली अध्यापिकओं से जब पूछा गया कि क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी या दल से सम्बद्ध है। तो महिला अध्यापिकाओं ने जो उत्तर दिये उससे ज्ञात होता है कि 100 अध्यापिकाओं में जिन अध्यापिकाओं ने हां में अपना जवाव दिया उनकी संख्या 44 (31.4) है। जिनका विचार है कि राजनीतिक पार्टियों व दलो की पहचान अथवा उसकी सम्बद्धता उनके कार्यो को आसान करने के लिए जरुरी है जबकि 96 (68.5%) अध्यापिका इस बात को न तो स्वीकार करती है और न ही इस बात से सहमत है। अर्थात् उनका मानना हे कि राजनीतिक पार्टियों व दलो से संबंध बनाये रखना कोई अवश्यक नहीं है।

प्रस्तुत सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि आजकल की महिलाये राजनीतिक रुप से जागरुक होकर राजनीतिक कार्यो व राजनीतिक गतिविधियों व मामलों में सहयोगी बनकर राजनीतिक दलो व पार्टियों की सहायता कर रही है। ये राजनीतिक सहभागिता का परिणाम या परिचायक है।

सारणी सं0 6.5

विद्यालयीय अध्यापिकाएं एवं राजनीतिक गतिविधियो में भाग लेने संबंधी विचार

विद्यालय	हां		नहीं		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टरमीडिएट	31	31	69	69	100
हाईस्कूल	8	80	2	20	10
जू0हा0स्कूल	60	42.8	80	57.1	140
योग	99	39.6	151	60.4	250

राजनीतिक सक्रियता विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के रुप में प्रकट होती है। इन्ही गतिविधियों में शामिल होना ही राजनीतिक सहभागिता की पहचान है। उक्त राजनीतिक गतिविधियों का समाजशास्त्रियों एवं राजनीति शास्त्रियों ने विविध आधारो पर वर्गीकरण या वर्णन किया है कुछ विद्वानो के अनुसार राजनीतिक या प्रशासनिक पद को सफलतापूर्वक प्राप्त करना राजनीतिक गतिविधियों का सबसे उंचा छोर है तो राजनीतिक गतिविधियों में बिल्कुल भाग न लेना और उसके प्रति उपेक्षा भाव या उदासीनता सबसे निचला छोर है। इन दो छोर के बीच दलों की सदस्यता ग्रहण करना, सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शन आदि में भाग लेना, मत देना आदि अनेक गतिविधियाँ आती है। राजनीतिक सहभागिता के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों के क्षेत्र को आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्रियों ने अब बहुत विस्तृत कर दिया है। पहले केवल मतदान में भाग लेने, राजनीति की चर्चा करने या सभाओ या प्रचार कार्य में भाग लेने जैसे वैधानिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को ही राजनीतिक सहभागिता की गतिविधियों के अन्तर्गत रखा जाता था, किन्तु आज उसमे उन सभी गतिविधियों को शामिल कर लिया गया है जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को बदलने या बने रहने के लिए वैधानिक या अवैधानिक या शान्तिपूर्ण या हिसंक किसी भी तरीके को अपनाती है।

प्रस्तुत सारिणी (6.5) में विद्यालयीय अध्याापिकाओं से यही जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वे राजनीतिक गतिविधियों जैसे सभा, मंच, जूलूस, नारेबाजी, हड़ताल, राजनीतिक गोष्ठी कार्यक्रम आदि में शामिल होती है कि नहीं। विद्यालयीय क्रमानुसार इण्टरमीडिएट विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है। जिनमे से 31 (31%) अध्यापिकाओ का विचार है कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती है। जबकि 69 (69%) अध्यापिकाओं का विचार है कि वे राजनीतिक सभाओं, मंचन कार्य, हड़ताल प्रचार कार्य आदि किसी में भी भाग नहीं लेती है। नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या अधिक होने का तात्पर्य यह नहीं है कि महिलाऐं राजनीति के प्रति जागरुक ही नहीं है। अध्यापिकाओं में राजनीतिक चेतना या जागरुकता है परन्तु राजनीतिक गतिविधियों में भाग कम लेती है। लेकिन राजनीति मे जानकारी अवश्य रखती है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकओ से जब यह विचार जानने का प्रयास किया गया कि क्या आप राजनीतिक गतिविधियों, गोष्ठियों, राजनीतिक, चर्चा, सभा, सम्मेलन, आन्दोलन, हड़ताल आदि में भाग लेती है तो 10 अध्यापिकाओं में से 8 (80%) अध्यापिकाओं का विचार यह रहा कि वे राजनीति की हर गतिविधियों मे भाग लेती है। जबकि 2 (20%) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि वो राजनीति की किसी गतिविधि में भाग नहीं लेती है अर्थात् राजनीतिक जानकारी अवश्य रखती है पर राजनीति में रुचि न होने से ये उनकी गतिविधियों में भाग नहीं लेती है।

हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं मे हां कहने वाली अध्यापिकाओं की संख्या बहुत अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि हाईस्कूल की अध्यापिकाओं में राजनीतिक चेतना या जागरुकता बहुत अधिक है इसलिए राजनीतिक सहभागिता की मात्रा भी इण्टरमीडिएट एवं जूनियर हाईस्कूल स्कूल की अध्यापिकाओं की अपेक्षा बहुत अधिक है।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है जिनमे 60 (42.8) अध्यापिकाओं का विचार है कि वे राजनीतिक गतिविधियों की सिर्फ जानकारी ही नहीं

रखती है बल्कि राजनीति में होने वाली विभिन्न गतिविधियों मतदान व्यवहार, विचार, गोष्ठी, सभा मंचन कार्यक्रम आदि में भाग लेकर राजनीतिक सहभागिता को भी प्रदर्शित करती है। जबकि 80 (57.1) अध्यापिकाओं का विचार नकारात्मक है अर्थात् ये अध्यापिकाऐं राजनीतिक गतिविधियों के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेती है। इनका कहना है कि हमे अपने काम से फुर्सत नहीं है जो हम राजनीति के पचडे में पड़े हम जानकारी अवश्य रखते है पर सहभागी नहीं होते है।

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओ में इण्टरमीडिएट एवं जूनियर हाईस्कूल की अध्यापिकाओं की अपेक्षा राजनीतिक सहभागिता अधिक है समस्त विद्यालयों में कार्यरत 250 अध्यापिकाओं में 99 (39.6) अध्यापिकाए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती है जबकि 151 (60.4) अध्यापिकाए नहीं। इससे स्पष्ट है कि अध्यापिकाओ में राजनीतिक जागरुकता और राजनीतिक चेतना अवश्य है परन्तु राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता थोड़ी कम है।

सारणी सं0 6.6

विद्यालयीय अध्यापिकाए एवं आन्दोलन या हड़ताल में भाग लेने संबंधी विचार

विद्यालय	हां		नहीं		योग
	सं0	प्र0	सं0	प्र0	
इण्टरमीडिएट	14	14	86	86	100
हाईस्कूल	3	30	7	70	10
जू0हा0स्कूल	36	25.7	104	74.2	140
योग	53	21.2	197	78.8	250

आन्दोलन एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अपनी समस्याओं के प्रति समाज अथवा प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते है। आन्दोलन के दो स्वरुप होते है प्रथम सक्रिय आन्दोलन जिसके अन्तर्गत घेराव, हड़ताल, हिंसक घटनाऐं सम्मिलित है। द्वितीय निष्क्रिय आन्दोलन जिसके अन्तर्गत पिकेटिंग, जुलूस निकालना एवं सभा का आयोजन सम्मिलित है। वर्तमान प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन का ध्यान आकृष्ट कराने का यह प्रजातांत्रिक तरीका है। आज विभिन्न समुदाय के लोग अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए प्रायः इस माध्यम का सहारा ले रहे है। आन्दोलन में सहभागिता एक अनिवार्य तत्व है। व्यक्तिशः चलाये गये आन्दोलन शीघ्र प्रभावी नहीं होते अतः संगठनों के माध्यम से आन्दोलन को संचालित करने की परम्परा है। प्रायः राजनीतिक दल इस कार्य में सबसे आगे रहते है, परन्तु सुदीर्घ एवं विस्तृत सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए सामाजिक संगठन भी आन्दोलन संचालित करते है। भारत में आन्दोलनों का एक लम्बा इतिहास रहा है।

प्रायः यह देखा गया है कि जब तक आन्दोलन का रुख अहिसांत्मक होता है तब तक परिणाम प्राप्त होने में विलम्ब होता है। जैसे ही वह हिसात्मक हो जाता है, शासन उस पर त्वरित कार्यवाही करती है। महत्मा गांधी ने अहिंसात्मक आन्दोलन की वकालत की थी। आज

शीघ्र परिणाम की लालसा में लोग आन्दोलनो को हिसात्मक बनाने में रुचि लेने लगे है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रभाव को बढ़ाने में सभा का आयोजन एवं आन्दोलनों का उदय करते ही रहते हैं। यहां पर विद्यालयीय अध्यापिकाओं की आन्दोलनों एवं हड़ताल में भाग लेने संबंधी विशेषताओं को सांख्यकी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तुत सारिणी से स्पष्ट होता है कि समस्त विद्यालय की चयनित 250 अध्यापिकाओं मे से 53 (21.2) अध्यापिकाओं ने आन्दोलनों एवं हड़ताल में भाग लिया है। जबकि 197 (78.8) अध्यापिकाएं यह कहती है कि उन्होने आन्दोलन या हड़ताल में भाग नहीं लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये शिक्षित वर्ग अर्थात् नौकरी करने वाली अध्यापिकाएं जिन्हें अपने विद्यालय एवं घर के कार्यो से फुर्सत नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जो अध यापिकाए आन्दोलनों में भाग नहीं लेती है तो उनमें राजनीतिक चेतना या जागरुकता नहीं है। उन अध्यापिकाओं में राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक, कार्यो, मतदान, प्रचार कार्य, गोष्ठियों आदि में हिस्सा भी लेती है।

इस सारिणी को जब हम विद्यालयानुसार देखते है तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट की 100 अध्यापिकाओं में 14 (14%) अध्यापिकायें ऐसी है जिनका विचार यह है कि उन्होंने आन्दोलन और हड़ताल में भाग लिया है जबकि 86 (86%) अध्यापिकाएं वे है जिनका मत है कि उन्होने कभी आन्दोलनों में भाग नहीं लिया है। इण्टरमीडिएट स्कूल की ये शिक्षित अध्यापिकाये यह मानती है कि हमारा कार्य ऐसा है कि जिसमें आन्दोलन या हड़ताल करने की ज्यादा जरुरत ही नहीं होती है। अगर जरुरत हुई भी तो यह संघ तक पहुचंती है और जिसके एक विद्यालय वर्ग की अध्यापिकायें नहीं रहती बल्कि कई जिलों के विद्यालयों की अध्याापिकाओं एवं अध्यापक शामिल होते है। अध्यापक वर्ग ज्यादातर आन्दोलन में भाग लेकर अपनी मॉगों को पूरा करवा लेते है। इसलिए ज्यादातर अध्यापिकाए आन्दोलन में भाग लेने से बच जाती है।

इस प्रकार हाईस्कूल में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं से जब यह पूछा गया कि क्या आप आन्दोलन में सहभागी होती है तो ज्यादातर अध्यापिकाओं ने अपना उत्तर न में दिया। जिन अध्यापिकाओं ने अपना उत्तर हां में दिया उन अध्यापिकाओं की संख्या 3 (30%) है। जिनका मत है कि वे आन्दोलन या हड़ताल में भाग इसलिए लेती है ताकि अपना कार्य पूरा करवा सके या अपनी मांगे पूरी करवा सके। जबकि 7 (70%) अध्यापिकाओं का विचार यह है कि वो किसी आन्दोलन में भाग नहीं लेती है। उन्हे आन्दोलन या हड़ताल में भाग लेने में कोई रुचि नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो राजनीतिक गतिविधियों या कार्य प्रणाली में भाग नहीं लेती या सहभागी नहीं होती है ये अध्यापिकाएं राजनीतिक चेतना या राजनीतिक गतिविधियों के किसी न किसी कार्य में सहभागी अवश्य होती है।

जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है जिनमे से 36 (25.7) अध्यापिका वो है जो यह कहती है कि अपनी मांगो को पूरा करने के लिए आन्दोलन या हड़ताल में भाग नहीं लेना चाहिए और वे स्वयं भी आन्दोलन में भाग लेने के संबंध में अपना उत्तर नहीं में देती है। अर्थात् इन अध्यापिकाओं की आन्दोलनों में भाग लेने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए वो आन्दोलन में भाग नहीं लेती है। जबकि राजनीति की अन्य गतिविधियों मतदान, सभामंच, गोष्ठियां, प्रचार करना, दलो के लिए वोट माँगना आदि विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी होती है। इसका ताप्पर्य है कि महिला अध्यापिकाओं में राजनीतिक चेतना एवं प्रभावकारिता महिलाओं को राजनीति में सहभागी बना रही है।

सारिणी संख्या 6.7

विद्यालयीय अध्यापिकाएं एवं महिलाओं के मताधिकार प्रयोग से सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार सम्बन्धी विचार											
क्र0	विद्यालय	सं0/प्र0	1000/-		3000/-		5000/-		8000 से अधिक		
			हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	योग
1.	इण्टरमीडिएट	सं0	3	12	2	10	9	23	6	35	100
		प्र0	3	12	2	10	9	23	6	35	
2.	हाईस्कूल	सं0	3	2	–	1	1	2	–	1	10
		प्र0	30	20	–	10	10	20	–	10	
3.	जू0हा0 स्कूल	सं0	20	56	–	8	8	4	16	28	140
		प्र0	14.2	40	–	5.7	5.7	2.8	11.4	20	
	योग	सं0	26	70	2	19	18	29	22	64	250
		प्र0	10.4	28	0.8	7.6	7.2	11.6	8.8	25.6	100

राजनीतिक समाजशास्त्र के उदभव से ही राजनीतिक समाजशास्त्रीयों की रुचि मतदान व्यवहार के अध्ययन मे रही है। अमेरिका एवं यूरोप के देशों में इस प्रकार के अध्ययन हो चुके है। मतदान कौन करता है, क्यों करता है जैसे अनेक विषयों की जानकारी अब तक प्राप्त की जा चुकी है। कुछ अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि मतदान के प्रभाव से अनेक सामाजिक, आर्थिक, परिवर्तन हुए। इस प्रकार मतदान की प्रभावकारिता व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित करती है, जो एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। भौतिक उपलब्धियों के इस युग में व्यक्ति आदान प्रदान की संस्कृति में विश्वास करता है अतः मतदान करने पर उसे क्या प्राप्त होगा इसे गम्भीरता से जानने को उत्सुक रहता है। इस दृष्टि से यहां विद्यालयीय अध्यापिका से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या मतदान से स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

प्रस्तुत सारिणी में समस्त विद्यालयीय अध्यापिका को आय के आधार पर चार भागो में विभाजित किया गया है प्रथम 1000/- तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिका द्वितीय 3000/- तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिका, तृतीय 5000/- तक आय प्राप्त करने

वाली अध्यापिका चतुर्थ 8000/- से अधिक तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं को शामिल किया गया है जब हम विद्यालयानुसार अध्यापिकाओं के मताधिकार प्रयोग से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी विचारों को जानने का प्रयास करते है। तो ज्ञात होता है कि इण्टरमीडिएट में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 100 है। जिसमे 1000 तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं में 3 (3%) अध्यापिका मताधिकार प्रयोग से सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी विचारों के संबंध में हां कहती है। जबकि 12 (12%) नहीं कह रही है। 3000/- तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं में 2 (2%) हां कहती है जबकि 10 (10%) नहीं कहती है। 5000/- तक की आय प्राप्त करने वाली 9 अध्यापिकाओं का कहना यह है कि महिलाओं के मताधिकार प्रयोग से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। जबकि 23 (23%) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि मताधिकार प्रयोग से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। 8000 तक या इससे भी अधिक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिका में 6 (6%) अध्यापिकाओं यह स्वीकार करती है। कि महिलाओं के मतदान प्रयोग से उनकी स्थिति में सुधार आया है जबकि 35 (35%) अध्यापिकाओं का मानना यह है कि मताधिकार प्रयोग से महिलाओं की स्थिति में कोई भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं हुए है।

इसी प्रकार हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं से जब उनके अधिकार मे आने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात होता है कि हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 10 है। जिनमें से ज्यादातर महिलायें नहीं के संबंध में अपने उत्तर देती है। 1000 तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं में 3 (30%) अध्यापिकायें महिलाओं के मताधिकार प्रयोग से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी विचारों के प्रति हां कहती है। जबकि 2 (20%) अध्यापिका उत्तरदात्रियों का कहना यह है कि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। 3000 तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिका उत्तरदात्री में कोई भी उत्तरदात्री मताधिकार प्रयोग से स्थिति में सुधार के

संवंध में हां नहीं कहती है। जबकि नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या 1 (10%) है। 5000/- तक की आय प्राप्त करने वाली 1 (10%) उत्तरदात्री का कहना है कि महिलाओं को वोटो के अधिकार का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा है जबकि 2 (20%) उत्तरदात्रियों का मानना यह है कि महिलाओं के वोटो का अधिकार मिल जाने से उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं आया है। 8000 तक की आय प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं में किसी भी अध्यापिका ने महिलाओं के मताधिकार प्रयोग से उनकी स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव के संवंध में हां में नहीं दिये जबकि नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या 1 (10%) है।

इसी प्रकार जू0हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 140 है। जिनम 1000 तक की आय पाने वाली 20 (14.2%) अध्यापिकायें यह मानती है कि महिलाओं के मताधिकार प्रयोग से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। जबकि 56 (40%) अध्यापिकाओं का मानना है कि मताधिकार प्रयोग से उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया है। 3000 तक आय प्राप्त करने वाली उत्तरदात्रियों ने हां के सम्बन्ध में अपने कोई भी विचार प्रस्तुत नहीं किये है। जबकि नहीं कहने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या 8 (5.7%) है। 5000 तक की आमदनी पाने वाली उत्तरदात्रियों में मताधिकार प्रयोग से महिलाओ की स्थिति में होने वाले सुधार के संवंध में 8 (5.7%) उत्तरदात्रियों ने हां के पक्ष में अपने उत्तर दिये जबकि 4 (2.8%) अध्यापिकाओं ने नहीं के पक्ष में अपने उत्तर दिये है। 8000 तक की आमदनी प्राप्त करने वाली अध्यापिकाओं में 16 (11.4%) अध्यापिकाओं ने स्वीकार किया कि महिलाओं के स्वयं के मतदान करने से महिलाओं के जीवन में कुछ सुधार हुआ है। जबकि 28 (20%) अध्यापिकायें इस बात को अस्वीकार करती है।

प्रस्तुत सारिणी के निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि समस्त बलिका विद्यालय (इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जू0हा0स्कूल) में कार्यरत 250 अध्यापिकाओं मे मताधिकार प्रयोग से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी दृष्टिकोण के पक्ष में हां कहने वाली अध्यापिकाओं में 1000 तक आय पाने वाली 26 (10.4%) 3000 तक आय पाने वाली 2 (0.8%), 5000

तक की आय पाने वाली 18 (7.2%), 8000 तक या इससे अधिक की आय पाने वाली 22 (8.8%) उत्तरदात्रियों है। जबकि नहीं या नकारात्मक जबाब देने वाली अध्यापिकाओं में 1000 की आय वाली 70 (28%), 3000 की आय प्राप्त करने वाली 19 (7.6%), 5000 तक की आय पाने वाली 29 (11.6%) और 8000 तक या इसे अधिक आय पाने वाली 64 (25.6%) अध्यापिकायें है। प्रस्तुत सारिणी में दिये गये समस्त विद्यालय के आकड़ो को देखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं के मताधिकार प्रयोग से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी प्रश्न में नकारात्मक जबाव देने वाली अर्थात् इससे उनकी स्थिति या जीवन में कोई सुधार न होने की बात को स्वीकार करती है।

सप्तम अध्याय

निष्कर्ष

अध्याय-सप्तम्

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन बांदा नगर की अध्यापिकाओं में राजनीतिक चेतना, अलगाव, प्रभावकारिता एवं सहभागिता का समाजशास्त्रीय अध्ययन छः अध्यायों मे विभाजित है। सार्वभौमीकरण के साथ-साथ कुछ स्थानीय स्तर की प्रक्रियाएं भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। स्थानीय विशेष की दशाएं वहां की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों को प्रभावित करती है। यहीं कारण है कि आज जहां सपूर्ण विश्व में वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण आदि प्रक्रियाओं के फलस्वरुप स्त्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर है। वहीं बांदा नगर की महिलाओं में पर्याप्त राजनीतिक चेतना की कमी है। अध्ययन की इकाई के रुप में नगर की अध्यापिकाओं को रखा गया। जिसमे उनकी आयु, शिक्षा, जाति, परिवार का स्वरुप आदि के आधार पर राजनीतिक चेतना, प्रभावकारिता, विरसन व सहभागिता स्तर का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अन्य क्षेत्रों की अध्यापिकाओ की तुलना में बांदा नगर की अध्यापिकाओं में जागरुकता का अभाव है परिणामस्वरुप उनमें राजनीतिक प्रभावकारिता कम या विरसन अधिक है।

प्रस्तावना खण्ड के अर्न्तगत राजनीतिकरण और महिला सशक्तिकरण के मध्य अर्तसंबंध स्पष्ट किया गया है वर्तमान में आधुनिकीकरण के एक उपांग के रुप में राजनीतिकरण एक सार्वभौमिक घटना बन चुकी है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश मे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास तेजी से हुआ है। फलस्वरुप राजनीतिकरण की प्रक्रिया में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी अत्यधिक संख्या मे जुड़ती जा रही है। वर्तमान समय में नारी आन्दोलनों के फलस्वरुप नारी की सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। आज स्त्री की परिभाषा एक जीव के रुप में न होकर मानव के रुप में होने लगी है। परिणामतः समाज के

निर्माण में उसकी भूमिका को स्वीकार किया जा रहा है। यह भूमिका राजनीति में भी पर्याप्त अपेक्षित है। समाजवादी, तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि होने के कारण आज वंचित, उपेक्षित महिलाओं के दृष्टिकोणों में अन्तर आया है। यह परिवर्तन आधुनिकता की देन है। शिक्षा के व्यापक प्रचार एवं प्रसार के कारण वे अपने अतीत को भलीभांति समझते हुए वर्तमान में अपनी प्रस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में महिलाओं का एक ऐसा वर्ग भी है जो राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। परन्तु पुरुषवादी मांसिकता के कारण मात्र चालीस, पचास महिलाएं ही संसद तक पहुंच पाती है। यह स्थिति दुःखद है। क्योंकि जब तक महिलाओं की प्रगति नहीं होगी समाज प्रगति कर ही नहीं सकता। यह निश्चित है कि भारत में जब तक महिलाओं को पंचायतों, विधानसभाओं और संसद में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब तक उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए न तो समुचित कानून बन पायेगे। और न ही उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो सकेगा।

आज प्रजातांत्रिक देशों में महिलाओं की राजनीतिक चेतना बढ़ रही है। अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर 1985 तक महिला उत्थान दशक में चेतना वृद्धि एंव स्वतंत्रता वृद्धि के अनेक प्रयास किए गये। जिसके परीणामस्वरुप देश एवं विदेश में स्त्रियों की स्थिति एवं सोच मे बदलाव आया है। दक्षिण एशिया की महिलाएं विश्व के किसी अन्य भाग की महिलाओं की तुलना में राजनीतिक दृष्टि से अधिक जागरुक है। उदाहरण के रुप में इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, बेगम खालिदा जिया तथा भंडारनायके आदि प्रमुख है जो कई बार सत्ता शीर्ष पर आसीन हुई। लेकिन सिर्फ कुछ महिलाओ का सत्ता शीर्ष पर पहुंचना ही समस्त महिला समाज के उत्थान का द्योतक नहीं है। ये सभी महिलाएं अभिजातवर्गीय रही है। जरुरत है कि आज सामान्य लोगों के बीच से निकलकर महिलाएं राजनीति में सक्रिय बने। तभी सच्चे अर्थो में लोकतंत्र आ पाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या में महिलाओं की 22 प्रतिशत राजनीति में भागीदारी यह सिद्ध करती है कि व्यवहारिक धरातल पर वे आज भी पुरुषों की तुलना में

बहुत पीछे है। लेकिन जब कभी भी और जहां कही भी उन्हे अवसर मिलता है वे सिद्ध कर देती है कि वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रशासक, अधिक कुशल राजनीतिज्ञ एंव दृढ़ता के साथ निर्णय लेने वाली है।

भारत में 2003 के अन्त में संपन्न हुए कुछ राज्यों के विधान सभा चुनाओं के परिणामों पर दृष्टि डाले तो तीन राज्यों के मुख्यमंत्री के रुप में महिलाओं का चुना जाना भारत और भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत है। परन्तु चुनकर आने वाली संख्या पर दृष्टि डालने पर महिला प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम दिखलाई पड़ता है जो नकारात्मक पक्ष है। पंचायतों में महिला आरक्षण के साथ-साथ विधान-सभा तथा संसद में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों के सांगठिनिक चुनावों मे भी महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दल अपने स्वार्थो के लिए तो महिला हितों की बात करते है परन्तु व्यवहारिक तौर पर वे महिलाओं को साथ लेकर चलने की मानसिकता नहीं बना पा रहे है। अन्यथा महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने मे इतनी अड़चने न आती। आज महिला सशक्तिकरण का नारा जोरो पर है। लेकिन यह सर्वमान्य तथ्य है कि महिला सदियों से भेदभाव और शोषण सहते-सहते निःशक्त हो गई है। उसकी योग्यता को दबाकर उसे चूल्हे चौके मे धकेलने वाले पुरुष प्रधान समाज ने प्रत्येक क्षेत्र मे उसका एक साधन (वस्तु) के रुप में उपभोग किया है। पुरुष प्रधान सरकारों ने भी महिला विकास का झुनझुना ही बजाया है ना कि ईमानदारी से उस पर क्रियान्वयन किया। आज यदि महिला को सशक्त होना है तो यह आवश्यक है कि वे पुरुषों द्वारा बनाए दायरों से निकलकर आवें तथा प्रत्येक स्तर पर अपने को सिद्ध करें। समाज की एक आत्मनिर्भर इकाई के रुप मे अपनी पहचान बनाएं। राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की डगर बनाता है। इस रुप में यह आवश्यक है कि महिलाएं राजनीति में अधिक से अधिक सहभागी बने। यह सहभागिता स्तर मतदान से लेकर सत्ता शीर्ष तक होना चाहिए। क्योंकि शासन मे भागीदारी से महिलाएं स्वयं के लिए कानूनों का निर्माण एंव क्रियान्वयन ज्यादा अच्छी तरह से कर

सकती है। विरसन की अपेक्षा राजनीतिक प्रभावकारिता की भावना को पनपाना होगा। यह वह भावना है जिससे कि महिलाओं को भी यह एहसास होना चाहिए कि वे भी राष्ट्र निर्माण में कोई भूमिका निभा सकती है। यह भावना सभी वर्गों, जातियों एवं समूहों की महिलाओं में उपजनी चाहिए तभी सच्चे अर्थो मे भारत में लोकतंत्र स्थापित होगा एवं महिला सशक्त बन पायेगी।

प्रस्तुत अध्ययन का द्वितीय अध्याय पद्वतिशास्त्र है। जिसे दो खण्डो में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम खण्ड में अध्ययन में प्रयुक्त अध्ययन पद्वतियों तथा द्वितीय खण्ड में अध्ययन के उत्तरदाताओं के संबंध में सामान्य जानकरियों का विवरण दिया गया है।

भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद बांदा से सम्बन्धित है। अध्ययन को बांदा जनपद में बांदा नगर पालिका क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली समस्त शिक्षण संस्थाओं में जू०हा० स्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज में कार्यरत अध्यापिकाओं तक सीमित किया गया। बांदा जिले के 3 इण्टरमीडिएट, 01 हाईस्कूल तथा 33 जूनियर हाईस्कूल शिक्षा संस्थान न्यादर्श के रुप में लिये गये। इनमें कार्यरत अध्यापिकाओं की संख्या 250 है जिनमें इण्टरमीडिएट में कार्यरत 100, हाईस्कूल मे 10 तथा जू०हाई स्कूल में 140 अध्यापिकाएं कार्यरत है। जनगणना पद्वति के आधार पर समग्र का चुनाव अध्ययन हेतु किया गया। अध्ययन लक्ष्य विहीन न हो इसके लिए कुछ सामान्य उद्देश्य निर्मित किए गये जिनके आधार पर कुछ सामान्य उपकल्पनाएं भी तैयार की गई। उपकल्पनाओं के सत्यापन हेतु तथ्यों का एकत्रीकरण अर्द्ध सहभागी निरीक्षण विधि द्वारा किया गया। सूचनाओं का संकलन व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार अनुसूची द्वारा किया गया। द्वैतीयक स्रोतो के रुप मे रिकार्ड, पुस्तके, विशिष्ट कमेटियों की रिपोर्ट, समाचार पत्र व पत्रिकाओं मे प्रकाशित सूचनाओं आदि को रखा गया। अध्ययन से प्राप्त आंकड़ो का सांख्यिकीय निर्वचन कर अर्न्तसम्बान्धात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

पद्वतिशास्त्र के खण्ड दो में प्रस्तुत सामान्य जानकारियों से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये।

- 41.2 प्रतिशत अध्यापिकाएं 20-30 आयु वर्ग की, 18.4 प्रतिशत अध्यापिकाए 30-40, 19.2 प्रतिशत अध्यापिकाएं 40-50 तथा 21.2 प्रतिशत अध्यापिकाएं 50-60 आयु वर्ग की है।
- 67.2 प्रतिशत अध्यापिकाएं सामान्य जाति की है, 11.6 प्रतिशत अध्यापिकाएं पिछड़ी जाति की तथा शेष 21.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति की है।
- 8 प्रतिशत अध्यापिकाएं मात्र हाईस्कूल तक शिक्षित है, 9.6 प्रतिशत इण्टरमीडिएट तक, 36.8 प्रतिशत स्नातक स्तर तक, 41.2 प्रतिशत परास्नातक स्तर तक 2.4 प्रतिशत तकनीकि योग्यता रखती है तथा मात्र 2 प्रतिशत पी-एच०डी० उपाधि प्राप्त है।
- 27.6 प्रतिशत अध्यापिकाओं के परिवार की सदस्य संख्या 1 से 4 सदस्य तक है, 35.6 प्रतिशत अध्यापिकाओं के परिवार की सदस्य संख्या 6 सदस्य तक है तथा शेष 36.6 प्रतिशत अध्यापिकाओं के परिवार की सदस्य संख्या 6 से अधिक है।
- 58.4 प्रतिशत अध्यापिकाएं अपनी आय को अपने परिवार के लिए पर्याप्त मानती है। जबकि 41.6 प्रतिशत अपने परिवार हेतु अपनी आय को अपर्याप्त पाती हैं।
- 72 प्रतिशत अध्यापिकाएं रोज अखबार पढ़ती है जबकि शेष 28 प्रतिशत अध्यापिकाएं रोज अखबार नहीं पढ़ती है।
- 57.2 प्रतिशत अध्यापिकाएं विवाहित है, 39.2 प्रतिशत अध्यापिकाएं अविवाहित है, 0.4 प्रतिशत परित्यक्ता है जबकि 3.2 प्रतिशत अध्यापिकाएं विधवा है।
- 59.2 प्रतिशत अध्यापिकाएं संयुक्त परिवार में रहती है जबकि 40.8 प्रतिशत अध्यापिकाएं एकाकी परिवार से है।
- 1000 रुपये तक मासिक आय वाली अध्यापिकाएं 38.4 प्रतिशत है, 8.4 प्रतिशत अध्यापिकाए 3000 रुपये तक मासिक आय प्राप्त कारती है। 18.8 प्रतिशत, 5000 रुपये मासिक आय प्राप्त करती है जबकि 34.4 प्रतिशत अध्यापिकाएं 8000 या

इससे अधिक मासिक आय पाती है।

- 78.4 प्रतिशत अध्यापिकाएं टी0वी0 देखती है जबकि 21.6 प्रतिशत अध्यापिकाएं टी0वी0 नहीं देखती है।

तृतीय अध्याय में अध्यापिकाओं की राजनीतिक चेतना से सबंधित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक परिवेश का राजनीतिक चेतना पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। चेतना की वृद्धि में शिक्षा, संचार एवं ऐच्छिक प्रयासों का विशेष महत्व होता है। विभिन्न संगठनों के संपर्क एवं प्रयासों से समाज की सर्वाधिक उपेक्षित घटक अर्थात् महिलाओं में क्रमशः सामाजिक चेतना बढ़ती जा रही है। सामाजिक स्थितियों एवं समाज में होने वाले परिर्वतनों को समझने मे वे सक्षम होती जा रही है। अध्यापिकाएं अब अपने परिवेश मे होने वाले राजनीतिक बदलाव से भी परिचित होती जा रही है। वर्ग चेतना भी राजनीतिक चेतना को विकसित करने में सहायक होती है। भारत में राजनीतिक चेतना सभी वर्गो एवं जातियों मे एक समान नहीं है। इस दृष्टि से अध्यापिकाओं मे आम महिलाओं की अपेक्षा अधिक राजनीतिक चेतना होती है क्योंकि वे शिक्षा के व्यवसाय से संबद्ध होती है और शिक्षा व्यक्ति की तार्किकता में वृद्धि करती है। पर साथ ही कुछ क्षेत्रीय या स्थानीय कारक भी चेतना वृद्धि को प्रभावित कर रहे है। इस दृष्टि से बांदा जनपद की अध्यापिकाओं मे अन्य क्षेत्रो की अध यापिकाओ की अपेक्षा कम राजनीतिक चेतना पाई जाती है।

किसी समूह या समुदाय में रहने वाले व्यक्ति की चेतना जब राजनीतिक संस्कृति एवं व्यवस्था के सन्दर्भ में अपना रुप ग्रहण करती है तब इसे राजनीतिक चेतना कहते है। यद्यपि सामान्य जानकारी एवं राजनीतिक चेतना में अन्तर है किन्तु दोनो एक दूसरे से संबद्ध भी है। भारत मे जाति व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का आधार रही है। वर्गीय चेतना की भांति भारत में जातीय चेतना भी बहुत कुछ राजनीतिक चेतना से अर्न्त संबंधी है। हालांकि महिलाओं की स्थिति प्रत्येक जाति में प्रायः एम समान निम्न स्तरीय है। महिलाओं का प्रत्येक सामाजिक पद सोपान मे क्रियाशील होने के बाद भी आज महिलाओं के

साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव पूर्ण प्रवृति पाई जाती रही है। भारत मे यदि महिलाओं में राजनीतिक चेतना देखी जाय तो खासकर ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में यह लगभग शून्य ही है। यहां राजनीतिक चेतना एवं राजनीतिक सहभागिता में अंतर करने की आवश्यकता है। किसी क्षेत्र विशेष या समुदाय विशेष में सहभागिता अधिक हो सकती हैं परन्तु चेतना कम हो सकती है या फिर किसी वर्ग विशेष की महिलाओं में चेतना अधिक हो सकती है जबकि सहभागिता कम होती है। जैसे सवर्ण या शिक्षित महिलाओं में राजनीतिक चेतना अधिक पाई जाती है जबकि राजनीतिक सहभागिता की मात्रा कम होती हैं किंतु अनुसूचित जाति की महिलाओं में सहभागिता अधिक होती है जबकि राजनीतिक चेतना की उनमें कमी होती है।

बांदा नगर की अध्यापिकाओं मे राजनीतिक चेतना की मात्रा जानने के लिए उनसे राजनीतिक सक्रियता, आरक्षण, मताधिकार, पिछड़ेपन के संबंध में, दहेज निरोधक कानून की उपयोगिता आदि के संबंध में विचार जाने गए। प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये।

- जब अध्यापिकाओं से महिलाओं के राजनीति में सक्रिय होकर चुनाव लड़ने के कारणों के बारे में विचार जाने गए तो पाया गया कि 7.2% अध्यापिकाओं का मानना था कि महिलाएं राजनैतिक लाभ के लिए चुनाव लड़ती है। 6% का मानना था कि अधिक धन कमाने हेतु, 18% का मानना था कि सम्मान प्राप्ति हेतु 44.40% का मानना था कि महिलाओ के उत्थान हेतु, 7.2% का मानना था कि सेवा में सुरक्षा हेतु, 5.6% का मानना था कि सामाजिक लाभ के लिए जबकि 11.6% का मानना था कि महिलाएं अन्य किसी कारण से चुनाव लड़ती है। (सारिणी संख्या 3.3)
- जब अध्यापिकाओं से मताधिकार प्रयोग से स्त्रियों में जागरुकता संबंधी विचार जाने गए है तो पाया गया कि सामान्य जाति की 91.66% अध्यापिकाएं मानती है कि मताधिकार के प्रयोग से स्त्रियों में जागरुकता बढ़ी है। जबकि 8.33% का मानना है

कि जागरुकता नहीं बढ़ी है इसी प्रकार 72.4% पिछड़ी जाति की तथा 73.58% अनुसूचित जाति की अध्यापिकाओ का मानना है कि मताधिकार के प्रयोग से जागरुकता में वृद्धि हुई है। शेष का मानना है कि मताधिकार के प्रयोग से कोई वृद्धि नहीं हुई है। (सारिणी संख्या 3.4)

- सारिणी सं० 3.5 मे अध्यापिका महिलाओं से राजनीति मे पृथक से आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं इस संदर्भ में विचार जाने गए है। 20-30 आयु वर्ग की 93.2% अध्यापिकाओं ने कहा कि महिलाओ को राजनीति में पृथक से आरक्षण मिलना चाहिए जबकि शेष 6.79% का कहना था कि नहीं मिलना चाहिए। इसी प्रकार 30-40 आयु वर्ग की 91.3%, 40-50 आयु वर्ग की 81.25%, 50-60 आयु वर्ग की 64.15% अध्यापिकाओं का कहना था कि महिलाओं को राजनीति मे पृथक आरक्षण दिया जाना चाहिए जबकि शेष इसके विपक्ष में थी।
- जब अध्यापिकाओ से उनकी जाति के आधार पर महिलाओं के सहयोग से सरकार के गठन संबंधी विचार को जाना गया तो पाया गया कि 61.90% सामान्य जाति की अध्यापिकाओ का मत था कि महिलाओं के सहयोग से सरकार का गठन होना चाहिए जबकि 38% का मत था कि महिलाओं के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार 54.54% पिछड़ी जाति तथा 46.66% अनुसूचित जाति की अध्यापिकाओं का मत है कि महिलाओं के सहयोग से ही सरकार का गठन हो। शेष का मानना है कि महिलाओं की सरकार के गठन में कोई भूमिका जरुरी नहीं है (सारिणी संख्या 3.6)
- सारिणी संख्या 3.7 मे यह दर्शाया गया है कि राजनीति में जाने से उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया होगी। मात्र 29.76% सामान्य जाति की अध्यापिकाओं के परिवार वालो की सकारात्मक तथा शेष 70.2% की नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी यदि वे राजनीति में भाग लेना चाहे। इसी प्रकार 72.72% पिछड़ी जाति तथा 40% अनुसूचित जाति की अध्यापिकाओं के परिवार वालों की सकारात्माक प्रतिक्रिया है।

- अध्यापिकाओं से जब उनकी किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता संबंधी जानकारी ली गई तो पाया गया कि 20-30 आयु वर्ग की कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं है जबकि 30-40 आयु वर्ग की 10.86% 40-50 आयु वर्ग की 6.38% 50-60 आयु वर्ग की 3.70% अध्याकिाएं ही किसी राजनीतिक दल की सदस्य है। (सारिणी संख्या 3.8)

चतुर्थ अध्याय राजनीतिक विरसन से संबन्धित है। साधारण अर्थो में विरसन, अलगाव की एक स्थिति है जिसमे व्यक्ति अपने आप को परदेशी समझने लगता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने क्रियाकलापों से विरत होने लगता है, उसमें निराशा के भाव पनपने लगते है इसके मूल में उपेक्षा होती है। इस शब्द का प्रयोग व्यक्ति की उन मानसिक दशाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसमें वह अपने आपको एकाकी समझने लगता है तथा अपने एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति अलगाव अनुभव करता है। समकालीन साहित्य में इस शब्द का प्रयोग चिन्ताग्रस्त या असन्तुलित मनोदशाओं व प्रवृत्तियों के लिए किया जाता है जो व्यक्ति को समय से, पर्यावरण से, यहां तक कि स्वयं अपने से उदासीन बना देती है विरसन युक्त व्यक्ति एकल, बेसहारा एवं असुरक्षित अनुभव करने लगता है तथा सामाजिक संबंधो के जाल से अपने आपको अलग रखने का प्रयास करता है।

राजनीतिक विरसन व्यक्ति की राजनीति के प्रति उदासीनता अथवा राजनीतिक सहभागिता से ह्रास है या दूसरे शब्दो में राजनीतिक विरसन की स्थिति तब पैदा होती है जब राजनीतिक प्रभावकारिता की मात्रा अत्यन्त कम हो जाती है। इसमें व्यक्ति के अन्दर राजनीति के प्रति उदासीनता या विकर्षण उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति इस स्थिति में राजनीतिक क्रियाकलापों में कोई रुचि नहीं दिखलाता। जनमत, मतदान, मत संग्रह, राजनीतिक समाजीकरण, उग्रवादी राजनीति तथा दलीय अन्तर्भावना जैसे विविध पहुलुओं से समान्यतः हमे पता चलता है कि सभी प्रकार की राजनीतिक मनोवृत्तियों एवं व्यवहार, राजनीतिक विरसन द्वारा प्रभावित होते हैं।

भारत जैसे देश में आज सभी उपलब्धियां प्रायः राजनीतिक संबंध के आधार पर प्राप्त करने की चेष्टा हो रही है। ऐसी स्थिति मे जहां एक ओर राजनीतिक चेतना एवं सहभागिता में वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी ओर उपलब्धि के अभाव में व्यक्ति राजनीतिक विरसन का भी शिकार हो रहा है। यह स्थिति वर्तमान में सभी वर्गो की है। इससे अध्यापक एवं अध्यापिकाएं भी अछूती नहीं है। अध्ययन से अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन से संबंधित जो तथ्य प्राप्त हुए उनका विवरण निम्न है।

- जब अध्यापिकाओं से उनकी शिक्षा के आधार पर विद्यालयों में उनकी उदासीनता संबंधी जानकारी प्राप्त की गई तो हाईस्कूल स्तर तक शिक्षत अध्यापिकाओं में 60%, इण्टर तक शिक्षित में 83.33%, स्नातक स्तर तक की 66.30%, परास्नातक की हुई, 70.83%, तकनीकी क्षेत्र की 83.33% तथा पी0एच0डी0 की हुई 60% अध्यापिकाएं उदासीन रहती है। (सारिणी संख्या 4.1)
- जब अध्यापिकाओं से राजनीति में सक्रिय अध्यापिकाओं के कारण बच्चो की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को उनकी आयु के आधार पर जाना गया तो पाया गया कि 74.75%, 20-30 आयु वर्ग की अध्यापिकाओं का मानना है कि राजनीतिक महिलाओं के कारण बच्चों की शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ता है जबकि शेष 25.24% का मानना है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार 30-40 आयु वर्ग की 63%, 40-50 आयु वर्ग की 83.33% तथा 50-60 आयु वर्ग की 58.49% अध्यापिकाओ का मानना है कि इससे बच्चो पर बुरा प्रभाव पड़ता है। (सारिणी सं0 4.2)
- जब अध्यापिकाओ की जाति के आधार पर यह पूछा गया कि क्या राजनीतिक दल किसी को वांछित लाभ दिला सकते है या नहीं तो उत्तर के रुप मे पाया गया कि सामान्य वर्ग की 47% अध्यापिकाओं ने माना कि राजनीतिक दल वांछित लाभ दिला सकते है। जबकि 53% का मानना था कि नहीं दिला सकते है।

इसी प्रकार पिछ़डा वर्ग की 44% का मानना था कि दिला सकते है तथा 56% का मानना था कि नहीं दिला सकते है। अनु० जाति की 62% अध्यापिकायें भी में मानती है कि राजनीतिक दल वांछित लाभ दिला सकते है। (सारिणी संख्या 4.3)

- क्या राजनीतिक गतिविधियां विद्यालयी अध्यापिकाओं को प्रभावित करती है इस प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तर प्राप्त हुआ कि सामान्य वर्ग की 42.26% पिछड़ी जाति की 13.79% तथा अनु० जाति की 32.5% अध्यापिकाओं का कहना है कि उन्हे राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित नहीं करती। (सारिणी संख्या 4.4)

- जब अध्यापिकाओं से यह जाना गया कि क्या नेताओं की कथनी और करनी में अन्तर होता है तो इसके जवाब से सभी आयु वर्ग की सभी अध्यापिकाओं का यह मानना था कि नेताओं की कथनी और करनी में अन्तर होता है। (सारिणी संख्या 4.5)

- स्त्री हिंसा से महिलाओं में विक्षोभ या अलगाव संबंधी विचार जब अध्यापिकाओं की शिक्षा के आधार पर जाने गए तो मालूम हुआ कि 60% हाईस्कूल तक शिक्षित, 50% इण्टर स्तर तक शिक्षित, 85.86% स्नातक शिक्षित, 73.78% परास्नातक पास, 66.66% तकनीकि शिक्षा ग्रहण की हुई तथा 60% पी०एच०डी० की हुई अध्यापिकाओं का मानना था कि स्त्री हिंसा से उनमें अलगाव या विक्षोभ उत्पन्न होता है। (सारिणी संख्या 4.6)

- जब अध्यापिकाओं से पूछा गया कि क्या राजनैतिक नेता अध्यापक का पद दिला सकते है। 40.8% अध्यापिकाओं का कहना था कि दिला सकते जबकि 59.2% अध्यापिकाओं का कहना था कि नहीं दिला सकते है। (सारिणी संख्या 4.7)

- इसी प्रकार जब अध्यापिकाओं से राजनीतिक दलो से संबद्ध अध्यापिकाओं से प्रबंधतंत्र एवं प्रधानाचार्य के प्रभवित होने के संबंध में विचार जाने गए तो 49.2%

अध्यापिकाओं का मानना था कि इनसे प्रबंधतंत्र एवं प्रधानाचार्य प्रभावित होते है। जबकि 50.8% का मानना था कि नहीं प्रभावित होते है।

पांचवा अध्याय राजनीतिक प्रभाविता या प्रभावकारिता से संबंधित है। राजनीतिक प्रभाविता की भावना नागरिकों की वह अनुभूति है जिसमें व्यक्ति राजनीतिक कार्य एवं राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह अनुभूति इस तरह कार्य करती है कि राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन सम्भव है। तथा व्यक्ति इस परिवर्तन को लाने में भूमिका निभा सकता है। कई बार इसे नागरिक दायित्व भी कहा जाता है। नागरिक दायित्व से अभिप्राय व्यक्तियों की वह अनुभूति है कि उन्हे नागरिक होने के नाते राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेना चाहिए भले ही ऐसा करना लाभप्रद या प्रभावकारी हो अथवा न हो। नागरिक दायित्व राजनीतिक क्रियाओं को प्रेरणा देता है। परन्तु यह जरुरी नहीं कि इससे उसके कार्यो की प्रभाविता की अनुभूति भी विकसित हो। राजनीतिक प्रभाविता भावना व्यक्तिगत प्रभाविता क्षेत्र में बिस्तार है फिर भी दोनो एक नहीं है। व्यक्तिगत प्रभाविता भावना व्यक्ति की अपनी योग्यता के बारे में यह विश्वास या अनुभूति है कि वह जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रभाविता भावना उच्च है तो उसमे राजनीतिक प्रभाविता भावना भी अधिक होती है। इस प्रकार राजनीतिक प्रभाविता गैर राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाविता का परिणाम हो सकती है।

इस प्रकार राजनीतिक प्रभाविता भावना से अभिप्राय व्यक्ति की अनुभूति है जिसके द्वारा व्यक्ति यह विश्वास करता है। कि वह स्वयं या अन्य लोगो की सहायता से राजनीतिक नेताओं के व्यवहारों को इष्ट दिशा में प्रेरित कर सकता है। इसका प्रयोग राजनीतिक घटनाओं एवं मामलों के सन्दर्भ में नागरिक के कार्यो के परिणाम के प्रति उसकी अनुभूति के लिए किया जाता है।

आज का युग बदल रहा है। समय परिवर्तित हो रहा है। परिस्थितियां बदल रही है। पाश्चात्य संस्कृति, अपने कदम जोरो से आगे बढ़ा रही है। वह अपना प्रभाव सम्पूर्ण मानव

जाति पर छोड़ रही है। इससे महिलायें भी प्रभावित हो रही है। उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। खान-पान, रहन-सहन से लेकर पूरी दिनचर्या ही बदल रही है। इसी तरह आधुनिक शिक्षा पद्वति एवं संचार के नवीन साधनों ने महिलाओं के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए है। आज शिक्षा एवं संचार के परिणामस्वरुप ही महिलाओं में राजनीतिक प्रभाविता की भावना बढ़ी है। आज वे राजनीतिक कार्यो मे रुचि ले रही है। इस भावना से अध्यापिकाएं भी अछूती नहीं है। बांदा नगर में अनेक अध्यापिकाएं राजनीतिक दलों की सक्रिय सदस्य है तथा कई महत्वपूर्ण चुनाव भी लड़ रही है। राजनीतिक गतिविधियों के प्रति सचेत होते हुए सक्रिय हो रही है। पांचवे अध्याय में साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राप्त तथ्यों से यही जानने का प्रयास किया गया है। नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण जैसी प्रक्रियाओं में राजनीति का बढ़ता प्रभाव उन्हे ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर जिन अध्यापिकाओं के सम्पर्क एवं प्रभाव राजनीतिक दलों से नहीं है वहां वे उदासीन दिखाई पड़ती है किन्तु वे भी राजनीतिक प्रभाविता के महत्व को जानती है अध्ययन से प्राप्त ऐसे ही तथ्य निम्न है :-

- 37.2% सबसे अधिक अध्यापिकायें राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार प्रसार से प्रभावित होती है इसके बाद मीडिया, सामाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से 30.4%, रेडियो एवं टी0वी0 से प्रभावित होने वाली अध्यापिकाओं का प्रतिशत 24.4 है जबकि सामाजिक संस्थाओ एवं संगठनों द्वारा 8% महिला अध्यापिकाएं प्रभावित होती है। (सारिणी संख्या 5.1)
- जब अध्यापिकाओं से बांदा नगर पालिका की अध्यक्ष महिला चुने जाने से मिली प्रेरणा के बारे में पूछा गया तो पाया गया कि 30.4% का मानना है कि इससे सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलती है। जबकि सर्वाधिक 46% का मानना है कि महिला अध्यक्ष चुने जाने से उन्हे कोई प्रेरणा नहीं मिली। लेकिन 8.4% महिला अध्यक्षा की तरह अध्यक्षा बनना चाहेगी जबकि 15.2% राजनीतिक दलों की सदस्या बनना चाहेगी। (सारिणी संख्या 5.2)

- जब अध्यापिकाओं से राजनीतिक दलों से संपर्क बढ़ाने के कारणों के बारे में पूछा गया तो 37.2% अध्यापिकाओ ने इसका कारण भावी समस्याएं बताया, 22.4% सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से संपर्क बढ़ाना चाहती है, 15.6% प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, 17.6% धन कमाने हेतु, जबकि 7.2% किन्ही अन्य कारणों से राजनीतिक दलों से संपर्क बढ़ाना चाहती है। (सारिणी संख्या 5.3)
- जब अध्यापिकाओं से यह जानना चाहा गया कि महिलाओ को समाज में आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है ? इसके उत्तर में 46% अध्यापिकाओं का कहना था कि समाज मे जागरुकता लाकर उन्हे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार 43.6% का मत था कि महिलाओं को शिक्षित करके उनकी दशा सुधारी जा सकती है। मात्र 5.2% का मानना था कि राजनीति में प्रवेश दिलाना चाहिए। 2.4% का मत था कि अधिक धन कमाकर वे आगे बढ़ सकती है। 1.6% अध्यापिकाएं हड़ताल के पक्ष में रही जबकि 2.2% का सुझाव था कि अन्य तरीको से उनकी स्थिति अच्छी बनाई जा सकती है। (सारिणी संख्या 5.4)
- जब अध्यापिकाओं से विभिन्न राजनैतिक दलों, संगठनों व संस्थाओ में महिलाओं की बढ़ रही संख्या संबंधी विचार जाने गए तो पाया गया कि 39.6% का मानना था कि ऐसा जागरुकता बढ़ने के कारण हुआ 43.6% का कहना था कि संख्या बढ़ने के पीछे महिलाओं का अपने अधिकार पाने की चाह का कारण था, 5.2% के अनुसार ऐसा स्वाभिमान की भावना बढ़ने के कारण हुआ 11.2% का मत था कि संख्या बढ़ने का करण पुरुषों के बराबर आने की चाह है जबकि 0.4% का मानना था कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है (सारिणी संख्या 5.5)
- जब अध्यापिकाओं से उनकी शिक्षा के आधार पर यह जाना गया कि क्या वे राजनीति में सक्रिय होना चाहेगी ? इसके जवाब में हाईस्कूल स्तर तथा इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित सभी अध्यापिकाओं ने हां में उत्तर दिया, जबकि स्नातक स्तर तक

शिक्षित अध्यापिकाओं मे से 90.2% ने हां में, परास्नातक स्तर तक शिक्षित में 83% तकनीकी शिक्षा ग्रहण की हुई 33.33% तथा पी0एच0डी0 की हुई 87.5% अध्यापिकाओ ने हां में तथा शेष ने नहीं में उत्तर दिया (सारिणी संख्या 5.6)

- इसी प्रकार 80% अध्यापिकाएं मानती है कि राजनैतिक दल उनकी समस्याओं के समाधान में कोई भूमिका नहीं निभा सकते जबकि 20% का मानना है कि निभा सकते है। (सारिणी संख्या 5.7)
- महिलायें राजनीति मे पुरुषों से कितनी शाक्तिशली है ? इस प्रश्न के जवाव में 22% अध्यापिकाएं महिलाओं को पुरुषें के बराबर ताकतवर मानती है। 14.8% बहुत कुछ ताकतवार मानती है, 45.2% सामान्य मानती है। जबकि 18% का मानना है कि महिलाओं की ताकत पुरुषों की तुलना में कुछ भी नहीं है। (सारिणी संख्या 5.8)
- अध्ययन के दौरान यह आश्चर्य जनक तथ्य निकलकर आया है कि अधिकांश (90.4%) अध्यापिकाओ का मानना है कि महिलायें राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। (सारिणी संख्या 5.9)

षष्ठम अध्याय - राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित है। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु है। राजनीतिक सहभागिता, चेतना एवं अलगाव परस्पर अर्न्तसम्बन्धित है। राजनीतिक सहभागिता प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य संघटक है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं लोकतंत्र लोगों का शासन है। राजनीतिक सहभागिता लोगों की राजनीतिक क्रियाओं में सहभागिता या भागीदारी है। ये वे स्वैच्छिक क्रियाए है जिनके द्वारा समाज के सदस्य शासनकों के चयन एवं रणनीतियों के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते है। इसके अन्तर्गत राजनीतिक बातचीत से लेकर हिंसक प्रदर्शन तक शामिल है। यह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं में भी पाई जाती है। केवल मात्रा का अंतर होता है। सदैव इसकी मात्रा उच्च हो सकती हो यह कतई आवश्यक नहीं है।

राजनीतिक सहभागिता को कई विद्वानों ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया। प्रमुखतः इसे 3 वर्गो में बांटा गया है। राजनीतिक वाद-विवाद, मत देना आदि जिसको व्यक्ति एक दर्शक की भांति होता है, दर्शक गतिविधियों के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार दलों को चंदा देना, राजनीतिक नेताओं से सम्पर्क स्थापित करना आदि संक्रमणीय गतिविधियों से सम्बन्धित है। जबकि संचालक पूर्ण रूप से सक्रिय क्रियाओं के अन्तर्गत पार्टी का सक्रिय सदस्य बनना चुनाव लड़ना आदि क्रियाये आती है। शिक्षक चूंकि समाज की बुद्धिजीवी वर्ग है। परन्तु पेशें की प्रकृति के कारण अधिकांश शिक्षकों में राजनीतिक सहभागिता की निम्न मात्रा पाई जाती है। विशेषकर महिला शिक्षकों में परन्तु आज जैसा कि पिछले अध्यायों से स्पष्ट है अध्यापिकाओं में राजनीतिक प्रभावकारिता की भावना बढ़ी है। फलतः इससे सहभागिता स्तर भी बढ़ा है।

बाँदा जनपद चूंकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सर्वाधिक पिछड़ा जनपद है इसलिए यहां कि अध्यापिकाओं में राजनीतिक सहभागिता की निम्न मात्रा ही पाई जाती है। परन्तु पिछली सारिणयों से स्पष्ट है कि यहां की अध्यापिकाओं में राजनीतिक चेतना बढ़ी है। प्रस्तुत है राजनीतिक सहभागिता से सम्वन्धित तथ्य -

- जब विद्यालयीय अध्यापिकाओं से उनकी जाति के आधार पर राजनीतिक सभाओं से सम्मिलित होने सम्वन्धी विचार जाने गए तो पाया गया कि 53.2% अध्यापिकाए जो सामान्य जाति की है, 14% पिछड़ी जाति की तथा 11.2% अनु0जाति की है, सभाओं में सम्मिलित नहीं होती है। (सारिणी सं0 6.1)
- 5.7% अध्यापिकाए नेता बनने के लिए 23.7% देशसेवा के लिए 8.5% प्रतिष्ठा पाने के लिए 31.4% सहयोग देने के लिए जबकि 28.5% बिना उद्देश्य के राज0 सभाओं में सम्मिलित होती है। (सारणी सं0 6.2)
- 10% अध्यापिका प्रचार करके राज0 दलों का सहयोग करती है, 3.6% चन्दा देकर,

54% वोट देकर 0.8% बैठकों में भाग लेकर 9.2% समर्थन जुटाकर तथा 22.4% कोई सहयोग नहीं देती है। (सारणी सं० 6.3)

- 24% अध्यापिकाएं किसी न किसी राजनीतिक दल से संबद्ध है शेष 76% राज० दलों से संबद्ध नहीं है। (सारणी संख्या 6.4)
- इसी प्रकार 39.6% अध्यापिकाएं विभिन्न राज० गतिविधियों में भाग लेती है। शेष भाग नहीं लेती है। (सारणी संख्या 6.5)
- आन्दोलन या हड़ताल में मात्र 21.2% अध्यापिकाए ही भाग लेती है। (सारणी सं० 6.6)
- अधिकांश अध्यापिकाओं का मानना है कि केवल मातधिकार के प्रयोग से महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है। (सारणी संख्या 6.7)

उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर बनाई गई उपकल्पनाओं की सत्यता का परीक्षण किया जा सकता है।

- सारिणी संख्या 3.5, सारिणी संख्या 3.8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयु का प्रभाव अध्यापिकाओ की राजनीतिक चेतना पर पड़ता है। अतः प्रथम उपकल्पना पुष्ट होती है।
- सारिणी संख्या 3.4, सारिणी संख्या 3.6 पर दृष्टिपात करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जाति का प्रभाव अध्यापिकाओ की राजनीतिक चेतना एवं सहभागिता पर पड़ता है अतः दूसरी उपकल्पना पुष्ट होती है।
- सारिणी संख्या 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 एवं सारिणी संख्या 2.9 के आधार पर, राजनीतिक चेतना, विरसन एवं प्रभावकारिता से संबंधित सारिणियों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अध्यापिकाओं की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्वरुप एवं व्यवसायों का प्रभाव अध्यापिकाओं के राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर पड़ता है।

- सारिणी संख्या 5.1 चतुर्थ उपकल्पना से संबंधित है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यातायात, संचार एवं सम्पर्क का प्रभाव अध्यापिकाओं की राजनीतिक चेतना, प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर पड़ता है।
- सारिणी संख्या 4.1 एवं 4.8 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विभिन्न राजनीतिक दलो से सम्पर्क का अभाव अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन उत्पन्न करता है।
- सारिणी संख्या 4.3, 4.4 षष्ठ उपकल्पना को पृष्ट करती हैं कि पारिवारिक एवं सामाजिक स्थितियां अध्यापिकाओं के विरसन एवं प्रभावकारिता को प्रभावित करती है।
- सारिणी संख्या 4.1, 4.6, 5.6 पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट है कि अध्यापिकाओं में विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता शैक्षिक स्तर से प्रभावित होती है अतः अध्ययन की सप्तम उपकल्पना पृष्ट होती है।
- सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि अस्थायी अध्यापिकाओं की अपेक्षा स्थायी अध्यापिकाओं में राजनीतिक प्रभावकारिता अधिक एवं विरसन कम होता है। अतः अध्ययन की अंतिम उपकल्पना कि अध्यापिकाओं की नौकरी के स्थायी एवं अस्थायी होने के प्रभाव उनके विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता पर पड़ता है, सत्यापित होती है।

परिशिष्ट

"विद्यालयीय अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता का समाजशास्त्रीय अध्ययन"

'समाजशास्त्र'

(गोपनीय)

शोध निर्देशक
डॉ० जे०पी० नाग
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
पं०जे०एन० कालेज बांदा

गवेषिका
प्रतिभा द्विवेदी

1.	नाम	:	कुमारी/श्रीमती...........................
2.	आयु वर्ग	:	1. 20 से 30 2. 30 से 40
			3. 40 से 50 4. 50 से 60
3.	जाति	:	1. सामान्य 2. पिछड़ा वर्ग
			3. अनु० जाति 4. अनु० जनजाति
4.	धर्म	:	1. हिन्दू 2. मुस्लिम 3. सिक्ख 4. ईसाई
			5. जैन 6. बौद्ध 7. अन्य
5.	शैक्षिक योग्यताएं	:	1. हाईस्कूल 2. इण्टरमीडिएट 3. स्नातक
			4. परास्नातक 5. तकनीकी 6. पी०एच०डी०
6.	वैवाहिक स्थिति	:	1. विवाहित 2. अविवाहित
			3. परित्यक्ता 4. विधवा
7.	परिवार का स्वरुप	:	1. संयुक्त 2. एकाकी
8.	परिवार की सदस्य संख्या	:	1. 4 तक 2. 6 तक 3. 6 से अधिक
9.	आपका वैवाहिक जीवन कैसा है ?	:	1. सुखी 2. दुःखी 3. साधारण

10.	पारिवारिक मासिक आय	:	1. रु0 1000/- 2. रु0 3000/- 3. रु0 5000/- 4. रु0 8000/ तक या अधिक
11.	क्या आपका निजी मकान है ?	:	1. हां 2. नहीं
12.	आप किस स्तर की अध्यापिका है ?	:	1. प्राथमिक 2. माध्यमिक 3. इन्टर
13.	क्या आपकी पारिवारिक आय पर्याप्त है ?	:	1. हां 2. नहीं
14.	क्या आप अखबार पढ़ती है ?	:	1. हां 2. नहीं
15.	क्या आप टी0वी0 देखती है ?	:	1. हां 2. नहीं
16.	यदि हां तो कौन सा कार्यक्रम ?	:	1. देश-विदेश के समाचार 2. धारावाहिक 3. सामाजिक/राजनीतिक चर्चा 4. फिल्मी कार्यक्रम
17.	आपके घर में संचार के और कौन से साधन हैं ?	:	1. रेडियो 2. टी0वी0 3. टेलीफोन 4. केबिल
18.	परिवार का व्यवहार आपके प्रति कैसा है ?	:	1. बहुत अच्छा 2. अच्छा 3. साधारण 4. खराव
19.	क्या दहेज निरोधक कानून का समाज पर समुचित प्रभाव पड़ा ?	:	1. हां 2. नहीं
20.	आपका विवाह किस आयु में हुआ ?	:	1. 5 से 10 वर्ष 2. 10 से 15 वर्ष 3. 15 से 20 वर्ष 4. 20 से 25 वर्ष 5. 25 से 30 वर्ष 6. 30 से 35 वर्ष
21.	क्या बलात्कार निरोध कानून वर्तमान रुप में पर्याप्त है ?	:	1. हां 2. नहीं

22.	यदि नहीं तो क्या दण्ड और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ?	:	2. हां 2. नहीं
23.	एक अच्छी शिक्षिका होने के लिए क्या आवश्यक है ?	:	1. योग्यता 2. व्यक्तित्व 3. गम्भीरता 4. सहनशीलता 5. खूबसूरती 6. अन्य
24.	शिक्षिका पथभ्रष्ट हो रही है क्या आप इससे सहमत है ?	:	1. सहमत 2. असहमत 3. कुछ नहीं कह सकतीं
25.	समाज में स्त्रियों के पिछड़े होने की वजह आप किसे मानती है ?	:	1. सरकार 2. राजनीतिज्ञ 3. शिक्षा की कमी 4. पुरुष प्रधान समाज 5. स्वयं स्त्रियां
26.	आपकी नजर मे तलाकशुदा महिला की क्या स्थिति है ?	:	1. अच्छी 2. शोचनीय 3. दयनीय
27.	आधुनिक युग में आप किस पर विश्वास करती है ?	:	1. ईश्वर पर 2. स्वयं पर 3. परिवार/रिश्तेदार/मित्रों पर 4. राजनैतिक लाभ देने वाले दलों एवं योजनाओं पर 5. अन्य
28.	क्या शिक्षिकाओं में उनकी आवश्यकताएं (मांगे) पूरी न होने से व्यक्तिगत स्वार्थपरिता तथा अलगाववादी प्रवृत्ति विकसित हुई है ?	:	1. सहमत 2. असहमत
29.	स्त्रियां अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति स्वयं सुधार सकती है ?	:	1.हां 2. नहीं

30.	क्या शिक्षा से स्त्रियों में सुधार हो सकता है ?	:	1.हां 2. नहीं
31.	आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए किन कारणों को उत्तरदायी मानती हैं ?	:	1. सामाजिक आर्थिक कारण 2. राजनैतिक व्यवस्था 3. स्वास्थ्य 4. अयोग्यता 5. जनसंख्या वृद्धि 6. आपसी तनाव 7. आधुनिकीकरण 8. सामाजिक बुराईयां 9. प्रदूषित वातावरण 10. कोई नहीं 11. अन्य
32.	शिक्षित बेरोजगारी दूर करने हेतुः आपका सुझाव ?		1. स्वयं संस्था खोलने हेतु प्रेरणा 2. कृषि एवं ग्रामीण उद्योग धंधों की शिक्षा 3. घरेलू शिक्षा 4. राजनीति में प्रवेश 5. अन्य
33.	क्या ग्रामीण अचलों में राजनीतिक चेतना कम है ?	:	1. हां 2. नहीं
34.	क्या आपकी राय में महिलाओं के सहयोग से सरकार का गठन होता है ?	:	1. हां 2. नहीं
35.	क्या आपका राजनीति में जाना आपके परिवार वाले पसन्द करेंगे ?	:	1. हां 2. नहीं
36.	क्या आपके राजनीति में जाने पर आपके परिवार में पति/बच्चों का सहयोग मिलता रहेगा ?	:	1. हां 2. नहीं

37.	आजकल महिलाऐं पूरे उत्साह से राजनीति में प्रवेश क्यों कर रही है ?	:	1. वह देश की सेवा करना चाहती है। 2. महिलाओं को भागीदार बनाना चाहती है 3. राजनीतिक के में माध्यम से महिलाओं की स्थिति मे सुधार लाना चाहती है। 4. वह पुरुषों का वर्चस्व तोड़ना चाहती हैं।
38.	क्या राजनीति मे प्रवेश हेतु किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है ?	:	1. हां 2. नहीं
39.	क्या आप किसी राजनैतिक पार्टी की सदस्य हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
40.	आपकी दृष्टि में दुखों से छुटकारा पाने का कौन सा विकल्प है ?	:	1. दुखों पर गम्भीर चिन्तन 2. पारिवारिक सदस्यों का सहयोग 3. जीवन लीला को समाप्त कर देना 4. अन्य
41.	क्या परिवार में उत्पीड़न/शोषण होने पर तलाक लेना चाहिए ?	:	1. हां 2. नहीं
42.	यदि हां, तो क्यों ?	:	1. उत्पीड़न/शोषण से मुक्ति हेतु 2. स्वतन्त्रता हेतु 3. सम्मानित जीवन व्यतीत करने हेतु 4. अन्य

43.	यदि नहीं, तो क्यों ?	:	1. समाज के ताने सुनने पड़ते हैं 2. जीवन अधिक संघर्षमय होता हैं। 3. लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते 4. अन्य कारण से
44.	क्या आपकी नजर में नेताओं की करनी और कथनी में भारी अन्तर है ?	:	1. हां 2. नहीं
45.	बांदा नगरपालिका की अध्यक्षा महिला चुने जाने से आपको क्या प्रेरणा मिली ?	:	1. आप भी अध्यक्षा बनना चाहेंगी 2. सम्मान/प्रतिष्ठा मिलती है 3. राजैनतिक दलों की सदस्य बनना पसन्द करेंगी 4. कोई प्रेरणा नहीं मिली
46.	क्या राजनैतिक दल आपकी समस्याओं के समाधान में सहायक हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
47.	आपकी दृष्टि में पुरुषों की तुलना मे महिलाओं की राजनैतिक ताकत कितनी हैं ?	:	1. बराबर 2. बहुत कुछ 3. कुछ भी नहीं 4. सामान्य
48.	क्या आप समान सिविल कानून के पक्ष में हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
49.	यदि हां तो क्यों ?	:	1. इससे समस्त देशवासियों को एक सा अधिकार मिलेगा 2. इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा 3. सबको सभी धर्मो के बारे में पता चलेगा। 4. सब धर्मो के रीति-रिवाज एक हो जायेंगे।

50.	यदि नहीं तो क्यों ?	:	1. यह केवल एक राजनैतिक नारा है 2. केवल अपने धार्मिक कानून ही पसन्द है। 3. समाज में अव्यवस्था फैलेगी।
51.	राजनैतिक दल से सम्पर्क बढ़ाने हेतु उत्प्रेरक कारण बतायें ?	:	1. भावी समस्याएं 2. सम्मान और प्रतिष्ठा पाने हेतु 3. प्रभुत्व बनाये रखने हेतु 4. धन कमाने हेतु 5. अन्य
52.	आपकी राय में महिलाओं को समाज मे किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है ?	:	1. समाज में जागरुकता लाकर 2. स्त्रियों को अधिक शिक्षित करके 3. राजनीति में प्रवेश करके 4. अधिक धन उपार्जन द्वारा 5. हड़ताल करके 6. अन्य
53.	आजकल विभिन्न राजनैतिक दलों, संगठनों व संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ रही संख्या के क्या कारण हैं ?	:	1. जागरुकता बढ़ना 2. अपना अधिकार पाना 3. स्वाभिमान भावना बढ़ना 4. पुरुष के समकक्ष आने की चाह 5. सरकारी प्रयास 6. कोई कारण नहीं
54.	आप किस आधार पर अपने मत का प्रयोग करती हैं ?	:	1. दल 2. जाति 3. धर्म 4. क्षेत्र 5. भाषा 6. परिवार 7. अन्य
55.	क्या मताधिकार प्रयोग से स्त्रियों में जागरुकता आती हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
56.	यदि हां तो क्या इन्हें अपना प्रथम राजनैतिक संगठन बनाना चाहिए ?	:	1. हां 2. नहीं

57.	क्या वर्तमान राजनीति में महिलाएं प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
58.	क्या महिलाओं को राजनीति में पृथक से आरक्षण मिलना चाहिए ?	:	1. हां 2. नहीं
59.	यदि हां, तो आरक्षण का क्या आधार होना चाहिए ?	:	1. संख्या अनुपात 2. शैक्षिक योग्यता 3. जाति 4. धर्म 5. अन्य
60.	क्या भारत में किसी राजनैतिक दल की अध्यक्ष महिला हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
61.	क्या किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है ?	:	1. हां 2. नहीं
62.	क्या पड़ोसी देश में महिला प्रधानमंत्री हैं ? यदि हां तो किस देश में ?	:	1. चीन 2. पाकिस्तान 3. बाग्लादेश 4. नेपाल 5. भूटान 6. पता नहीं
63.	उस महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम हैं ?	:	1. बेनजीर भुट्टो 2. सोनिया गांधी 3. बेगम खालिदा जिया 4. ऑगसॉगकी 5. रणतुंगे भण्डारनायके 6. शेख हसीना वाजेद 7. पता नहीं
64.	विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है ?	:	1. मार्गरेट थ्रेचर 2. इंन्दिरा गांधी 3. सिरिमाओं भंडारनायके 4. बेनजीर भुट्टो 5. गोल्डा मेयर

65.	वह किस देश की प्रधानमंत्री रहीं ?	:	1. भारत 2. चीन 3. श्रीलंका 4. इजरायल 5. इंग्लैण्ड 6. पता नहीं
66.	क्या आप चुनाव में प्रत्याशी होने की इच्छा रखती है ?	:	1. हां 2. नहीं
67.	क्या वोट देकर आप अपनी शक्ति को प्रदर्शित करती है ?	:	1. हां 2. नहीं
68.	क्या मताधिकार प्रयोग से आपकी सामाजिक/आर्थिक स्थिति में सुधार आया है ?	:	1. हां 2. नहीं
69.	आप किस पार्टी को प्राथमिकता देता हैं ?	:	1. कांग्रेस 2. भाजपा 3. सपा 4. बसपा 5. अन्य
70.	आप अपनी समस्या प्रत्यक्ष रुप में किसके समक्ष रखती है ?	:	1. पिता 2. पति 3. प्राचार्य 4. जिला विद्यालय निरीक्षक 5. विधायक या सांसद 6. मंत्री/मुख्यमंत्री 7. राजनैतिक दल 8. किसी के सम्मुख नहीं
71.	क्या आप राजनैतिक दलों को निम्न मामलों में सहयोग करती हैं ?	:	1. प्रचार करना 2. चन्दा देना 3. वोट देना 4. बैठकों में भाग लेना 5. समर्थन जुटाने में सहयोग देना 6. कोई सहयोग नहीं
72.	क्या आप किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध हैं ?	:	1. हां 2. नहीं

73.	यदि हां, तो किस रुप में ?	:	1. सक्रिय कार्यकर्ता 2. साधारण कार्यकर्ता 3. सदस्य 4. पदाधिकारी 5. समर्थक 6. वैचारिक स्तर पर
74.	क्या आप कभी किसी राजनैतिक सभा में सम्मलित हुई हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
75.	यदि हां, तो क्यों ?	:	1. दूसरों के विचार जानने हेतु 2. अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए 3. तर्क-वितर्क करने हेतु 4. सभासीन व्यक्तियों के महत्व को बढ़ाने हेतु 5. अपना महत्व बढ़ाने हेतु
76.	यदि नहीं, तो क्यों ?	:	1.समयाभाव 2. अनुपयोगी होने के कारण 3. रुचि न होने के कारण
77.	क्या स्त्रियों को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए ?	:	1. हां 2. नहीं
78.	क्या आप निम्न में से किसी कारण से राजनीति मे सक्रिय होकर चुनाव लड़ना चाहेंगी ?	:	1. राजनैतिक लाभ हेतु 2. अधिक धन कमाने हेतु 3. सम्मान प्राप्ति हेतु 4. महिलाओं के उत्थान हेतु 5. सेवा में सुरक्षा हेतु 6. सामाजिक लाभ 7. अन्य
79.	क्या आज महिलाओं को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है ?	:	1. हां 2. नहीं

80.	क्या आपने कभी आन्दोलन या हड़ताल में भाग लिया है ?	:	1. हां 2. नहीं
81.	यदि हां, तो क्यों ?	:	1. अपनी बात मनवाने हेतु 2. धन कमाने हेतु 3. आतंक फैलाने हेतु 4. अमन चैन लाने हेतु 5. दूसरों के कहने पर 6. सेवा सुरक्षा एवं पदोन्नति आदि हेतु
82.	क्या आपके परिवार का कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में है ?	:	1. हां 2. नहीं
83.	क्या धर्म का प्रभाव राजनीति पर पड़ता हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
84.	क्या राजनैतिक दल महिला हितों का ध्यान रखते हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
85.	क्या शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण रोकने में राजनैतिक दलों का योगदान रहता है ?	:	1. हां 2. नहीं
86.	क्या नैतिकता खो देने से शिक्षिकाओं की साख गिरी है ?	:	1. हां 2. नहीं
87.	क्या अध्यापिकाऐं अध्यापन जैसे गरिमापूर्ण दायित्व का सही निर्वाह कर रही है ?	:	1. हां 2. नहीं

88.	क्या अध्यापिकाओं में उदासीनताः की स्थिति उत्पन्न हो रही हैं ?	1. हां 2. नहीं
89.	यदि हां तो किन कारणों से ? :	1. शासन-प्रशासन की शिथिलता 2. विद्यालीय कुप्रबन्ध एवं उपेक्षित रवैया 3. व्यक्तिगत पारिवारिक कारण 4. अन्य
90.	क्या सही शासकीय शिक्षा : नीति के अभाववश जगह-जगह स्थापित मान्टेसरी विद्यालयों में अध्यापिकाओं का शोषण हो रहा है ?	1. हां 2. नहीं
91.	क्या अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों : में बच्चों एवं अभिभावकों का खुलकर शोषण किया जा रहा है ?	1. हां 2. नहीं,
92.	प्राथमिक विद्यालयों में : अवैधानिक तरीके से प्रतिवर्ष भारी रकम वसूलने को रोकने हेतु आप क्या क्या करेंगी ?	1. बच्चों का प्रवेश नहीं करायेंगी 2. ऐसे स्कूलों का विरोध करेंगी 3. चुपचाप सहन करेंगी 4. कुछ नहीं करेंगी
93.	क्या धन का प्रभाव व्यक्ति के सब : कार्यो को संभव बना सकता है ?	1. हां 2. नहीं
94.	विद्यालय अर्थात् विद्या के : मन्दिरों में जहां धर्म, जाति लिंग व रिश्तों के नाम पर सौतेला व्यवहार तथा	1. शिक्षा का स्तर गिरता है 2. अध्यापिकओं का मनोबल टूटता है 3. ट्यूशन में बढ़ोत्तरी होती है। 4. बालिकाओं का भविष्य बिगड़ता है

	भेदभावपूर्ण आचरण किया जाता है, वहां इसके क्या परिणाम होते हैं ?		5. कुछ नहीं होता
95.	क्या आप ट्यूशन पढ़ाती है ?	:	1. हां 2. नहीं
96.	क्या आप नौकरी को छोड़ना चाहेंगी ?	:	1. हां 2. नहीं
97.	यदि हां, तो क्यों ?	:	1. अस्वस्थता 2. स्थानान्तरण 3. पारिवारिक स्थिति 4. यौन उत्पीड़न 5. अन्य
98.	कभी-कभी आपके समाने बहुत कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करती हैं ?	:	1. समस्या पर गंभीर चिंतन 2. समाधान न होने तक संघर्ष 3. ईश्वर पर छोड़ देती है। 4. जीवनलील समाप्त करने की इच्छा 5. कुछ नहीं करती
99.	नौकरी में आने की प्रेरणा आपको किससे मिली ?	:	1. माता-पिता 2.भाई-बहिन 3. पति 4. रिश्तेदार 5. मित्र 6. अन्य
100.	आपने यह कार्य ही क्यों चुना ?	:	1. लड़कियों को जागरुक करने हेतु 2. पैसा कमाने हेतु 3. समाज में सम्मान पाने हेतु 4. समय व्यतीत करने हेतु 5. परिवार चलाने हेतु 6. अन्यत्र कार्य न मिलने के कारण

101.	किसी सभा में सम्मिलित होने का आपका उद्देश्य ?	:	1. नेता बनना 2. देश सेवा 3. लोगों में अपनी धाक जमाना 4. प्रतिष्ठा पाने हेतु 5. सहयोग देने हेतु 6. कोई उद्देश्य नहीं
102.	क्या आप अपना मत पारिवारिक सदस्य या अन्य किसी के कहने या दबाव से देती है ?	:	1. हां 2. नहीं
103.	आप किसी महिला नेता को अपना आदर्श मानती है ?	:	1. हां 2. नहीं
104.	यदि हां तो किसे ?	:	1. इंदिरा गांधी 2. मायावती 3. सोनिया गांधी 4. सुषमा स्वराज 5. उमा भारती 6. अन्य
105.	क्या कोई राजनैतिक नेता अध्यापक का पद दिला सकता है ?	:	1. हां 2. नहीं
106.	क्या राजनैतिक दल सम्बद्ध अध्यापिकाओं से प्रबन्धतन्त्र एवं प्रधानाचार्य प्रभावित होते हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
107.	क्या राजनैतिक अध्यापिकाओं से बच्चों की शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ता है ?	:	1. हां 2. नहीं
108.	क्या आप मानती है कि राजनैतिक दल किसी को वांछित लाभ दिला सकते है ?	:	1. हां 2. नहीं

109.	क्या आपकी किसी सहकर्मी ने राजनीति से कोई लाभ प्राप्त किया है ?	:	1. हां 2. नहीं
110.	क्या राजनैतिक गतिविधियां आपको प्रभावित करती हैं ?	:	1. हां 2. नहीं
111.	क्या आप हमेशा राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेती है ?	:	1. हां 2. नहीं
112.	क्या आध्यापिकाऐं राजनैतिक या अन्य कारणों से स्कूल से गायब रहती है ?	:	1. हां 2. नहीं
113.	यदि हां, तो आप कैसा महसूस करती हैं ?	:	1. दुःखी रहती है। 2. प्रसन्न होती है। 3. सामान्य रहती हैं 4. कुछ नहीं होता
114.	क्या विद्यालय में आपसे निर्धारित कार्य से अधिक कार्य लिया जाता है ?	:	1. हां 2. नहीं,
115.	यदि हां तो उसका प्रतिकार आप कैसे करती है ?	:	1. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक से कहते है। 2. उच्चाधिकारियों से कहते हैं 3. कुछ नहीं करते

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अल्टेकर, ए०एम०, पोजीशन आफ बीमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन दी कल्चर पब्लिकेशन हाऊस, बी०एच०यू० 1938

2. अटल, योगेश, सिटिजन्स सेंस आफ पोलिटिकल एफिकेशी इन इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, एक्चुअल नम्बर, 1969 पृष्ठ171-178

3. अस्थाना, पी० 'वीमेन्स मुवमेन्टस इन इण्डिया, दिल्ली विकास पल्लिशिंग हाऊस, 1974,

4. अनवर आबिद, आज की महिला : 'घरेलू झगड़े और दायित्व' आज, 21 जनवरी 2000

5. अनन्ताचारी, टी, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का मुद्दा' आज 29 जनवरी 1998

6. आइसेन्सटेड, ट्रेडिशन चेन्ज एण्ड माइर्निटी न्युयार्क 1973, पृष्ठ 114

7. अंसारी, नियाज, 'महिला सशक्तीकरण वायदे और क्रियान्वयन, योजना, अप्रैल 2002,

8. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण, 'सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धतियाँ, आगरा 1993 पृष्ठ 24

9. अहमद इम्तियाज, पोटिटिकल सोशियोलोजी, न्यू देहली, 1968, पृष्ठ 15

10. ईस्टर्न, डी० एच० हेज०, आर०डी० द चाइल्स पीलिटिकल वल्डर्स, मिडवेस्ट जनरल आफ पोलटिकल साइन्स, वाल्यूम 3, 1962

11. एलमण्ड, जी०ए०वर्वा० 'द सिविल कल्चर' हयस्न यू० प्रेस, 1963

12. श्रीदेवी एस, 'सेन्चुरी आफ इण्डियन वूमेनहुड, मैसूर, राधवन पाब्लिशर्स, 1965

13. श्रीवास्तव उर्मिला, आधी आबादी का अधूरापन, लेख, आज, 15 मार्च 1999

14. श्री अशोक, 'शिक्षा के क्षेत्र में बिंसगतिया क्यो हैं'' आज, 17 जून 1999

15. किनी, एन0जी0एस0, 'दि सिटी बोटर इन इण्डिया', अभिनव प्रकाशन, नई दिल्ली 1975

16. कोठारी, रजनी 'कास्ट इन इण्डिया पालिटिक्स' ओरियन्ट लागमैन लि0, नई दिल्ली, 1985

17. कुमारी, कल्पना, 'महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001' प्रतियोगिता किरण अक्टूबर 2001, पृष्ठ 9-10

18. कैटिल्य, अभिनव , 'शिक्षा बाजार और पब्लिक स्कूल' आज, 6 जुलाई, 1998

19. कैपबैल, ए0जी0 गुरिन एण्ड वारन ई0 मिलर, वाटर डिसाइडस, ईबानस्टन इलिनाय रा पाटिरसन, 1954 पृष्ठ 141

20. कैनीस्टोन कैनथ 'एलाइनेशन एण्ड दि डिक्लाइन आफ यूरोपिया' इन अमेरिकन स्कालट, वाल्यूम 9 स्प्रिग, 1960 पृष्ठ 161-200

21. कपूर पी0, 'द चेन्जिग स्टेटस आफ वर्किग बूमेन इन इण्डिया, देहली विकास पब्लिशिग हाउस, 1974

22. कोल मैन, मार्डनाइजेशन पॉलिटिकल ऐस्पैक्सटस

23. कैपबेल, वाटर डिसाइड्स, 1954, पृ0 141

24. अमेरिकन स्कालर, 1960, पृ0 146

25. गुप्ता कीर्ति, 'विद्यालयीय अध्यापिकाओं में राजनीतिक विरसन, प्रभावकारिता एवं सहभागिता का अध्ययन, एम०ए० लघुशोध, पं० जे०एन०एन०कालेज, बाँदा, 1999

26. गर्ग, ललित, 'दिशाहीन क्यों है ? ''अभिजात युवा'' 'लेख आज , 27 अगस्त 1999

27. गाबा, ओ०पी०, राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा, प्रकाशित साजिल्द संस्करण, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1993, पृष्ठ 322,328-29,

28. गोपालन, डॉ० रजनी, 'नई शिक्षा' राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, दिसम्बर 2001 प्रकाशित नई शिक्षा 12 अगमनपक्ष, बनी पार्क, जयपुर-16 राजस्थान

29. गुड तथा हाट, मेथडस इन सोशल रिसर्च'

30. गोयल, एम,लाल, 'डिस्ट्रीब्यूशन आफ सिविल कम्पिटेन्स फीलिग्स इन इण्डिया, इन शोसियोलोजिकल एवं एस्पेक्टस, वाल्यूम 20 1972

31. गुप्ता, एस० के०, ' सिटिजन इन दि मेंकिग, देलही, नेशनल 1975

32. गांधी, नन्दिता, 'द इमरजेन्स आफ आटोनोमस वूमेन्स ग्रुप' इन लोकायन बुलेटिन, 4. 6.प्र0 84-90, 1986

33. गुडे तथा हॉट, मेथड्स इन सोशल रिसर्च

34. गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 'सामाजिक सर्वेक्षण की पद्वतियां, आगरा, 1993 पृ0 24

35. चौहान, डॉ० राजपति, 'शिक्षाः अन्तरिक शक्ति का विकास जरूरी' आज, 13 अप्रैल 2000

36. जार्ज, लुण्डबर्ग, सोशल रिसर्च, न्यूयार्क, 1951

37. टोम, शिप्रा, ' सातखाने की शतरंज, आज, कानपुर 23 जनवरी, 1998

38. डॉ0डी0एस0 बघेल, 'सामाजिक अनुसन्धान' रींवा 1973, पृ0 34

39. डॉ0 श्यामधर सिंह, 'सामाजिक अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण, इन्दौर

40. दुबे, सरिता, ग्रामीण महिलाओ में पर्यावरण का समाजशास्त्रीय अध्ययन पी0एच0डी0 शोध प्रबन्ध, पं0जे0एल0एन0 कालेज, बाँदा 2001

41. दहल रार्बट, कन्टम्परेरी पालिटिकल थाट न्यूयार्क 1969

42. द्यूवान, 'इन जर्नल आफ सोशल इस्यूज,' 1959 पृष्ठ 142

43. देसाई, एन0ए0एण्ड एन0 कृष्णराज, 'वूमेन एण्ड सोसाइटी इन इण्डिया देहली अजन्ता बुक्स इण्टरलेशनल, 1987

44. देशमुख, नाना जी, शिक्षा में शिक्षकों के जरिये ही बदलाव संभव, आज, कानपुर 2 नवम्बर 1998

45. दीनदयाल, 'महिला उत्पीड़न और कानून' 8 अक्टूबर, 1998, आज, कानपुर

46. देसाई, एन0ए0एण्ड विभूति पटेल, 'इण्डियन वूमेन चेन्ज एण्ड चैलेन्ज इन द इण्टरनेशनल डीकेड, 1975-1985,बाम्बे पापुलर प्रकाशन, 1987

47. दस्तूर एण्ड असोसिएट्स, स्टडीज इन दि फोर्थ जनरल इलेक्शन, 1972, पृ0 145

48. धर्मवीर, पोलिटिकल एफिकेशी इन अर्बन इण्डिया, ए सोशियोंलोजिकल, एक्सलोरकशन, न्यू देहली, क्लैसिकल पब्लिशिंग कम्पनी, 1989

49. धर्मवीर, ट्राइबल वीमेन, क्लासिकल पं0 कम्पनी, नई दिल्ली 1990

50. धर्मवीर, पालिटिकल सोशियोलोजी, राजस्थान 1993, पृष्ठ 141

51. मेहरू, एस0के0, 'अबर काज' ए0डी0 इलाहाबाद किताबिस्तान 1934

52. निगम, डॉ० कृष्णा 'आरक्षण के बिना महिला स्वातन्त्रय के सन्दर्भ अधूरे' लेख आज कानपुर, 20 अगस्त 1999

53. निगम हरिकृष्ण, 'जनसंख्या नियंत्रण और अनपेक्षित दुरागृह', कानपुर, 24 जुलाई, 2000

54. नाग, जसवन्त, 'पाठा के कोलो में राजनीतिक चेतना एवं सहभागिता, शोध प्रबन्ध, काशी विद्यापीठ, 1988 (अप्रकाशित)

55. नाग, सुधा, 'ग्रामीण हरिजन महिलाओं में राजनीतिक चेतना', एम०फिल०, शोध प्रबन्ध काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 1989 (अप्रकाशित)

56. पावेल, मैथिसन,'पार्टीसिपेशन एण्ड एफिकेशी' ऐस्पेक्ट्स ऑफ पेजेन्ट इनवाल्वमेंट इन पोलिटिकल मोबलाइजेशन इन कम्पेरेटिव पोलिटिक्स, अप्रैल, 1972

57. पावेल, आमण्ड, ' कम्परेटिव पालिटिक्स ए-डेवलपमेंट अप्रोच, न्यू दिल्ली, 1975

58. प्रिविट, 'पोलिटिकल एफिकेशी, सम्पा०इन० डेविड सिल्स

59. पारीक, कल्पना 'कडवे मीठे घूट' लेख, आज, कानपुर, 28 दिसम्वर, 1998

60. पाण्डेय, के०पी०, इक्कीसवी सदी में शिक्षा की चुनौती' आज, कानपुर, 6 अप्रैल, 2000

61. पाण्डेय, के०पी० 'शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व विकास, आज, कानपुर, 20 अप्रैल, 2000

62. प्रसाद, एस०आर०, ' केवल धन कमाना ही शिक्षा का उद्देश्य न हो' आज कानपुर, 20 जुलाई, 1999,

63. पी०वी०यंग, साइन्टिफिक सोशल सर्वेस एण्ड रिसर्च, बाम्बे, 1960

64. ब्लैक, सी0ई0 'दि डाइनैमिक्स आफ मार्डनाइजेशन, न्यूयार्क, 1969 पृष्ठ 3

65. ब्लैक सी0ई0 'दि डाइनैमिक्स आफ मार्डनाईजेशन इन इण्डिया, न्यू देहली, 1978

66. ब्लैक, सी0ई0, दि डाइनैमिक्स ऑफ मॉर्डनाइजेशन, न्यूयार्क, 1966 पृ0 111

67. बुडवर्थ, पोलिटिकल बिहेवियर, ए रीडर इन थ्योरी एण्ड रिसर्च, न्यू देहली, 1972, पृष्ठ 151

68. बोगार्डस, 'सोशियोलोजी, 1936

69. बघेल, डी0एस0, सामाजिक अनुसंधान' रीवा 1973 पृष्ठ 34

70. बाविस्कर, बी0एस0' सोशियोलॉजी आफ पालिटिकल' बम्बई, 1974

71. बादर, सी0 ''वीमेन एन्सियेन्ट इंडिया, लंदन, केगन पाल, 1925

72. बर्थवाल पम्मी, 'महिला आरक्षण बनाम राजनीति का नया दाव' अमर उजाला, झांसी 23 दिसम्बर 1998

73. भरद्वाज रंजना, 'महिला सहायता समिति' राजस्थान पत्रिका, 18 जुलाई, 2001

74. भरत झुनझुनवाला, 'भारत में स्त्रियों की संख्या कम क्यों' दैनिक जागरण, 22 अक्टूबर 1997,

75. मार्क्स, कार्ल ' द सेन सोसाइटी लन्दन, 1973, पृष्ठ 145

76. कार्ल-मार्क्स, मेनीफेस्टो ऑफ कम्यूनिस्ट पार्टी

77. मिलब्राथ लेस्टर, 'पालिटिकल पार्टीशिपेशन' शिकागो, 1965

78. मिलब्राथ, लेस्टर, पॉलिटिकल पार्टीसिपेशन, 1967

79. मैक्गलोस्की, 'पोलिटिकल पार्टीशिपरेशन, पृष्ठ 146

80. महाजन, कमलेश, 'सामाजिकी अर्द्धवार्षिक पत्रिका, काशी वाराणसी, 1980

81. महाजन धर्मवीर, 'राजनीतिक समाजशास्त्र' जयपुर, 1983

82. मुखर्जी, आर०एन०, सामाजिक शोध, दिल्ली

83. मिश्रा श्रीमती शारदा, 'राजनीतिक दुराग्रहों के बीच की नारी', दैनिक जागरण, कानपुर, 21 मार्च, 1998,

84. माथुर, एस०एस० एण्ड बी०एल०गुप्ता, 'प्रास्टीटयूशन' आगरा, रामप्रसाद एण्ड सन्स, 1965

85. मेहता पी०, इलेक्शन कम्पेन : 'एनटोनी आफ मास इन्फलुएन्स दिल्ली' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1975,

86. आर०के० मर्टन, सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर

87. यंग पी०वी० साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च प्रेसलाइन्स हाल आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली पृष्ठ 348, 1968

88. यादव सीमा, प्रयास के बाबजूद जहाँ की तहाँ है महिलाए' आज, कानपुर, 16 फरवरी, 2000

89. रामप्यारे, 'हरिजन युवको का समाजीकरण, शोध प्रबन्ध, पी-एच०डी०, बी०एच०यू० 1981 (अप्रकाशित)

90. रोपर, बुडवर्थ, 'पालिटिकल एक्शन्स आफ अमेरिकन सिटिजन्स, देहली, 1973

91. रावत खड्ग सिंह, रूढियो की गारी आधुनिक नारी आज कानपुर 10 मार्च 2000

92. रस्तोगी, अशुमाली, 'शोषित नारी उत्पीड़ित नारी आज कानपुर, 17 दिसम्बर 1999

93. राजकुमारी 'नारी कमजोर नहीं है लेख आज, 7 अप्रैल 2000

94. लुण्डबर्ग जार्ज, 'सोशल रिसर्च, न्यूयार्क, 1951

95. लखमीचन्द्र, 'महिलाओं के लिए 33% आरक्षण' आज, कानपुर, 13 नवम्बर, 1998

96. वाजपेयी उपेन्द्र, 'महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण विधयेक', राजस्थान पत्रिका, 25 मार्च 2002

97. वर्मा, ओमप्रकाश, 'सामाजिक विचारों का इतिहास, रंजन प्रकाशन, गृह सी 5/13 सफदर जंग योजना, नई दिल्ली 1967 पृष्ठ 170-73

98. विश्वकर्मा, जयराम, 'आजादी के बाद से शिक्षा के स्तर में गिरवाट आयी' आज, कानपुर, 7 सितम्बर 1999

99. सिंह योगेन्द्र, 'एसेज आन मार्डनाइजेशन इन इण्डिया', न्यू देहली 1978

100. सिंह श्यामघर, 'सामाजिकी, अर्धवार्षिक पत्रिका, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 1986

101. सेठ, वी०एन०, 'सोशियोलाजिकल स्टडी आफ हरिजन प्रोटेस्ट,' शोध प्रबन्ध, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़, 1980 (अप्रकाशित)

102. स्टोन, कैनीथ कैनी, एलिअनेशन एण्ड द डिक्लाइन आफ यूरेशिया, 1960, पृष्ठ 146

103. एलोस, एलिजाबेथ, स्त्रियों के अधिकारों की अनदेखी क्यों, लेख, आज, 7 मई1999

104. सारिका, 'कब मिलेगी नारी को आत्म निर्णय का अधिकार', लेख, आज, कानपुर, 18 जून, 1999

105. सिंह, उदयनारायण, 'पुरुष प्रधान विश्व में महिलाओं की स्थिति', लेख, आज, कानपुर, 8 मार्च, 1999

106. सिंह, सूर्यभान, 'सियासी चक्रव्यूह में महिला आरक्षण', आज, कानुपर, 12 जुलाई, 1998

107. सिंह, अरुण कुमार, जनसंख्या बनाम जन समस्या, आज 5 नवम्बर 1999

108. हस्त्रबुद्धे, उपेन्द्र विनायक, 'जनसंख्या में महिलाओं की स्थिति', आज, 27 दिसम्वर 1998.

109. सिंह, रामबली, 'भूमिहीनों में वर्ग जागरुकता तथा संघर्षात्मक एवं राजनीतिक सहभागिता', शोध प्रबन्ध, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 1981 (अप्रकाशित)

110. शुभ प्रभा, 'कैसी हो आदर्श शिक्षा व्यवस्था' आज, कानपुर 9 मार्च 2000

111. शर्मा, रजनी, 'बेहतरी की बाट जोहती स्त्री', आज, कानपुर, 22 सितम्वर, 1998

112. हाटे, सी०ए०, चेन्जिग स्टेटस आफ वूमेन इन पोस्ट इण्डिपेन्डेस इण्डिया, बाम्बे, एलाइड पब्लिसर्स, 1969

113. हैजर, नाएलीन, 'सारी दुनिया में बर्बर हिंसा की शिकार है स्त्रियां', स्वतन्त्र भारत, 22 फरवरी, 1998

114. त्रिपाठी, रामसूरत, 'विश्व की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका', आज, कानुपर, 4 अप्रैल, 1999.

विद्यालयों की सूची

राजकीय बालिका इण्टर कालेज बांदा	पद्माकार चौराहा
आर्य कन्या इण्टर कालेज बांदा	हनुमान गढ़ी के पास
ओमर वैश्य बालिका विद्यालय बांदा	ठठराही
नगर पालिका जू०हा०स्कूल०	जामा मस्जिद के पास
उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय अलीगंज	अलीगंज
उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय	गूलरनाका
कन्यापूर्व माध्यमिक विद्यालय बलखण्डी नाका	स्टेशन के पास (छत्रसाल)
उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय	कटरा (भार्गव डाक्टर के पास)
जूनियर हाईस्कूल क्रमोत्तर खुटला	खुटला
सरस्वती ज्ञान मन्दिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	कटरा
आदर्श ज्ञान भरती	अलींगज
स्व० जी०डी०एस०	बस स्टैण्ड (प्राइवेट)
आर०के०एस०	खूटी चौराहा, अलीगंज
बाल भारती	शुतर खाना
हस्तकला विद्यालय	शुतर खाना
प्रगति भारती	खांईपार
इण्डियन कानवेन्ट	परशुराम तालाब के पास
एस०एम० मान्टेसरी	कालुकुआँ (भगत होटल के पास)
आर०बी०एस०	सर्वोदय नगर
सहकारी शिक्षा निकेतन	डी०सी०एफ० के बगल में
डायमण्ड जुबली	मर्दन नाका
नेशनल कान्वेन्ट	मर्दन नाका

मदर टेरेसा	मर्दन नाका
पी0पी0एस0 कान्वेन्ट	छावनी
आदर्श शिक्षा निकेतन	स्टेशन रोड
एच0एस0एन0शिक्षा निकेतन	पदमाकर चौराहा
नेहरू बाल विद्या मंदिर	कटरा(सिहंवाहिनी गेट के सामने)
रोज मेरी कान्वेन्ट	कटरा (किरन चौराहा बाँदा)
सरस्वती विद्या मंदिर	क्योटरा
किरन मान्टेसरी	स्वराज्य कालोनी
के0डी0 मान्टेसरी	जेल रोड
स्वराज्य शिक्षा सदन	जेल से आगे
डॉ0 लोहिया विद्या मंदिर	खुटला राजघाट रोड
चन्दा देवी ओमर वैश्य	छोटी बाजार
चन्दा शिशु शिक्षा सदन	अयोध्यावासी मंदिर के पीछे
शिशु शिक्षा निकेतन	खिन्नी नाका
आर0डी0एस0	अलीगंज
सरस्वती शिशु मंदिर	स्टेशन के पास

इण्टरमीडिएट विद्यालयो में कार्यरत अध्यापिकाओं की सूची

1. श्रीमती प्रेमलता देवी
2. श्रीमती रागनी श्रीवास्तव
3. प्रेमा त्रिपाठी
4. कु0 उरूषा खातून
5. श्रीमती कुसुम स्वामी
6. लीला गौड़
7. सावित्री खरे
8. संतोष मंसूरी
9. रंजना श्रीवास्तव
10. ऊषा गुप्ता
11. कु0 शमशाद खान
12. नफीसा बेगम
13. श्रीमती हबीब
14. साधना तिवारी
15. गोमती गुप्ता
16. श्री महावीर सक्सेना
17. कु0 सालेहा परवीन
18. श्रीमती अंतिमा श्रीवास्तव
19. श्रीमती मुस्लेहा सिद्दीकी
20. शिव कुमारी साव
21. सावित्री दुबे
22. आाशा गुप्ता
23. मंजू रानी सिंह
24. निमिता रंजन

49. सुनीता मिश्रा
50. विष्णुकान्ता गुप्ता
51. उर्मिला
52. श्रीमती राजेश्वरी श्रीवास्तव
53. बबिता चौहान
54. निर्मला त्रिपाठी
55. कु० चन्द्रमुखी श्रीवास्तव
56. कु० गीता गुप्ता
57. कु० ऋतु सिंह
58. श्रीमती आभा गुप्ता
59. सीमा सिंह
60. रश्मि अग्निहोत्री
61. रमा दीक्षित
62. नीलम खान
63. प्रीती गुप्ता
64. शक्ति श्रीवास्तव
65. श्रीमती बीनारानी श्रीवास्तव
66. शशि चौहान
67. डॉ० कु० शशि रस्तोगी
68. सरस्वती श्रीवास्तव
69. आयरिस फैडिक डास
70. चमेली देवी
71. राधा नारायण
72. शारदा खरे
73. निलोफर खान
74. अरूणा श्रीवास्तव
75. निर्मला कुमारी
76. इतिरानी विश्वास
77. पुष्पा भटनागर
78. सावित्री अग्रवाल
79. शहनाज जहाँ
80. शैली रावत
81. शशि उपाध्याय
82. श्रीमती शोभा अवस्थी
83. कु० अर्चना अवस्थी
84. श्रीमती रजनी वाजपेयी
85. श्रीमती मौसमी वाजपेयी
86. श्रीमती रंजना सक्सेना
87. श्रीमती जयशी शर्मा
88. श्रीमती रमत जैन
89. श्रीमती मीना शुक्ला
90. कु० सुनीता गुप्ता
91. कु० रजनी मिश्रा
92. कु० अनीता अग्निहोत्री
93. श्रीमती दुर्गिया
94. समीक्षा श्रीवास्तव
95. श्रीमती दीप्ति गुप्ता
96. कु० दर्शना आर्य
98. विजय श्री मिश्रा
99. मधु श्रीवास्तव
100. कु० प्रीति रावत

हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की सूची

1. श्रीमती मीना श्रीवास्तव
2. श्रीमती वन्दिता सिंह
3. श्रीमती सरिता देवी
4. कु० फरीदा बानो
5. कु० जयन्ती सिंह
6. कु० शैलजा रिछारिया
7. कु० सुषमा सैनी
8. श्रीमती लक्ष्मी राठौर
9. श्रीमती मीना सिंह
10. कु० रेशमा खातून

जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं की सूची

1. श्रीमती रजिया खातून
2. श्रीमती सुनीता देवी
3. मुबीना खातून
4. लइका खातून
5. श्रीमती सरिता त्रिवेदी
6. निशा गुप्ता
7. सावित्री विश्व कर्मा
8. रमा शिवहरे
9. शाहिदा रहमानी
10. कु0 इशरत जहॉं
11. कु0 रजिया बेगम
12. श्रीमती उमा देवी
13. कु रेखा निगम
14. श्रीमती कनीज फातमा
15. फरहत सिद्दकी
16. नसीमा
17. चन्दा यासमीन
18. शबाना
19. शमा खातून
20. शमीम बानो
21. सुचित्रा
22. श्रीमती राबिया खानम
23. कु0 शहनाज
24. कु0 परवीन खान
25. श्रीमती मुक्ता मणि
26. श्रीमती राबिया खानम
27. सुलेखा खातून
28. श्रीमती प्रीति जयसवाल
29. श्रीमती कमला निगम
30. सरोज
31. चांद उस्मानी
32. ज्ञान्ती
33. कु0 मेहरूनिशा
34. कु0 रजनी गुप्ता
35. शाहीन अख्तर
36. गोमती दीक्षित
37. साधना गुप्ता
38. शबनम
39. शबनम बेगम
40. नाहिदा
41. श्रीमती माया गुप्ता
42. विमला देवी
43. हीरा सेन
44. सरोज कुमारी
45. श्रीमती अमिता भटट
46. सविता भटट
47. साधना कश्यप
48. गायत्री गुप्ता

49. रजनी मिश्रा
50. अराधना अवस्थी
51. रश्मि गुप्ता
52. अराधना द्विवेदी
53. शबनम
54. रईस बानो
55. मंजू गुप्ता
56. अनीता अग्निहोत्री
57. श्रीमती उर्मिला शुक्ला
58. पदमा श्रीवास्तव
59. मजुला श्रीवास्तव
60. अनीसा खातून
61. शशि निगम
62. निर्मला समैया
63. सुधा मिश्रा
64. अनुपमा
65. साधना रावत
66. विमला खरे
67. शाहीन बेगम
68. चित्रा निगम
69. शशि खरे
70. पूनम श्रीवास्तव
71. रश्मि गुप्ता
72. ऊमा वाजपेयी
73. श्रीमती माया देवी रिजवी
74. कु0 जेबा रिजवी
75. कु0 रूवी श्रीवास्तव
76. कु0 खुर्शीद
77. कु0 रजनी श्रीवास्तव
78. कु0 सुषमा श्रीवास्तव
79. कु0 श्रीमती विमला दुबे
80. प्रीति निगम
81. श्रीमती शुशीला निगम
82. श्रीमती रूकमणि सिंह
83. स्नेहलता श्रीवास्तव
84. रेशमा श्रीवास्तव
85. बीना शुक्ला
86. सरला परिहार
87. अल्का गुप्ता
88. कु0 किरन श्रीवास्तव
89. कु0 मीना श्रीवास्तव
90. श्रीमती आशा अस्थाना
91. रेखा तिवारी
92. बिनीता रानी गुप्ता
93. अल्का श्रीवास्तव
94. कु0 रमा
95. डॉ0 रवि शशि मिश्रा
96. श्रीमती विद्या
97. श्रीमती मोहनी देवी
98. श्रीमती अर्चना सिंह
99. श्रीमती रानी सिंह
100. श्रीमती शशि पाण्डे

101. श्रीमती उमा
102. श्रीमती अनीता चौहान
103. कु0 फिरोज
104. शबाना
105. सुनीता
106. अल्का श्रीवास्तव
107. अल्का अग्रवाल
108. श्रीमती क्षमा श्रीवास्तव
109. माला श्रीवास्तव
110. शैली रावत
111. अर्चना सिंह
112. बिनीता अग्रवाल
113. नेहा दुबे
114. शमीम
115. निशा बानो
116. शाहिदा
117. नादया
118. कु0 जरीना
119. निगार
120. गुलशन
121. सुधा रैकवार
122. संगीता गुप्ता
123. शुभ्रा श्रीवास्तव
124. शुभ्रा चतुर्वेदी
125. कु0 चतुर्वेदी
126. सविता
127. सोनिया
128. विनीता
129. शमा परवीन
130. भारती देवी पाण्डे
131. राजकुमारी मिश्रा
132. इन्द्रा दीक्षित
133. राबिया बेगम
134. शकुन्तला श्रीवास
135. कुमुद रस्तोगी
136. भारती वक्शी
137. शुशीला श्रीवास्तव
138. श्रीमती कमलेश्वरी शुक्ला
139. कु0 नसीम असीम रिजवी
140. श्रीमती दुर्गा देवी गुप्ता

किस दल की कितनी महिला सांसद

क्र.	नाम	दल	क्षेत्र
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	पानाबाका लक्ष्मी	कांग्रेस	नेल्लूस
2.	डा0 सुगना कुमारी	टी0 डी0 पी0	पैदापल्ली
	असम		
3.	रानी नाराह	कांग्रेस	लखीमपुर
	बिहार		
4.	रमा देवी	राजद	मोतिहारी
5.	मालती देवी	राजद	नवादा
6.	रीता वर्मा	भाजपा	धनबाद
7.	आभा महतो	भाजपा	जमशेदपुर
	दिल्ली		
8.	सुषमा स्वराज	भाजपा	द0 दिल्ली
9.	मीरा कुमार	कांग्रेस	करोलबाग
10.	भावना चिखालिया	भाजपा	जूनागढ़
11.	भावना दबे	भाजपा	सुरेन्द्रगढ़
12.	जयाबेन ठक्कर	भाजपा	बड़ोदरा
13.	निशाबेन चौधरी	कांग्रेस	साबरकांठा
	हरियाणा		
14.	कैलाशो देवी	(हलोदरा)	कुरुक्षेत्र
	केरल		
15.	ए0 के0 प्रेमजाम	माकपा	बड़ागारा
	मध्यप्रदेश		
16.	विमला वर्मा	कांग्रेस	सिवनी
17.	विजयाराजे सिंधिया	भाजपा	गुना
18.	सुमित्रा महाजन	भाजपा	इंदौर
19.	उमा भारती	भाजपा	खजुराहो
	महाराष्ट्र		
20.	चित्रलेखा भोसले	कांग्रेस	रामटेक
21.	सूर्यकांता पाटिल	कांग्रेस	हिंगोली
	मणिपुर		
22.	किमगोंग्टे	भाकपा	बाहरी मणिपुर
	उड़ीसा		
23.	जयंती पटनायक	कांग्रेस	बहरामपुर
24.	संगीता देवी	भाजपा	बोलांगीर
	पंजाब		
25.	सतविंदर कौर	अकाली दल	रोपड़
	राजस्थान		
26.	वसुन्धरा राजे सिंधिया	भाजपा	झालवाड़
27.	उषा मीणा	कांग्रेस	सदाई माधोपुर
28.	प्रभा ठाकुर	कांग्रेस	अजमेर
	तमिलनाडु		
29.	डॉ0 वी0 सरोज	अन्नाद्रमुक	रासीपुरम
	उत्तरप्रदेश		
30.	मायावती	बसपा	अकबरपुर
31.	ओमवती	सपा	बिजनौर
32.	उषा वर्मा	सपा	हरदोई
33.	रीना चौधरी	सपा	मोहनलालगंज
34.	कमला रानी	भाजपा	घटमपुर
35.	सुखदा मिश्रा	भाजपा	इटावा
36.	शीला गौतम	भाजपा	अलीगढ़
37.	इला पंत	भाजपा	नैनीताल
38.	मेनका गांधी	निर्दलीय	पीलीभीत
	बंगाल		
39.	ममता बनर्जी	तृ.का.	द0 कलकत्ता
40.	कृष्णा बोस	तृ.का.	जादवपुर
41.	संध्या बौरी	माकपा	विष्णुपुर
42.	मिनाती सेन	माकपा	जलपाईगुडी
43.	गीता मुखर्जी	भाकपा	पसकुरा

महिला आरक्षण संबंधी 84वें संविधान संशोधन विधेयक 1998 के प्रमुख प्रावधान

1. संविधान के अनुच्छेद 330 के खंड (1) में लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेगा।
2. अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के जहां तक सम्भव हो एक तिहाई स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
3. किसी राज्य या संघ राज्य क्षे में लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के जहां तक संभव हो एक तिहाई स्थान जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में भिन्न भिन्न चुनाव क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किये जा सकेंगे।
4. जहां ऐसे नाम निर्देशन लोकसभा के लिए तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लॉक के सम्बन्ध में किये जाते हैं, वहां एक स्थान प्रथम, दो साधारण निर्वाचनों के पश्चात गठित की जाने वाली प्रत्येक लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय की महिला के नाम निर्देशन के लिए आरक्षित रहेगा और तीसरे साधारण निर्वाचन के पश्चात गठित की जाने वाली लोकसभा में उस समुदाय की महिला के लिए कोई स्थान–आरक्षित नहीं रहेगा।
5. अनु 332 क (1) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।
6. इस अधिनियम द्वारा संविधान में किये गये संशोधनों से लोकसभा किसी राज्य की विधानसभा या दिल्ली की विधानसभा से किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान यथास्थिति लोकसभा किसी राज्य की विधानसभा या दिल्लजी की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।

संसद में प्रतिनिधित्व

वर्ष	लोक सभा			राज्य सभा		
	कुल सीटें	महिला सांसदों की संख्या	महिला सांसदों का प्रतिशत	कुल सीटें	महिला सांसदों की संख्या	महिला सांसदों का प्रतिशत
1952	449	22	4.4	219	16	7.3
1957	500	27	5.4	237	18	7.5
1962	503	34	6.8	238	18	7.6
1967	523	31	5.0	240	20	8.3
1971	521	22	4.2	243	17	7.0
1977	544	19	3.4	244	25	10.2
1980	544	28	5.1	244	24	9.8
1984	544	44	8.1	244	28	11.4
1989	517	27	5.22	245	24	9.7
1991	544	39	7.18	245	38	15.5
1996	543	40	7.18	223	20	9.0
1999	543	43	7.2	237	22	9.2
औसत	523	31	5.8	238	23	9.3

भारत की जनगणना, 2001 का राज्यवार अवलोकन

संघ राज्य/ केन्द्र-शासित क्षेत्र	जनसंख्या 2001			जन-संख्या का %	साक्षरता दर 2001			प्रतिशत वृद्धि दर (दशकीय)	लिंगानु-पात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएँ)	जन-संख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)
	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ		व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ	1991-01	2001	2001
भारत[1,2,3]	1,02,70,15,247	53,12,77,078	49,57,38,169	100.00	65.38	75.85	54.16	21.34	933	324
1. जम्मू कश्मीर[4]	1,00,69,917	53,00,574	47,69,343	0.98	54.46	65.75	41.82	29.04	900	99
2. हिमाचल प्रदेश[3,5]	60,77,248	30,85,256	29,91,992	0.59	77.13	86.02	68.08	17.53	970	109
3. पंजाब	2,42,89,296	1,29,63,362	1,13,25,934	2.37	69.95	75.63	63.55	19.76	874	482
4. चण्डीगढ़	9,00,914	5,08,224	3,92,690	0.09	81.76	85.65	76.65	40.33	773	7,903
5. उत्तरांचल	84,79,562	43,16,401	41,63,161	0.83	72.28	84.01	60.26	19.20	964	159
6. हरियाणा	2,10,82,989	1,13,27,658	97,55,331	2.05	68.59	79.25	56.31	28.06	861	477
7. दिल्ली	13,782,976	75,70,890	62,12,086	1.34	81.82	87.37	75.00	46.31	821	9,294
8. राजस्थान	5,64,73,122	2,93,81,657	2,70,91,465	5.50	61.03	76.46	44.34	28.33	922	165
9. उत्तर प्रदेश	16,60,52,859	8,74,66,301	7,85,86,558	16.17	57.36	70.23	42.96	25.80	898	889
10. बिहार	8,28,78,796	4,31,53,964	3,97,24,832	8.07	47.53	60.32	33.57	28.43	921	880
11. सिक्किम	5,40,493	2,88,217	2,52,226	0.05	69.68	76.73	61.48	32.98	875	76

क्यों बढ़ रही है मतदाताओंमें उदासीनता ?

> *कई मतदान केन्द्रोंपर एक भी मत नहीं पड़े और लोगोंने यह कहते हुए मतदान बहिष्कार किया कि उनकी शिक्षा, सड़क, बिजली, पानीपर जब किसीने ध्यान ही नहीं दिया तो फिर हम सबके लिए कैसा 'फील गुड'। मीडियाके लोगोंने इस ठोस सकारात्मक पहलूको कोई विशेष तवज्ञो नहीं दी।*

चुनावके प्रति मतदाताओंकी उदासीनता लोकतन्त्रके लिए हानिकारक होती है, ऐसा लोकतान्त्रिक पण्डितोंका मानना है। चौदहवीं लोकसभाके अबतकके सम्पन्न हुए मतदानमें यह बात स्पष्टत: नजर आयी, खास तौरसे उत्तर प्रदेश और बिहारमें मतदाताओंकी अनुपस्थितिने लोकतान्त्रिक पर्वकी विश्वसनीयतापर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। मतदाताओंकी इस उदासीनताके कारण चाहे जो हों लेकिन इसके लिए उत्तरदायी हमारी सभी संवैधानिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां और उसके कुण्ठित कार्यकर्ता भी हैं, हालांकि इसे मतदाताओंकी उदासीनता कहना मतदाताओंके प्रति ज्यादती होगी। इस नौकरशाहीकी शब्दावलीमें अक्षमता, अपंगता, कुटिलता, कृपणता और भ्रष्ट तानाशाहीकी बू आती है। अपनी कार्य- प्रणालीकी अक्षमताका तोहमत जनताके सर फोड़ना नवोद्भित जंगलराजको दृष्टांकित कर रहा है जिसे अगर समय रहते नियन्त्रित न किया गया तो इसके परिणाम गम्भीर हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग और राजनीतिक दल दोनों समान रूपसे जिम्मेदार हैं। राजनीतिक दलोंमें बढ़ते अपराधीकरण और तानाशाही रवैयेपर सबसे पहले और सफल नकेल डालनेका कार्य तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषनने किया था जिनकी कार्यप्रणालीसे देशकी आम जनतामें भी यह विश्वास जगा कि राजनीतिक दलोंको भी नैतिकताका कड़ा पाठ पढ़ानेके लिए कोई संस्था है जिसके रिंगके आगे बड़ेसे बड़ा सफेदपोश नतमस्तक है। फलत:, शेषन राजनीतिक दलोंकी आंखोंकी भले किरकिरी बने रहे मगर देशकी जनताने उन्हें अपनी आंखोंका तारा समझा। इस देशकी जनताका मुख्य चुनाव आयुक्तको मिले मौन समर्थनने ही राजनीतिक दलोंके बड़े-बड़े आकाओंको भी अपनी सीमामें रहनेको विवश कर दिया।

मगर उसके बादसे मुख्य चुनाव आयुक्तोंकी कार्यप्रणाली काम करनेकी कम और अपने आपको लोकतन्त्रका राबिनहुड सिद्ध करनेकी ज्यादा रही। उनके इस क्रियाकलापपर राजनीतिक दलोंने भी आंख मूंद रखा है, उसके भी अपने कारण हैं। भारतीय लोकतन्त्रमें चुनाव आयोग और राजनीतिक दलोंका चोली-दामनका साथ है। राजनीतिक दल, जो देशकी जनताकी नुमाइंदगी करते हैं, चुनाव आयोगको घेरनेका प्रयत्न मात्र इसलिए नहीं करते कि उनके प्रति आयोगकी त्यौरी कहीं टेढ़ी न हो जाय क्योंकि उनके दामनमें दाग नहीं अपितु पूराका दामन ही दागदार है। इसमें आयोगके अधिकारियों और राजनीतिक दलोंके नेताओंकी अपनी-अपनी कुण्ठाओंका बहुत बड़ा हाथ है। आखिर क्या कारण है कि प्रत्येक चुनावकी घोषणाके उपरान्त शेष वर्षोंमें उसकी सक्रियता कहीं दिखाई नहीं देती। शेषनके ही समयमें पूरे देशमें आयोग द्वारा लोगोंको पहचानपत्र देनेका कार्य शुरू हुआ था जो आजतक पूरा नहीं हो पाया।

अभीतक हुए मतदानमें देशके कई नामचीन हस्तियोंको अपने मताधिकारसे मात्र इसलिए वंचित होना पड़ा क्योंकि वोटर लिस्टमें उनका नाम नहीं था। सब तो सब, अभी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट शृंखलामें पहली बार पाकिस्तानको पाकिस्तानमें पटखनी देनेवाले देशके जांबाज क्रिकेटरों- पार्थिव पटेल, इरफान पठान, अनिल कुम्बले आदिको इसी कारण मताधिकारसे वंचित होना पड़ा। इस लोकतन्त्रमें देशके शाहजादोंकी जब यह हालत है तो आम जनताकी दशा क्या है, इसका हाल जाननेकी किसे फुरसत है। यह तो अभी एक पहलू है, वहीं दूसरा पहलू है कि मतदाता पहचान- पत्र होनेके बावजूद कई लोगोंको मताधिकारसे वंचित होना पड़ा क्योंकि मतदाता सूचीमें उनका नाम नहीं था, वहीं मतदाता सूचीमें नाम रहनेके बावजूद अनेक लोग मतदान केन्द्रसे निराश वापस लौटे क्योंकि उसे वह प्रमाणित नहीं कर सके। हमारे यहां कैदीको तो मताधिकारसे वंचित कर दिया गया है मगर उन्हें जेलके सींखचोंके पीछे बैठे-बैठे चुनाव लड़नेकी पूरी छूट है, जिसका लाभ अपराधी माफिया उठा रहे हैं। यहां जनता मजबूर होती है सांपनाथ और नागनाथमेंसे किसी एकको चुननेके लिए तो यह मजबूरी मतदाताकी सक्रियताको प्रभावित जरूर करती है। फिर मतदाताकी दूसरी विवशता तब सामने आती है जब वह चुनावमें किसी उम्मीदवारके विरुद्ध मतदान कर उसे परास्त करनेका काम करता है तो उसे दूसरे रास्तेसे राज्यसभामें पहुंचा दिया जाता है, जहां वह ठगा-सा अपमानित महसूस करता है।

गौरतलब है कि अभी हालमें ही एक जनहित याचिकाके आलोकमें पटना उच्च न्यायालयने भी चुनाव आयोगको फटकार लगायी है और जल्दसे जल्द (मतगणनासे पहले) रिपोर्ट सौंपनेको कहा है कि चुनाव लड़ रहे कैदियोंको कैसे चुनाव लड़नेकी छूट मिली। साथ ही एक कदम और आगे बढ़ाते हुए माननीय न्यायालयने कहा है कि जहां भगोड़े अपराधियोंने मतदान किये हैं, उसे भी रद किया जाना चाहिए। उचित समयपर न्यायपालिकाका यह महत्वपूर्ण निर्देश स्वस्थ लोकतन्त्रके लिए हितकर साबित होगा।

गौरतलब है कि कैदी, अपराधियों या बाहुबलियोंकी बहुत बड़ी फौज बिहारमें अपनी किस्मत आजमा रही है जिसे देखकर जनप्रतिनिधित्व कानूनका मखौल उड़ता लगता है। अगर समय रहते आयोग और न्यायालयने कोई सार्थक कदम उठाये तो आशा की जानी चाहिए कि आनेवाली लोकसभाकी छवि अपेक्षाकृत कम दागदार होगी। वैसे अब समय आ गया है कि ऐसे लोगोंपर कठोर कदम उठाये जायं और देश, राज्य तथा समाजको जंगलराजसे मुक्ति मिले। बाहुबलियोंके भयसे जहां जनता मत देनेकी हिम्मत नहीं करती, उनकी समस्याओंका समाधान करनेवाला भी कोई नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितियोंमें जनता 'कोउ नृप होय हमें का हानी' कहकर सन्तोष न करें तो क्या करें।

कई मतदान केन्द्रोंपर एक भी मत नहीं पड़े और लोगोंने यह कहते हुए मतदान बहिष्कार किया कि उनकी शिक्षा, सड़क, बिजली, पानीपर जब किसीने ध्यान ही नहीं दिया तो फिर हम सबके लिए कैसा 'फील गुड'। मीडियाके लोगोंने इस ठोस सकारात्मक पहलूको कोई विशेष तवज्जो नहीं दी। उसके पास अपराध और फिल्मी लटकों-झटकोंसे ही फुरसत नहीं मिल पा रही है। बाजारवादके संक्रमणसे संक्रमित मीडिया पीत-पत्रकारितासे ग्रस्त होती जा रही है। मतदानका गिरता प्रतिशत चुनाव आयोगकी विफलताको परिलक्षित करता है, न कि मतदाताकी उदासीनताको। मतदाता सूचीकी तैयारीके नामपर ही चुनाव आयोगने चुनावके समयको तीन महीने आगेतक बढ़ाया और उसके बावजूद एक सही सूची नहीं तैयार हो सकी तो यह किसकी अक्षमता कही जायगी? यह चुनाव आयोगकी कमजोरी है कि पांच सालोंतक कानमें तेल डालकर सोनेवाला आयोग ऐन मैक्रेपर कैमरेके सामने सक्रिय सिद्ध करनेकी कोशिश करता है मगर क्रिया-कलापमें आये अन्तरसे उसकी पोल खुलती जा रही है। आयोगके भारी-भरकम तन्त्रपर खर्च होनेवाला पैसा जनताके ही खून-पसीनाका होता है। आखिर वह इसे खर्च कहां करता है जबकि आजतक मतदाता पहचानप्रत्र भी नहीं बन पाया जबकि इसके फोटो खींचनेका कार्य कई बार सम्पन्न हुआ। कई बार मतदाता पहचानपत्र कूड़ोंके ढेरमें नदी-नालोंके किनारे फेंके पाये गये तो कहीं पहचानपत्रके बावजूद मतदानसे वंचित रहना पड़ा। राजनीतिक दिग्गजोंको त्यौरी दिखानेवाला आयोग, जिसकी एक हेंकड़ीपर बड़े-बड़े बाहुबलियोंको पसीने छूटने लगते हैं, वह अपने ही नौकरशाहों और उनके तन्त्रके आगे इतना अक्षम क्यों दिखता है।

अरुण कुमार सिंह

"आज" कानपुर 27 मई 2004

शिक्षाके व्यवसायीकरणमें पिसती समग्र शिक्षा नीति

मानव संसाधन मन्त्रालय द्वारा देशके प्रबन्धन क्षेत्रके प्रमुख माने जानेवाले ख्याति-प्राप्त संस्थान आई.आई.एम.की फीस घटाये जानेका निर्णय देशके उच्च शिक्षा क्षेत्रके लिए इन दिनों बहस और विवादका विषय बना हुआ है। मन्त्रालयके रूपमें सरकारका कहना है कि सांविधानिक तौरपर सरकारकी सबको शिक्षाके समान अवसर उपलब्ध करानेकी समग्र शिक्षा नीतिके आधारपर यहां भी देशके गरीब वर्ग या निचले आय वर्गके छात्रोंको भी प्रवेश और शिक्षा ग्रहण करनेका अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा करनेके पीछे सरकारका पुष्ट तर्क है कि चूंकि संस्थानको चलानेमें सरकार अच्छी-खासी राशि खर्च करती है, जो उसे करके रूपमें जनतासे ही प्राप्त होती है, बावजूद इसके इस संस्थानमें उच्च आय वर्गके या अमीर वर्गके ही लोगोंको प्रवेशका एकाधिकार क्यों रहे? दूसरी ओर संस्थानसे जुड़े प्रबन्धन और उसके समर्थकका मानना है कि ऐसा करना संस्थानकी शिक्षण गुणवत्ता और साखमें कमी ला देगा।

यह ठीक है कि आई.आई.एम.की न केवल राष्ट्रीय स्तरपर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर भी उच्चस्तरीय साख है, बल्कि कई मायनोंमें यह श्रेष्ठतम माने जानेवाले विदेशी शिक्षण संस्थाओंकी तुलनामें अपनेको आगे स्थापित करता है। यहांके छात्र अमेरिका, इंग्लैण्डमें अपने प्रबन्धन कौशलके गुरों और विशेषताओंके कारण धाक भी जमा पाये हैं। लेकिन सरकार द्वारा फीस घटानेके निर्णयसे इसकी छविपर कोई असर पड़ता हो, ऐसा कतई नहीं लगता। फीस और सब्सिडी घटाये जानेका विरोध करनेके पीछे संस्थान और उच्च शिक्षासे जुड़े लोगों (इन्हें शिक्षाके विशुद्ध व्यवसायीकरणके समर्थक कहना ठीक होगा) का कहना यह भी है कि चूंकि संस्थानमें विशिष्ट शिक्षण बैकराउण्डके छात्र ही आते हैं और दूसरे कहींसे भी छात्र या जनताकी ओरसे इसकी महंगी फीसको लेकर कोई आवाज नहीं आयी है और न ही ऐसा कोई मामला आया है कि कोई छात्र धनाभावके कारण बीचमें ही सत्र छोड़ गया हो।

वे तर्क यह भी देते हैं कि योग्य मगर कम आय वर्गके छात्रोंके लिए सरकार और बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। संस्थान और इसके समर्थकों द्वारा दिये जा रहे इन तर्कोंकी हकीकत यह है कि गरीब या अल्प आय वर्गके छात्र अंग्रेजीनुमा बैकराउण्डकी कथित विशिष्ट (इलीट) छविके मारे कम, ऊंची फीस न भर पानेकी कूबतके कारण अधिक उस ओर रुख, तैयारी या ऐसे क्षेत्रका चयन ही नहीं करते हैं। दूसरे ऋण लेकर पढ़ाई करनेका जोखिम और परम्परा भारतकी शिक्षाप्राप्तिमें न तो स्वाभाविक रूपमें शामिल है और न ही इसकी व्यावहारिक रूपमें शत प्रतिशत सफलताकी गारण्टी है।

सरकारी मशीनरीकी कार्यप्रणाली, विशेषकर परिणामोन्मुख इकाइयोंकी कार्य प्रणालियोंकी सफलताका ग्राफ कहीं भी ऊंचा नहीं है, इसलिए यह तर्क भले ही दिया जा सकता है कि चूंकि संस्थान स्वायत्त संस्था है और सरकारके कमसे कम हस्तक्षेपके कारण ही जिस साखको कायम कर पाया है, उसमें सरकारी घुसपैठसे प्रतिकूल असर पड़ेगा। लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें परिचायक है। मात्र फीस घटाये जाने जैसे हस्तक्षेपसे संस्थानको किस तरहका नुकसान हो सकता है, संस्थान इसका वाजिब तर्क सरकार या जनताके सामने लानेमें सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसेमें इस मुद्देपर एक ही प्रश्न दो तरहसे मुंह बाये खड़ा हो जाता है कि महज फीस घटानेसे कैसे किसी

आज विश्वमें विकासशील और विकसित देशोंमें शिक्षा शक्तिका ही बोलबाला है। वे ही देश अपनी-अपनी पहचान, साख और शक्ति अग्रणी रख पा रहे हैं जिनके पास श्रेष्ठ मेधा है और भारत अपनी इसी मेधा शक्तिके कारण अपनी उपस्थिति विश्व मानचित्रपर दर्ज करा रहा है।

मन्त्रालयका प्रवेश प्रक्रियासे लेकर शिक्षण प्रक्रियातक कोई दखल नहीं दिखाई दे रहा है और न ही देनेकी वह कोई मंशा रखता है।

सरकार सकल घरेलू उत्पादका लगभग ४ प्रतिशत प्रति वर्ष ८०,००० करोड़ शिक्षा मदमें खर्च करती है। ऐसे ही इस संस्थानका वित्तीय पोषण सरकार जनताके जिस पैसेसे करती है, उसका समान लाभ लेनेसे जनताका एक वर्ग इस कारण वंचित न रह जाय कि वह ऊंची फीस नहीं चुका सकता। सरकारके सबको शिक्षाके समान अवसरकी पोषकताकी दिशामें लिये जानेवाले ऐसे निर्णयोंका विरोध सामूहिक भओजनमें विशिष्ट आतिथ्यकी मानसिकताका ही

शिक्षा जगत

शिक्षण संस्थानकी गुणवत्ता घट सकती है और दूसरे महज अधिकसे अधिक फीस रखकर क्या किसी संस्थानकी शिक्षण गुणवत्ताको बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसा है तो मेधा और योग्यताके आधारपर प्रवेश परीक्षाके पहलूको संस्थान दरकिनार कर ऐसे धनाढ्य वर्गके छात्रोंको प्रवेशकी छूट दे सकता है, जिनके लिए ऊंचीसे ऊंची फीस भरना चुटकी मसलने जैसा है।

वास्तवमें किसी भी शिक्षण संस्थानकी सफलता उसके द्वारा अपनायी गयी शिक्षण प्रणाली, उसके शिक्षकोंकी योग्यता, निष्ठा, समर्पण और छात्रोंकी गुणात्मक मेधा और लगनके आधारपर तय होती है, न कि ऊंची फीससे। गांधीजीके इस कथनको कि आनेवाला युग शिक्षाके महत्व और इसीके बलबूतेपर चलनेवालोंका होगा, एक शताब्दी होनेको है, जब यह चरितार्थ हो रहा है कि आज विश्वमें विकासशील और विकसित देशोंमें शिक्षा शक्तिका ही बोलबाला है। वे ही देश अपनी-अपनी पहचान, साख और शक्ति अग्रणी रख पा रहे हैं जिनके पास श्रेष्ठ मेधा है और भारत अपनी इसी मेधा शक्तिके कारण अपनी उपस्थिति विश्व मानचित्रपर दर्ज करा रहा है। भारतकी ज्ञानार्जन और इसको विश्व कल्याणके लिए विश्व समुदायमें वितरणकी सनातन परम्पराको देखते हुए भारतके लिए यह कोई नयी बात नहीं है।

शिक्षाका व्यवसायीकरण कर धनोपार्जनकी जिस पश्चिमी शिक्षा नीति और सिद्धान्तोंको आंखें मूंदे भारत अपना रहा है, उसके चलते क्या भारतकी स्वाभाविक मेधा शक्ति पूर्ण रूपमें उभर पा रही है या येन केन अर्थको साधनेका दिवास्वप्न दिखानेवाली यह एकांगी शिक्षा नीति शेष विश्वके साथ-साथ भारतको भी अनजाने गड्ढेकी तरफ धकेल रही है। वास्तवमें आधुनिक शिक्षा नीति द्वारा शिक्षाको विभिन्न वर्गोंमें यथा-रोजगारपरक, व्यवसायीकरण, अर्थव्यवस्था-परक, मानव संसाधनों (मेधा) की खपतसे धनोपार्जन जैसे विभिन्न बंटवारोंके कारण ही शिक्षामें आज सम्पन्नताके बावजूद विपन्नताके माहौलकी जड़ें भी गहराती जा रही हैं। इस शिक्षा द्वारा प्राप्त एकांगी भौतिक विकासके मनुष्य अन्ततः भौतिक संसाधनोंके अनिश्चित-अनियन्त्रित दोहन और उससे उपजनेवाले असन्तोष, क्षोभ, उकताहट, विरक्तताकी ओर ही अग्रसर हो रहा है। सर्वश्रेष्ठता, पूर्ण सफलताकी उसकी स्वाभाविक चाहतको पूरा करनेमें यह शिक्षा खरी नहीं उतरती, सम्पूर्ण ज्ञानप्राप्ति बाकी रह जाती है।

पूरे विश्वको वैदिक शिक्षाके वैज्ञानिक व्यावहारिक स्वरूपसे अभिभूत करानेवाले महर्षि महेश योगी तो कहते हैं कि जबतक शिक्षामें धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका सम्यक् आधार नहीं रखा जाता, तबतक किसी भी क्षेत्रमें सन्तुष्टिदायक, आनन्ददायक अर्थात् सम्पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है।

महर्षि भारतको वैदिक ज्ञानका उत्तराधिकारी माननेके साथ-साथ यह भी मानते हैं कि सम्पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मचेतनावान भारतीय जनमानस ही पूरे विश्वको शिक्षाका, ज्ञानका मार्ग दिखा सकता है।

पूरे विश्वमें सैकड़ों वैदिक शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयोंके संस्थापक आधुनिक शिक्षा प्रणालीकी बखिया उधेड़ते हुए महर्षि कहते हैं कि इसमें मनुष्यके मस्तिष्कका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। एकांगी पक्षपर जोर देनेके कारण मनुष्य उस चेतना विज्ञानको ही उपेक्षित कर देता है, जो सारे ज्ञानका, सारे विज्ञानोंका आधार है।

रणजीत सिंह

'आज' कानपुर - 6 मई